



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

वित्त विधेयक, 2022 के उपबंधों का व्याख्यात्मक ज्ञापन

(जिन खंडों के प्रतिनिर्देश किया गया है वे विधेयक के खंड हैं)

वित्त विधेयक, 2022
प्रत्यक्ष कर से संबंधित उपबंध
प्रस्तावना

वित्त विधेयक, 2022 (जिसे इसके पश्चात् "विधेयक" कहा गया है) के उपबंध, कर-प्रोत्साहनों के माध्यम से प्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार को जारी रखने, करदाताओं द्वारा के सामने आ रही कठिनाईयों को दूर करने और विभिन्न उपबंधों के सुव्यवस्थीकरण करने के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) का संशोधन करने के लिए प्रत्यक्ष करों से संबंधित है।

उपरोक्त को प्राप्त करने की दृष्टि से संशोधनों के लिए विभिन्न प्रस्ताव निम्नलिखित शीर्ष के अधीन संगठित किए जा रहे हैं: -

- (क) आयकर की दरें;
- (ख) स्वैच्छिक कर अनुपालनता का संवर्धन और वाद में कमी लाना;
- (ग) सामाजिक आर्थिक कल्याण संबंधी उपाय;
- (घ) कर आधार को गहन और विस्तृत करना;
- (ङ) राजस्व को गतिशील करना;
- (च) छूटों को समाप्त करना;
- (छ) सुव्यवस्थीकरण उपाय

प्रत्यक्ष कर

क. आयकर की दरें

I निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए कर के लिए उत्तरदायी आय की बाबत में आयकर की दरें

निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए कर के प्रति दायी निर्धारितियों के सभी प्रवर्गों की आय की बाबत आयकर की दरों को या तो विनिर्दिष्ट धाराओं (जैसे देशी कंपनियों के लिए धारा 115 ख क क या धारा 115 ख क ख व्यक्ति (हिन्दू अविभक्त कुटुंब के लिए 115 ख क ग और सहकारी समितियों के लिए 115 ख क घ या विधेयक के लिए पहली अनुसूची के भाग I में विनिर्दिष्ट किया गया है। इन विनिर्दिष्ट धाराओं में या पहली अनुसूची में कर की दरों में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए धारा 115 ख क क या 115 ख क ख बीएबी या 115 ख क ग या 115 ख क घ में उपबंधित दरें वहीं होंगी जो पहले से ही अधिनियमित है। इसी प्रकार निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए "अग्रिम कर की संगणना" 'वेतन' से स्रोत पर कर कटौती और कतिपय दशाओं में सदैव कर के प्रभार्य के लिए वित्त अधिनियम 2021 के लिए पहली अनुसूची के भाग-3 में अधिकथित दरें अब पहली अनुसूची का भाग 1 बन जाएंगी। भाग III अब निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए लागू होंगे और यह अपरिवर्तित रहेगा।

- (1) धारा 115 ख क ग और धारा 115 ख क घ के अधीन कर की दरें-

कोई व्यक्ति तथा हिन्दू अविभक्त कुटुंब कर दाताओं के पास अधिनियम की धारा 115 ख क ग के अधीन कराधान का चुनाव करने का विकल्प है तथा निवासी सहकारी समिति के पास अधिनियम की धारा 115 ख क घ के अधीन कराधान का चुनाव करने का विकल्प है।

धारा 115 ख क ग के उपबंधों के अनुसार कतिपय शर्तों का समाधान होने पर कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब को निर्धारण वर्ष 2022-23 के बाद से निम्नलिखित दरों पर कुल आय के संबंध में कर का भुगतान करने का विकल्प होगा।

कुल आय (रु)	दर
2,50,000 तक	शून्य
2,50,001 से 5,00,000 तक	5 प्रतिशत
5,00,001 से 7,50,000 तक	10 प्रतिशत
7,50,001 से 10,00,000 तक	15 प्रतिशत
10,00,001 से 12,50,000 तक	20 प्रतिशत
12,50,001 से 15,00,000 तक	25 प्रतिशत
15,00,000 से ऊपर	30 प्रतिशत

इसी प्रकार, भारत में निवासी कोई सहकारी समिति के पास कतिपय शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन पर धारा 115 ख क घ के उपबंधों के अनुसार निर्धारण वर्ष 2022-23 से 22 प्रतिशत पर कर का भुगतान करने का विकल्प होगा।

(2) निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए लागू पहली अनुसूची के भाग 1 के अधीन कर की दरें

अ- व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्तियों का संगम, व्यष्टियों का निकाय, कृत्रिम विधिक व्यक्ति।

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग (1) का पैरा क आय-कर की निम्नलिखित दरों को उपबंधित करता है:-

(i) प्रत्येक व्यष्टि [नीचे (ii) और (iii) में जो उल्लिखित है, उससे भिन्न] या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों के प्रत्येक संगम या व्यष्टियों के निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में (जो ऐसी दशा नहीं है, जिसको भाग-3 को कोई पैरा लागू होता है) हैं, आय-कर की दरें निम्नानुसार हैं:-

2,50,000 रुपए तक	शून्य
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(ii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है, -

3,00,000 रुपए तक	शून्य
3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत

5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(iii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है, -

5,00,000 रुपए तक	शून्य
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

ख. सहकारी समितियाँ

सहकारी समितियों की दशा में आयकर की दरों को विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा ख में निर्दिष्ट किया गया है। वे (10,000 रुपये तक 10 प्रतिशत 10,000 रुपये और 20,000 रुपये के बीच 20 प्रतिशत और 20,000 रुपये से अधिक पर 30 प्रतिशत अपरिवर्तित रहेंगी।

ग. फर्म

फर्मों की दशा में आयकर की दर विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग-1 के पैरा ग में निर्दिष्ट की गई है। वे 30 प्रतिशत पर अपरिवर्तित हैं।

घ. स्थानीय प्राधिकारी

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में आयकर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग -1 के पैरा घ में निर्दिष्ट की गई है। वे 30 प्रतिशत पर अपरिवर्तित हैं।

ङ. कंपनियाँ

कंपनियों की दशा में आयकर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा ङ. में निर्दिष्ट की गई हैं। देशी कंपनी की दशा में यदि पूर्व वर्ष 2019-20 का कुल आवर्त या सकल प्राप्ति चार सौ करोड़ नहीं है आयकर की दर कुल आय का 25 प्रतिशत होगी और अन्य सभी दशाओं में आयकर की दर कुल आय का 30 प्रतिशत होगी।

देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में आयकर की दर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित दर ही रहेंगी।

(3) आयकर पर अधिभार

आयकर की रकम में संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी-

प्रत्येक व्यष्टि, या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम व्यक्ति जिसके अंतर्गत धारा 115 ख क ग के अधीन विकल्प का प्रयोग करने वाला ऐसा कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब भी है जिसके पास अधिनियम की धारा 115 क घ के अधीन कोई आय नहीं है, की दशा में-

- जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क और 112 क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) 50 लाख रुपए से अधिक है लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के 10 प्रतिशत की दर से; और

- (ii) जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क और 112 क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) एक करोड़ रुपए से अधिक है लेकिन दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के 15 प्रतिशत की दर से; और
- (iii) जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क और 112 क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय को छोड़कर) 2 करोड़ रुपए से अधिक है लेकिन 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के 25 प्रतिशत की दर से; और
- (iv) जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क और 112 क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय को छोड़कर) 5 करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आयकर के 37 प्रतिशत की दर से; और
- (v) जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क और 112 क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) दो करोड़ रुपए से अधिक है लेकिन खंड (iii) या (iv) के अधीन कवर नहीं किया गया है, ऐसे आयकर के 15 प्रतिशत की दर से;
परंतु यदि कुल आय में अधिनियम की धारा 111क और 112क के अधीन लाभांश या आय प्रभारित के माध्यम से कोई आय सम्मिलित है, तो आय के उस हिस्से के संबंध में गणना की गई आयकर की राशि पर अधिभार की दर 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;
तथापि, धारा 115 क, 115 क ख, 115 क ग क और 115 ड के अधीन आय कर योग्य है, तो लाभांश या पूंजीगत लाभ को छोड़कर सभी श्रेणी की आय के लिए अधिभार ऊपर (i) से (v) में प्रदान की गई दरों पर होगा।

(क क) प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तियों के प्रत्येक संगम, व्यक्ति के निकायों, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति जिसे अधिनियम की धारा 115क घ के अधीन आय वाले आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उप-खंड (सात) में निर्दिष्ट किया गया है, की दशा में:-

- (i) जिसकी कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के 10 प्रतिशत की दर से; और
- (ii) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के 15 प्रतिशत की दर से;
- (iii) जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 115 क घ की उप-धारा (1) के खंड ख में निर्दिष्ट लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर कुल आय होना) दो करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है ऐसे आयकर के 25 प्रतिशत की दर से; और
- (iv) जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 115 क घ की उप-धारा (1) के खंड ख में निर्दिष्ट लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर) 5 करोड़ रुपये से अधिक है ऐसे आयकर के 37 प्रतिशत की दर से; और
- (v) जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 115 क घ के उपखंड (1) में निर्दिष्ट लाभांश या आय के माध्यम से कुल आय सहित दो करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन उपखंड (iii) और (iv) में शामिल नहीं है ऐसे आयकर के 15 प्रतिशत की दर से:

परंतु यदि कुल आय में अधिनियम की धारा 115 क घ के उप-धारा (1) के खंड ख के अधीन लाभश या आय प्रभारित करके कोई आय सम्मिलित है, तो आय के उस हिस्से पर गणना की गई आयकर पर अधिभार की दर 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(क) प्रत्येक सहकारी समिति (धारा 115 ख क घ के अधीन चुनने वाली निवासी सहकारी समिति के सिवाय) या फर्म या स्थानीय प्राधिकरण के मामले में जहां कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है ऐसे आयकर के 12 प्रतिशत की दर से;

(ख) धारा 115 ख क घ के अधीन चुनने वाली निवासी सहकारी समिति के मामले में, ऐसे आयकर के 10 प्रतिशत की दर से।

(ग) प्रत्येक देशीय कंपनी के मामले में, ऐसी देशीय कंपनी के सिवाय जिसकी आय अधिनियम की धारा 115 ख क क या धारा 115 ख क ख के अधीन कर के लिए

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के सात प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपये से अधिक है, ऐसे आयकर के 12 प्रतिशत की दर से;

(ड.) देशीय कंपनी के मामले में जिसकी आय अधिनियम की धारा 115 ख क क या 115 ख क ख के अधीन कर प्रभार योग्य है, दस प्रतिशत की दर से;

(च) देशीय कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी के मामले में;

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के दो प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपये से अधिक है, ऐसे आयकर के पांच प्रतिशत की दर से;

(ज) अन्य मामलों में (धारा 92 सीई, 115ओ, 115क्यूए, 115 आर, 115टीए या 115 टीडी सहित) अधिभार 12 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।

4. सीमांत राहत-

जिन मामलों में अधिभार अधिरोपित करना प्रस्तावित है, उनमें सीमांत राहत का भी उपबंध किया गया है।

5. शिक्षा उपकर-

निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए 'स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर' चार प्रतिशत की दर से उद्धृत किया जाना है। आयकर की राशि पर, इसलिए गणना की जाती है, जिसमें सभी मामलों में जहां भी लागू होता है, अधिभार शामिल है। ऐसे उपकर के संबंध में कोई मामूली राहत उपलब्ध नहीं होगी।

II "वेतन" से भिन्न कतिपय आय से वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2022-23 के दौरान स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए दरें वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान धारा 193, 194ख, 194 ख ख , 194 घ, 194 ठ ख क , 194 ठ ख ख, 194 ठ ख ग और 195 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर आयकर की कटौती की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग II में निर्दिष्ट की गई हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान स्रोत

पर आयकर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2021 के लिए पहली अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट दरें समान रहेंगी। स्रोत पर कर की कटौती की दर निर्दिष्ट धाराओं के लिए, इन धाराओं के अनुसार कर में कटौती जारी रहेगी।

अधिभार-

इस प्रकार काटे गए कर की राशि अधिभार द्वारा बढ़ाई जाएगी, -

(क) प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दु अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टिकों के निकाय के मामले में, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उप-खंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, एक अनिवासी होने के नाते, गणना की गई, -

- (i) ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां आय या आय का कुल (अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) भुगतान किया गया या भुगतान किए जाने की संभावना है और कटौती के अधीन पचास लाख रुपये से अधिक है लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;
- (ii) ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से, जहां आय या आय का कुल (अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) भुगतान किया गया या भुगतान किए जाने की संभावना है और कटौती के अधीन एक करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;
- (iii) ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से, जहां आय या आय का कुल (अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर) भुगतान किया जाता है या भुगतान किए जाने की संभावना है और कटौती के अधीन दो करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;
- (iv) ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां आय या आय का कुल (अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर) भुगतान किया जाता है या भुगतान किए जाने की संभावना है और कटौती के अधीन पांच करोड़ रुपये से अधिक है;
- (v) ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से, जहां आय या आय का कुल (अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) भुगतान या भुगतान किए जाने की संभावना है और कटौती के अधीन दो करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन ऊपर (iii) और (iv) के अधीन कवर नहीं किया जाता है।

परंतु यदि कुल आय में अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और अधिनियम की धारा 112क के अधीन वसूले जा सकने वाली आय या लाभांश के माध्यम से कोई आय शामिल है, तो आय के उस हिस्से के संबंध में कटौती की गई आयकर की राशि पर अधिभार की दर पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ख) प्रत्येक सहकारी समिति के मामले में, एक अनिवासी होने के नाते-

- (i) ऐसे कर के सात प्रतिशत की दर से संगणना की जाती है। जहां संदत्त की गई आय या ऐसी आय का कुल संदाय किया जाता है या संदत्त किए जाने की संभावना है और कटौती के अधीन पचास लाख रुपये से अधिक हों किंतु एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होती है।
- (ii) ऐसे कर के 12 प्रतिशत की दर से संगणना की जाती है। जहां, संदत्त की गई आय या ऐसी आय का कुल संदाय किया जाता है या संदत्त किए जाने की संभावना है और अध्याधीन एक करोड़ रुपये से अधिक की कटौती के अध्याधीन है।
- (ग) अनिवासी के रूप में प्रत्येक फर्म की दशा में, जहां संदत्त की गई आय या ऐसी आय का कुल संदाय किया जाता है या संदत्त किए जाने की संभावना है ऐसे कर का 12 प्रतिशत की दर पर है तथा एक करोड़ रुपये से अधिक की कटौती के अध्याधीन है;
- (घ) घरेलू कंपनी के अलावा हर कंपनी के मामले में संगणना, -
- (i) ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त की गई या संदाय की जाने वाली ऐसी आय की आय या कुल संदाय किए जाने की संभावना है और एक करोड़ रुपये से अधिक की कटौती के अध्याधीन है लेकिन दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;
- (ii) ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से, जहां ऐसी आय या संदत्त की जाने वाली आय या संदाय किए जाने की संभावना और दस करोड़ रुपये से अधिक की कटौती के अध्याधीन है।
- अन्य मामलों में कटौती पर कोई अधिकार नहीं लगाया जाएगा।

2. शिक्षा उपकर-

“स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर” चार प्रतिशत की दर से लगाया जाता रहेगा। देशी कंपनी के अलावा अन्य कंपनी सहित भारत में निवासी व्यक्तियों के मामलों में अधिकार सहित आयकर का।

III. “वेतन” से स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए दरें, “अग्रिम कर” की संगणना और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान विशेष मामलों में आयकर प्रभार

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान “वेतन” से या अधिनियम की धारा 194त के अधीन की कटौती की दरें और निर्धारिती की सभी श्रेणियों के मामले में उक्त वर्ष के दौरान देय “अग्रिम कर” की गणना के लिए विधेयक की पहली अनुसूची के भाग III में विनिर्दिष्ट किया गया है। यह दरें वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उन आय पर कर लगाने के लिए भी लागू होती है, जिन मामलों में त्वरित निर्धारण किया जाना है, उदाहरण के लिए, अनिवासियों को भारत में होने वाले नौवहन मुनाफे का अनंतिम निर्धारण, भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का निर्धारण वित्तीय वर्ष के दौरान अच्छे लोगों के लिए, जो कर से बचने के लिए संपत्ति स्थानांतरित करने की संभावना रखते हैं, कम अवधि के लिए गठित निकायों का आकलन, आदि। पिछले वर्ष से कर दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उक्त भाग III में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पैराग्राफ में दर्शाई गई हैं-

- क. व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्तियों का संगम, व्यष्टियों का निकाय, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति। विधेयक की पहली अनुसूची के भाग -III के पैरा क में आयकर की निम्नलिखित दरें उपबंधित की जाती हैं:-

(i) प्रत्येक व्यष्टि (नीचे उल्लिखित (ii) और (iii) से भिन्न या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों के प्रत्येक संगम या व्यष्टिकों के निकायों के मामले में चाहे वह निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उप-खंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ऐसा मामला नहीं है जिस पर भाग III का कोई अन्य पैरा लागू होता है) आकर की दरें निम्नानुसार हैं :-

2,50,000 रुपये तक	शून्य
2,50,001 रुपये से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपये से अधिक	30 प्रतिशत

(ii) प्रत्येक व्यष्टि के मामले में, भारत में निवासी होने के नाते, जो साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है, लेकिन पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष से कम है, -

3,00,000 रुपये तक	शून्य
3,00,001 रुपये से 5,00,000 रुपये तक	5 प्रतिशत
5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपये से अधिक	30 प्रतिशत

(iii) प्रत्येक व्यष्टि के मामले में, भारत में निवासी होने के नाते, जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, -

5,00,000 रुपये तक	शून्य
5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपये से अधिक	30 प्रतिशत

इस पैराग्राफ के पूर्ववर्ती उपबंधों (धारा 111क, 112 और 112क के अधीन पूंजी लाभ सहित) के साथ-साथ धारा 115ख क ग के अधीन आयकर गणना के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार गणना की गई आयकर की राशि को निम्नलिखित दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा, -

(क.) जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क, 112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) पचास लाख रुपये से अधिक है लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर से;

(ख.) जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क, 112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) एक करोड़ रुपये से अधिक ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से;

(ग.) जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क, 112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के पच्चीस प्रतिशत की दर से;

(घ.) जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क, 112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर) पांच करोड़ रुपये से अधिक ऐसे आयकर के 37 प्रतिशत की दर से;

(ड.) जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क, 112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन खंड(ग) और (घ) के अधीन कवर नहीं किया जाता है, ऐसे आयकर के प्रद्वह प्रतिशत की दर से लागू होगा;

जहां परंतु कुल आय में अधिनियम की धारा 111क , 112 और अधिनियम की धारा 112क के अधीन लाभांश या आय प्रभारी के माध्यम से कोई आय भी सम्मिलित है की दशा में, तो आय के उस हिस्से के संबंध में गणना की गई आयकर की राशि पर अधिभार की दर पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। परन्तु और कि केवल कंपनियों के इसके सदस्यों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में आयकर पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

अधिभार के मामलों में सीमांत राहत उपबंधित की जाती है।

धारा 115खकग के उपबंधों के अनुसार कुछ शर्तों के समाधान पर, एक व्यष्टि या हिन्दु अविभक्त कुटुंब के पास, निम्नलिखित दरों पर कुल आय के संबंध में कर का भुगतान का विकल्प होगा।

कुल आय(रू)	दरें
2, 50, 000 तक	शून्य
2, 50, 001 से 5, 00, 000 तक	5 प्रतिशत
5, 00, 001 से 7, 50, 000 तक	10 प्रतिशत
7, 50, 001 से 10, 00, 000 तक	15 प्रतिशत
10, 00, 001 से 12, 50, 000 तक	20 प्रतिशत
12, 50, 001 से 15, 00, 000 तक	25 प्रतिशत
15, 00, 000 से अधिक	30 प्रतिशत

ख. सहकारी समितियां

सहकारी समितियों के मामले में, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग III के पैरा ख में आयकर की दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है। ये दरें वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विनिर्दिष्ट की गई दरों के समान ही रहेगी। तथापि, अधिभार की दर में परिवर्तन हैं। ऐसी सहकारी समिति, जिसकी कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है किंतु दस करोड़ से अधिक नहीं है, के मामले में आयकर की राशि पर सात प्रतिशत की दर से अधिभारत बढ़ाया जाएगा। ऐसी सहकारी सामिति के मामले में जिसकी कुल आय दस करोड़ रूपए से अधिक है, अधिभार की दर बारह प्रतिशत होगी। अधिभार की दशाओं में सीमांत अनुतोष का उपबंध किया गया है।

कतिपय शर्तों का समाधान करने पर, भारत में निवासी सहकारी समिति को धारा 115खकघ के उपबंधों के अनुसार 22 प्रतिशत की दर से कर का संदाय करने का विकल्प है। ऐसे कर पर अधिभार 10 प्रतिशत होगा।

ग. फर्म

फर्मों की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए विनिर्दिष्ट है। आय-कर की रकम को, ऐसी फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा। तथापि, एक करोड़ रूपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रूपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ से अधिक है।

घ. स्थानीय प्राधिकरण

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा घ में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विनिर्दिष्ट है। आय-कर की रकम को, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा। तथापि, एक करोड़ रूपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रूपए की कुल आय-कर पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रूपए से अधिक है।

ड. कंपनी

कंपनियों की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ड में विनिर्दिष्ट की गई है। देशी कंपनी की दशा में आय-कर की दर पूर्व वर्ष 2020-21 का कुल आवर्त या सकल प्राप्ति चालीस करोड़ से अधिक नहीं है, कुल आय का पच्चीस प्रतिशत होगी और अन्य सभी दशाओं में आय-कर की दर कुल आय का तीस प्रतिशत होगी तथापि घरेलू कंपनियों के पास अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115 खकख के अधीन, इनमें अंतर्विष्ट शर्तों को पूर्ण करने पर, कराधान के लिए विकल्प होगा। धारा 115खकख में कर की दर 15 प्रतिशत है और धारा 115खकक में 22 प्रतिशत है। दोनों दशाओं में अधिभार 10 प्रतिशत है।

देशी कंपनी से भिन्न अन्य कंपनी की दशा में कर की दरें वहीं हैं जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं।

किसी देशी कंपनी की दशा में (अधिनियम की धारा 115खकक और धारा 115 खकख के अधीन जिन्होंने कराधान के लिए विकल्प लिया है से भिन्न) सात प्रतिशत की दर से अधिभार को उद्गृहीत किया जाना जारी रहेगा। यदि देशी कंपनी की कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रूपए से कम है। यदि देशी कंपनी उनके सिवस जिन्होंने अधिनियम की धारा 115खकक तथा 115 खकख के अधीन कराधान का विकल्प लिया है, से भिन्न कंपनी की कुल आय दस करोड़ रूपए से अधिक है तो बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाना जारी रहेगा।

देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों की दशा में विद्यमान दो प्रतिशत के अधिभार को उद्गृहीत किया जाता रहेगा यदि कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रूपए से अनाधिक है। पांच प्रतिशत की दर पर अधिभार उद्गृहीत होता रहेगा यदि देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की कुल आय दस करोड़ रूपए से अधिक है।

सभी मामलों में अधिभार में सीमांत राहत उपबंधित की गई है।

अन्य मामलों में (जिनके अंतर्गत धारा 92 गड की उपधारा (2क) धारा 115ग, 115थक, 115द या 115नक या 115नघ भी है) बारह प्रतिशत की दर पर अधिभार का उद्ग्रहण किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, सभी मामलों में "आय कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर नामक अतिरिक्त अधिभार, अधिभार सहित (जहां कहीं लागू हो) संगणित कर की रकम पर चार प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाता रहेगा। ऐसे उपकरों के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

दो नए अंतःस्थापित उपबंधों 115खखज तथा 115खखझ के लिए कर की दर संबंधित धाराओं में उपबंधित है तथा अधिभार करदाता की प्रास्थिति के आधार पर उद्ग्रहित होगी जैसे कि इस प्रकार के करदाताओं के संबंध में अन्यथा लागू है।

[खंड 2 और पहली अनुसूची]

(ख) स्वैच्छिक कर अनुपालनता का संवर्धन और वाद में कमी लाना

आयकर अधिनियम, 1961 में शोधन- अद्यतन विवरणी फाईल करने के लिए उपबंध-

अधिनियम धारा 139, करदाता द्वारा आयकर विवरणी फाईल करने के उपबंधों से संबंधित है।

2. अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) करदाता पर विशिष्ट तारीख तक या एक निश्चित समय अवधि के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने का दायित्व डालती है, कि इस धारा के अनुसार देय तारीख का अभिप्रेत:-

(क) निर्धारित के लिए जो एक कंपनी या व्यक्ति (कंपनी से भिन्न) है, अन्य जिसके लेखों की इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन संपरीक्षा अपेक्षित है, निर्धारण वर्ष की 31 अक्तूबर है, और

(ख) निर्धारित के लिए, जिसे धारा 92ड के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है, निर्धारण वर्ष की 30 नवंबर है, और

(ग) किसी अन्य निर्धारित के लिए, निर्धारण वर्ष की 31 अक्तूबर है।

अनुकल्पिक रूप से, अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4) देय तारीख के अवसान के पश्चात देर से विवरणी फाईल करना सुकर बनाती है, यदि ऐसी विवरणी, सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से तीन मास पूर्व या निर्धारण से पूर्व, जो भी पहले हो, प्रस्तुत की गई हो। उसी प्रकार, अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (5) करदाता को उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन पुनरीक्षित विवरणी फाईल करने का

अवसर प्रदान करता है यदि कोई त्रुटि या गलत कथन किया गया हो, देय तारीख के पश्चात्, जो निर्धारण वर्ष की समाप्ति या निर्धारण का पूर्णतः से पूर्व से 3 मास पूर्व फाईल करनी होगी, जो भी पहले हो। अतः अधिनियम की धारा 139 का उद्देश्य अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करदाता को उसके आय के सही कथन को फाईल करने के लिए युक्तियुक्त समय देना है।

(3) यह उपबंध, किसी व्यष्टि निर्धारिती को 5 मास, कंपनी/संपरीक्षा योग्य मामले को 2 मास तथा किसी निर्धारिती को 1 मास, जो क्रमशः किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशीय संव्यवहार में प्रवेश करता है, एक वित्तीय वर्ष में विलंब से या पुनरीक्षित विवरणी फाईल करने की अतिरिक्त समय सीमा पर्याप्त नहीं हो सकती, जब हम विशाल सूचना तथा डाटा, जो 'धीरे बढ़ाने के दृष्टिकोण' के साथ युग्मित करते हैं, जो करदाता को स्वयं से कर अनुपालना के वांछित उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है, जिससे वह सही कर विवरणी फाईल करने की शुरुआत करे।

(4) अतः, अधिनियम की धारा 139 में एक नए उपबंध का पुनःस्थापन किसी व्यक्ति द्वारा आय की अद्यतन विवरणी फाईल करने के लिए प्रस्तावित है, चाहे उसने सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए पूर्व में विवरणी फाईल की है या नहीं। आयकर अधिनियम के विद्यमान उपबंध में उपबंधित से अद्यतन विवरणी हेतु लंबी अवधि करने का प्रस्ताव, एक तरफ सूचना प्रौद्योगिकी के साथ विशाल डाटा का उपयोग की तर्कसंगत निष्कर्ष पर लाने का परिणाम अतिरिक्त राजस्व वसूली है तथा दूसरी ओर करदाता को मुकदमेबाजी मुक्त वातावरण में अनुपालना की सुगता सुकर बनाएगा।

(5) अतः, यह प्रस्तावित है कि करदाता को अधिनियम के अधीन अद्यतन विवरणी में पूर्व वर्ष की उनकी आय की विशिष्टियां फाईल करने का कुछ और समय दे सकेगा। उपबंधित समयसीमा में उनकी विवरणी प्रस्तुत करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्तियों द्वारा अतिरिक्त कर का संदाय भी अपेक्षित है। यह भी प्रस्तावित है कि पच्चीस प्रतिशत या पचास प्रतिशत के बराबर रकम कर अतिरिक्त कर तथा प्रस्तुत की गई अतिरिक्त आय पर देच व्याज संदत्त करना अपेक्षित होगी। उपरोक्त उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए अधिनियम, में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित है:-

अ नए उपबंधों के अधीन अद्यतन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उपबंध करने हेतु धारा 139 में एक नई उपधारा (8क) अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि:

- (i) किसी व्यक्ति ने एक निर्धारण वर्ष के लिए क्या उपधारा (1), उपधारा (4) या उपधारा (5) (जिसे यहां सुसंगत निर्धारण वर्ष निर्दिष्ट किया गया है) के अधीन विवरणी प्रस्तुत की है या नहीं, अपनी आय या किसी अन्य व्यक्ति की आय के संबंध में जिसके लिए वह अधिनियम के अधीन निर्धारण है की अद्यतन विवरणी ऐसे निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए, निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चौबीस मास के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसी विवरण विहित प्रारूप तथा रीति में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसमें विहित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी।
- (ii) धारा 139 की प्रस्तावित उपधारा (8क) लागू नहीं होगी, यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति की अद्यतन विवरणी, उपधारा (1) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन प्रस्तुत विवरणी के आधार पर अवधारित कुल कर दायित्व में कमी का प्रभाव

- या हानि की विवरणी है या उपधारा (1), उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन प्रस्तुत विवरणी के आधार पर प्रतिदाय या देय प्रतिदाय में वृद्धि के रूप में परिणाम है,
- (iii) कोई व्यक्ति, धारा 139 की प्रस्तावित उपधारा (8क) के अधीन अद्यतन विवरणी प्रस्तुत करने का पात्र नहीं होगा, यदि,
- (क) ऐसे व्यक्ति के मामले में धारा 132 के अधीन तलाशी शुरू की जा चुकी है या धारा 132 के अधीन लेखा पुस्तकें, अन्य दस्तावेज या अन्य आस्तियां अध्यापेक्षित किए गए हैं, या
 - (ख) ऐसे व्यक्तियों के मामले में, उस धारा की उपधारा (2क) से भिन्न, धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण संचालित किया गया है, या
 - (ग) ऐसे व्यक्ति से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति के मामले में धारा 132 या धारा 132क के अधीन उस प्रभाव का एक नोटिस जारी किया गया है कि कोई धन, बुलियन, आभूषण या मूल्यवान वस्तुएं या चीजें जो जब्त या अध्यापेक्षित की गई हों, या
 - (घ) इस प्रभाव का एक नोटिस जारी किया गया है कि किसी अन्य व्यक्ति की दशा में धारा 132 या धारा 132क के अधीन जब्त की गई या अध्यापेक्षित किए गए किसी लेखा पुस्तक या दस्तावेज को संबंध या उसमें अंतर्विष्ट कोई अन्य सूचना, ऐसे व्यक्ति से संबंधित है। यह उपबंध उस पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए जिसमें ऐसी तलाशी आरंभ की गई है या सर्वेक्षण किया गया है या अध्यापेक्षा की गई है और ऐसे निर्धारण वर्ष के पूर्ववर्ती दो निर्धारण वर्ष के लिए है।
- (iv) सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई अद्यतन विवरणी प्रस्तुत भी नहीं की जाएगी, जहां,
- (क) सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 139 का प्रस्तावित उपधारा (8क) के अधीन उसके द्वारा अद्यतन विवरणी प्रस्तुत की गई है, या
 - (ख) उसके मामले में, अधिनियम के अधीन आय का निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसकलन या पुनरीक्षण सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए लंबित है या पूर्ण किया जा चुका है, या
 - (ग) सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे व्यक्ति के संबंध में निर्धारण अधिकारी के पास, धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 या काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) तथा कर अधिरोपन अधिनियम, 2015 या बेनामी संपत्ति संव्यवहार अधिनियम, 1988 तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपरहण), अधिनियम 1976 के अधीन सूचना है तथा अधिनियम की धारा 139 की प्रस्तावित उपधारा (8क) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख से पूर्व वही उसे संसूचित भी कर दी गई है, या
 - (घ) ऐसे व्यक्ति के संबंध में, अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए सूचना प्राप्त हुई है तथा अधिनियम की धारा 139 की प्रस्तावित उपधारा (8क) के अधीन विवरणी फाईल करने की तारीख से पूर्व, वही उसे संसूचित भी कर दी गई है, या

(ड) ऐसे व्यक्ति के संबंध में, अधिनियम की धारा 139 की प्रस्तावित उपधारा (8क) के अधीन उसकी विवरणी फाईल करने की तारीख से पूर्व, सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए अध्याय 22 के अधीन अभियोजन कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

(च) वह एक व्यक्ति है या व्यक्तियों के किसी ऐसी श्रेणी से संबंधित है जिसे इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए।

(ख) धारा 139 की उपधारा(9) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया गया है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा 139 की प्रस्तावित धारा(8क) के अधीन फाईल की गई कोई विवरणी त्रुटिपूर्ण रहेगी जब तक कि ऐसी विवरणी प्रस्तावित धारा 140ख के अधीन यथा अपेक्षित संदाय के साक्ष्य साथ में संलग्न नहीं है।

II नये उपबंधों अर्थात् अधिनियम की धारा 139 की उपधारा(8क) के अधीन कोई विवरणी फाईल करने के विकल्प के लिए संदाय किए जाने वाले अपेक्षित कर का उपबंध करने के लिए एक नई धारा 140ख को प्रस्तावित किया गया है।

I जहां पूर्व में कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है:

जहां किसी निर्धारिती द्वारा धारा 139 की उपधारा (1) या उपधारा(4) के अधीन आय की कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है, वह धारा 139 की उप-धारा(8क) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने से पहले, अतिरिक्त कर के संदाय के साथ, विवरणी प्रस्तुत करने में किसी विलंब के लिए या अग्रिम कर के संदाय में किसी त्रुटि या विलंब के लिए अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन संदेय ब्याज और फीस के साथ देय कर का संदाय करने के लिए दायी होगा। संदेय कर निम्नलिखित को आलोक में रखने के पश्चात् संगणित किया जाएगा।

I कर की रकम, यदि कोई हो, जो अग्रिम कर के रूप में पहले से ही संदत्त है;

II स्रोत पर कटौती किया गया या संगृहित कोई कर;

III धारा 89 के अधीन दावा की गई कोई कर राहत;

IV भारत से बाहर किसी देश में संदत्त कर के मद्दे धारा 90 या धारा 91 के अधीन दावा की गई कोई कर राहत या कर कटौती

V भारत से बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में उस धारा में विनिर्दिष्ट संदत्त कर के मद्दे धारा 90क के अधीन दावा की गई कोई कर राहत; और

VI धारा 115 अकक या धारा 115 अघ के उपबंधों के अनुसार मुजरा किए जाने के लिए दावा किया गया कोई कर प्रत्यय।

ऐसी अद्यतन विवरणी के साथ ऐसे कर, अतिरिक्त आय-कर, ब्याज और फीस का सबूत संलग्न होगा।

II ऐसे निर्धारिती की दशा में, जहां उसके द्वारा धारा 139 की उपधारा(1) या उपधारा(4) या उपधारा(5) के अधीन आय-कर की विवरणी(जिसे पहले की विवरणी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) प्रस्तुत की गई है वह धारा 139 की उपधारा(8क) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने से पहले, अतिरिक्त कर के उस

संदाय के साथ जिसे पूर्व विवरणी में अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदत्त ब्याज की रकम के कम किया गया है, विवरणी प्रस्तुत करने में किसी विलंब के लिए या अग्रिम कर के संदाय में किसी त्रुटि या विलंब के लिए अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन संदेय ब्याज और फीस के साथ देय कर का संदाय करने के लिए दायी होगा। संदेय कर की संगणना निम्नलिखित को हिसाब में लेने के पश्चात् की जाएगी:-

I धारा 140क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राहत या कर की रकम, जिसके लिए पहले की विवरणी में प्रत्यय लिया गया है;

II अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार किसी आय पर ख़ोत पर कटौती किया गया या संगृहित कर, जो ऐसी कटौती या संग्रहण के अधीन है तथा जिसको कुल आय की संगणना करने में गणना में लिया गया है तथा जिसका पहले की विवरणी में दावा नहीं किया गया है;

III भारत से बाहर किसी देश में ऐसी आय पर संदत्त कर के लेखे धारा 90 या धारा 91 में दावा की गई कर राहत या कर कटौती, जिसका पहले की विवरणी में दावा नहीं किया गया है;

IV ऐसी आय पर उस धारा में निर्दिष्ट भारत से बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त कर के लेखे धारा 90क के अधीन दावा की गई कोई कर राहत, जिसका पहले की विवरणी में दावा नहीं किया गया है;

V धारा 115 जकक या धारा 115 जघ के उपबंधों के अनुसार मुजरा किए जाने के लिए दावा किया गया कोई कर प्रत्यय, जिसके संबंध में पूर्ववर्ती विवरणी में कोई दावा नहीं किया गया है, और जिसमें ऐसी पूर्ववर्ती विवरणी के संबंध में जारी प्रतिदाय, यदि कोई हो, की रकम को जोड़ दिया गया हो।

धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन प्रस्तुत अद्यतन विवरणी के साथ ऐसे कर, अतिरिक्त आय-कर, ब्याज और फीस से संदाय का सबूत संलग्न होगा।

III धारा 139 की उपधारा(8क) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करते समय संदेय अतिरिक्त आय-कर की रकम, पैरा-I या II में यथा अवधारित संदेय कर और ब्याज भी रकम के कुल योग के पच्चीस प्रतिशत के बराबर होगी। यदि ऐसी विवरणी धारा 139 की उपधारा(4) या उपधारा(5) के अधीन उपलब्ध समय के अवसान के पश्चात् और सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चौबीस मास की अवधि के पूरा हो जाने से पूर्व प्रस्तुत की जाती है। तथापि, यदि ऐसी विवरणी सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से बारह मास की अवधि के अवसान के पश्चात् किंतु चौबीस मास की अवधि के पूरा हो जाने से पूर्व प्रस्तुत की जाती है तो ऊपर पैरा-1 या पैरा-2 में यथा अवधारित संदेय अतिरिक्त कर की रकम, ऊपर अवधारित संदेय कर और ब्याज की रकम के कुल योग के पचास प्रतिशत के बराबर होगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि " अतिरिक्त कर" की संगणना के प्रयोजन के लिए कर में ऐसे कर पर अधिभार और उपकर, चाहे जिस नाम से भी जाना जाए, भी सम्मिलित होगा।

IV यह और उपबंधित किया गया है कि धारा 234ख के स्पष्टीकरण 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 234ख के अधीन संदेय ब्याज की संगणना, यथास्थिति, ऐसी रकम पर की जाएगी, जो निर्धारित कर के बराबर है या ऐसी रकम पर की जाएगी, जो निर्धारित कर और संदत्त अग्रिम कर के अंतर के बराबर है

जहां "निर्धारित कर" से धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन प्रस्तुत विवरणी में यथा घोषित कुल आय पर कर अभिप्रेत है और ऐसी संगणना निम्नलिखित को हिसाब में लेने के पश्चात् की जाएगी:-

I धारा 140क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राहत या कर, जिसके लिए पहले की विवरणी में प्रत्यय लिया गया है;

II अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार किसी आय पर स्रोत पर कटौती किया गया या संगृहित कर, जो ऐसी कटौती या संग्रहण के शर्त के अधीन है तथा जिसको कुल आय की संगणना करने में गणना में लिया गया है तथा जिसका पहले की विवरणी में दावा नहीं किया गया है;

III भारत से बाहर किसी देश में ऐसी आय पर संदत्त कर के मद्दे धारा 90 या धारा 91 में दावा की गई कर राहत या कर कटौती, जिसका पहले की विवरणी में दावा नहीं किया गया है;

IV ऐसी आय पर उस धारा में निर्दिष्ट भारत से बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त कर के मद्दे धारा 90क के अधीन दावा की गई कर राहत, जिसका पहले की विवरणी में दावा नहीं किया गया है;

V धारा 115 अकक या धारा 115 अघ के उपबंधों के अनुसार मुजरा किए जाने के लिए दावा किया गया कोई कर प्रत्यय, जिसके संबंध में पूर्ववर्ती विवरणी में कोई दावा नहीं किया गया है, उपरोक्त कर में ऐसी पूर्ववर्ती विवरणी के संबंध में जारी प्रतिदाय, यदि कोई हो, की रकम को जोड़ दिया जाएगा।

v जहां कोई पूर्ववर्ती विवरणी प्रस्तुत की गई है वहां धारा 234क के अधीन संदेय ब्याज की संगणना धारा 139 की उपधारा(8क) के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी में यथा घोषित कुल आय पर धारा 140क की उपधारा(1क) के उपबंधों के अनुसार कर की रकम पर संगणित की जाएगी, इसके अतिरिक्त धारा 234 ग के अधीन संदेय ब्याज जहां कोई पूर्ववर्ती विवरणी फाइल नहीं की गई है भी संगणना धारा 139 की उपधारा(8क) के अधीन प्रस्तुत की गई कुल आय को विवरणी आय को विवरणी आय के रूप में हिसाब में लेने के पश्चात् की जाएगी। उसी समय, ऊपर अतिरिक्त आय-कर की संगणना हेतु इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन धारा 139 की उपधारा(8क) के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार आय पर प्रभार्य ब्याज की ऐसी रकम होगी, जिसमें से पूर्ववर्ती विवरणी के अनुसार संदत्त ब्याज, यदि कोई हो, को घटा दिया जाए। तथापि, पूर्ववर्ती विवरणी में संदत्त ब्याज उस दशा में शून्य माना जाएगा, यदि ऐसी विवरणी उपधारा(1) में निर्दिष्ट कोई अद्यतन विवरणी है।

VI प्रस्तावित धारा 139 की उपधारा(8क) और नई धारा 140ख, की दृष्टि से धारा 144, धारा 153, धारा 234क और धारा 234 ख और धारा 276गग में भी परिणामिक संशोधन किए गए हैं।

ये संशोधनों 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।

[खंड 38, 39, 41, 48, 64, 65 और
81]

मुकदमेबाजी का प्रबंधन जब राजस्व द्वारा की गई अपील में अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष विधि का समरूप प्रश्न लंबित है

अधिनियम की धारा 158कक में यह उपबंधित है कि जहां आयुक्त या प्रधान आयुक्त की यह राय है कि किसी निर्धारिती के मामले में (जिसे इसके सुसंगत मामला कहा गया है) उद्भूत होने वाला विधि का कोई प्रश्न दूसरे निर्धारण वर्ष के लिए (अन्य मामला) उसके मामले में उद्भूत होने वाले ऐसे विधि के प्रश्न के समरूप हो जो उच्च न्यायालय के ऐसे आदेश के विरुद्ध, जो निर्धारिती के पक्ष में था, अपील में उच्चतम न्यायालय के समझ लंबित हो, वहां वह निर्धारण अधिकारी को अपील अधिकरण में यह उल्लेख करते हुए आवेदन करके का निदेश दे सकता है कि सुसंगत मामले में विधि के प्रश्न पर अपील जब फाइल की जाए जब अन्य मामले में विधि के प्रश्न पर विनिश्चय अंतिम बन जाए और यह निर्धारिती द्वारा स्वीकार करने के अध्यक्षीन होगा।

2. यदि ऐसे सिद्धांत को उन मामलों में लागू किया जा सके जहां विधि का प्रश्न सामान्य है और जहां उसी विधि के प्रश्न पर अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय का विनिश्चय उपलब्ध है, तो मुकदमेबाजी की मात्रा को कम करने के लिए ऐसे मामलों में अपील फाइल करने से बचा जा सकता है।

3. अतः जब राजस्व द्वारा विधि के समरूप प्रश्न पर की गई अपील लंबित है तो एक प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए अधिनियम में एक नई धारा 158कख को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां मुख्य आयुक्तों, प्रधान आयुक्तों या आयुक्तों के कोलजियम की यह राय है कि किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती के मामले ("सुसंगत मामला") से उद्भूत मामला किसी निर्धारण वर्ष के लिए उसके मामले में के या किसी अन्य निर्धारिती के मामले में उद्भूत विधि के प्रश्न के समरूप है, जो धारा 260क के अधीन अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय या धारा 261 के अधीन किसी अपील में उच्चतम न्यायालय में या संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष अनुमति याचिका में, यथास्थिति, किसी अपील अधिकरण या अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय के आदेश, जो ऐसे निर्धारिती के पक्ष में है, के विरुद्ध लंबित है ("अन्य मामला"), वहां वह विनिश्चय कर सकेगा और प्रधान आयुक्त या आयुक्त को इस प्रक्रम पर धारा 253 की उपधारा (2) के अधीन अपील अधिकरण या धारा 260क की उपधारा (2) के अधीन उच्च न्यायालय को, यथास्थिति, आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील न करने के लिए सूचित कर सकेगा।

4. इसके अतिरिक्त, आयुक्त या प्रधान आयुक्त, कालिजियम से संसूचना की प्राप्ति पर निर्धारण अधिकारी को, यथास्थिति, अपील अधिकरण या अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय को आयुक्त (अपील) के आदेश की प्राप्ति से साठ दिन की अवधि के भीतर या अपील अधिकरण के आदेश की प्राप्ति से एक सौ बीस दिन के भीतर यह कथन करते हुए कि सुसंगत मामले में विधि के प्रश्न से उद्भूत अपील तब फाइल की जा सकेगी जब विधि के प्रश्न पर विनिश्चय अन्य मामले में अंतिम हो है, विहित प्ररूप में आवेदन करने का निदेश देगा। प्रधान आयुक्त या आयुक्त निर्धारण अधिकारी को आवेदन करने का निदेश केवल तब देगा यदि निर्धारिती से इस निमित्त स्वीकृति प्राप्त हो जाती है कि अन्य मामले में विधि का प्रश्न सुसंगत मामले में उद्भूत होने वाले प्रश्न के

समरूप है और यदि ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो प्रधान आयुक्त या आयुक्त धारा 253 की उपधारा (2) या धारा 260क की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अग्रसर होगा।

5. इसके अतिरिक्त जहां, यथास्थिति, आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण का आदेश अन्य मामले में विधि के प्रश्न पर अंतिम विनिश्चय के अनुरूप नहीं है और जब कभी ऐसा आदेश प्राप्त होता है तो प्रधान आयुक्त या आयुक्त, निर्धारण अधिकारी को, यथास्थिति, अपील प्राधिकरण या अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने का निदेश दे सकेगा।

6. यह भी प्रस्ताव है कि प्रस्तावित धारा के प्रयोजन के लिए, "कोलिजियम" पद को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि वह दो या अधिक मुख्य आयुक्तों, प्रधान आयुक्तों या आयुक्तों जैसा कि बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, से मिलकर बनेगा।

7. इस बिंदु को दृष्टांत देने के लिए, यह अनुमित किया जा सकता है कि निर्धारिती (ए 1) के मामले में एक विधि का प्रश्न (प्र1) ए1 से उद्भूत हुआ है और ए-1 को आयुक्त (अपील) से प्र1 ए1 पर अपने पक्ष में विनिश्चय प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, एक अन्य निर्धारिती (ए2) के मामले में, जहां विधि के समरूप प्रश्न पर विभाग की अपील अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समझ लंबित है और कोलिजियम की यह राय है कि प्र1ए1 और प्र2ए2 विधि के समरूप प्रश्न हैं। जब इस स्थिति में, राजस्व द्वारा प्र1ए2 पर विनिश्चय को निर्धारिती पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को संसूचित किए जाने तक आय-कर अपील प्राधिकरण में उच्चतर अपील प्राधिकारी को प्र1ए1 पर के विनिश्चय के लिए अपील फाइल करना प्रास्थगित करने हेतु प्रस्तावित धारा 158कख के उपबंधों को अविलंब लिया जा सकता है। प्रास्थगन करने पर ऐसा कोई विनिश्चय निर्धारिती ए1 द्वारा यह स्वीकार करने के अध्यक्षीन होगा कि उसके मामले में विधि का प्रश्न प्र1 निर्धारिती-ए के मामले में प्र1ए2 के समरूप है।

8. धारा 158कख के पुनःस्थापन से धारा 158कक की उपधारा (1) में एक सीमांत खंड अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2022 को या के पश्चात उक्त उपधारा के अधीन कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा।

9. यह संशोधन 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा।

[खंड. 51 तथा 52]

अधिनियम की धारा 245डक में संशोधन करने के संबंध में विवाद समाधान समिति

वित्त अधिनियम, 2021 विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए विवाद समाधान समिति (डी आर सी) गठित करते हुए धारा 245डक में सम्मिलित अधिनियम में नए अध्याय XIXकक पुनःस्थापित किया है जो उक्त धारा

के अधीन विवाद समाधान के लिए विकल्प हो सकता है और जो उक्त धारा में उल्लिखित विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो।

2. डी.आर.सी द्वारा विवाद के समाधान के पश्चात् व्यक्ति की आय निर्धारित की है जिसका डी.आर.सी का आवेदन किया था जिसको निर्धारित किया जाना है, जिसे आस्ति प्रक्रियाओं के शुरूआत अन्य बातों के साथ अनुसरण करना होगा, यदि कोई और अधिनियम की धारा 156 के अधीन मांग नोटिस जारी करना। तथापि, उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों में कोई उपबंध शामिल नहीं होता जो उक्त धारा के अधीन विवाद समाधान समिति के आदेश या निर्देशों को प्रभाव देने का आदेश पारित करने के लिए निर्धारित अधिकारी सक्षम होगा।

3. इसलिए, इसमें डी.आर.सी द्वारा विवाद के समाधान को प्रभावी बनाने का आदेश पारित करने के लिए निर्धारित अधिकारी सक्षम से लिए इस धारा की नई उपधारा अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है। तथापि चूंकि डी.आर.सी स्वयं विवाद समाधान मैकेनिज्म एक विकल्प है, करदाता अधिनियम की धारा 144ग के अधीन विवाद समाधान पैनल या अधिनियम की धारा 245डक के अधीन डी.आर.सी. समावेदन करते हुए विकल्प चुन सकता है और ए.ओ. योग्य निर्धारिती के मामले में यहां तक कि डी.आर.सी. द्वारा आदेश के पश्चात् अंतिम आदेश पारित करेगा।

संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।

[खंड. 67]

उपकर और अधिभार के निरूपण के संबंध में स्पष्टीकरण-

अधिनियम की धारा 40 उस रकम को विनिर्दिष्ट करती है जिसकी "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभाय आय के संगणना में कटौती नहीं की जाएगी। अधिनियम की धारा 40 का खंड (क) का उप-खंड (ii) उपबंध करता है कि किसी कारबार या वृत्ति के लाभों या अभिलाभों पर उपगृहीत अथवा किन्हीं ऐसे लाभ या अभिलाभों के अनुपात अन्यथा उनके आधार पर निर्धारित किसी दर या कर के कारण संदत्त कोई राशि की "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभाय आय की संगणना में कटौती नहीं की जाएगी।

2. तथापि, कतिपय करदाता अधिनियम की धारा 40 के अधीन 'उपकर' या 'अधिभार' के कारण कटौती का दावा कर रहे हैं कि 'उपकर' को धारा 40 (क) (ii) के उपरोक्त उपबंधों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है और इसलिए, उपकर एक अनुज्ञात व्यय है। इस दृष्टिकोण को कुछ निर्णयों में न्यायालयों द्वारा कायम रखा गया है इसके अतिरिक्त न्यायालय ने भी सीबीडीटी परिपत्र सं 91/58/66-आईटीजे (19) तारीख 18-05-1967 पर अवलम्ब लिया है।

3. निर्धारिती ने "सीसा गोवा लिमिटेड बनाम जेसीआईटी" (2020)117 टैक्समेन डॉट कोम के मामले में माननीय बोम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय का और इसके अतिरिक्त "चम्बल फर्टिलाइजर्स और केमिकल लिमिटेड बनाम जेसीआईटी" डी बी आयकर अपील सं 52/2018 तारीख 31/07/2018 को विनिश्चत के

मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्ण अवलम्ब लिया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालयों ने सीबीडीटी परिपत्र सं 18/05/1967 का अवलम्ब लिया है और सीबीडीटी द्वारा किये गए निर्वचन को ध्यान में रखतु हुए धारित किया है कि "शिक्षा उपकर" का "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करते समय अनुज्ञात कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है। इन निर्णयों के आधार पर आईटीएटी ने विभिन्न निर्णयों में इन्हीं तर्कों का अनुसरण किया है और "उपकर" के संदाय पर कटौती को अनुज्ञात किया है।

4. तथापि, आईटीएटी कोलकाता नवीनतम फैसलों में से एक मैसर्स कनोडिया कैमीकल्स और इण्डस्ट्रीज लिमिटेड आईटीए सं 2184/कोल/2018(टीएस1129-आईटीएटी2021 कोल) के मामले में तारीख 26/10/2021 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालयों के दो निर्णयों के साथ अन्य निर्णयों पर चर्चा की गई है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "उपकर" को कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाए। निर्णय के सुसंगत भाग को निचे दिया गया है:-

"19. तथापि, माननीय बोम्बे उच्च न्यायालय और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय और इस अधिकरण के समन्वित पीठों के विनिश्चयों का सम्मान करते हुए हम अवलाकन करते हैं कि मुद्दा 'सीआईटी बनाम के श्रीनिवासन' (1972) 83 आईटीआर 346 के मामले में देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विनिश्चय द्वारा पूर्ण रूप से आच्छादित है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख निम्नलिखित प्रश्न न्याय-निर्णयन के लिए आये ने - क्या 1964 के वित्त अधिनियम में उपधारा (2) और धारा (2) को उपधारा (2) (ख) में 'आय कर' शब्दों में उपकर और अधिभार सम्मिलित थे।

20. माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षण करते हुए राजस्व के पक्ष में प्रश्न का उत्तर दिया:- "हमारे निर्णय के मामले में किसी प्रकार की राय प्रकट करना अनावश्यक है क्योंकि अवधारणा के लिए आवश्यक बिन्दु है कि क्या अधिभार आय कर प्रभार्य के लिए एक अतिरिक्त माध्यम या दर है। वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल शब्दकोश में दिये गये "अधिभार" शब्द के अर्थ में अन्य के बीच "अत्यधिक प्रभार्य एक करना या अतिरिक्त में "भी" अतिरिक्त कर सम्मिलित हैं। इस प्रकार अधिभार का अर्थ अतिरिक्त में प्रभाव या कोई अतिरिक्त या फालतू प्रभाव के अध्यधीन है। यदि उस अर्थ को वित्त अधिनियम 1963 की धारा 2 पर लागू किया जाता है तो इसका परिणाम होगा कि आयकर और ऊपरी कर को चार भिन्न तरीको या चार भिन्न दरों से प्रभारित किया गया जिसका विवरण इस प्रकार दिया जा सकता है (i) आधारिक प्रभार या दर (प्रथम अनुसूची का भाग 1), (ii) अधिभार, (iii) विशेष अधिभार और (iv) अनुसूची में दी गई रीति में संगणित अतिरिक्त अधिभार। आयकर और ऊपरी कर के किसी भाग से अतिरिक्त प्रभार को इस प्रकार पढ़ें।

21. अतः माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे को राजस्व के पक्ष में विनिश्चित किया है और अभिनिर्धारित किया है कि अधिभार और अतिरिक्त अधिभार करना आवश्यक है कि 'शिक्षा उपकर' को प्रथम बार वित्त अधिनियम, 2004 द्वारा लाया गया था, जिसमें निम्नलिखित उल्लिखित था- एक अतिरिक्त अधिभार, जिसे सार्वभौमिक गुणवत्ता पूर्ण बुनियादी शिक्षा के वित्त पोषण के लिए सरकार की

प्रतिबद्धता के लिए शिक्षा उपकर कहा जाएगा, को अधिभार सहित कर कटौती या संदत्त अग्रिम कर की रकम पर दो प्रतिशत के दर से उदग्रहित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है' '

22. वित्त अधिनियम 2011 के उपबंध सुसंगत विचाराधीन निर्धारण वर्ष अर्थात् 2012-13 के साथ भी सुसंगत हैं। तुरन्त संदर्भ के लिए, इसे यहा नीचे उद्धृत किया गया है: 2(11) उपधारा (1) से (10) में यथाविनिर्दिष्ट आय कर की रकम और उसमें उपबंधित रीति में संघ संगणना के प्रयोजनों के लिए किसी अधिभार द्वारा की गई यथा वृद्धि को संघ के प्रयोजन के लिए "आयकर पर अधिभार" कहे जाने वाले किसी अतिरिक्त अधिभार द्वारा की गई और वृद्धि को ऐसे आयकर और अधिभार की दो प्रतिशत की दर से संगठित किया जाएगा, जिससे कि सार्वभौमिक गुणवत्ता पूर्ण बुनियादी शिक्षा प्रदान करने और वित्तपोषित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूर्ण किया जा सके।

23. वित्त अधिनियम, 2004 और वित्त अधिनियम 2011 के उपरोक्त उपबंधों का परिशीलन यह प्रदर्शित करता है कि यह विनिर्दिष्ट पूर्वक उपबंधित है कि शिक्षा उपकर आयकर पर उदग्रहित किया जाने वाला एक अतिरिक्त अधिभार है। इसलिए, सीआईटी बनाम के श्रीनिवासन (उपरोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में अतिरिक्त अधिभार आयकर का भाग है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त विनिश्चय और वित्त अधिनियम 2004 के उपबंधों और पश्चातवर्ती वित्त अधिनियमों की धारा 2(11) और (12) के सुसंगत उपबंधों को 'सीसा गोवा लिमिटेड' और 'चम्बल फर्टीलाइजर्स' (उपरोक्त) के मामलों में माननीय उच्च न्यायालयों के संज्ञान में नहीं लाए गये हैं। चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय उच्च न्यायालयों के विनिश्चयों पर अभीभावी होता है, अतः ससम्मानपूर्वक 'सीआईटी बनाम के श्रीनिवासन' (उपरोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अनुसरण करते हुए, इस मुद्दे को निर्धारिती की अपील के अतिरिक्त आधार तदनुसार खारिज किए जाते हैं।"

5. राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी सीबीडीटी द्वारा जारी तारीख 18/05/1967 के परिपत्र का अवलम्ब लिया है

"आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40(क) (ii) के उपबंध का निर्वचन- धारा 40 (क) (ii) कारबार व्यय 18/05/1967 के संबंध में स्पष्टीकरण,

हाल ही में बोर्ड के संज्ञान में एक मामला आया है जहां आईटीओ ने निर्धारिती द्वारा संदत्त 'उपकर' को इस आधार पर अनुज्ञात कर दिया कि पुराने अधिनियम की धारा 10(4) तथा नए अधिनियम की धारा 40(क) (ii) के उपबंधों में कोई तात्विक परिवर्तन नहीं है। 2. आ.टी.ओ. का दृष्टिकोण सही नहीं है। आयकर अधिनियम, 1961 का खंड 40(क)(ii) संसद में पुरःस्थापित रूप में निम्नानुसार व्याख्या करता है:

(ii) "किसी कारबार या वृत्ति के लाभों या अभिलाभों पर उदग्रहीत अथवा किन्ही ऐसे लाभ या अभिलाभों के अनुपात पर अन्यथा उनके आधार पर निर्धारित किसी दर या कर की बाबत संदत्त कोई राशि"।

जब मामला प्रवर समिति के समक्ष आया तो खंड से 'उपकर' शब्द को लोप करने का विनिश्चय किया गया। 'उपकर' शब्द के विलोपन का प्रभाव केवल वर्ष 1962-63 और अग्रिम वर्षों के लिए निर्धारणों में संदत्त कर को अनुज्ञात किया जाना है।

3 बोर्ड ईप्सा करता हूँ कि परिवर्तित स्थिति को सभी आयकर अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए जिससे कि इस विषय पर और वाद से बचा जा सके”

6. सीबीडीटी द्वारा जारी ऊपर निर्दिष्ट परिपत्र में 'उपकर' को अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन अनुज्ञात किया जाता है। तथापि, यह नोट किया जाने लायक है कि 'उपकर' को केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के लिए वित्त अधिनियम के द्वारा अधिरोपित नहीं किया गया है बल्कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी ऐसा किया गया है। यह उल्लिखित करना समीचीन है कि सीबीडीटी के ऊपर निर्दिष्ट परिपत्र में किसी विशिष्ट वर्ष के लिए वित्त अधिनियम के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित 'उपकर' से संबंधित संदर्भ नहीं है। सीबीडीटी के इस परिपत्र को इस परप्रेक्ष्य से देखा जाना आवश्यक है कि वित्त अधिनियम 2004 और पाश्चात्त्वर्ती अधिनियमों द्वारा अधिरोपित 'शिक्षा उपकर' के रूप में पदाभिहित वास्तव में अतिरिक्त अधिभार के रूप में कर है जैसा कि ऐसे 'उपकर' को अधिरोपित करने वाले प्रत्येक सुसंगत वित्त अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसे केवल "उपकर" कहा गया है चूंकि इन्हें स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूर्ण करने के विशिष्ट प्रयोजन के लिए अधिरोपित किया गया था।

7. यह परिपत्र राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित "उपकर" के संदर्भ में या जो वास्तव में "उपकर" की प्रकृति का है और सुसंगत वित्त अधिनियम में "उपकर" पद के रूप में होने वाले "अतिरिक्त अधिभार" की प्रकृति का नहीं है। जब केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त अधिभार अधिरोपित किया जाता है और इसे "उपकर" का नाम दिया जाता है, तब इसकी अनुज्ञाता की समीक्षा की जानी आवश्यक है, क्या अतिरिक्त अधिभार किसी कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाए या नहीं। चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने के श्रीनिवासन के मामले में अभिनिर्धारित किया कि "अधिभार", "अतिरिक्त अधिभार" कर हैं। अतः 'उपकर' के रूप में नामित अतिरिक्त अधिभार और वित्त अधिनियम के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित कुछ नहीं केवल कर है और इसलिए अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन अनुज्ञात किया जाना आवश्यक है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सुसंगत भाग निम्नानुसार है:-

"7 वित्त अधिनियमों के उपरोक्त विधायी इतिहास, और इसकी परिपाटी भी यह उपदर्शित करती हुई प्रतीत होती है कि धारा 2 में "आय कर" पद में अधिभार जो विशेष अधिभार भी है और ऐसे अतिरिक्त अधिभार जब भी उपबंधित किए गये हों जो संविधान के अनुच्छेद 271 के अर्थ के भीतर भी अधिभार है सम्मिलित हैं। वित्त अधिनियम 1940 और 1941 में प्रयुक्त पदावली ने दर्शाया कि केन्द्रीय सरकार के प्रयोजन के लिए किसी अधिभार द्वारा वृद्धि किए जाने वाले केवल आय कर और ऊपरी कर थे। 1958 के वित्त अधिनियम में प्रयुक्त भाषा दर्शाती है कि आयकर जिसे प्रभार्य किया जाना या संघ के प्रयोजन के लिए किसी अधिभार उसकी द्वारा वृद्धि की जानी थी। इस प्रकार "अधिभार" शब्द को या आयकर या ऊपरी

कर की दरों में वृद्धि करने या इन करों में वृद्धि करने के लिए प्रयुक्त किया गया था। 1971 के वित्त अधिनियम की स्कीम से प्रतीत होता है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि धारा 2 में प्रयुक्त पद आयकर में अधिभार सम्मिलित हैं। “

8. चूंकि राजस्थान उच्च न्यायालय और बोम्बे उच्च न्यायालय के निर्णयों ने उपरोक्त चर्चित माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विचार नहीं किया, इन दो उच्च न्यायालयों के निर्णय अनवधनता के कारण प्रतीत होते हैं। यह उल्लेख किया जा सकता है कि चौथा संस्करण, इंग्लैंड की हाल्सबेरी की विधि के पृष्ठ सं 297 के पैरा 578 में, अनवधनता के कारण के नियम का निम्न प्रकार से कथन किया गया है:-

“अनवधानता के कारण कोई निर्णय तब दिया जाता है जब न्यायालय ने किसी अपने या समन्वय अधिकारिता वाले किसी न्यायालय के ऐसे पूर्व निर्णय की उपेक्षा करके कार्य किया हो जिसके सम्मुख ऐसा मामला रहा हो, ऐसे मामले में यह विनिश्चय किया जाना चाहिए कि किस मामले का अनुसरण करना है, या जब उसके हाउस आफ लॉर्ड्स की उपेक्षा से कृत्य किया है, जिस मामले में उस निर्णय का अनुसरण किया जाना चाहिए था, या जब किसी कानूनी या ऐसे नियम जो कानूनी प्रभाव रखते हैं के निबंधनों की उपेक्षा में निर्णय दिया गया है। “

9. उपरोक्त चर्चा से यह देखा जा सकता है कि दो उच्च न्यायालयों और विभिन्न आईटीएटी के निर्वचन विधान के आशय के विरुद्ध है और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप नहीं है। अतः, विधान के आशय को स्पष्ट करने और इसे किसी गलत निर्वचन से स्वतंत्र रखने के लिए अधिनियम में ही भूतलक्षी प्रभाव से स्पष्टीकरण को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि इस उपखंड का प्रयोजन “कर” पद में ऐसे कर पर कोई अधिभार का उपकर, किसी भी नाम से कहा जाए, सम्मिलित है और सदैव सम्मिलित हुआ माना जाएगा। सीबीडीटी के परिपत्र को विचार में लाए बिना स्थिति को स्पष्ट करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया गया है।

संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-06 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 13]

कारबार के पुनर्गठन के पश्चात् उत्तराधिकारी सत्ता से संबंधित संशोधन

अधिनियम का अध्याय 15 कतिपय विशेष मामलों में दायित्व को निर्दिष्ट करता है। धारा 170, अन्य बातों के साथ-साथ, कारबार के पुनर्गठन या पुनःसंरचना की दशा में उत्तराधिकारी के मामले में कराधान की प्रक्रिया को शासित करता है, जिस पर नीचे चर्चा की गई है।

2. यद्यपि धारा 170 मृत्यु से अन्यथा उत्तराधिकार के मामलों में निर्धारण का उपबंध करती है, तो भी व्यवहार में जब एक बार कोई इकाई न्यायनियर्णन प्राधिकारी या किसी उच्च न्यायालय में आवेदन फाइल करके पुनर्गठन की प्रक्रिया आरंभ करती है, तो ऐसे पुनर्गठन के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अंतर्वलित कालावधि को एक लंबा खींचने वाली प्रक्रिया पाया जाता है और समयबद्ध नहीं है। पुनर्गठन प्रायः

किसी पूर्ववर्ती तारीख से किया जाता है। न्यायालय कार्यवाहियां लंबित रहने के दौरान आय-कर कार्यवाहियां और निर्धारण किए जाते हैं और प्रायः केवल पूर्वाधिकारी इकाईयों पर पूर्ण होते हैं। न्यायालयों ने ऐसी कार्यवाहियों और पश्चात्पूर्व निर्धारणों को अवैध ठहराया है क्योंकि पूर्वाधिकारी निर्धारिती पूरी तरह से विधिमान्य और वैध कार्यवाही के मध्य में अस्तित्व में नहीं रहता है।

3. अतः न्यायालय का विनिश्चय प्राप्त होने तक, अधिनियम की कार्यवाहियां केवल पूर्वाधिकारी के मामले में जारी रहनी चाहिए और जब एक बार ऐसी कार्यवाहियां पूर्ण हो जाती है, तो किसी न्यायालय के पश्चात्पूर्व आदेश के परिणामस्वरूप अवैध नहीं बन सकती है। अतः यह स्पष्ट करने की दृष्टि से कि अधिनियम के अधीन की ऐसी कार्यवाहियां विधिमान्य हैं, धारा 170 में एक उपधारा (2क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी कारबार के पुनर्गठन की दशा में पूर्वाधिकारी पर लंबित या पूर्ण हो गए निर्धारण या अन्य कार्यवाहियों को उत्तराधिकारी पर किया गया समझा जाएगा।

4. इसके अतिरिक्त, यह देखा जाता है कि ऐसे पुनर्गठन के पश्चात् उत्तराधिकारी इकाई के कार्यकलापों में उस तारीख से एक पूर्ण परिवर्तन आ जाता है जिस तारीख से ऐसा पुनर्गठन किया जाता है। तथापि, ऐसे आदेशों के जारी होने में अंतर्वलित अनिश्चित समय रेखा के कारण ऐसे आदेश की प्रभावकारिता और उस तारीख के बीच एक अंतराल रहता है जिस तारीख को सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा आदेश जारी किया जाता है। इससे ऐसी इकाईयों के अंतिम लेखों पर भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे पहले ही फाइल की गई अपनी विवरणियों को पुनर्गठन के अनुसार उपांतरित करने में असमर्थ रहते हैं। अतः इस विषमता का निराकरण करने के लिए, अधिनियम में एक नई धारा 170क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसे कारबार का पुनर्गठन करने वाली इकाईयों के आदेश की प्रभावकारिता की तारीख तथा समक्ष प्राधिकारी के अंतिम आदेश के जारी होने की तारीख के बीच की अवधि के लिए उपांतरित विवरणियां फाइल करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

5. इसके अतिरिक्त, यह नोट किया गया है कि कारबार के पुनर्गठन के मामलों में ऐसे दृष्टांत पाए गए हैं जहां, यथास्थिति, न्यायालय या अधिकरण या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 5 के खंड (1) में यथा परिभाषित न्याय निर्णयन प्राधिकारी द्वारा पुनःसंरचना प्रक्रिया के भाग के रूप में ऐसी रुग्ण इकाईयों की भावी व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण दायित्व का नए सिरे से गठन किया जाता है और इस प्रक्रिया में, अन्य बातों के साथ-साथ, आय-कर विभाग द्वारा पूर्व में विभिन्न कार्यवाहियों द्वारा सृजित मांग को उपांतरित किया जाता है।

6. तथापि, यह पाया गया है कि ऐसी मांगों को बकाया मांग रजिस्टर से कम करने के लिए अधिनियम में उपबंधित ऐसी कोई प्रक्रिया या तंत्र नहीं है। अतः इस विसंगति का निवारण करने के लिए अधिनियम में एक नई धारा 156क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे सक्षम प्राधिकारी के आदेशों को प्रभावी और ऐसी मांगों को ऐसे निदेशों के अनुसार उपांतरित किया जा सके।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे

किसी निर्धारण वर्ष के दौरान किसी छूट प्राप्त आय की अनुपस्थिति में धारा 14क के अधीन अननुज्ञयता के संबंध में स्पष्टीकरण :

अधिनियम की धारा 14 उपबंध करती है कि निर्धारिती द्वारा आय के संबंध में जो अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कुल आय का भाग नहीं होता है, कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

2. वर्षों से, मुद्दे के संबंध में विवाद उठा है कि क्या अधिनियम की धारा 14क के अधीन अननुज्ञेय उन मामलों में किया जा सकता है, जहां किसी निर्धारण वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा कोई छूट प्राप्त आय प्रोद्भूत, उद्भव या प्राप्त नहीं हुई है।

3. सी.बी.डी.टी. द्वारा जारी परिपत्र सं. 5/2014 तारीख 11/02/2014, यह स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा 14क सहित पठित नियम 8घ, वहां भी जहां करदाता द्वारा विशिष्ट वर्ष में कोई छूट प्राप्त आय नहीं कमाई गई है तब भी व्यय की अननुज्ञयता का उपबंध करता है। तथापि, फिर भी कुछ न्यायलयों ने यह दृष्टिकोण लिया है कि यदि वर्ष के दौरान कोई छूट प्राप्त आय नहीं है तो उस वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 14क के अधीन कोई अननुज्ञयता नहीं की जा सकती। उदाहरणतः यदि पूर्व वर्ष के दौरान कोई निर्धारिती 1 लाख 50 हजार की छूट प्राप्त आय के लिए 1 लाख का व्यय उपगत करता है तथा छूट प्राप्त आय कमाने के लिए 20,000 रु. का व्यय उपगत करता है, जो वर्ष के दौरान प्रोद्भूत/प्राप्त हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। अधिनियम की धारा 14क के उपबंधों को धृति के द्वारा इस वर्ष में यह लागू नहीं होते हैं, जैसे कि वर्ष के दौरान छूट प्राप्त आय प्रोद्भूत/प्राप्त नहीं हुई थी, यह धृति मानी जाएगी कि 1 लाख 50 हजार की गैर छूट प्राप्त आय के विरुद्ध 20000/रु. की कटौती अनुज्ञात होगी, जब कि यह व्यय पूर्णतः या अनन्य रूप से गैर छूट प्राप्त आय कमाने के प्रयोजन के लिए उपगत नहीं किया गया था। ऐसा निर्वचन अधिनियम की धारा 14क के साथ-साथ धारा 37 दोनों धाराओं के विधायी आशय को पराजित करता है।

4. विधान के आशय को स्पष्ट करने के लिए तथा गलत निर्वचन से इसे मुक्त करने के लिए, अधिनियम की धारा 14क के स्पष्टीकरण का अंतःस्थापन प्रस्तावित है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इस अधिनियम के अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबंध लागू होंगे तथा हमेशा उस दशा में लागू हुए समझे जाएंगे, जहां किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान छूट प्राप्त आय उद्भूत या उद्भव या प्राप्त नहीं हुई है और ऐसी छूट प्राप्त आय के संबंध में उक्त पूर्व वर्ष के दौरान व्यय उपगत हुए हैं।

5 यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा।

6. उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन भी प्रस्तावित है, जिससे कि आयकर अधिनियम के अन्य उपबंधों के संबंध में गैर आब्सटेंट खंड को सम्मिलित किया जा सके तथा उपबंध करता है कि इस अधिनियम के

में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी छूट प्राप्त आय के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

7 यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार वर्ष 2022-23 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 9]

धारा 37 के अधीन व्यय की अनुज्ञयता पर स्पष्टीकरण-

अधिनियम की धारा 37, कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए पूर्णतः या अनन्य रूप से रखे गए या खर्चे गए राजस्व तथा गैर-व्यैक्तिक व्यय (धारा 30 से धारा 36) के अधीन आने वालों से भिन्न) की अनुज्ञयता का उपबंध करती है। अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) का स्पष्टीकरण उपबंध करता है कि यदि किसी प्रयोजन के लिए किसी निर्धारित द्वारा कोई व्यय उपगत होता है, जो कि एक अपराध है या जो विधि द्वारा प्रतिबद्ध है, कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए उपगत हुआ नहीं समझा जाएगा।

2. तथापि, ऐसा देखा गया है कि कतिपय करदाता, किसी व्यक्ति को दिए गए फायदों या परिलब्धियों में उपगत व्ययों पर कटौतियों का दावा करते रहे हैं, जो कि इस धारा के अधीन अनुज्ञात करना आशयचित नहीं है, जैसे यात्रा, मेजबानी, सम्मेलन आदि से संबंधित व्यय। इन मामलों में ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसे फायदों या परिलब्धियों की स्वीकृति विधि या नियम या विनियम या मार्गदर्शक सिद्धांत, यथास्थिति ऐसे व्यक्ति के आचरण के शासी का अतिक्रमण है।

3. सी बी डी टी, परिपत्र सं -5/2012, तारीख 01-08-2012 द्वारा नोट किया गया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद ने अपनी कानूनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा परिषद (वृत्तिक आचरण, शिष्टाचार तथा आचार विनियम, 2002 (विनियम), 10-12-2009 को, जिसके द्वारा चिकित्सा व्यवसायी तथा उनके वृत्तिक संयोजनों को और सहबद्ध स्वास्थ्य सेक्टर उद्योगों से कोई उपहार, यात्रा सुविधा, मेजबानी, नकद या धनीय अनुदान लेना प्रतिषेध अधिरोपित करने के लिए, संशोधित किया गया है। तदनुसार, सी बी डी टी ने स्पष्ट किया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् (वृत्तिक आचरण, शिष्टाचार और आचार) विनियम, 2002 के उपबंधों के अतिक्रमण में उपलिखित या समान फायदों को देने से संबंधित उपगत व्यय के दावे, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध व्यय के रूप में अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अस्वीकार्य होगा। यह अननुज्ञेय ऐसी औषध भेषजीय या सहबद्ध स्वास्थ्य सेक्टर उद्योगों या अन्य निर्धारित को निदेशित किया गया है जिन्हें ऐसे पूर्वोक्त फायदें दिए गए थे तथा जिन्होंने अपने लेखों में आय के सामने इन्हें कटौती व्ययों के रूप में उनका दावा किया है।

4. इस परिपत्र को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में कनफेडरेशन ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल ईंडस्ट्री बनाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सस (2012) 335 आई टी आर 388 (एच पी), के मामले में

चुनौती दी गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया तथा अभिनिर्धारित किया कि-

"चिकित्सा परिषद् का चिकित्सा व्यवसायीयों को मुफ्त के फायदे देने से प्रतिषिद्ध करने वाला विनियम, एक कानूनी विनियम है, जो कि मरीज तथा लोक हित में है। यह न्यायालय बढ़ती हुई शिकायतों को लेकर विस्मरणशील है कि चिकित्सा व्यवसायी प्रजातिगत औषधी नहीं लिखते हैं और किन्हीं विशिष्ट औषध भेषजीय उद्योगों द्वारा उन्हें अनुदत्त मुफ्त के उपहार तथा अन्य वस्तुएं दी जाती हैं, जिसके लिए वह केवल ब्रैंडेड औषधियां ही लिखते हैं। एक बार जब चिकित्सा परिषद् द्वारा उसमें निहित शक्तियों के अधीन इनका प्रतिषेध कर दिया गया है, धारा 37, उपधारा (1) का काम शुरू होता है। याचिकाकर्ता का दावा है कि परिपत्र धारा की परिधि से बाहर जाता है। यदि निर्धारण प्राधिकारी उचित रूप से परिपत्र को समझ नहीं पा रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपचार केवल अपील फाइल करना ही रहता है, परंतु जो परिपत्र धारा 37 उपधारा (1) के अनुरूप है, को गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता। यदि निर्धारित, निर्धारण प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि व्यय चिकित्सा परिषद् द्वारा विरचित विनियम के अतिक्रमण में नहीं है, तो वह वैद्य रूप से कटौती का दावा कर सकता है, किंतु निर्धारित को निर्धारण अधिकारी का समाधान करना होगा कि व्यय चिकित्सा परिषद् विनियम का अतिक्रमण नहीं है।"

5. इसके पश्चात् आयकर अपील अधिकारि के विभिन्न निर्णय आए हैं। इनमें से कुछ निर्णयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम को धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन ये व्यय अनुज्ञेय नहीं होंगे। इस मुद्दे पर नवीनतम निर्णय, 14 अक्तूबर, 2021 को आई टी ए सं 5168 तथा 5169/मुंबई/2018 में आयकर अपील अधिकरण से मेकलोड्स फार्मास्यूटिकल के मामले में दिया गया है। इस निर्णय में आयकर अपील अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया है कि निर्धारण अधिकारी के व्यय को अननुज्ञेय करने की कार्यवाही सफल होना उचित है तथा तब यह स्पष्ट किया गया कि यह तीन या अधिक सदस्यों की विशेष पीठ के गठन के लिए उचित मामला है। आयकर अपील अधिकरण अन्य बातों के साथ-साथ अपनी सिफारिशों पर निम्नलिखित आधार पर पहुंचा है :-

(i) माननीय उच्चतम न्यायालय ने केशवजी रविजी और कंपनी बनाम सी आई टी (1990) 183 आई टी आर 1 (एस सी) के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि यह भार कि अधिनियम का परिकल्पित विधि के माध्यम से सही निर्वचन, सी बी डी टी परिपत्र द्वारा परिकल्पित भार के बराबर या से उच्च है, यह कि विधि पर साबित करने का भार नकारा नहीं जा सकता क्योंकि परिपत्र सी ऐसा कहता है। अतः 2012 के परिपत्र सं 5 को वैद्य रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है।

(ii) एक बार एक न्यायिक मंच जो कि अधिकरण से उच्च है, (हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कन्फेडरेशन आफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मामलों में) अभिनिर्धारित किया कि धारा 37 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के विस्तार का निर्वाचन, जैसा कि परिपत्र में दिया गया है, एक सही विधिक निर्वचन है,

(iii) केप स्केन और डायग्नोस्टिक सेंटर (प्राइवेट) लिमिटेड (2012) 344 आई टी आर 476 (पी एंड एच), के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अवैध प्रतिफल की प्रकृति के संदेय जो लोकनीति के विरुद्ध हैं, को समानांतर रूप से मान्यता नहीं दी जा सकती। यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि कारोबारी अपने कारबार विधि के विरुद्ध चलाने के हकदार हैं और कारबार के संदाय के रूप में कटौतियों का दावा कर सकते हैं, अन्य बातों के साथ कि यह संदाय अवैध है या लोकनीति के विरुद्ध है या समग्र समाज के लिए घातक प्रभाव के हैं। न्यायालय और अभिनिर्धारित करता है कि यदि ऐसे कमीशन की मांग बुरी है, तो उसका संदाय भी उतना ही बुरा है। इस प्रकार, प्राइवेट डॉक्टरों को संदत ऐसा कमीशन लोकनीति के विरुद्ध था और का हतोत्साह किया जाना चाहिए। निर्धारिती द्वारा मरीजों को रेफर करने के लिए कमीशन के संदाय को किसी भी कल्पना की सीमा तक विधिक रूप में या लोक नीति के अनुसार स्वीकार नहीं किया जा सकता। बिना शक के यह उचित परिपाटी नहीं है और को लोकनीति के विरुद्ध ही रखा जाना।

(iv) आयकर अपील अधिकरण द्वारा यह नोट किया गया है कि डी सी आई टी बनाम पी एच एल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड (2017)163 आईटीडी 10 (एमयूएम) के मामले बेंच का निर्णय है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया है कि अननुज्ञेय को अविच्छिन्न नहीं किया जा सकता, चूंकि एससीआई के मार्गदर्शक सिद्धांत केवल चिकित्सा वृत्तिकों को बाध्य करते हैं और औषध भेषजीय कंपनियों को नहीं। आयकर अपील अधिकरण ने नोट किया है कि यह निर्णय लीवा हेल्थकेयर लिमिटेड (2016)161 आईटीडी 63 (एमयूएम) के मामले में दिए गए बेंच के निर्णय के पूर्व संयोजन के अनुरूप नहीं है, जहां माननीय आयकर अपील अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया है कि सीबीडीटी का तारीख 01-08-2012 का परिपत्र केवल एक स्पष्टीकरण की प्रकृति का है तथा लोकनीति के विरुद्ध के रूप में ऐसे अवैध संदायों पर बाधा लगाता है, उक्त बाधा, अधिनियम की धारा 37 के स्पष्टीकरण की विद्यमानता के द्वारा हमेशा से कानून में विद्यमान रही है, जिसे वित्त अधिनियम, 1998 जो 01-04-1962 से प्रभावी है, द्वारा अंतःस्थापित किया गया था। यह भी नोट किया गया था कि सीआईटी बनाम बीआर कंसल्टेशनस (1993)202 आईटीआर 222 (एपी-एफसी) के मामले में माननीय आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण बेंच के विनिश्चय में माननीय न्यायधीशों ने यह मत व्यक्त किया है कि "पूर्ववर्ती निर्णय बाध्य पूर्ववर्ती निर्णय के रूप में समाप्त है(iii) जब यह समान श्रेणी के पूर्व विनिश्चयों के साथ असंगत है और (iv) जब यह अनअवधानता वश किया गया है" स्पष्टतः इस प्रकार विनिश्चय जिन्होंने समान मुद्दे पर पूर्व बाध्य विनिश्चयों की अवहेलना की है "पूर्ववर्ती न्यायिक निर्णयों पर बाध्य नहीं रहेगा।"

(v) आयकर अपील अधिकरण ने यह भी नोट किया है कि मैक्स अस्पताल बनाम भारतीय चिकित्सा परिषद् (डब्ल्यू पी सं 1334, 2013, निर्णय तारीख 10 जनवरी, 2014) के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि भारत की चिकित्सा परिषद् के उपबंध केवल चिकित्सा वृत्तिकों को बाध्य हैं तथा अन्य को नहीं, जैसे कि अस्पताल तथा औषध भेषजीय कंपनियों। आयकर अपील अधिकरण स्पष्ट करता है कि यह एक मामला था जिसमें भारतीय चिकित्सा परिषद् की आचार समिति ने एक शिकायत जिसमें चिकित्सा असावधानी के कारण मरीज की मौत हो गई थी, आदेश पारित

करते हुए दोषी डॉक्टरों को दंडित किया लेकिन इस आदेश में मैक्स अस्पताल के विरुद्ध भी कतिपय प्रतिकूल टिप्पणीयां की थीं। इन मतअभिव्यक्तियों के विरुद्ध, मैक्स अस्पताल ने एक रिट याचिका फाइल की थी, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि चूंकि भारतीय चिकित्सा परिषद् (वृत्तिक आचरण, शिष्टाचार तथा आचार) विनियम, भारतीय चिकित्सा परिषद्, अधिनियम, 1956 की धारा 33 के खंड (ड) के साथ पठित धारा 20-क के अधीन दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए विरचित किए गए थे, ये विनियम सुविधाओं को शासी नहीं करते या सुविधाओं, अवसंरचना या चालू अस्पतालों से उनका कोई संबंध नहीं है, तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् की आचार समिति जो विनियमों के अधीन कार्य कर रही है को किसी अस्पताल की अवसंरचना पर कोई निर्देश या निर्णय पारित करने की अधिकारिता नहीं है, जो शक्ति केवल एकल रूप से राज्य सरकार से संबंधित है। यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को सुनने का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा इस प्रकार से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना की गई थी। इन शिकायतों को निपटाते हुए, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि निर्णय के प्रवर्तनीय भाग में जो आयकर अपील अधीकरण द्वारा पूर्व से पुनः निम्नानुसार किया गया है।

"8. यह स्पष्ट रूप से प्रतिवादी द्वारा स्वीकृत किया गया है कि उसे विनियम 2002 के अधीन याचिकाकर्ता अस्पताल के विरुद्ध कोई आदेश पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः यह कथन किया गया है कि उसके द्वारा याचिकाकर्ता अस्पताल के विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। इसलिए मुझे इस प्रश्न में जाने की आवश्यकता नहीं है कि क्या याचिका कर्ता अस्पताल में शल्य चिकित्सा के पश्चात् देखरेख की समुचित पर्याप्त अवसंरचना संबंधी सुविधाएं विद्यमान हैं या नहीं तथा क्या आक्षेपित आदेश को पारित करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुसरण किया गया था या नहीं। यह कहना पर्याप्त है कि आचार समिति द्वारा तारीख 27-10-2012 को दी गई मतअभिव्यक्तियां, याचिकाकर्ता अस्पताल में उपलब्ध अवसंरचना संबंधी सुविधाओं पर भी रोशनी डालती है तथा चूंकि इसे इसमें जाने की आवश्यकता नहीं थी, मतअभिव्यक्तियां अनावश्यक हैं तथा सतत् नहीं की जा सकती।

9. चूंकि भारतीय चिकित्सा परिषद् को अवसंरचना संबंधी सुविधाओं में जाने की अधिकारिता नहीं है, मुझे इस पहलू में भी जाने की आवश्यकता नहीं है कि वर्ष 2011 में अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया गया था तथा उन्हें सही गलत में पाया गया था।

10. इसलिए याचिकाकर्ता का सफल होना ही है। मैं उत्प्रेषण की रिट जारी करता हूँ जिससे ऊपर पैरा 1 में उजागर याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा पारित प्रतिकूल मतअभिव्यक्तियों को रद्द किया जा सके। "

आयकर अपील अधीकरण ने यह अभिनिर्धारित किया कि उनकी विनम्र समझ में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय या माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश की कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल ल ईंडस्ट्री (पूर्व में विवेचित) में अनौपचारिक मतअभिव्यक्तियों को भी, न तो नकारता है, न अकुशल बनाता है या से न तो व्यौहार करता है। ये निर्णय पूर्ण रूप से भिन्न क्षेत्र से संबंधित है।

(vi) आयकर अपील अधीकरण ने इस प्रकार से नोट किया है कि जिस दौरान माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने धारा 37 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के निर्वचन का विचार किया, माननीय उच्च

न्यायालय दिल्ली ने भारतीय चिकित्सा परिषद् की शक्तियों पर विचार करते हुए दिल्ली में अस्पतालों द्वारा अवसंरचना सुविधाओं की पर्याप्तता से संबंधित प्रश्न पर दिल्ली में एक अस्पताल के विरुद्ध आदेश पारित किया और वह भी उक्त अस्पताल को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना। माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के मैक्स अस्पताल केस के निर्णय के उस प्रश्न पर की क्या चिकित्सा वृत्तिकों को फायदा देना विधि विरुद्ध है या नहीं है, कोई प्रभाव नहीं होगा। आयकर अपील अधिकरण आगे यह नोट करता है कि यह भी एक सुस्थिर विधि है जिसके अंतर्गत यह भी है कि माननीय अधिकारिता उच्च न्यायालय ने सीआईटी बनाम सुधीर जयंतिलाल मलजी (1995) 214 आईटीआर 154 (बॉम्बे) पर व्यक्त किया कि, न्यायिक पूर्व निर्णय केवल "वास्तविक विनिश्चय के रूप में प्राधिकर है और अन्य बातें नहीं जो किन्हीं मतअभिव्यक्तियों के रूप में वहां स्थान पाएं"

(vii) डीसीआईटी बनाम पीएचएल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड (2017), के मामले में समन्वय बैंच के निर्णय पर, आयकर अपील अधिकरण ने निम्नानुसार नोट किया है:-

"जितना हम पीएचएल फार्मा विनिश्चय (उपरोक्त) के मूलाधार पर चिंतन करेंगे, हम और अधिक निश्चित होते जाएंगे कि इस विनिश्चय को बड़े बैंच द्वारा पुनः विचार हेतु भेजा जाना चाहिए। हमारी विनम्र समझ में, उक्त विनिश्चय में निकाला गया निष्कर्ष उचित विधिक स्थिति को नहीं दर्शाता, तथा यही स्थिति बड़ी संख्या में समन्वय बैंचों के विनिश्चयों के संबंध में भी है, जो उक्त विनिश्चय के अनुरूप या उक्त विनिश्चय में तर्क की अनुरूपता के अनुसार है- जैसा कि ऊपर विचार किया गया है। तथापि, सभी निष्पक्षताओं को ध्यान में रखते हुए, जब तक कि हम समन्वय बैंच के विनिश्चय से सहमत हो जाएं या नहीं, हमारे लिए उसकी उपेक्षा कर पाना संभव नहीं हो सकेगा, कहीं न कहीं ऐसी न्यायिक असंगतता को न्याय के प्रशासन में लोक विश्वास हेतु झंझोरना चाहिए तथा पणधारियों की मूल न्यायसंगत अपेक्षाओं, जैसे कि जो न्यायिक कार्यकलाप कर रहे हैं, पूर्व के समरूप विषयों के मामलों में न्यायिक विनिश्चय के कारण या आधार का अनुसरण करेंगे, को अस्वीकार कर दिया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के शब्दों को लेते हुए "यह हालांकि उतना ही सत्य है", भारत संघ बनाम पारस लेमिनेटस प्राइवेट लिमिटेड (1990) 186 आईटीआर 722 एससी), में जैसा कहा गया कि "यह न्याय के प्रशासन के लिए अति महत्वपूर्ण है कि जो न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें पूर्व विनिश्चय में संदेह करने की आवश्यक आजादी होनी चाहिए, जब कभी पश्चातवर्ती कर्वावाहियों में यह सामने आए कि जो वह पूर्व विनिश्चय से प्राप्त कर रहे हैं, वह पूर्व मामले में गलत विनिश्चय है" और ऐसी परिस्थितियों में, यह नैसर्गिक और युक्तिसंगत तथा प्रभावशील भी है कि यह मामला बड़े बैंच को निर्दिष्ट किया गया"। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारस लेमिनेटस (उपरोक्त) मामले में जैसा मार्गदर्शन किया गया है को मानते हुए, हम इस प्रश्न कि, क्या चिकित्सा वृत्तिकों को मुफ्त फायदों के व्यय की कोई मद, जो भारतीय चिकित्सा परिषद् (वृत्तिक, शिष्टाचार तथा आचार) विनियम, 2002- जो समय-समय पर संशोधित किया गया, भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 20 क सहित पठित, के नियम 6-8-1 द्वारा प्रभावित है, को औषध भेषजीय कंपनियों के हाथों में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37 उपधारा (1) सहित पठित स्पष्टीकरण के अधीन कटौती अनुज्ञात की जा सकती है, पर विचार करने के लिए तीन या अधिक सदस्यों के बैंच गठित करने की सिफारिश करते हैं।"

6. इस प्रकार विधिक स्थिति स्पष्ट है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् (वृत्तिक, शिष्टाचार तथा आचार) विनियम, 2002 के उपबंधों के अतिक्रमण में विभिन्न फायदों को देने में उपगत कोई व्यय विधि द्वारा प्रतिषिद्ध व्यय के रूप में अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अस्वीकार्य होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय का विनिश्चय जिस पर कुछ विनिश्चयों में आयकर अपील अधिकरण द्वारा विश्वास किया गया था, वह बिल्कुल ही अलग संदर्भ में थे, जैसा कि आयकर अपील अधिकरण मुंबई ने अपने निर्णय में मेकलोडस फार्मास्यूटिकल मामले में विचार किया था। ये आयकर अपील विनिश्चय जो ऐसे व्ययों को अनुज्ञात कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से विधान आशय के अनुरूप नहीं हैं।

7. और, कुछ करदाता विदेशी विधि के अधीन जो एक अपराध है, ऐसे प्रयोजन के लिए या विदेशी विधि के अतिक्रमण में अपराध प्रशमन के लिए उपगत व्ययों पर कटौती दावा करते देखे गए हैं, दावा करते हैं कि अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के उपबंध देश के देशीय विधि द्वारा प्रतिषिद्ध अपराधों पर ही लागू होते हैं। कुछ मामलों में यह दृष्टिकोण अधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया है। ये निर्णय भी विधान के आशय के विरुद्ध हैं, जैसे कि विधान यह नहीं कहता कि स्पष्टीकरण 1 केवल देशीय विधि के अतिक्रमण पर ही लागू होता है।

8. विधान के आशय को स्पष्ट करने और इसे किसी को गलत निर्वचन से स्वतंत्र रखने के लिए, धारा 37 की उपधारा (1) में एक और अन्य स्पष्टीकरण अन्तः स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह और स्पष्ट किया जा सके कि स्पष्टीकरण 1 के अधीन 'किसी निर्धारिती द्वारा किसी अन्य ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय जो एक अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है' में निम्नलिखित के लिए सम्मिलित होगा और किसी निर्धारिती द्वारा ऐसे उपगत व्यय को सदैव सम्मिलित होना माना जाएगा-

(i) किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो भारत में या भारत से बाहर प्रवृत्त किसी विधि के अधीन एक अपराध है या प्रतिषिद्ध है: या

(ii) किसी व्यक्ति को कोई कारबार करने या कोई वृत्ति करने या ना करने पर किसी भी रूप में फायदे परिलब्धि प्रदान करने के लिए और ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे फायदे या परिलब्धि की स्वीकृति जो ऐसे व्यक्ति के आचरण को शासी करने वाली यथास्थिति उस समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम या विनियम या मार्गदर्शक सिद्धान्तों का अतिक्रमण है : या

(iii) भारत में या भारत से बाहर उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध का शमन करना

9. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा।

[खंड 12]

वास्तविक संदाय पर केवल ब्याज के संदाय पर कटौती के संबंध में स्पष्टीकरण :-

अधिनियम की धारा 43 ख केवल वास्तविक संदाय पर अनुज्ञात की जाने वाली कतिपय कटौतियों के लिए उपबंध करती है। इस धारा का स्पष्टीकरण 3ग, 3ग क और 3घ उपबंध करता है कि इस धारा के क्रमशः खंड (घ) खण्ड (घ क) और खण्ड (ड.) के अधीन विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थान/ एनबीएफसी/अनुसूचित बैंक या कोई कॉर्पोरेटिव बैंक से ऋण या उधार पर संदेय व्याज के कारण किसी राशि की कटौती अनुज्ञात होगी यदि ऐसा व्याज वास्तव में संदत्त किया गया है और इन उपबंधों में निर्दिष्ट कोई व्याज जिसे किसी ऋण या उधार या अग्रिम में संपरिवर्तित किया गया है को वास्तव में संदत्त नहीं माना जाएगा।

2. तथापि, कतिपय करदाता धारा 43 ख के अधीन किसी विद्यमान ऋण पर संदेय व्याज के संपरिवर्तन पर डिवेन्चर में कटौती का दावा इस आधार पर कर रहे हैं कि ऐसा संपरिवर्तन व्याज दायित्व का रचनात्मक निर्वहन है और इसलिए वास्तविक संदाय के समतुल्य है जिसे विभिन्न न्यायालयों द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

3. ऐसे निर्वचन विधान के आशय के विरुद्ध है। यह धारा वित्तीय संस्थाओं एनबीएफसी/अनुसूचित बैंक या सहकारिता बैंक को बिना व्याज दिये, निर्धारिती द्वारा कटौती का दावा करने की रिष्टि पर नियंत्रण करने के लिये लाया गया था। जैसे कि उसके नॉन अब्सटेंट खंड द्वारा बताया गया है, धारा 43ख अधिनियम की अन्य धाराओं से विचलन करती है। इस धारा के उपबंध के अधीन, बकाया व्याज दायित्व का परिवर्तन ऋणपत्र में करना वास्तविक भुगतान नहीं है और कटौती के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। अन्य शब्दों में, लेखा की व्यापारिक व्यवस्था की ओर तब नहीं देखा जा सकता जब इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया गया, जैसे कि वास्तविक भुगतान किया जाता है।

4 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, धारा 43 ख के स्पष्टीकरण 3ग, स्पष्टीकरण 3गक और स्पष्टीकरण 3घ का संशोधन का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए किया जाता है कि धारा 43 (ख) के खंड (घ), खंड (घ क) और खंड (ड.) के अधीन देय व्याज का परिवर्तन ऋणपत्र या किसी अन्य लिखित, जिसके द्वारा भुगतान का दायित्व भविष्य में किसी तारीख पर टल जाता हो, में होने को भी वास्तविक भुगतान न समझा जाए।

5 यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 लागू होगी और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-24 और पाश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 14]

कटौती/संग्रह या कर संदाय के विफल के परिणाम स्वरूप- व्याज की संगणना-

अधिनियम की धारा 201 व्यक्तियों के निष्कर्षों के साथ जो कर या कटौती करने के पश्चात् कटौती करने में विफल रहते हैं, उक्त धारा की उपधारा (1क) केंद्रीय सरकार को क्रेडिट करने के लिए उसको जमा करने में विफल रहता है, यह उपबंधित करती है कि यदि कोई व्यक्ति जो स्रोत पर कर कटौती का दायी नहीं है, इसकी कटौती नहीं करता है या केंद्रीय सरकार को क्रेडिट करने के लिए उसे संदाय करने में कटौती करने में विफल रहता है, तो वह इसमें विनिर्दिष्ट दरों पर साधारण व्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा। उसी प्रकार अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (7) यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति जो स्रोत पर कर संग्रह के लिए दायी है यदि वह इसका संग्रह नहीं करता है तो उसके बाद केंद्रीय सरकार के क्रेडिट के लिए

उसका संदाय को संग्रहित करने में विफल रहता है तो वह इसमें विनिर्दिष्ट दरों पर ब्याज संदाय करने के लिए दायी होगा।

2. यह अवलोकन किया गया है कि उक्त उपबंधों के अधीन ब्याज की संगणना जहां ऐसे मामला कर की कटौती/संग्रह या निरंतर कर के भुगतान की चूक बारंबार मुकदमें के मामले के अधीन है।

3. स्पष्ट विधान के आशय को बनाने के उद्देश्य से और किसी निर्वाचन से स्वतंत्र बनाने के लिए, यह निम्नलिखित प्रस्ताव किया गया है:

(i) कि धारा 201 की उपधारा (1क) का संशोधन करके यह उपबंध किया जा सके कि जहां उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन व्यक्तिगत के लिए किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई आदेश किया गया है, इस संबंध में ब्याज, व्यक्ति द्वारा निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए आदेश के अनुसरण में संदत्त किया जाएगा;

(ii) कि धारा 206ग की उपधारा (7) का संशोधन करके यह उपबंध किया जा सके कि जहां उक्त धारा की उपधारा (6क) के अधीन व्यक्तिगत के लिए किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई आदेश किया गया है, इस संबंध में ब्याज, व्यक्ति द्वारा निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए आदेश के अनुसरण में संदत्त किया जाएगा।

4. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।

[खंड 60 तथा 62]

(ग) सामाजिक आर्थिक कल्याण संबंधी उपाय

धारा 115खकख के अधीन विनिर्माण या उत्पादन के प्रारंभ की अंतिम तारीख का विस्तार, 31.03.2023 से 31.03.2024

आयकर अधिनियम 115 खकख, नई देशीय विनिर्माता कंपनियों के लिए 15% रियायती कराधेय दर के किसी विकल्प का उपबंध करता है, बशर्ते कि वह किसी विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन या कटौती को ग्रहण नहीं करते हैं तथा अन्य कतिपय शर्तों को पूरा करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 115खकख की उपधारा (2), ऐसी कंपनियों द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षित शर्तों को अंतर्विष्ट करती है। उक्त उपधारा (2) का खंड (क) उपबंध करता है कि नई देशीय विनिर्माता कंपनी 01-10-2019 को या के पश्चात् स्थापित या रजिस्ट्रीकृत होनी अपेक्षित है तथा उनसे 31 मार्च, 2023 को या पूर्व वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन प्रारंभ करना अपेक्षित है।

3. धारा 115खकख की प्रस्तावना का आशय विनिधान आकर्षित करना, नौकरीयां सृजित करना तथा समग्र आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना है। तथापि, कोविड-19 महामारी की अवस्थिति के संचित प्रभाव के परिणाम

स्वरूप नई देशीय कंपनियों के स्थापन/ रजिस्ट्रीकरण में विलंब हुआ है तथा यदि वह स्थापित रजिस्ट्रीकृत हो चुकी है, तो ऐसी कंपनियों के द्वारा विनिर्माण या उत्पादन को प्रारंभ करने में।

4. ऐसी कंपनियों को राहत देने के लिए धारा 115खकख का संशोधन प्रस्तावित है, जिससे 31 मार्च, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख बढ़ाई जा सके।

5. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-23 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों को लागू होंगे।

(खंड 26)

छूट के लिए पात्र स्टार्ट-अप को सम्मिलित करके हेतु तारीख का विस्तार

अधिनियम की धारा 80-1 कग के विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी पात्र स्टार्ट-अप द्वारा सम्मिलित होने के वर्ष से आरंभ होकर किसी पात्र कारबार से दस वर्षों में से क्रमवर्ती ती निर्धारण वर्षों के लिए व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के एक सौ प्रतिशत के समान रकम की कटौती का निर्धारितियों के विकल्प पर निम्नलिखित शर्त के अधधीन रहते हुए उपबंध किया गया है;

- (i) उसके कारबार का कुल आवर्त एक सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है,
- (ii) उसके पास अंतर-मंत्रालीय प्रमाणन बोर्ड से पात्र कारबार का प्रमाण-पत्र है, और
- (iii) उसे 01 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् किंतु 01 अप्रैल, 2022 से पूर्व सम्मिलित किया गया है।

2. कोविड महामारी के कारण ऐसी ईकाइयों को स्थापित करने में बिलंब हुआ है। ऐसे विलंब को दृष्टिगत करते हुए और ऐसे पात्र स्टार्ट-अप संवर्धन करने के लिए, पात्र स्टार्ट-अप को सम्मिलित करने की अवधि का 31 मार्च, 2023 तक विस्तार करने के लिए अधिनियम की धारा 80-1कग के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

3. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-23 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड22]

सहकारी सोसाइटियों की वृद्धि की संवर्धन करने के लिए उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम की धारा 115 जग में, अन्य बातों के साथ-साथ, सहकारी सोसाइटियों द्वारा संदेय आनुकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) के लिए उपबंध किया गया है, जिसकी दर 18.5 प्रतिशत है। तथापि, कराधान विफियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 के द्वारा कंपनियों के लिए न्यूनतम आनुकल्पिक कर (एमएटी) की दर को कम करके 15 प्रतिशत कर दिया गया है। इसलिए सहकारी सोसाइटियों और कंपनियों

के बीच समानता लाने के लिए, एएमटी की दर को कम करके 15 प्रतिशत करने के लिए धारा 115 जग की उपधारा (4) का उपांतरण करना प्रस्तावित है जिस दर पर सहकारी सोसाइटियां आय-कर का संदाय करने के लिए दायी हों। “आनुकल्पिक न्यूनतम दर” की परिभाषा के संबंध में धारा 115 जच के खंड (ख) का भी पारिणामिक संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

2. ये संशोधन तारीख 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-23 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 29 और 30]

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के कर प्रोत्साहन (आई एफ एस सी)

कुछ पूर्व वर्षों से अधिनियम के अधीन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित इकाईयों को अनेक कर रियायतें उपबंधित की गई है, ताकि इसे वित्तीय सेवा सेक्टर का वैश्विक केंद्र बनाया जा सके।

2. आई.एफ.एस.सी. से प्रोत्साहनों के और प्रचालन के लिए, निम्नलिखित अतिरिक्त प्रोत्साहन उपबंधित करना प्रास्तावित है: -

- i. धारा 80ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की अपतट बैंकिंग इकाई के साथ किए गए प्रति व्युत्पन्न के उपर या उपतट व्युत्पन्न लिखतों के अंतरण के परिणामस्वरूप किसी अनिवासी द्वारा उद्भूत या उद्भव या प्राप्त आय उक्त खंड के अधीन छूट को विस्तारित करने के लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (4ड) का संशोधन प्रस्तावित है।
- ii. धारा 80ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की इकाई द्वारा, पूर्व वर्ष में पोत के पट्टे के लिए, संदत रायल्टी या ब्याज के माध्यम से किसी अनिवासी की आय को उक्त खंड के अधीन छूट विस्तारित करने के लिए धारा 10 के खंड (4च) का संशोधन प्रस्तावित है, यदि इकाई ने 31 मार्च, 2024 को या से पूर्व प्रचालन प्रारंभ कर दिया है।
'पोत' को परिभाषित करना प्रस्तावित है जिससे पोत या समुद्री जलयान, पोत या समुद्री जलयान या उसका कोई पुर्जा अभिप्रेत है।
- iii. धारा 10 में खंड (4छ) अंतःस्थापित करना प्रस्तावित है, जिससे धारा 80ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अपतट बैंकिंग इकाई में अनुरक्षित खाते में किसी ऐसे अनिवासी के निमित्त पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा प्रबंधनीय या प्रशासित प्रतिभूतियों या वित्तीय उत्पादों या निधियों के पोर्टफोलियो से अनिवासी द्वारा प्राप्त किसी आय को छूट प्रदान की जा सके, ऐसी भारत से बाहर उद्भूत या उद्भव आय को भारत में उद्भूत या उद्भव हुई नहीं समझा जाएगा।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि 'पोर्टफोलियो प्रबंधक' का अर्थ होगा जो उसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र संधिकरण (पूंजी बाजार मध्यवर्ती) विनियम, 2021 के विनियम (2) के उप-विनियम (1) के खंड (य) में समानुदेशित किया गया है।

- iv. अधिनियम की धारा 56 के खंड (viiख) के स्पष्टीकरण का संशोधन प्रस्तावित है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिर्दिष्ट निधि में अनुकल्पी विनिधान निधि के प्रवर्ग I या प्रवर्ग II भी सम्मिलित है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन विनयमित किया जाता है।
- v. अधिनियम की धारा 80ठक की उपधारा (2) के खंड (घ) का संशोधन प्रस्तावित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि वायुयान के रूप में एक आस्ति के अंतरण से उद्भव होने वाली आय के अतिरिक्त, पोत के रूप में आस्ति के अंतरण से उद्भव आय, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की इकाई द्वारा किसी व्यक्ति को पट्टे पर दी गई थी, भी उक्त धारा के उपधारा (1क) के अधीन कटौती के पात्र होगा, बशर्ते कि इकाई ने 31 मार्च, 2024 को या से पूर्व प्रचालन प्रारंभ कर दिया था। यह भी उपबंध करना प्रस्तावित है कि पोत का वही अर्थ होगा जो धारा 10 के खंड (4च) के अधीन यथा उपबंधित है।
3. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-24 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 4, 16 और 23]

राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था (एनपीएस) अभिदाताओं के लिए प्रोत्साहन

अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा अधिनियम की धारा 80गगघ में निर्दिष्ट खाते में किया गया कोई अभिदाय निर्धारित के लिए उसकी कुल आय की गणना में वहां कटौती के रूप में अनुज्ञात होगा यदि यह अभिदाय उसके वेतन के 14 प्रतिशत से अधिक नहीं है और ऐसा अभिदाय केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया है। जहां ऐसा अभिदाय किसी अन्य नियोक्ता द्वारा किया जाता है, वहां वर्तमान में यह सीमा उसके वेतन का दस प्रतिशत है। राज्य सरकारों को तारीख 01 अप्रैल, 2019 से इस अभिदाय को, स्वयं अपनी इच्छा से, उनके अपने आंतरिक अनुमोदनों और अधिसूचनाओं के आधार पर पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अनुमोदन की ईप्सा किए बिना 14 प्रतिशत तक बढ़ाने का विकल्प दिया गया था।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी राज्य सरकार द्वारा किए गए वर्धित अभिदाय की पूर्ण कटौती मिले, अधिनियम की धारा 80गगघ के अधीन कटौती की सीमा को राज्य

सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के खाते में किए गए अभिदाय की बाबत वर्तमान दस प्रतिशत से चौदह प्रतिशत बढ़ाना प्रस्तावित है।

3. यह संशोधन 01 अप्रैल, 2020 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे समय के दौरान दस प्रतिशत से अधिक किए गए किसी अभिदाय पर कोई अतिरिक्त कर दायित्व उद्भूत न हो।

[खंड 20]

किसी निश्चिंत व्यक्ति को वार्षिकी निर्मुक्त करने की शर्त

धारा 80घघ के वर्तमान उपबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी व्यष्टि या हिंदू अभिव्यक्त कुटुंब के लिए, जो भारत में निवासी है, (क) किसी आश्रित के, जो एक निःशक्त व्यक्ति है, के चिकित्सा उपचार (परिचर्या सहित), प्रशिक्षण और पुर्नवास ; या (ख) किसी आश्रित के, जो एक निःशक्त व्यक्ति है के अनुरक्षण के लिए किसी स्कीम के संबंध में जीवन बीमा निगम अथवा किसी अन्य बीमाकर्ता या प्रशासक या विनिर्दिष्ट कंपनी को संदत्त रकम के संबंध में कटौती करने का उपबंध किया गया है।

2. उपर्युक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि यह कटौती केवल तब अनुज्ञात होगी यदि वार्षिकी या एकमुश्त रकम का संदाय, उस व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसके नाम में उस स्कीम का अभिदान किया गया है, की मृत्यु की दशा में आश्रित के फायदे के लिए किया गया है।

3. उपर्युक्त धारा की उपधारा (3) में यह उपबंधित है कि निश्चिंतता के ग्रस्त आश्रित की व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसके नाम योजना का अंशदान किया गया है, से पहले मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्कीम में निक्षेप की गई रकम निर्धारिती उस पूर्ववर्ती वर्ष की आय समझाई जाएगी जिसमें निर्धारिती द्वारा ऐसी रकम प्राप्त की जाती है और तदनुसार उस पूर्ववर्ती वर्ष की आय के रूप में कर के लिए प्रभार्य होगी।

4. 2017 की रिट याचिका सं. 1107-रवि अग्रवाल बनाम भारत संघ वाले मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया था कि ऐसे कठोर मामले हो सकते हैं जहां दिव्यांग आश्रितों को उनके माता-पिता/संरक्षकों के जीवनकाल के दौरान भी वार्षिकी या एकमुश्त आधार पर संदाय की आवश्यकता हो सकती है। यह भी मत व्यक्त किया गया था कि केंद्र सभी पहलुओं पर, माता-पिता या संरक्षक के जीवनकाल के दौरान भी वार्षिकी या एकमुश्त आधार पर संदाय की आवश्यकता हो सकती है, विचार कर सकता है।

5. अतः इस असली कठिनाई को समाप्त करने के लिए, ऐसे व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्य के जीवनकाल के दौरान भी अर्थात् साठ वर्ष या उससे अधिक की आयु हो जाने के उपरांत भी उक्त धारा के अधीन कटौती अनुज्ञात करना प्रस्तावित है, जिसके नाम में स्कीम के लिए अभिदान किया गया है और जहां संदाय या निक्षेप को रोक दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तावित है कि उपधारा (3) के उपबंध, आश्रित द्वारा

उसकी मृत्यु से पूर्व, प्रस्तावित संशोधन में निर्दिष्ट शर्त को लागू करके वार्षिकी या एकमुश्त रूप में प्राप्त की गई रकम पर लागू नहीं होंगे।

6. यह संशोधन 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-24 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 21]

कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु और चिकित्सीय उपचार के लिये मिली रकम की छूट

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 56 की उपधारा (2) का खंड (भ) अन्य बातों के साथ उपबंध करता है कि जहाँ कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से, किसी पूर्व वर्ष में, विना प्रतिफल के कोई धनराशी, जिसका योग मूल्य पचास हजार रुपये से अधिक है, प्राप्त करता है, वहाँ ऐसी रकम का संपूर्ण योग मूल्य, उस रकम के प्राप्तकर्ता व्यक्ति की आय होगा। तथापि, वहाँ विनिर्दिष्ट संव्यवहार के लिए खंड में कतिपय अपवाद दिये गये हैं।

2. अधिनियम की धारा 17 का खंड (2) अन्य बातों के साथ 'परिलब्धि' की परिभाषा का उपबंध करता है। तथापि, कतिपय अपवादों का उपबंध किया गया है जिनमें परिलब्धि अनुलाभ का भाग नहीं होगा।

3. वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस कथन तारीख 25-06-2021 जारी किया है जिसमें यह घोषित किया गया था कि वित्तीय वर्ष 2019-20 और पश्चात्वर्ती वर्षों के दौरान कोविड-19 के उपचार के लिए करदाता द्वारा प्राप्त की गई रकम पर आयकर प्रभारित नहीं किया जाएगा। यह और घोषित किया गया था कि ऐसे करदाता के कुटुंब के सदस्यों को अनुतोष प्रदान करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2019-20 और पश्चात्वर्ती वर्षों के दौरान कोविड-19 के कारण व्यक्ति की मृत्यु पर ऐसे व्यक्ति के नियोक्ता से या अन्य व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति के कुटुंब के सदस्यों द्वारा प्राप्त किये गए अनुग्रहपूर्वक भुगतान पर आय-कर छूट प्रदान की जाएगी। यह भी कथन किया गया कि ऐसी छूट, नियोक्ता से मिली रकम के लिए बिना किसी सीमा के अनुजात की गई है और ऐसी छूट अन्य व्यक्तियों से प्राप्त रकम के योग में 10 लाख रुपये तक सीमित होगी।

4. प्रेस कथन में कथित अनुतोष को प्रदान करने के लिए धारा 17 के खंड (2) का संशोधन प्रस्तावित है और एक नया उपखंड अंतःस्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि नियोजक द्वारा ऐसे किसी ऐसे व्यय के संबंध में, जो कर्मचारी द्वारा कोविड-19 से संबंधित किसी रूग्णता के संबंध में अपने चिकित्सीय उपचार पर या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के उपचार पर वास्वतिक रूप से उपगत किया जाता है, संदत्त कोई राशि ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, 'परिलब्धि' का भाग नहीं होगी।

5. इसके अतिरिक्त, धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (भ) के परंतुक का संशोधन करने का और परंतुक में दो नये खंड अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि-

(i) एक व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति से प्राप्त की गई कोई धनराशी, जो उसके कोविड-19 से संबंधित किसी बीमारी में उसके चिकित्सीय उपचार या उसके कुटुंब के किसी सदस्य के उपचार पर, केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त यथा अधिसूचित किसी परिस्थिति के अध्याधीन रहते हुए, वास्तविक उपगत कोई व्यय से संबंधित है, ऐसे व्यक्ति की आय नहीं होगी,

(ii) मृत व्यक्ति के कुटुंब के सदस्य द्वारा मृत व्यक्ति के नियोजक से या किसी अन्य व्यक्ति से या व्यक्तियों से उस विस्तार तक कि ऐसी राशि या ऐसी राशियों का योग 10 लाख रुपये से अधिक है, प्राप्त धन की कोई राशि बिना सीमा जहाँ ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का कारण कोविड-19 की बीमारी से संबंधित है, और संदाय ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की तारीख से 12 मास के भीतर प्राप्त किया गया है और ऐसी अन्य शर्तों के अध्याधीन है जिन्हें, इस निमित्त केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, ऐसे व्यक्ति की आय नहीं होगी।

6. यह उपबंध करने के लिए कि पूर्वोक्त दोनो खंडों के प्रयोजन के लिए व्यक्ति के संबंध में "कुटुंब" का नहीं अर्थ होगा जैसा की धारा 10 के खंड (5) के स्पष्टीकरण 1 में दिया गया है।

7. ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2020 प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 10 और 16]

पब्लिक सेक्टर कंपनी के नीतिगत अपविनिधान की सुकर बनाना

अधिनियम की धारा 79 कतिपय कंपनियों की दशा में हानि के अग्रनयन और मुजरा के लिए उपबंध करती है। उक्त धारा की उपधारा (1) अन्य बातों के साथ उपबंध करती है कि एक कंपनी जो कि ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता सारतः हितबद्ध हो, की दशा में जहां पूर्व वर्ष के दौरान शेयर धारण में बदलाव हुआ है, वहां पूर्व वर्ष से पहले उपगत कोई हानि, पूर्व वर्ष की आय के विरुद्ध अग्रनीत और मुजरा नहीं की जाएगी, जब तक कि पूर्व वर्ष के अंतिम दिन पर इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतशक्ति रखनेवाली कंपनी, जिसमें हानि उपगत हुई थी, के अंशों को फायदाप्रद रूप से धारित किये हो। उक्त धारा की उपधारा (2) कतिपय परिस्थितियों का उपबंध करती है जिनमें उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

2. पब्लिक सेक्टर कंपनियों के नीतिगत अपविनिधान को सुकर बनाने के लिए अधिनियम की धारा 79 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करना प्रस्तावित है कि धारा 79 की उपधारा (1) के उपबंध किसी तत्कालीन पब्लिक सेक्टर कंपनी को इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे कि ऐसी तत्कालीन पब्लिक सेक्टर कंपनी की क्रमांतिम नियंत्री कंपनी नीतिगत अपविनिधान के पूर्ण होने के अव्यहित पश्चात् प्रत्यक्ष रूप से या अपनी समानुषंगी या समनुषंगियों के माध्यम से तत्कालीन पब्लिक सेक्टर कंपनी की कुल मिलाकर कम-से-कम इक्यावन प्रतिशत मतदान शक्ति को धारित करना जारी रखती है।

2.1 यह भी उपबंध करना प्रस्तावित है कि यदि नीतिगत अपविनिधान पूर्ण होने के पश्चात् किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उपरोक्त शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो उपधारा (1) के उपबंध ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष और पश्चात्वर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए लागू नहीं होंगे।

2.2 "तत्कालीन पब्लिक सेक्टर कंपनी" और "नीतिगत अपविनिधान" पदों का वहीं अर्थ होगा जो क्रमशः धारा 72 क की उपधारा (1) के खंड (घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) और (iii) में लगाया गया है।

3. ये उपबंध 01 अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-23 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 18]

(घ) कर आधार को गहन और विस्तृत करना

कर-आधार विस्तारित और गहरा करने के लिए धारा 206कख और 206गगक के उपबंधों का सुव्यस्थितकरण

कर-आधार का विस्तार और गहरा करने के उद्देश्य से और वित्त अधिनियम 2021 अपनी आय विवरणी प्रेषित करने के लिए करदाताओं को खिसकाने के लिए, अधिनियम की धारा 206कख और 206गगक अंतःस्थापित की है। उक्त धारा अपने अपने स्रोत पर के कर कटौती और संग्रह करने के लिए विशेष उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है, यदि कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति इसमें विनिर्दिष्ट उच्चतर दरों पर है।

2. "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" ऐसा व्यक्ति को अभिप्रेत को परिभाषित किया गया है जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के तुरंत दो पूर्व वर्षों के लिए सुसंगत दो निर्धारित वर्ष दोनों के लिए आयकर विवरणी फाईल नहीं की है जिसमें कर कटौती या संग्रह किया जाना अपेक्षित है; जिसके लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आयकर विवरणी फाईल करने की समय सीमा समाप्त हो गई है; और स्रोत पर कर कटौती का योग और उसके मामले में स्रोत पर कर संग्रहित पचास हजार रूपए या इन दो पूर्व वर्षों के प्रत्येक में अधिक है। सरकार जांच करने के लिए करदाताओं की उपयोगिता आनलाइन करने का प्रस्ताव किया है क्या व्यक्ति विनिर्दिष्ट व्यक्ति है या नहीं।

3. आगे धारा 206कख के उपबंध हस्तांतरण की बाबत लागू नहीं है जिस पर कर अधिनियम की धारा 192, 192क, 194ख, 194खख, 194ठखग या 194ढ के अधीन कटौती की जानी है।

4. यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि सभी व्यक्ति जिनके मामले महत्वपूर्ण राशि उनकी आयकर विवरणी प्रेषित करने के लिए कटौती की गई है, इसमें उपबंध करने के लिए अधिनियम की धारा 206कख और 206गगअ संशोधन द्वारा दो वर्ष की अपेक्षा को एक वर्ष किए जाने का प्रस्ताव किया गया है कि "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" व्यक्ति के रूप में अभिप्रेत है जिसने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में तुरंत पूर्व वर्ष के लिए सुसंगत निर्धारित वर्ष

के लिए अपनी आयकर विवरणी फाईल नहीं की है। जिसमें कर कटौती या कर संग्रह किया जाना है, जैसा भी मामला हो और स्रोत पर कर संग्रहित की धनराशि और उक्त पूर्व वर्ष में 50000 रूपए या अधिक है।

5. तथापि व्यक्तिगत पर अतिरिक्त बोझ घटाने के क्रम में और अधिनियम की धारा 194-झक, 194-झख और 194ड के अधीन आने वाले करदाताओं हिंदू अविभक्त कुटुंब (एच.यू.एफ.) जिनके लिए महत्वपूर्ण कर कटौती प्रणाली टी.ए.एन. की अपेक्षा के बिना उपबंधित किया गया है, यह प्रस्तावित किया गया है कि धारा 206कख के उपबंध हस्तांतरण की बाबत लागू नहीं होंगे जिस पर कर अधिनियम की उक्त धारा के अधीन कटौती की जानी है।

6. उपरोक्त के अतिरिक्त, इसमें धारा 206कख और 206गगअ में ड्राफ्टिंग त्रुटि का भी सुधार करने का प्रस्ताव है जिसमें क्रमशः "कटौतीकर्ता" और "संग्रहकर्ता" के निबंधन गलत तरीके से प्रयुक्त किए गए थे। आगे, इसलिए आयकर इलेक्ट्रिकल रूप से प्रेषित की जा रही है, यह भी प्रस्ताव किया है कि "आयकर विवरणी" के स्थान पर "प्रेषित" निबंधन स्थापित किया जाए।

7. आगे धारा 194-झख में परिणामिक संशोधन के रूप में उक्त धारा की उपधारा (4) से धारा 206कख के संदर्भ में लोप किए जाने का भी प्रस्ताव किया गया है।

8. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभाव होंगे।

[खंड 57, 61 और 63]

स्थावर संपत्ति के विक्रय पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम की धारा 194-झक में कृषि भूमि से भिन्न कतिपय स्थावर संपत्ति से अंतरण पर उसके संदाय पर कर की कटौती के लिए उपबंध किया गया है। उक्त धारा की उपधारा (1) में किसी स्थावर संपत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) के अंतरण के लिए प्रतिफल के द्वारा किसी निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति द्वारा उस निवासी को प्रत्यय या संदाय करने के समय पर उस रकम पर आय-कर के रूप में एक प्रतिशत की दर से कर की कटौती करने का उपबंध किया गया है। उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि वहां कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी जहां स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल पचास लाख रूपए से कम है।

2. उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती अंतरिती द्वारा अंतरक को संदत्त प्रतिफल की रकम पर की जाएगी। यह धारा स्थावर संपत्ति के स्टॉप शुल्क मूल्य पर विचार नहीं करती है, जब कि अधिनियम की धारा 43गक और 50ग के अनुसार क्रमशः : कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" तथा "पूँजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय की संगणना के लिए, स्टॉप शुल्क मूल्य पर भी विचार किया जाना चाहिए। अतः अधिनियम की धारा 194-झक और 43 गक और 50ग के उपबंधों में असंगति है।

3. इस असंगति को समाप्त करने के लिए, अधिनियम की धारा 194-इक का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करना प्रस्तावित है कि किसी स्थावर संपत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) के अंतरण की दशा में, स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) निवासी को संदत्त या निक्षेप की गई ऐसी राशि पर या ऐसी संपत्ति के स्टांप शुल्क मूल्य पर, जो भी अधिक हो एक प्रतिशत की दर से की जाएगी। यदि स्थावर संपत्ति के अंतरण के संदत्त प्रतिफल और ऐसी संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य, दोनों पचास लाख रूपए से कम है, तो धारा 194-इक के अधीन किसी कर की कटौती नहीं की जानी चाहिए।

3.1 स्टांप शुल्क मूल्य का वही अर्थ होगा जो धारा 56 की उपधार (2) के खंड (vii) के स्पष्टीकरण के खंड (च) में लगाया गया है।

4. यह संशोधन 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा।

[खंड 56]

कारबार या वृत्ति के लाभ या अभिलाभ पर स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस)

अधिनियम की धारा 28 के खंड (iv) के अनुसार कारबार या वृत्ति के प्रयोग से उद्भूत किसी लाभ या अभिलाभ का मूल्य, चाहे धन में संप्रवर्तनीय है या नहीं, ऐसे लाभ या अभिलाभ के प्राप्तकर्ता के हाथों में कारबार आय के रूप में प्रभारित की जानी चाहिए। तथापि, बहुत से मामलों में, ऐसे प्राप्तकर्ता अपनी आय की विवरणी में ऐसे लाभों की प्राप्ति का उल्लेख नहीं करता है और परिणामस्वरूप आय के गलत विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं।

2. तदनुसार, कर के आधार को विस्तृत और व्यापक करने के लिए, अधिनियम में एक नई धारा 194-द यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित की जानी प्रस्तावित है कि किसी निवासी को कोई लाभ या अभिलाभ, चाहे धन के संप्रवर्तनीय है या नहीं, जो उस निवासी द्वारा कोई कारबार करने या किस वृत्ति का प्रयोग करने के उद्भूत हुआ हो, प्रदान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसे निवासी को, यथास्थिति, ऐसा लाभ या अभिलाभ प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे लाभ या अभिलाभ के मूल्य या कुल मूल्य के संबंध में दस प्रतिशत की दर पर कर की कटौती की गई है। इस धारा के प्रयोजनार्थ, 'प्रदान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति' अभिव्यक्ति का अर्थ ऐसा लाभ या अभिलाभ प्रदान करने वाले व्यक्ति के रूप में या किसी कंपनी की दशा में, स्वयं कंपनी के रूप में, जिसके अंतर्गत उसका प्रधान अधिकारी भी है, लगाना प्रस्तावित किया गया है।

2.1 इसके अतिरिक्त, ऐसी दशा में जहां, यथा स्थिति, लाभ या अभिलाभ पूर्णतः वस्तु रूप में है अथवा भागतः नकद और भागतः वस्तु रूप में है किंतु नकद रूप में ऐसा भाग उस संपूर्ण लाभ का अभिलाभ के संबंध में कर की कटौती के दायित्व की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ऐसा लाभ या अभिलाभ का निर्मोचन करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि लाभ या अभिलाभ के संबंध में कर का संदाय कर दिया गया है।

2.2 किसी निवासी को संदत्त या संभाव्यतः संदत्त किए जाने वाले लाभ या अभिलाभ का मूल्य या कूल मूल्य वित्तीय वर्ष क दौरान बीस हजार रूपए से अधिक नहीं है तो किसी कर की कटौती नहीं की जाएगी।

2.3 इसके अतिरिक्त, उक्त धारा के उपबंध उस व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब को लागू नहीं होंगे, जिसका कारबार की दशा में कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त उस वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान जिसमें, यथास्थिति ऐसा लाभ या अभिलाभ प्रदान किया गया है एक करोड़ से अधिक या वृत्ति की दशा में पचास लाख से अधिक नहीं है।

3. यह संशोधन तारीख 01 जुलाई, 2020 से प्रभावी होगा।

[खंड 58]

सिनेमाटोग्राफ फिल्मों के निर्माता या विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगे व्यक्तियों द्वारा रिपोर्ट करने के परिधि का विस्तारिकरण

धारा 285ख के अधीन, सिनेमाटोग्राफ फिल्मों के निर्माता, फिल्म की संपूर्ण तारीख या वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिन के भीतर प्रेषित किए जाने बाध्य है, जो भी पहले हो, एक कथन उनके द्वारा किए गए योग में 50000 रूपए से अधिक या उनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उसके देय से सभी भुगतानों के अंतर्वलित विवरणों।

2. धारा 285ख के दायरे का विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि प्ररूप 52क में अपेक्षित रिपोर्ट का विस्तार करने के लिए विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगे हुए व्यक्तियों को सम्मिलित किया जा सके। "विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप" का अर्थ होगा समारोह, प्रबंधन, डोका में ही निर्माण टेलीविजन या अन्य किसी उच्च मंच पर या किसी अन्य किसी प्रसार के मंच पर प्रसारण के लिए कार्यक्रमों का निर्माण, अन्य कला प्रदर्शन या अन्य ऐसे क्रियाकलाप जिन्हें केंद्रीय सरकार इस निमित्त राजपत्र में सभी सूचना द्वारा नियत करें।

3. यह संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा।

[खंड 84]

बोनस अपखंडन तथा लाभांश अपखंडन से संबंधित उपबंध प्रतिभूतियों तथा इकाईयों को लागू किए जाएंगे-

अधिनियम की धारा 94, प्रतिभूतियों तथा पारस्परिक निधि की इकाईयों में संव्यवहार के साथ व्यौहार जो अन्य बातों साथ, लाभांश अपखंडन तथा बोनस अपखंडन को सम्मिलित करता है, के परिवर्जन रोधी उपबंधों के अंतर्विष्ट करता है।

2. तथापि, अधिनियम की धारा 94 की उपधार (8) के चालू उपबंध प्रतिभूतियों की दशा में की गई बोनस अपखंडन को लागू नहीं होते हैं। यह अवसंरचना विनिधान न्यास या भू संपदा विनिधान न्यास या अनुकल्पी विनिधान निधि की इकाईयों पर भी लागू नहीं होता है, जैसे कि मद 'इकाई' की परिभाषा अवसंरचना विनिधान न्यास ; भू-संपदा विनिधान न्यास से संबंधित उपबंधों के पुनः स्थापन के तत्पश्चात.

उपांतरित नहीं हुई है। और, अधिनियम की धारा 94 की उपधारा (7) के चालू उपबंध, जो कि लाभांश अपखंडन से संबंधित उपबंध हैं, नए पूलित विनिधान यानों की इकाइयों जैसे अवसंरचना विनिधान न्यास या भू-संपदा विनिधान न्यास या अनुकल्पी विनिधान न्यास को लागू नहीं होते हैं।

3. उपरोक्त की दृष्टि से, बोनस अपखंडन के माध्यम से कर उपबंधन के निवारण से संबंधित धार 94 की उपधारा (8) का संशोधन प्रास्तावित है, जिससे कि उक्त उपबंध प्रतिभूतियों को भी लागू किया जा सके।

4. उक्त धारा के सपष्टीकरण का संशोधन कर इकाई की परिभाषा को उपांतरित करना प्रस्तावित है जिससे कि इकाई की परिभाषा में अवसंरचना विनिधान न्यास, भू-संपदा विनिधान न्यास तथा अनुकल्पी विनिधान निधि जैसे कारबार न्यासों की इकाइयों को सम्मिलित किया जा सके।

5. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-24 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 25]

(ड) राजस्व को गतिशील करना

विर्चुअल डिजिटल आस्तियों की लिए स्कीम

वर्तमान में विर्चुअल डिजिटल आस्तियों ने अत्याधिक लोकप्रियता प्राप्त की है और ऐसी डिजिटल आस्तियों में व्यापार की मात्रा के पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, एक ऐसा बाजार उभर रहा है जहां किसी विर्चुअल डिजिटल आस्ति के अंतरण के लिए संदाय ऐसी किसी अन्य आस्ति के माध्यम से किया जा सकता है। तदनुसार, ऐसी विर्चुअल डिजिटल आस्तियों के कराधान हेतु उपबंध करने के लिए विधेयक में एक नई स्कीम प्रस्तावित की गई है।

2. प्रस्तावित धारा 115खखज यह उपबंध करने के लिए है कि जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में किसी विर्चुअल डिजिटल आस्ति के अंतरण से हुई आय सम्मिलित है, तो संदेय आय-कर का योग किसी विर्चुअल डिजिटल आस्ति के अंतरण से हुई आय पर 30 प्रतिशत की दर पर संगणित आय-कर की रकम होगी और आय-कर की रकम जो निर्धारिती पर प्रभार्य होती यदि निर्धारिती की कुल आय विर्चुअल डिजिटल आस्ति के अंतरण से हुई संकलित आय द्वारा कम की गई होती।

2.1 तथापि, निर्धारिती को ऐसी आस्ति के अंतरण से हुई आय की संगणना करते समय अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किसी व्यय (अर्जन की लागत से भिन्न) या मोक या किसी हानी का मुजरा की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

2.2 इसके अतिरिक्त, विर्चुअल डिजिटल आस्ति के अंतरण से उद्भूत किसी हानि का मुजरा अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन संगणित किसी आय के विरुद्ध अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और ऐसी हानि को पश्चात्कर्ती निर्धारण वर्षों के लिए अग्रेषित किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

2.3 यह संशोधन 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और निर्धारण वर्ष 2023-24 और तदनुसार पश्चात्कर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

3. इसके अतिरिक्त, इन आस्तियों के संबंध में किए गए संव्यवहारों से कर आधार को विस्तृत करने के लिए, किसी निवासी को विर्चुअल डिजिटल आस्ति के अंतरण के लिए संदाय पर ऐसी राशि के एक प्रतिशत की दर पर कर की कटौती करने हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियम में धारा 194 ध अंतःस्थापित करना प्रस्तावित है। तथापि, यदि ऐसे अंतरण के लिए संदाय-

(i) पूर्णतः वस्तु रूप में या एक अन्य विर्चुअल डिजिटल आस्ति के विनिमय में है जहां कोई भाग नकद नहीं है, या

(ii) भागतः नकद है और भागतः वस्तु रूप में है किंतु नकद भाग ऐसे संपूर्ण अंतरण के संबंध में कर की कटौती के दायित्व की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है,

तो ऐसा व्यक्ति संदाय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे प्रतिफल से संबंध में कर का संदाय कर दिया गया है।

3.1 विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की दशा में, धरा 203क और 206कख के उपबंध लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, किसी कर की कटौती नहीं की जाएगी यदि संदायकर्ता विनिर्दिष्ट व्यक्ति है और किसी निवासी के प्रतिफल का मूल्य या संकलित मूल्य वित्तीय वर्ष के दौरान पचास हजार रूपए से कम है। किसी अन्य दशा में, उक्त सीमा वित्तीय वर्ष के दौरान दस हजार रूपए किया जाना प्रस्तावित है।

3.2 यह भी उपबंध किया जाता है कि यदि कर की धारा 194ध के अधीन कटौती की गई है तो कर की अधिनियम के अध्याय XVII के किसी अन्य उपबंध के अधीन उक्त लेनदेन की बाबत संग्रह या कटौती नहीं की जाती है।

3.3 इसके अलावा, किसी विर्चुअल डिजिटल के स्थानांतरण किसी संदत्त धनराशि किसी खाते में जमा की जाती है, क्या "निलंबन खाता" या किसी अन्य नाम से नामित है, व्यक्ति के खाते में ऐसी राशि संदाय करने दायित्व ऐसी जमा राशि को संदायकर्ता के खाते में ऐसी राशि जमा की गई समझाी जाएगी और तदनुसार धारा 194ध के उपबंधों लागू होंगे।

3.4 मार्गदर्शन जारी किए जाने के लिए, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमोदन से, उक्त धारा के उपबंधों को प्रभाव देने में किसी उद्भूत कठिनाई को दूर करने और किसी बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रत्येक ऐसे मार्गदर्शक प्रत्येक संसद के समझ रखे जाएंगे, और आयकर प्राधिकारी पर बाधन रहेगा और ऐसी विर्चुअल डिजिटल संपत्ति स्थांतरण पर प्रतिफल का संदाय करने के लिए उत्तरदायित्व व्यक्ति पर बाध्य होगा।

3.5 यह भी उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है कि स्थांतरण के मामले में जहां कर प्रस्तावित धारा 194ध के साथ प्रस्तावित धारा 194ण के अधीन कटौती योग्य है। तत्पश्चात् कर की 194ध के अधीन कटौती की जाएगी और न कि धारा 194ण के अधीन।

3.6 उक्त धारा के प्रयोजन के लिए, यह उपबंध प्रस्तावित किए जाने का है कि "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" से अभिप्रेत कोई व्यक्ति :-

(i) कोई व्यक्तिगत या हिंदू अविभक्त कुटुंब होने के नाते जिनमें कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या लेख जोखा, उनके द्वारा प्रयुक्त करते हुए व्यवसाय या उनके द्वारा चलाए जा रहे कारबार से व्यवसाय के मामले में पचास लाख रूपए या कारबार के मामले में एक करोड़ रूपए से अधिक नहीं होता है, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष तुरंत वित्तीय वर्ष के दौरान जिसमें ऐसी वर्चुअल डिजीटल संपत्ति हस्तारित की जाती है;

(ii) कोई व्यक्तिगत या हिंदू अविभक्त कुटुंब होने के नाते किसी अन्य शीर्षक के अधीन आय लेते हुए तत्पश्चात् कारबार या व्यवसाय के लाभ और प्राप्ति के शीर्षक।

3.7 यह संशोधन 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी होगा।

4. आगे, वर्चुअल डिजीटल संपत्ति को दान करते हुए कर के उपबंध उद्देश्य से, इसमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (भ) के स्पष्टीकरण में संशोधन का प्रस्ताव भी है, यह उपबंध करती है कि उक्त खंड के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त संपत्ति वर्चुअल डिजीटल संपत्ति और खंड (vii) का स्पष्टीकरण में इसके लिए समनुदेशित अर्थ होगा।

4.1 यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष के लिए 2023-24 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष के लिए लागू होगा।

5. "वर्चुअल डिजीटल संपत्ति" के निबंधन को परिभाषित करने के लिए, एक नया खंड (47क) अधिनियम की धारा 2 को अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित नए खंड के अनुसार, वर्चुअल डिजीटल संपत्ति का अर्थ किसी सूचना या कोड या संस्था या टोकन (भारतीय मुद्रा या कोई विदेशी मुद्रा न होना) से है जो, किसी नाम से जाना जाए मूल्य के डिजीटल अनुमावेदन क्रिप्टोग्राफिक साधन य अन्यथा के माध्यम से संवर्धित उपबंध करता है जिसमें विनिमय के साथ या प्रतिफल के बिना, वादे के साथ या निहित मूल्य के अभ्यावेदन या खाते की यूनिट या मूल्य के स्टोर के रूप में कृत्य और जिसमें कोई वित्तीय हस्तांतरण या विनिधान के प्रयोग में है किंतु विनिधान की सीमित नहीं है और हस्तानांतरण, स्टोर या इलेक्ट्रॉनिकल रूप से व्यापार किया जा सकता है। इस प्रकृति के गैर-विनियम टोकन और इसी प्रकृति के अन्य टोकन परिभाषा में सम्मिलित है।

5.1 केंद्रीय सरकार कोई अन्य वर्चुअल संपत्ति और शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा वर्चुअल डिजिटल संपत्ति गैर-विनियम टोकन से केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित डिजिटल आस्तियां अभिप्रेत है। आगे केंद्रीय सरकार ऐसी संपत्ति को अधिसूचित कर सकती है जिसको प्रस्तावित धारा के प्रयोजन के लिए वर्चुअल संपत्ति के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।

5.2 यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा।

[खंड 3, 16, 28 और 59]

धारा 115खखघ के अधीन लाभांश आय पर कराधेय की रियायती दरों का वापिस लिया जाना

अधिनियम की धारा 115खखघ उस भारतीय कंपनी को, जो विदेशी कंपनी से जिसमें उक्त भारतीय कंपनी 26% या अधिक नॉमिनल मूल्य के इक्वटी शेयर धारित करती है, लाभांश आय प्राप्त करने पर रियायती दर पर 15% कर उपबंधित करती है (विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनी) यह दर अधिनियम की धारा 115-ण के अधीन उपबंधित कर की दर के साथ संरेखित की गई थी।

2. वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा धारा 115-ण में उपबंधित लाभांश वितरण कर का उत्सादन किया गया, अन्य बातों के साथ उपबंध करता है कि लाभांश पर शेयरधारकों के पास लागू दरों के साथ अधिभार तथा उपकर पर कर लगाया जाएगा।

3. भारतीय कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनियों से प्राप्त लाभांश के मुकाबले में देशीय कंपनियों से प्राप्त लाभांश की दशा में कर विवेचन में समतुल्यता उपबंध करने के लिए, अधिनियम की धारा 115खखघ का संशोधन प्रस्तावित है ताकि इस धारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2023 को या के पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष को लागू नहीं होंगे।

4. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-24 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगी।

[खंड 27]

(च) छूटों को समाप्त करना

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (8), (8क), (8ख) तथा खंड (9) के अधीन छूट का वापिस लिया जाना -

अधिनियम की धारा 10 के खंड (8), किसी सहकारी तकनीकी सहायक कार्यक्रम तथा परियोजना के साथ संबंधित किसी व्यष्टि जिसे भारत में कर्तव्य समनुदेशित किए गए हैं कि आय को छूट उपबंधित करता है। ऐसे सहकारी तकनीकी सहायक कार्यक्रम तिा परियोजनाएं, केंद्रीय सरकार और विदेशी राज्य की सरकार

द्वारा प्रविष्ट किसी करार के अनुसरण में अपेक्षित है (इसके निबंधन इस खंड द्वारा दी गई छूट का उपबंध करते हैं)

2. छूट दोनों (i) ऐसे कर्तव्यों के लिए विदेशी राज्य से व्यष्टि द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक और (ii) ऐसी अन्य आय जो भारत के बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत हुई है का उपबंध करने के लिए है। (जिसे भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई नहीं समझा गया है), जिसके संबंध में व्यष्टि से विदेशी राज्य सरकार को किसी आय या सामाजिक सुरक्षा कर संदेय करना अपेक्षित है।

3. उक्त धारा का खंड (8क), अभिकरण तथा विदेशी राज्य सरकार के बीच में एक तकनीकी सहायक अनुदान करार के अधीन किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन (अभिकरण) को उपलब्ध करवाई गई निधि में से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, परामर्शी द्वारा प्राप्त किए गए पारिश्रमिक या फीस पर छूट, उपबंधित करता है। उक्त खंड ऐसे परामर्शी के संबंध में भारत से बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत किसी आय को छूट का भी उपबंध भी करता है (जिसे भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुआ नहीं समझा जाएगा), जिसके संबंध में परामर्शी से उसके या उसकी मूल देश की सरकार को आय या सामाजिक कर संदेय करना अपेक्षित है।

4. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यदि परामर्शी कोई व्यष्टि है तो वह एक विदेशी नागरिक होना चाहिए या वह भारतीय नागरिक है तो उस दशा में भारत का वह एक साधारण निवासी नहीं होना चाहिए। यदि परामर्शी कोई व्यष्टि नहीं है; तो ऐसे व्यक्ति का अनिवासी होना अपेक्षित है।

5. परामर्शी, किसी तकनीकी सहायक कार्यक्रम या परियोजना के साथ संबंधित भारत में तकनीकी सेवाओं को देने के लिए अभिकरण द्वारा रखा जाना चाहिए। ऐसे तकनीकी करार कार्यक्रम या परियोजनाएं, केंद्रीय सरकार तथा अभिकरण द्वारा किए गए किसी करार के अनुसरण में होने अपेक्षित हैं तथा परामर्शी को रखे जाने से संबंधित करार, विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है।

6. उक्त धारा का खंड (8ख), उस व्यष्टि को जो धारा के खंड (8क) में यथानिर्दिष्ट परामर्शी का कर्मचारी है, छूट के लिए उपबंध करता है। ऐसे व्यक्ति, वह है जिन्हें किसी तकनीकी सहायक कार्यक्रम तथा परियोजना के संबंध में भारत में कर्तव्य समनुदेशित किए गए हैं। ये तकनीकी सहायक कार्यक्रम तथा परियोजनाएं, केंद्रीय सरकार तथा अभिकरण द्वारा प्रविष्ट किए गए किसी करार के अनुसरण में अपेक्षित है।

7. धारा 10 के खंड (8क) में निर्दिष्ट किसी परामर्शी से ऐसे कर्तव्यों के लिए ऐसे व्यष्टि द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्राप्त पारिश्रमिक को छूट उपबंधित की जाती है। भारत से बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत किसी आय को भी छूट उपबंधित की जाती है (जिसे भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुआ नहीं समझा जाएगा), जिसके संबंध में व्यष्टि को उसके मूल देश को आय या सामाजिक कर संदेय करना अपेक्षित है।

8. व्यष्टि, परामर्शी का कर्मचारी होना चाहिए। वह विदेशी नागरिक हो सकता है या यदि वह भारतीय नागरिक है, वह भारत में साधारणतया निवासी नहीं है। यह भी अपेक्षित है कि कर्मचारी की सेवा की संविदा उसकी सेवा प्रारंभ होने से पूर्व विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो।

9. उक्त धारा का खंड (9), उस व्यक्ति या परामर्शी के परिवार के सदस्य जो ऐसे व्यक्ति या परामर्शी के साथ भारत में आए हैं; खंड (8), खंड(8क) तथा खंड (8ख) में यथानिर्दिष्ट आय को छूट का उपबंध करता है। छूट भारत के बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत आय को उपबंधित की जाती है (जिसे भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुआ नहीं समझा जाएगा), जिसके संबंध में, ऐसे सदस्य के मूल विदेशी राज्य या देश की सरकार को कोई आय या समाजिक कर संदेय करना, ऐसे सदस्य से अपेक्षित है।

10. उपलिखित खंडों के अधीन उपबंधित छूट, कर विधियों के सरलीकरण के काल में उनकी उपयोगित पूरी कर चुके हैं तथा जहां छूट तथा कर प्रोत्साहनों का सरकार की कथित नीति के विषय के रूप में प्रावस्थाबद्ध हटाया जा रहा है। आगे, यदि किसी कर संधि के अधीन, भारत को एक विशिष्ट आय को कर लगाने का अधिकार प्राप्त होता है तथा अन्य देश से छूट या प्रत्यय पद्धति द्वारा दोगुने कराधेय को छोड़ने की उम्मीद की जाती है, जिसमें भारत द्वारा किसी और देश के पक्ष में कराधेय अधिकार समर्पण की भारतीय रकम द्वारा छूट उपबंधित की जाए।

11. तदनुसार, अधिनियम की धारा 10 के खंड(8), खंड(8क), खंड(8ख) तथा (9) का संशोधन प्रस्तावित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, उससे सुसंगत पूर्व वर्ष पारिश्रमिक, फीस या आय को उक्त खंडों के उपबंध लागू नहीं होंगे।

12. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-24 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 4]

(छ) सुव्यवस्थीकरण उपाय

आयकर अधिनियम की धारा 248 के उपबंधों में संशोधन और नई धारा 239क के अंतःस्थापन

अधिनियम की धारा 248 यह उपबंध करती है कि जहां किसी करार अन्य व्यवस्था के अधीन धारा 195 के अधीन ब्याज से भिन्न किसी आय पर कटौती योग्य कर ऐसे व्यक्ति द्वारा वहन किया जाना वहां वह इस घोषणा के लिए आयुक्त(अपील) को कर सकेगा कि ऐसी आय पर कोई कर कटौती योग्य नहीं है। ऐसी अपील केंद्रीय खाते के क्रेडिट के लिए कटौती कर संदाय करने के बाद फाइल कर सकता है। आगे अधिनियम की धारा 249 यह अधिकथित करती है कि अधिनियम की धारा 248 के अधीन अपील सरकार खाते के लिए ऐसे कर का संदाय करने के 30 दिनों के भीतर फाइल करना चाहिए।

2. अधिनियम की धारा 248 के उपबंधों के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा कर कटौती और संदाय के प्रतिदाय को प्राप्त करने के लिए जहां यह कटौती योग्य नहीं था, वहां किसी करदाता के पास ऐसे अनुरोध को निर्धारण अधिकारी तक पहुंचाने का कोई साधन नहीं है। वह आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील फाइल करके

अपीली प्रक्रिया की शुरूआत आवश्यक रूप से करेगा। उसी समय पर करार या व्यवस्था जिसके अधीन कर की कटौती और संदाय की गई है, उसके द्वारा निर्धारिती अधिकारी को अभिलेख पर नहीं लाया गया है।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह उपबंध करने के लिए नई धारा 239क का अधिनियम में अंतःस्थापन किया जा सकता है किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश आयुक्त (अपील) के समझा अधीन योग्य होगा।

4. ऐसा व्यक्ति, यदि वह निर्धारण अधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं है, अधिनियम की धारा 246क के अधीन आयुक्त (अपील) के समक्ष ऐसा आदेश विरुद्ध में जाने के लिए तदनुसार, अधिनियम की धारा 248 के उपबंध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जहां स्रोत पर कर संदाय कटौती की तारीख, केंद्रीय सरकार को क्रेडिट करने के लिए है या 01.04.2022 के बाद।

5. ये संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगी।

[खंड 66, 68, 69]

अधिनियम की धारा 68 के अधीन रोकड जमा

अधिनियम की धारा 68 यह उपबंध करती है कि जहाँ कोई राशि किसी पूर्व वर्ष के लिए रखी गई निर्धारिती की पुस्तकों में जमा की गई पाई जाती है और निर्धारिती उसकी प्रकृति और स्रोत की बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में समाधानप्रद नहीं है, वहाँ इस प्रकार जमा की गई राशि निर्धारिती की उस पूर्व वर्ष की आय के रूप में आयकर से प्रभारित की जा सकेगी।

2. ऐसे जमा का संतोषप्रद स्पष्टीकरण देने का भार उस व्यक्ति पर होता है जिसकी पुस्तकों में ऐसी राशि जमा की गई पाई जाती है। यदि ऐसा व्यक्ति स्पष्टीकरण नहीं देता है या स्पष्टीकरण समाधानप्रद नहीं पाया जाता तब ऐसी धनराशि को उस व्यक्ति की कुल आय में जोड़ दिया जाता है। कतिपय न्यायिक निर्णयों ने सबूत के भार और इस धारा की आवश्यकता के बारे में संदेह पैदा किया है, विशेषतः जहाँ ऐसी धनराशि ऋण या उधार के रूप में जमा है।

3. यह देखा गया है कि यहां ऋण या उधार के द्वारा निर्धारिती की पुस्तकों में जमा द्वारा बेहिसाब धन के परिवर्तन की अनिष्टकर परिपाटी है।

4. वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा यह उपबंध किया गया था कि एक निकटतः धारित कंपनी की पुस्तकों में जमा किसी राशि की प्रकृति और स्रोत, जो कि शेयर आवेउन धन, शेयर पूंजी, शेयर प्रीमियम या किसी और नाम से कही जाने वाली रकम की प्रकृति की है, को जैसे स्पष्ट किया गया है वैसा ही माना जाएगा सिर्फ तब जब शेयर धारक के हाथों में निधि का स्रोत भी स्पष्ट किया गया हो। तथापि, ऋण या उधार

की दशा में, न्यायिक निर्णयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि लेखा बहियों में प्रत्यय का स्पष्टीकरण करने के लिए सिर्फ लेनदार की पहचान और विश्वसनीयता और संव्यवहार की मौलिकता पर्याप्त है, और भार का विस्तार शेयर धारक के हाथों में निधि के स्रोत को स्पष्ट करने तक नहीं होता।

5 अधिनियम की धारा 68 के उपबंधों के संशोधन का भी प्रस्ताव किया जाता है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारिती की पुस्तकों में जमा किसी राशि की प्रकृति और स्रोत, चाहे वह ऋण या उधार के रूप में हो, या किसी अन्य दायित्व के रूप में, को जैसा स्पष्ट किया गया है वैसा ही माना जाएगा सिर्फ तब जब लेनदान या प्रतिष्ठि प्रदाता के हाथों में निधि का स्रोत भी स्पष्ट किया गया हो। तथापि, लेनदार के हाथों में स्रोत का संतोषप्रद स्पष्ट करने के साबित करने का यह अतिरिक्त भार लागू नहीं होगा। यदि लेनदार एक सुविनियमित इकाई है अर्थात् सेबी से रजिस्ट्रीकृत एक जोखिम पूंजी निधि, जोखिम पूंजी कंपनी है।

6 यह संशोधन को 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-24 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 17]

अधिनियम के अध्याय 22 के अधीन अपराधों और अभियोजनों से संबंधित उपबंधों का संरेखण

अध्याय 20ग के अन्य उपबंधों के धारा 269पग/पड़/पठ 01.07.2022 से अनुप्रयोज्य की गई है। वित्त अधिनियम, 2002 के द्वारा धारा 269पत जोड़ी गई जिसमें यह उपबंध किया गया कि 01.07.2002 को या उसके पश्चात् प्रभावी किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण को या उसके संबंध में इस अध्याय के लागू नहीं होंगे।

परिणामस्वरूप धारा 276 कख के अधीन अभियोजन उपबंध सुसंगत नहीं है क्योंकि 20वर्ष से अधिक पहले अर्थात् 2002 के किए गए अपराधों के विरुद्ध अभियोजन आरंभ करना युक्तियुक्त समय के परे होगा।

2. चूंकि ऐसे मामलों में स्थावर संपत्ति का अंतरण अंतर्वलित होता है यह असंभाव्य नहीं है कि पूर्व में आरंभ किए गए अभियोजन मामले जबकि सुसंगत अपबंध अब तक प्रभावी थे, चल रहे हों। इसलिए इस धारा का अन्यथा के उपयोजन पर उद्भूत होने वाले किसी निर्वचन संबंधी मुद्दे के बिना तार्किक हल के लिए उन मामलों को ले जाने के लिए, अधिनियम के उपबंधों के साथ इसे संरेखित करने के लिए धारा 276कख को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिसे सीमांत खंड का उपबंध करके अनुप्रयोज्य बनाया गया है। अतः यह प्रस्तावित है कि 01.04.2022 को या उसके पश्चात् इस धारा के अधीन कोई नया अभियोजन की कार्यवाही आरंभ नहीं की जाएगी।

3. धारा 270ख अध्याय 12घ या 17ख के अधीन केंद्रीय सरकार जमा खाते में कर का संदाय करने में असफलता के लिए तीस मास से लेकर 7 वर्ष तक और जुर्माने के साथ अभियोजन का उपबंध करती है। इस धारा के अधीन कोई व्यक्ति निम्नलिखित में असफलता के लिए दायी होगा ;

- (क) अध्याय 17ख के उपबंधों के अधीन यथाअपेक्षित कर की कटौती जो स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित है, या पर कर की कटौती से संबंधित है, या
- (ख) कर का संदाय जो निम्नलिखित के द्वारा या उसके अधीन उपेक्षित है:
- i. धारा 115ण की उपधारा (2) या
 - ii. धारा 194ख का दूसरा परंतुक।

धारा 194ख 01.04.2000 से वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा संशोधित की गई जिसके द्वारा धारा के पहले परंतुक का लोप किया गया और वर्तमान में धारा में केवल एक परंतुक है। इसलिए धारा 276ख और 194ख के बीच अस्पष्टता से बचने के लिए धारा 276ख के खंड (ख) के उपखंड (ii) को "धारा 194ख का परंतुक" शब्द, अंकों और अक्षर से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।

इसी प्रकार के संशोधनों का धारा 271ग में प्रस्ताव किया गया है।

4. धारा 278क और 278कक स्रोत पर कर की कटौती के लिए अध्याय 17ख के अधीन केंद्रीय सरकार के जमा खाते में कर के संदाय में असफलता के लिए व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के साथ दंड से संबंधित है। तथा अध्याय 17खख के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण के संबंध में, स्रोत पर कर के संग्रहण में असफलता के लिए व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के साथ दंड का उपबंध करने के लिए समान उपबंध, धारा 278क और 278कक के अधीन नहीं है। इसलिए अपराधों की समान प्रकृति के कारण जो धारा 276ख और धारा 276खख के अधीन दंडनीय है; धारा 278क और 278कक के अधीन धारा 276खख सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

5. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 को प्रभावी होंगे।

[खंड 77, 79, 80, 82 और 83]

अधिनियम के अधीन पहचान विहिन स्कीमें

केंद्रीय सरकार ने अधिनियम के अधीन तकनीकी रूप से साक्ष्य सीमा तक विभाग और करदाता के बीच व्यक्ति से व्यक्ति अंतर्प्रष्ठ हटाकर, इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया बनाने के लिए और संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग तथा गतिशील अधिकारिता के साथ टीम आधारित निर्धारण का उपबंध करने के लिए कई उपाए किए हैं। करदाताओं और अर्थव्यवस्था के फायदे के लिए प्रत्यक्ष कर प्रशासन के क्षेत्र में कई भविष्यलक्षी सुधारों की श्रृंखला आरंभ की गई है। यह इलैक्ट्रानिक ढंग से, जिसमें करदाताओं और कर पदधारियों के बीच कोई मानव अंतर्प्रस्त अंतर्वलित नहीं है, पहचान विहिन निर्धारण से आरंभ हुआ। अधिनियम में क्रमिक रीति में पहचान विहिन प्रक्रियाएं आरंभ की जा रही है।

2. कर प्रशासन को पारदर्शी और प्रभावी बनाने की इस प्रक्रिया के भाग के रूप में धारा 92गक, 144ग, 253 और धारा 264क के अधीन पहचान विहिन स्कीमों को अधिसूचित करने के लिए उपबंध अधिनियम में 01.11.2020 से कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन)

अधिनियम, 2020 आरंभ किया गया तथा धारा 155 के अधीन 01.04.2021 से वित्त अधिनियम, 2021 के माध्यम से अंतःस्थापित किया गया ;

क्रम सं.	धारा	स्कीम	परिसीमा की तारीख
1	92 गक	सन्निकट कीमत का पहचान विहिन अवधारण	31 मार्च, 2022
2	144ग	पहचान विहिन विवाद समाधान पैनल	31 मार्च, 2022
3	253	अपील अधिकरण का पहचान विहिन अपील	31 मार्च, 2022
4	255	अपील अधिकरण पहचान विहिन प्रक्रिया	31 मार्च, 2023

3. धारा 92गक और धारा 144ग सैधांतिक रूप से अंतरण कीमत कृत्य तथ्यों अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित है जो वर्तमान में पहचान विहिन व्यवस्था से बाहर है। इन दो कृत्यों के लिए नई स्कीमें निर्धारण कृत्य का एक भाग है और वह और उन्हें पहचान विहिन निर्धारण प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए जिसमें कतिपय उपांतरण प्रस्तावित है जिनका सूचना प्रौद्योगिकी संरचना पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस समय अधिसूचना के परिणामस्वरूप प्रणाली के स्थिरीकरण में विलंब होगा।

4. धारा 255 के अधीन स्कीम की अधिसूचना के लिए अधिनियम की धारा 195 तथा दंड प्रक्रिया 1898 के अध्याय 35 के सभी प्रयोजनों के लिए अपील अधिकरण सिविल न्यायालय समझा जाएगा। इसलिए ऐसी निकाय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाओं को शासित करने वाली स्कीम को विधि और न्याय मंत्रालय के साथ समयक परामर्श करने के पश्चात् विरचित किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार धारा 253 के अधीन स्कीम को धारा 255 के अधीन स्कीम का अनुसरण करना पड़ेगा।

5. उपरोक्त परिसीमाओं के आलोक में धारा 92गक, 144क, 253 और 255 इन धाराओं के प्रयोजन के लिए निदेश जारी करने के लिए तारीख 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

6. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।

[खंड 24, 43, 70 और 71]

अधिनियम की धारा 144ख के अधीन पहचान विहिन निर्धारण में संशोधन

केंद्रीय सरकार ने अधिनियम के अधीन तकनीकी रूप से सुकर बनाने, और संसाधनों का निम्नतम उपयोग और गतिशील क्षेत्राधिकारिता के साथ टीम आधारित निर्धारण के विस्तार तक कर दाता और विभाग के बीच एक व्यक्ति के आमने सामने होने को विलुप्त करके प्रक्रिया को इलैक्ट्रोनिक बनाने के लिए अनेक उपाए किए हैं। इस नीति के भाग के रूप में कराधान और अन्य विधि (शिथिलकरण और कतिपय उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा अधिनियम में धारा 144 ख अंतःस्थापित की गई थी जिससे 01.04.2021 से प्रभावी पहचानविहिन निर्धारण की प्रक्रिया और पहचानविहिन निर्धारण स्कीम, 2019 की उस तारीख से प्रवर्तन को समाप्त किया जा सके।

2. तथापि, पहचान विहिन निर्धारण प्रक्रिया के प्रवर्तन में प्रशासन और करदाताओं द्वारा विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि अधिनियम की धारा 144ख क विद्यमान उपबंधों को उक्त धारा के कार्यान्वयन में सामना की जा रही विभिन्न विधिक और प्रक्रियात्मक कठिनाइयों का समाधान करने के लिए पहचानविहिन निर्धारण की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए संशोधित किया जाए।

3. इसलिए, अधिनियम की धारा 144ख को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि

(क) प्रस्तावित धारा के उपबंध अधिनियम की, यथास्थिति धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन या धारा 144 के अधीन या धारा 147 के अधीन पहचानविहिन निर्धारण, पुनः निर्धारण या पुनः संगणना के लिए उसमें विनिर्दिष्ट मामलों में लागू होंगे।

(ख) राष्ट्रीय पहचानविहिन निर्धारण केंद्र, चयनित मामलों को स्वचालित आबंटन प्रक्रिया के माध्यम से, किसी विनिर्दिष्ट निर्धारण इकाई को सौंपेगा और निर्धारितों को सूचित करेगा कि उसके मामले के निर्धारण प्रस्तावित धारा में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण होगा।

(ग) धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन सूचना, राष्ट्रीय पहचानविहिन निर्धारण केंद्र के माध्यम से निर्धारिती पर सूचना की तामील की जाएगी। निर्धारिती, धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन, इस संबंध में ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर, राष्ट्रीय पहचानविहिन निर्धारण केंद्र को अपना प्रत्युत्तर फाइल कर सकेगा, जो निर्धारण इकाई को उत्तर अग्रेषित करेगा।

(घ) इसके पश्चात्, निर्धारण इकाई, राष्ट्रीय पहचानविहिन निर्धारण केंद्र के माध्यम से, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से, ऐसी और जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, अभिप्रास करने का, सत्यापन इकाई द्वारा जांच या सत्यापन करने का, और तकनीकी इकाई से, सन्निकट मूल्य के अवधारण, संपत्ति के मूल्यांकन, रजिस्ट्रीकरण वापस लेने, अनुमोदन, तकनीकी इकाई को निर्दिष्ट करके छूट या अन्य तकनीकी सामग्री के संबंध में, तकनीकी सहायता प्राप्त करने का, अनुरोध कर सकेगी और अनुरोध स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान विहिन निर्धारण केंद्र द्वारा तकनीकी इकाई को सौंपा जाएगा।

(ङ) यथास्थिति, निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति, सूचना का प्रत्युत्तर, उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे समय के भीतर, जो इस संबंध में आवेदन के आधार पर विस्तारित किया जाए, राष्ट्रीय पहचानविहिन निर्धारण केंद्र को फाइल करेगा, जो निर्धारण इकाई को उत्तर अग्रेषित करेगा। यदि निर्धारिती, तामील की गई सूचना या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना या धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई सूचना के निबंधनों का पालन करने में असफल रहता है, वहां राष्ट्रीय पहचानविहिन निर्धारण केंद्र, ऐसी असफलता को निर्धारण इकाई को सूचित करेगा।

सूचना की प्राप्ति पर, निर्धारण इकाई, ऐसे निर्धारिती को, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र के माध्यम से धारा 144 के अधीन, उस सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर हेतुक दर्शित करने का अवसर देते हुए, सूचना की तामील करेगा कि उसके मामले मामले में उसके सर्वोत्तम विवेकानुसार निर्धारण पूरा क्यों नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, सत्यापन इकाई या तकनीकी इकाई से प्राप्त कोई रिपोर्ट निर्धारण इकाई को भेजेगा।

(च) निर्धारिती, अधिनियम की धारा 144 के अधीन कारण बताओ सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, सूचना का अपना प्रत्युत्तर राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को फाइल करेगा, जो उसे निर्धारण इकाई को अग्रेषित करेगा। यदि निर्धारिती, प्रत्युत्तर फाइल करने में असफल रहता है, तो राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, ऐसी असफलता निर्धारण इकाई को सूचित करेगा।

(छ) निर्धारण इकाई, अभिलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात् लिखित में, एक आय या हानि अवधारण प्रस्ताव तैयार करेगी, जहां निर्धारिती पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं किया जाता और ऐसे आय और हानि अवधारण प्रस्ताव की एक प्रति राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को भेजेगा, या किसी अन्य दशा में, निर्धारिती की आय के लिए प्रस्तावित निर्धारिती के हित के प्रतिकूल परिवर्तनों का कथन करने वाली कारण बताओ सूचना तैयार करेगी और उसे यह प्रस्तुत करने के लिए कहेगी कि प्रस्तावित परिवर्तन क्यों नहीं किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र के माध्यम से, निर्धारिती को ऐसी कारण बताओ सूचना की तामील करेगी।

(ज) निर्धारिती, उसकी आय में किए जाने के लिए प्रस्तावित परिवर्तनों का कथन करते हुए कारण बताओ सूचना का उत्तर, ऐसी सूचना में यथा विनिर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को फाइल करेगा, जो निर्धारण इकाई को उत्तर अग्रेषित करेगा। यदि निर्धारिती, प्रत्युत्तर फाइल करने में असफल रहता है, तो राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, ऐसी असफलता निर्धारण इकाई को सूचित करेगा।

(झ) निर्धारण इकाई, प्राप्त प्रत्युत्तर पर विचार करने के पश्चात् या सूचना की प्राप्ति के पश्चात् और अभिलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करने पर, एक आय या हानि अवधारण प्रस्ताव तैयार करेगी, जो ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन करेगी, पुनर्विलोकन रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे, स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को भेजेगी।

(ञ) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, पुनर्विलोकन इकाई से प्राप्त पुनर्विलोकन रिपोर्ट को, निर्धारण इकाई को अग्रेषित करेगा, जिसने आय या हानि अवधारण प्रस्ताव प्रस्तावित किया था। निर्धारण इकाई, ऐसी पुनर्विलोकन रिपोर्ट में प्रस्तावित कुछ या सभी उपांतरणों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकेगी, तदनुसार एक प्रारूप आदेश तैयार करेगी और इसे राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को भेजेगी।

निर्धारण इकाई, लिखित में कारण अभिलिखित करेगी, यदि वह पुनर्विलोकन इकाई द्वारा प्रस्तावित उपांतरणों को अस्वीकृत करती है।

(ट) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, धारा 144ग के अधीन पात्र निर्धारिती की दशा में, प्रारूप आदेश की प्राप्ति पर, विवाद समाधान पैनल के निर्देश के लिए, धारा 144ग की उपधारा (1) के अधीन ऐसा प्रारूप आदेश पारित करने के लिए निर्धारण इकाई को सूचित करेगा और किसी अन्य दशा में, ऐसे प्रारूप आदेश के अनुसार निर्धारण पूर्ण करने के लिए निर्धारण इकाई को सूचित करेगा और शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों, आरंभ करेगा तथा इसे राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को भेजेगा। राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, मांग सूचना से साथ, ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती को उसके द्वारा संदेय या उसे शोधय किसी रकम के प्रतिदाय को विनिर्दिष्ट करते हुए, मांग सूचना के साथ, निर्धारिती को शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों, आरंभ करने के लिए ऐसे आदेश और सूचना कि एक प्रति तामील करेगा।

(ठ) धारा 144ग में निर्दिष्ट पात्र निर्धारिती उस पर उपरोक्त विनिर्दिष्ट यथा तामील प्रारूप आदेश की प्राप्ति पर, ऐसे प्रारूप आदेश पर प्रस्तावित परिवर्तनों की उसकी स्वीकृति फाइल करेगा या ऐसे परिवर्तनों के प्रति आक्षेप, यदि कोई हों, विवाद समाधान पैनल और राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र के समझ उक्त धारा की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर फाइल करेगा।

(ड) प्रारूप आदेश में प्रस्तावित परिवर्तनों को निर्धारिती द्वारा स्वीकार किए जाने या धारा 144ग की उपधारा (2) में दिए गए समय के भीतर आक्षेप नहीं किए जाने की दशा में, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, उसकी सूचना निर्धारण इकाई को देगा, जो धारा 144ग की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर, सुसंगत प्रारूप आदेश के अनुसार निर्धारण करेगी और शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हो, आरंभ करेगी और आदेश को राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को भेजेगी।

(ढ) जहां पात्र निर्धारिती, अपने मामले में विवाद समाधान पैनल के समक्ष आक्षेप फाइल करता है, तो राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, फाईल किए गए आक्षेपों की एक प्रति के साथ ऐसी सूचना निर्धारण इकाई को भेजेगा। राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी निदेशों की प्राप्ति पर, ऐसे निदेश निर्धारण इकाई को अग्रेषित करेगा। निर्धारण इकाई, विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी निदेशों के अनुरूप, धारा 144ग की उपधारा (13) में अनुज्ञात समय के भीतर निर्धारण पूर्ण करेगा और शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों, आरंभ करेगी और ऐसे आदेश की एक प्रति राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को भेजेगी।

(ण) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, अंतिम निर्धारण आदेश की प्राप्ति पर, और शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों, आरंभ करने के लिए धारा 144ग के अधीन या अन्य मामलों में पात्र निर्धारिती को, उसके द्वारा संदेय या उसे शोधय किसी रकम के प्रतिदाय को विनिर्दिष्ट करते हुए, मांग

सूचना के साथ, निर्धारिती को शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों, आरंभ करने के लिए ऐसे आदेश और सूचना की एक प्रति तामील करेगा। राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, निर्धारण पूर्ण होने के पश्चात् ऐसी कार्रवाई के लिए, जो आयकर अधिनियम के अधीन अपेक्षित हो, उक्त मामले में अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को, उस मामले का संपूर्ण इलैक्ट्रानिक अभिलेख अंतरित करेगा,

(त) प्रस्तावित खंड यह भी उपबंध करता है कि पहचानविहीन निर्धारण, ऐसे राज्य क्षेत्रीय या व्यक्तियों के वर्ग या आय या आय के वर्ग या मामलों या मामलों के वर्ग, जैसे बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संबंध में कया जाएगा।

(थ) प्रस्तावित खंड यह भी उपबंध करता है कि बोर्ड, पहचानविहीन निर्धारण करके के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित केंद्र और इकाईयां स्थापित कर सकेगा और उनकी अधिकारिता विनिर्दिष्ट कर सकेगा, अर्थात्, -

(i) केंद्रीयकृत रीति में पहचानविहीन निर्धारण कार्यवाहियों करने को सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र;

(ii) उतनी निर्धारण इकाईयां, एयू के रूप में निर्दिष्ट जितनी वह पहचानविहीन निर्धारण करने को, निर्धारण करने संबंधी, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन (प्रतिदाय सहित) किसी दायित्व के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण विषय बिन्दुओं या सामग्री की पहचान भी है, कृत्य का पालन करने, इस प्रकार पहचाने गए विषय बिन्दुओं या विवाघकों पर जानकारी या स्पष्टीकरण की ईप्सा करनक, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई सामग्र का विशलेषण करने के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो, करने के लिए आवश्यक समझे; और इस धारा में जहां कहीं प्रयुक्त "निर्धारण इकाई" यह किसी ऐसे निर्धारण अधिकारी को निर्दिष्ट करेगा जिसके पास उस विस्तार तक शक्तियां है जो बोर्ड द्वारा निहित है

(iii) उतनी सत्यापन इकाईयां वीयू के रूप में निर्दिष्ट जितनी वह पहचानविहीन निर्धारण करने, सत्यापन संबंधी कृत्यों का पालन करने, जिसके अंतर्गत जांच, प्रतिस्त्यापन, लेखा बहियों की परीक्षा, साक्षियों की परीक्षा और कथनों का अभिलेखन भी है, को सुकर बनाने तथा ऐसे अन्य कृत्यों को, जो सत्यापन के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो, करने हेतु आवश्यक समझे; और इस धारा में जहां कहीं प्रयुक्त "निर्धारण इकाई" यह किसी ऐसे निर्धारण अधिकारी को निर्दिष्ट करेगा जिसके पास उस विस्तार तक शक्तियां है जो बोर्ड द्वारा निहित है;

इसके अतिरिक्त सत्यापन इकाई का कार्य इस अधिनियम के उपबंधों या अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिसूचित अधीन स्थापित किसी अन्य पहचान विहीन केंद्र में अवस्थित किसी सत्यापन इकाई द्वारा भी निष्पादित किया जा सकेगा और ऐसी सत्यापन इकाई को सत्यापन के लिए अनुरोध राष्ट्रीय पहचान विहीन केंद्र के माध्यम से भी निहित किया जा सकेगा।

(iv) उतनी तकनीकी इकाईयां टीयू के रूप में निर्दिष्ट जितनी वह पहचानविहीन निर्धारण करने को सुकर बनाने के लिए, तकनीकी सहायता उपबलध कराने संबंधी कृत्यों के पालन को

आवश्यक समझे, जिसके अंतर्गत विधिक, लेखांकन, न्याय संबंधी सूचना प्रौद्योगिकी, मूल्यांकन अंतरण कीमत, डाटा विश्लेषण विज्ञान, प्रबंधन या कोई अन्य ऐसे तकनीकी विषय पर सहयोग या परामर्श, जो इस अधिनियम धारा के अधीन या धारा 90 या धारा 90 क के अधीन किये गये करार के अधीन किसी विशिष्ट मामले या मामलों के वर्ग के लिए अपेक्षित हो, भी है, और इस धारा में जहां कहीं प्रयुक्त "निर्धारण इकाई" यह किसी ऐसे निर्धारण अधिकारी को निर्दिष्ट करेगा जिसके पास उस विस्तार तक शक्तियां हैं जो बोर्ड द्वारा निहित हैं;

(v) उतनी पुनर्विलोकन इकाईयां (आर यू के रूप में निर्दिष्ट) जितनी वह पहचानविहीन निर्धारण करने को सुकर बनाने के लिए, उपधारा (1) के खंड (xix) के उपखंड (ख) के अधीन सौंपे गए आय अवधारण प्रस्ताव के पुनर्विलोकन के कृत्य का पालन करने, जिसके अंतर्गत इस बात की जांच करना कि क्या अभिलेख पर सुसंगत और महत्वपूर्ण साक्ष्य लाया गया है, सुसंगत तथ्य और विधि के बिन्दुओं को सम्यक् रूप सम्मिलित किया गया है, ऐसे मुद्दों, जिन पर परिवर्धन या नामजूरी की जानी चाहिए, को सम्मिलित किया गया है, और ऐसे अन्य कृत्य, जो पुनर्विलोकन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों और इस धारा में जहां कहीं प्रयुक्त "निर्धारण इकाई" यह किसी ऐसे निर्धारण अधिकारी को निर्दिष्ट करेगा जिसके पास उस विस्तार तक शक्तियां हैं जो बोर्ड द्वारा निहित हैं;

(द) यह प्रस्ताव किया जाता है कि निर्धारण इकाई, सत्यापन इकाई, तकनीकी इकाई और पुनर्विलोकन इकाई के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :-

- (i) यथास्थिति, अपन आयुक्त उप निदेशक या संयुक्त आयुक्त संयुक्त निदेशक;
- (ii) यथास्थिति, उपायुक्त या उप निदेशक या सहायक आयुक्त या सहायक निदेशक या आय-कर अधिकारी;
- (iii) ऐसे अन्य आय-कर प्राधिकारी, अनुसचिवीय कर्मचारिवृंद, कार्यपालक या सलाहकार, जो बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाएं।

(ध) प्रस्तावित धारा यह भी उपबंध करती है कि निर्धारण इकाई, पुनर्विलोकन इकाई, सत्यापन इकाई या तकनीकी इकाई या निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, सूचना चा दस्तावेजों या साक्ष्य या किसी अन्य ऐसे व्यौरों के संबंध में सभी संसूचनाएं, जो पहचानविहीन निर्धारण केंद्र के माध्यम से होंगी, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र और निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य च्यक्ति के बीच सभी संसूचनाएं अनन्य रूप से इलैक्ट्रॉनिकी ढंग से होंगी, और पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, तथा विभिन्न इकाईयों के बीच सभी आंतरिक संसूचनाएं का विनिमय अन्यय रूप से इलैक्ट्रॉनिकी ढंग से होंगी। तथापि, इस उपधारा के उपबंध, सत्यापन इकाई द्वारा इस संबंध में बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में की गई जांच या सत्यापन को लागू नहीं होंगे।

(न) यह और प्रस्ताव है कि पहचानविहीन निर्धारण के प्रयोजनों के लिए, किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन पहचानविहीन निर्धारण केंद्र द्वारा इलैक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से किया जाएगा, यथास्थिति, निर्धारण इकाई या सत्यापन इकाई या तकनीकी इकाई या पुनर्विलोकन इकाई द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर चस्पा करके किया जाएगा और निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, उसके डिजिटल हस्ताक्षर चस्पा करके या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन या अभिहित पोर्टल में उसके रजिस्ट्रीकृत खाते में लॉग-इन करके किया जाएगा। ऐसे प्रेषिती को जो निर्धारिती है, प्रत्येक सूचना या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना, निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत पते पर उसकी अधिप्रमाणित प्रति को रखकर; या उसकी अधिप्रमाणित प्रति को निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर भेज कर; या निर्धारिती की मोबाइल ऐप पर अधिप्रमाणित प्रति को अपलोड करके, परिदत्त की जाएगी और उसके पश्चात समयोचित चेतावनी दी जाएगी;

(प) प्रस्तावित धारा यह और उपबंध करने के लिए है कि निर्धारिती, किसी सूचना या आदेश या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना का प्रत्युत्तर, अपने रजिस्ट्रीकृत खाते के माध्यम से देगा और एक बार पहचानविहीन निर्धारण केंद्र द्वारा उसकी प्रत्युत्तर के सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए जाने पर सृजित हैश परिणाम को अन्तर्विष्ट करते हुए, अभिस्वीकृति भेजे जाने पर, प्रत्युत्तर को अधिप्रमाणित किया गया समझा जाएगा। इलैक्ट्रानिकी अभिलेख के प्रेषण और प्राप्ति के समय और स्थान का अवधारण, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 13 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(फ) किसी व्यक्ति से, व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में इस उपधारा के अधीन स्थापित किसी इकाई के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ब) इसके अतिरिक्त यह प्रस्ताव है कि उस दशा में, जहां आय या हानि अवधारण प्रस्ताव या प्रारूप आदेश में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है और निर्धारिती को, ऐसा हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए सूचना की तामील करके अवसर प्रदान किया गया है कि ऐसे आय या हानि अवधारण प्रस्ताव के अनुसार निर्धारण क्यों नहीं पूरा किया जाना चाहिए, वहां, यथास्थिति, निर्धारिती या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई के अनुरोध कर सकेगा, जिससे वह सुसंगत इकाई में के आय-कर प्राधिकारी के समक्ष अपना मौखिक निवेदन या अपना मामला प्रस्तुत कर सके। जहां व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध प्राप्त हुआ है, वहां सुसंगत इकाई का आय-कर प्राधिकारी, पहचानविहीन निर्धारण केंद्र के माध्यम से ऐसी सुनवाई अनुज्ञात करेगा, जो अनन्य रूप से वीडियो कान्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से की जाएगी, जिसके अंतर्गत किसी ऐसे दूरसंचार अनुप्रयोग साफ्टवेयर का उपयोग भी है जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक, वीडियो कान्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी में सहायता करता है। निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति की कोई परीक्षा या कथन का अभिलेखन (धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण के अनुक्रम में अभिलिखित कथन से भिन्न) अनन्य रूप से, सुसंगत इकाई में के आय-कर प्राधिकारी द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनीके माध्यम से किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ऐसे किसी

दूरसंचार अनुप्रयोग साफ्टवेयर का उपयोग भी है, जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक, वीडियो कानफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी में सहायता करता है;

(भ) यह प्रस्ताव है कि बोर्ड, वीडियो कानफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी, जिसके अंतर्गत ऐसे किसी दूरसंचार अनुप्रयोग साफ्टवेयर का उपयोग भी है, वीडियो कानफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी में सहायता करता है, के लिए उपयुक्त सुविधाएं ऐसे स्थानों पर, जो आवश्यक हों, स्थापित करेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जासके कि निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति को, केवल इस विचारण के आधार पर कि ऐसे निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति की वीडियो कानफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी तक पहुंच नहीं है, पहचानविहीन निर्धारण की प्रसुविधा से इंकार न किया जा सके। राष्ट्रीय पहचानविहीन केंद्र में का भारसाधक, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक, बोर्ड के पूर्व अनुमोन से, स्वचालित और यांत्रिक वातावरण में, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र और स्थापित इकाई के प्रभावी कार्यकरण के लिए विनिर्दिष्ट रीति में मानक, प्रक्रियाएं और पद्धतियां अधिकथित करेगा।

(म) प्रस्तावित धारा में यह भी उपबंध करने की इप्सा की गई है कि यदि निर्धारण इकाई को उसके समक्ष कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर, लेखाओं की प्रकृति और जटिलता, लेखाओं की मात्रा, लेखाओं की शुद्धता के बारे में संदेहो, लेखाओं में संब्यवहारों की बारंबारता या निर्धारिती के कारबार क्रियाकलाप की विशिष्ट प्रकृति और राजस्व के हितो को ध्यान में रखतु हुए, यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित में अपने कारण खेलबद्ध करने के उपरांत मामले को, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को, यह उल्लेख करते हुए कि मामले में धारा 142 की उपधारा (2क) के उपबंधों का अवलंब लिया जाए, निर्दिष्ट कर सकेगा। राष्ट्रीय पहचानविहीन केंद्र में का भारसाधक, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक, बोर्ड द्वारा इस संबंध में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार यदि वह समुचित समझता है कि धारा 142 की उपधारा (2क) के उपबंधों का उस मामलों में अवलंब लिया जा सकेगा, निर्धारण इकाई से प्राप्त निर्देश उस मामले पर अधिकारिता रखने वाले प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को अग्रेषित करेगा और तदनुसार निर्धारण इकाई को सूचित करेगा। ऐसे मामले पर भी बोर्ड के अनुमोन से अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को अंतरण के लिए विचार किया जाएगा। जहां कोई निर्देश ऐसे मामले पर अधिकारिता रखने वाले प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया गया है, तो वह धारा 142 की उपधारा (2क) के उपबंधों का अवलंब लेने के लिए ऐसे मामले पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को निदेश देगा। तथापि, जहां ऐसा निर्देश उस मामले पर अधिकारिता रखने वाले प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को अग्रेषित नहीं किया गया है, तो निर्धारण इकाई प्रस्तावित धारा में अधिकारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारण पूर्ण करने की कार्यवाही करेगा।

(य) यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र के भारसाधक, यथास्थिति प्रधान मुख्य आयुक्त या महानिदेशक निर्धारण के किसी प्रक्रम पर यदि आवश्यक समझता है, (म) में निर्दिष्ट

मामले के अतिरिक्त ऐसे मामले पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से मामले को अंतरित कर सकेगा। प्रस्तावित धारा में प्रयुक्त इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड, निर्धारण इकाई, तकनीकी इकाई, सत्यापन इकाई, पुनःविलाकन इकाई इत्यादि जैसे पदों की परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।

(II) अधिनियम की धारा 144ख की उपधारा (9) में यह उपबंधित है कि निर्धारण कार्यवाहियां शून्य हो जाएंगी यदि इस धारा में वर्णित प्रक्रिया अनुसरण न किया गया हो। उक्त उपधारा में विधि द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अतिक्रमण को निर्दिष्ट किया गया है जबकि तकनीकी विवादको से अंतर्वलित सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण उद्भूत इस उपधारा के अधीन बहुत सारे विवाद उठाए गए हैं, जिनके परिणामस्वरूप अनावश्यक मुकदमेंबाजी हुई है। अतः इस उपधारा अर्थात् धारा 144ख की उपधारा (9) का इसके प्रारंभ की तारीख से लोप करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा।

(खंड 42)

तलाशी मामलों में हानि का मुजरा-अधिनियम की धारा 79क के उपबंधों का संशोधन-

अधिनियम का अध्याय 6, आय के संकलन तथा हानि के मुजरा या अग्रनयन के साथ व्यौहार करता है। अधिनियम की धारा 70 से धारा 80 में, विभिन्न शीर्षों तथा भिन्न व्यक्तियों की श्रेणियों के संबंध के अधीन आय संकलित करने के दौरान, हानियों के मुजरा या अग्रनयन से संबंधित विनिर्दिष्ट उपबंध हैं।

2. कुछ मामलों में यह नोटिस किया गया है कि निर्धारित, स्टॉक, स्टॉक के न्यून मूल्यांकन, बिना लेखे जोखे के नकद संदाय इत्यादि में अंतर के तत्स्थानी अप्रकटित आय के विरुद्ध, हानियों या अनामेलित अवक्षयण का मुजराका दावा करता है। जोकि तलाशी या सर्वेक्षण के अनुक्रम के दौरान पाई गई है। वर्तमान में अधिनियम में ऐसे मुजरा को अननुज्ञात करने के लिए कोई उपबंध नहीं है तथा अप्रकटित आय के बीच में कोई भेद नहीं किया गया है, जोकि खोज और अभिग्रहण या सर्वेक्षण या अध्यपेक्षा की कार्यवाहियों में पाई गई तथा निर्धारण के नियमित अनुक्रम में निर्धारण संवीक्षा में निर्धारित आय यद्यपि धारा 68, धारा 69, धारा 69ख इत्यादि में आती है, ऐसे निर्बंधन वहां भी हैं।

3. हानि या अनामेलित अवक्षयण के विरुद्ध तलाशी या अध्यपेक्षा या सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप पाई गई अप्रकटित आय का समायोजन अनुज्ञेय करना, कर के अल्प उद्ग्रहण का परिणाम है। अप्रकटित आय जो तलाशी या अध्यपेक्षा के परिणामस्वरूप पाई गई है, के विरुद्ध हानि या अनामेलित अवक्षयण का गैर-समायोजन का उपबंध यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आय पर संदत्त प्रोपर कर तलाशी या सर्वेक्षण के कारण पाया गया था तथा कर अपवंचन के विरुद्ध बढ़े हुए भयोपरतिकार का परिणाम भी है।

4. इस प्रकार, अधिनियम की नई धारा 79 क का अंतःस्थापन चयन उपबंध करने के लिए प्रस्तावित है कि अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 132 के अधीन या धारा 132क की उपधारा 2 (क) के अधीन से भिन्न, आरंभी की गई तलाशी के परिणामस्वरूप किसी निर्धारित की किसी पूर्व वर्ष में कुल आय के अंतर्गत कोई अप्रकटित आय, ऐसी अप्रकटित आय या हानि के विरुद्ध कोई मुजरा नहीं, क्या अग्रनित है या अन्यथा या धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन अनामेलित अवक्षयण, ऐसे पूर्व

वर्ष के लिए निर्धारित को इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन उसकी कुल आय संगणित करना अनुज्ञात करेगा।

5. और पद "अप्रकटित आय" उपरोक्त प्रयोजन के लिए निम्नानुसार परिभाषित करना प्रस्तावित है:-
- (i) पूर्व वर्ष की कोई आय पूर्णतः या भागतः धारा 132 के अधीन तलाशी या धारा 132 क के अधीन अध्यपेक्षा या धारा 133 के अधीन संचालित सर्वेक्षण, इसके अलावा धारा 133क की उपधारा (2क) के अधीन संचालित के अनुक्रम में किसी धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीजें या लेखों की पुस्तकों में कोई प्रविष्टि या पाए गए अन्य दस्तावेज या संव्यवहार के द्वारा रूपित हैं,
- (क) जो ऐसे पूर्व वर्ष से संबंधित सामान्य अनुक्रम में रखे गए लेखों की या अन्य दस्तावेजों में, तलाशी या अध्यपेक्षा या सर्वेक्षण की तारीख को या से पूर्व अभिलिखित नहीं हुई है, या
- (ख) तलाशी या अध्यपेक्षा या सर्वेक्षण की तारीख से पूर्व प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को प्रकटित नहीं की गई है, या
- (ii) पूर्व वर्ष की कोई आय पूर्णतः या भागतः, पूर्व वर्ष से संबंधित सामान्य अनुक्रम में अनुरक्षित लेख की या अन्य दस्तावेजों में अभिलिखित व्यय के संबंध में किसी प्रविष्टि द्वारा रूपित है, जो लगत पाई गई हैं तथा ऐसी गलत वह नहीं पाई गई होती, यदि तलाशी या सर्वेक्षण नहीं संचालित होता या अध्यपेक्षा नहीं की गई होती।
6. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-23 और पश्चतावर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 19]

निर्धारण और पुनःनिर्धारण से संबंधित उपबंधों को तारकिक बनाना

वित्त अधिनियम 2021 ने 01 अप्रैल, 2021 से अधिनियम में आय के निर्धारण या पुनःनिर्धारण की प्रक्रिया को संशोधित किया। उक्त संशोधन ने, अन्य बातों के साथ, धारा 147, धारा 148, धारा 149 को उपांतरित किया तथा अधिनियम में एक नई धारा 148क अंतःस्थापित की। उन मामलों में जहां धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की जाती है या अधिनियम की धारा 132क के अधीन लेखा बहियाँ, अन्य दस्तावेज या अन्य आस्तियां अध्यपेक्षित की जाती है, 01 अप्रैल, 2021 की या उसके पश्चात् अधिनियम की धारा 143 या धारा 144 या धारा 147 के अधीन वित्त अधिनियम 2021 के पश्चात् निर्धारण या पुनःनिर्धारण किया जाता है।

2. इस अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं के सरलीकरण से संबंधित सरकार की नीतियों के भीाग के रूप में, यह प्रस्ताव है कि-

- (i) एक नया परंतुक यह प्रभावी करने के लिए, अंतः स्थापित किया जाए, कि धारा 148 के अधीन जानी नोटिस के अनुमोदन की अपेक्षा, निर्धारण अधिकारी से लिए जाना अपेक्षित नहीं रहेगी, यदि उसने धारा 148क (घ) के अधीन आदेश, उस मामले में, पूर्व अनुमोदन से यह कथन करते हुए कि आय निर्धारण से बच रही है, पारित किया है।

(ii) धारा 148क के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुमोदन की अपेक्षा का लोप किया जाए।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।

3. प्रारूपण त्रुटियों की अनवधानता को सुधारने करने के लिए और धारा के आशय के साथ उपबंधों को अनुरूप करने के लिए, निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित किये गए हैं,

(i) स्पष्टीकरण 1 के खंड (i) के फलेगड शब्द का लोप करने के लिए धारा 148 में,

(ii) धारा 133क की उपधारा (5) में वहाँ दिये गए निर्देश के लोप के लिए धारा 148 के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) में,

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।

(iii) तलाश के वर्ष से संबंधित निर्धारण वर्ष से पिछले तीन निर्धारण वर्षों के निर्देश, या से का लोप करने के लिए धारा 148 के स्पष्टीकरण 2 में;

(iv) उपधारा (4) के अंतः स्थापन द्वारा धारा 153ख में, यह उपबंध करने के लिए कि उक्त धारा की कोई भी बात, 01 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् धारा 132क के अधीन की गई अध्यपेक्षा या धारा 132 के अधीन आरंभ की गई किसी तलाश, को लागू नहीं होगी।

(v) धारा 149 की उपधारा (1) के पहले परंतुक में, यह उपबंध करने के लिए कि 01 अप्रैल, 2021 या से पहले शुरू होने वाले संबंधित निर्धारण वर्ष के मामले में किसी समय पर धारा 148 के अधीन नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, यदि धारा 153ग, धारा 153क, धारा 149 की उपधारा (1) के खंड (ख) जैसी भी दशा हो, के उपबंधों के अधीन, विनिर्दिष्ट परिसीमा काल के परे होने के कारण उस समय, धारा 148 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन कोई नोटिस जारी नहीं किया जा सका हो, क्योंकि वे वित्त अधिनियम, 2021 के प्रारंभ से ठीक पूर्व थे।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2021 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होंगे।

4 तलाशी निर्धारणों की स्कीम को अधिनियम के आशय के अनुरूप करने के क्रम में, यह प्रस्ताव है कि-

(i) धारा 132 की उपधारा (8) में संशोधन करके, उस धारा के उपबंधों को, धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 144 या धारा 147 के अधीन निर्धारण या पुनः निर्धारण या पुनः संगणन पर भी लागू किया जाए,

(ii) धारा 132ख की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के खंड (i) में संशोधन करके, यह उपबंध किया जा सकता है कि इन उपबंधों को, निर्धारण या पुनः निर्धारण या पुनःसंकलन के समापन पर भी लागू किया।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।

(iii) एक नई धारा 148ख का अंतःस्थापन जिससे यह उपबंध किया जा सके कि परिवर्तनीय गलतियों को कम करने के लिए तलाशी, सर्वेक्षण और अध्यपेक्षा के परिणामस्वरूप निर्धारणों के संबंध में कोई आदेश संयुक्त आयुक्त से नीचे की पंक्ति के किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण या पुनःनिर्धारण या

पुनःसंगणना का कोई आदेश सिवाय अपर आयुक्त या अपर निदेशक या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक के पूर्वानुमोदन से पारित नहीं किया जाएगा।

यह संशोधन 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा।

(iv) धारा 153 का एक नया खंड अंतःस्थापित करके संशोधन जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण, पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना के प्रयोजन के लिए परिसीमा की अवधि को अपवर्जित करने के लिए उस तारीख से आरंभ होने वाली (180 दिन से अनधिक), जिसको धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की जाती है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की जाती है और उस तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि, यथास्थिति, जिसको धारा 132 के अधीन अभिगृहित या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित लेख बहियां या अन्य दस्तावेज या कोई धनराशि, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज को ऐसे निर्धारिती पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दिया जाता है, जिसकी दशा में ऐसी तलाशी आरंभ की जाती है या ऐसी अध्यपेक्षा की जाती है या जिसके संबंध में लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज या कोई धनराशि, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज का अभिग्रहण किया जाता है या अध्यपेक्षा की जाती है।

(v) धारा 153 ख का एक नया खंड अंतःस्थापित करके संशोधन जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस तारीख से आरंभ होने वाली कालावधि (180 दिन से अनधिक), जिसको धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की जाती है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की जाती है और उस तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि, जिसमें, यथास्थिति, धारा 132 के अधीन अभिगृहित या 132क के अधीन अध्यपेक्षित लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज या कोई धनराशि, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज निर्धारिती जिसके मामले में धारा 132क के अधीन ऐसी तलाशी आरंभ की जाती है, पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंपी जाती है।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।

(vi) धारा 271 ककख के स्पष्टीकरण के खंड (क) में “विनिर्दिष्ट तारीख” की परिभाषा का संशोधन जिससे इसे धारा 148के अधीन जारी की गई किसी सूचना पर भी लागू किया जा सके जहां तलाशी तारीख 01 अप्रैल, 2021 का उसके पश्चात् आरंभ की जाती है।

यह संशोधन 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा।

5. विद्यमान उपबंधों को अधिनियम के आशय के अनुरूप बनाने के लिए स्पष्टता लाने हेतु यह प्रस्ताव है कि-

(i) यह स्पष्ट किया जा सके कि धारा 148 के स्पष्टीकरण-1 के अधीन सूचना किन बातों से मिलकर बनती है जिससे कि इसमें कोई लेखापरीक्षा संबंधी आक्षेप, या किसी न्यायालय के आदेश में अंतर्विष्ट करार या निदेश के अधीन किसी विदेशी अधिकारिता से प्राप्त कोई सूचना या धारा 135 क के अधीन अधिसूचित किसी स्कीम के अधीन प्राप्त सूचना को सम्मिलित किया जा सके।

(ii) धारा 149 की उपधारा (1) के खंड (ख) का संशोधन किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए धारा 148 के अधीन कोई नोटिस सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष किंतु दस वर्ष से अनधिक व्यपगत होने के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा, जहां निर्धारण अधिकारी ने उसके कब्जे में की लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या साक्ष्य को, जिनसे यह प्रकटित होता है कि

(क) किसी आस्ति,

(ख) किसी कार्यक्रम या अवसर के संबंध में संव्यवहार की बाबत व्यय; या

(ग) लेखाबहियों में कोई प्रविष्टि या प्रविष्टियों के रूप दर्शित कर से प्रभार्य आय, जो निर्धारण से छूट गई है, पचास लाख रूपए या संभवतः पचास लाख रूपए या अधिक की रकम है।

(iii) धारा 149 में एक नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित की जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कर से प्रभार्य आस्ति के रूप में व्ययदिष्ट आय या व्यय के रूप में उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट समारोह या अवसर के संबंध में निर्धारण से छूट गई है तथा ऐसे समारोह या अवसर पर उपगत या उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्धारण वर्ष के सुसंगत पूर्व एक वर्ष से अधिक में किया जाएगा, ऐसी आस्ति या व्यय विनिधान किया गया है, यथा स्थिति, ऐसे प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण, पुनः निर्धारण या पुनः संकलन के लिए धारा 148 के अधीन नोटिस जारी किया जाएगा।

(iv) जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 148क के उपबंध उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की दशा में किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से छूट गई कर से प्रभार्य आय के संबंध में धारा 135क के अधीन अधिसूचित स्कीम से संबंधित कोई सूचना प्राप्त हुई है। ऐसे प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए धारा 148 के अधीन सूचना जारी की जाएगी।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।

[खंड 35, 36, 44, 45, 46, 47, 48, 49 तथा 73]

अधिनियम की धारा 271ककख, 271ककग और 271ककघ के उपबंधों के सुव्यवस्थीरण

उपबंधों के अंतर्विष्ट अध्याय XXI के अधीन अधिनियम की धारा 271ककख, 271ककग और 271ककघ जो अप्रकट आय के मामले में शास्ति लगाने के लिए निर्धारण अधिकारी को शक्ति देती है जहां ऐसे मामलों में धारा 132 के अधीन खोजने की शुरुआत की गई है या खाता बुक में झूठी प्रविष्टि के लिए या अन्यथा।

2. अधिनियम के अध्याय XXI के अधीन जिसमें शास्तियों के साथ आयुक्त (अपील) धारा 270क, धारा 271, धारा 271क, धारा 271कक, धारा 271छ, धारा 271ज जिसका समाधान इवेड कर के लिए निर्धारिती द्वारा, छिपाना, गैर-अप्रकट और लोप जान बूझकर किया है।

3. समानरूप से, धारा 271ककख, 271ककग, 271ककघ खता बही में अप्रकट आय, अस्पष्ट क्रेडिट या खर्चे या जानबूझकर झूठाकरण या लोप के संबंध में शास्तियों पर कार्यवाही इसलिए कर दाता के

बीच गैर-अननुपालन के विरुद्ध सुकर करने का आदेश इसमें निर्धारण अधिकारी के साथ इन धाराओं के अधीन शास्ति के लिए आयुक्त सक्षम करते हुए धारा 271ककख, 271ककग और 271ककघ का संशोधन करने के लिए प्रस्ताव है।

4. ये संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।

[खंड 73, 74, 75]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272क के उपबंधों में संशोधन-संबंधित

अधिनियम की धारा 272क प्रश्न का उत्तर, हस्ताक्षरित कथन, प्रेषित सूचना, रिटर्न या कथनों, अनुज्ञात निरीक्षण आदि के लिए असफल होने के लिए शास्ति का उपबंध करती है। वर्तमान में धारा 272क की उपधारा (2) के अधीन सूचीबद्ध असफल होने के लिए शास्ति की रकम प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रूपए है जिसके दौरान निरंतर असफल रहता है।

2. धारा 272क अननुपालन और बचाव के रूप में कार्य शास्ति द्वारा आयकर अधिनियम के अधीन विभिन्न बाध्यताएं का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

3. तथापि, सौ रूपए की शास्ति सी.ए.जी. द्वारा मनोरंजन सेक्टर में उनकी रिपोर्ट पर बहुत कम टिप्पणी की गई थी। 1999 में धारा जोड़े जाने से अब तक शास्ति नहीं बढ़ाई गई थी और उसका पर्याप्त भयकारी मूल्य नहीं है।

4. इसलिए, धारा 272 की उपधारा 2 के अधीन सूचीबद्ध असफलताओं के लिए रकम को विद्यमान 100 रूपए की राशि से बढ़ाकर 500 रूपए करने का प्रस्ताव है।

5. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा।

[खंड 78]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 179 क उपबंधों में संशोधन

अधिनियम की धारा 179 में ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट है जो आय-कर प्राधिकारियों को किसी प्राइवेट कंपनी से शोध्य कर को उसके निदेशकों से ऐसी कतिपय परिस्थितियों में वसूल करने के लिए समर्थ बनाते हैं जहां ऐसा कर स्वयं कंपनी से वसूल नहीं किया जा सकता हो। यह धारा प्राइवेट कंपनी के प्रत्येक निदेशक को संयुक्त रूप से और पृथक रूप से कतिपय शर्तों के साथ ऐसे कर के संदाय के लिए दायी बनाती है। तथापि, धारा के शीर्ष में अनवधानता के सामपन होने पर प्राइवेट कंपनी के निदेशकों के दायित्व को निर्दिष्ट किया गया है।

2. इस धारा के अधीन किसी प्राइवेट कंपनी के निदेशकों का दायित्व उस कंपनी के समापनाधीन होने के कारण सशर्त नहीं है और धारा में समापन के प्रति कोई निर्देश नहीं किया गया है। अतः इस धारा के शीर्ष को

इसके उपबंधों के एकरूपात्मक बनाने के लिए धारा के शीर्ष प्राइवेट कंपनी के निदेशकों का दायित्व का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

3. इसके अतिरिक्त, इस धारा का स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करता है कि "शोध कर" अभिव्यक्ति में अधिनियम के अधीन संदेय शास्त्र, ब्याज या अन्य राशि सम्मिलित है। अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए और अतिरिक्त स्पष्टता का उपबंध करने के लिए, उक्त धारा के स्पष्टीकरण में "शोध कर" अभिव्यक्ति की परिधि में "फीस" शब्द को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

4. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा।

[खंड 55]

पूर्त न्यास और संस्थाओं के उपबंध का सुव्यवस्थीकरण

धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (IV) या उपखंड (V) या उपखंड (VI) या उपखंड (VIक) में निर्दिष्ट कोई निधि या संस्था या न्यास या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान चिकित्सिय संस्था या अधिनियम की धारा 12कक या 12 कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई न्यास या संस्थान की आय को विभिन्न धाराओं के अधीन उपबंधित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन छूट है। इन न्यासों या संस्थानों को छूट दो व्यवस्थाओं-

(i) धारा 10 (23ग) उपखंड (viक) या (vi) या उपखंड (v) या उपखंड (iv) कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था के लिए व्यवस्था (जिसे इसमें इसके पश्चात् पहली व्यवस्था के अधीन न्यास या संस्था कहा गया है)

(ii) धारा 12कक/12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास के लिए व्यवस्था (जिसे इसमें इसके पश्चात् दूसरी व्यवस्था के अधीन न्यास या संस्था कहा गया है)

वित्त विधेयक में, निम्नलिखित के द्वारा दोनो छूट व्यवस्था के दोनों उपबंधों या सुव्यवस्थीकरण करने का प्रस्ताव किया गया है-

- i. उनकी प्रभावी मॉनीटरी और कार्यन्वयन को सुनिश्चित करके
- ii. दो छूट व्यवस्थाओं के उपबंधों में सामंजस्य बढ़ाकर ; और
- iii. कतिपय परिस्थितियों में कराधान पर स्पष्टता प्रदान करके

2. विगत कुछ वर्षों के संशोधनों में कुछ परिणामिक संशोधनों का भी निम्नलिखित प्रस्ताव किया गया है। सभी प्रस्तावों पर नीचे निम्नानुसार चर्चा की गई है: -

3. दो छूट व्यवस्थाओं की प्रभावी मॉनीटरी और कार्यन्वयन की सुनिश्चितता

3.1 दोनों व्यवस्थाओं के अधीन न्यास और संस्थाओं द्वारा लेखा बहियों का अनुरक्षण

(क) जहां, अधिनियम की धारा 11 और 12 के उपबंधों को प्रभाव दिये बिना इस अधिनियम के अधीन किसी दूसरी व्यवस्था के अधीन न्यास या संस्था की कुल आय उस अधिकतम रकम से अधिक है जो किसी पूर्ववर्ती वर्ष में आयकर से प्रभार्य नहीं है, इसके लेखों की संपरीक्षा की जानी अपेक्षित है। इसी प्रकार का उपबंध अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परंतुक में पहली व्यवस्था के अधीन न्यास व संस्था के लिए विद्यमान है।

(ख) तथापि, ऐसे न्यासों या संस्था द्वारा अनुरक्षण किए जाने वाले लेख बहियों का उपबंध करने के लिए अधिनियम के अधीन कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं है। दोनो छूट व्यवस्थाओं का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की धारा 23क की उपधारा (1) के खंड (ख) और अधिनियम की धारा 20 के खंड (23ग) के दसवें परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 10 के खंड (23ग) या धारा 22 और धारा 12 के उपबंधों प्रभावी किए बिना दोनों व्यवस्थाओं के अधीन न्यास या संस्था की कुल आय उस अधिकतम रकम से अधिक है जो कर से प्रभार्य नहीं है, ऐसे न्यास या संस्था ऐसे प्ररूप और रीति और ऐसे स्थानों पर जो विहित किए जाएं लेख बहियों और अन्य दस्तावेजों को रखेगा और उनका अनुरक्षण करेगा।

(ग) ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-24 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 4 तथा 6]

3.2 न्यासी या विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को अनुचित फायदे देने के लिए शास्ति

(क) अधिनियम की धारा 13 के अधीन, दूसरी व्यवस्था न्यास या संस्था से न्यासी या किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को अनुचित फायदा देना अपेक्षित नहीं है। विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा न्यास की निधियों के ऐसे दुरुपयोग को हतोत्साहित करने के लिए अधिनियम में नई धारा 271कड अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे दोनों व्यवस्थाओं के अधीन न्यासों या संस्थाओं पर शास्ति का उपबंध किया जा सके जो पहले अतिक्रमण पर ऐसे न्यास या संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति के फायदे के लिए उपयोजित आय की रकम के बराबर है जहां अतिक्रमण पूर्व वर्ष के दौरान पहली बार नोटिस किया गया है जहां अतिक्रमण दोबारा पश्चातवर्ती वर्ष में नोटिस किया गया ऐसी आय की रकम का दोगुना होगा। प्रस्तावित धारा अध्याय 21 के किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रभावी किए जाने के लिए इप्सित है। इस प्रकार, यदि प्रस्तावित शास्ति के अतिरिक्त इस अध्याय के किन्हीं अन्य उपबंधों से किसी एक के अधीन उदग्रहणीय है, वह शास्ति भी लागू होगी।

(ख) प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करने की ईष्या करती है कि अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के दौरान यह पाया जाता है कि पहली या दूसरी व्यवस्था के अधीन न्यास या संस्था द्वारा यथास्थिति 10 के खंड (23ग) के 21 वें परंतुक या धारा 13 की उपधारा (1) खंड (ग) के उपबंधों का अतिक्रमण किया है।

जिसे विधेयक द्वारा अंतःस्थापन प्रस्तावित है तथा पश्चात्पूर्ति पैरा में विचार किया गया है) निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति को शास्ति के रूप में निम्नलिखित का संदाय करने का निवेश दे सकेगा;

(i) धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के फायदे के लिए जहां, किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप के पहली बार अतिक्रमण नोटिस किया गया है ऐसे व्यक्ति का बयौरा उपयोजित काअय की कुल रकम के समतुल्य राशि ; और

(ii) धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के फायदे के लिए जहां किसी पश्चात्पूर्ति पूर्व वर्ष में दोबारा अतिक्रमण नोटिस किया गया है, ऐसे व्यक्ति द्वारा उपयोजित आय की कुल रकम के दो सौ प्रतिशत के समतुल्य राशि

(ग) ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-24 और पश्चात्पूर्ति निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 76]

3.3 रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन के निरस्तीकरण के लिए प्रधान आयुक्त या आयुक्त (पी सी आई टी/सी आई टी) को निर्देश :

(क) अनुमोदन या रजिस्ट्रीकरण या निरस्तीकरण या उनका वापिस लेने की प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित मुद्दे नोटिस किए गए हैं, अर्थात् :-

(i) स्वचालित अनुमोदन तंत्र के अधीन अवास्तविक न्यासों या संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण का अनुमोदन :

अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के पहले और दुसरे परंतुक को 01.04.2021 से प्रभावी कराधान और अन्य विधि (शिथिलीकरण और कतिपय उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा नए परंतुकों से प्रतिस्थापित किए गए थे। ये परंतुक उपबंधित करते हैं कि पहली व्यवस्था के अधीन न्यास या संस्था के लिए आवेदन अधिभारिता वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त को किया जाएगा और ऐसा प्रधान आयुक्त या आयुक्त आवेदन की समीक्षा के पश्चात् अनुमोदन प्रदान करेगा। पूर्व में ऐसे आवेदनों का विहित प्राधिकारी के सम्मुख फाईल किया जाना अपेक्षित था। इसी प्रकार धारा 12 क भी उपधारा (1) के खंड (कग) के उपबंध यह उपबंध करते हैं दूसरी व्यवस्था के अधीन न्यास या संस्था के लिए आवेदन प्रधान आयुक्त या आयुक्त को किया जाएगा। इन खंडों के अधीन कतिपय मामलों में अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनंतिम अनुमोदन या पुनः रजिस्ट्रीकरण या आवेदन स्वचालित रीति में प्रदान किए जाते हैं और संबंधित नियमों को तदनुसार संशोधित किया गया है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अवास्तविक न्यास या संस्था इन उपबंधों द्वारा उपबंधित छूट नहीं पाते हैं।

(ii) दोनों व्यवस्थाओं के अधीन न्यासों के निरस्तीकरण के संदर्भ से संबंधित में अंतर :

धारा 143 की उपधारा (3) के उपबंध या उपबंध करते हैं कि, जब तक निर्धारण अधिकारी धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vik) के उपबंधों के उल्लंघन को केंद्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी को सूचित नहीं करता है और ऐसे न्यास या संस्था को प्रदान किए गए अनुमोदन को विखंडित नहीं करता है, धारा 10 के खंड (23ग) के फायदों को मना करते हुए इस उपधारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा। दोनों व्यवस्थाओं के अधीन न्यास या संस्था की दशाओं में ऐसा कोई उपबंध नहीं है।

(iii) अनुमोदन के वापिस लेने संदर्भों पर पी सी आई टी/ सी आई टी के कोई समय सीमा विहित नहीं है:

पहली व्यवस्था के अधीन न्यासों या संस्थाओं के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रधान आयुक्त या आयुक्त को निर्देश करने लिए उपबंध धारा 143 की उपधारा (3) के पहले परंतुक में अंतर्विष्ट है और निर्धारण को पूर्ण करने के लिए समय सीमा को धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iii) के उपबंधों के अनुसार विस्तारित किया गया है। वर्तमान में, ऐसे प्रधान आयुक्त या आयुक्त को ऐसे निर्देशों पर विनिश्चय करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है।

उपरोक्त मुद्दों से समाधान के लिए, अधिनियम की धारा 12कख और धारा 10 के खंड (23ग) के पंद्रहवें परंतुक के उपबंधों का संशोधन करने के प्रस्ताव निम्न रूप से किया गया है:

(ख) अधिनियम की धारा 12कख की उपधारा (4) के स्थान पर नई उपधारा (4) रखने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी न्यास या किसी संस्था के रजिस्ट्रीकरण या अनंतिम रजिस्ट्रीकरण को यथास्थिति धारा 12कख की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्रदान किया गया है और तत्पश्चात्

(क) प्रधान आयुक्त या आयुक्त ने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान एक या अधिक विनिर्दिष्ट अतिक्रमण होने को नोटिस किया है;

(ख) प्रधान आयुक्त या आयुक्त ने किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए धारा 143 की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक के अधीन निर्धारण अधिकारी से कोई निर्देश प्राप्त किया है।

(ग) ऐसे मामलों का चयन किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए समय समय पर बोर्ड द्वारा विरचित जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसरण में किया गया है।

प्रधान आयुक्त या आयुक्त-

- i. न्यास या संस्था से दस्तावेज या सूचना की मांग कर सकेगा या किसी विनिर्दिष्ट अतिक्रमण के होने या अन्यथा के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए ऐसी जांच कर सकेगा जिसे वह आवश्यक समझे;
- ii. पूर्ववर्ती और सभी पश्चातवर्ती पूर्व वर्षों के लिए यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि एक या अधिक विनिर्दिष्ट अतिक्रमण हुए हैं तो सुने जाने का एक युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण का निरस्तीकरण करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा;

- iii. यदि एक या अधिक अतिक्रमण के होने के बारे में उसका समाधान नहीं होता है तो ऐसे न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के निरस्तीकरण को माना करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा ;
- iv. खंड (ii) या (iii) के अधीन यथास्थिति निर्धारण अधिकारी और ऐसे न्यास या संस्था को आदेश की प्रति अग्रेषित करेगा।

(II) "विनिर्दिष्ट अतिक्रमण" पद निम्नलिखित अतिक्रमण के अभिप्राय के लिए धारा 12कख की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण के अंतः स्थापन द्वारा परिभाषित किया जाने का प्रस्ताव किया गया है :-

(क) जहां दूसरी व्यवस्था के अधीन न्यास या संस्था की आय उद्देश्यों से भिन्न के लिए लागू हुआ है, जिसके लिए इसे स्थापित किया गया है।

(ख) दूसरी व्यवस्था के अधीन न्यास या संस्था के पास कारबार के लाभों और अभिलाभों से ऐसी आय है जो यथास्थिति, न्यास या संस्था या पृथक लेखा बहियों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आनुषंगिक नहीं है, ऐसे न्यास या संस्था द्वारा ऐसे कारबार के संबंध में अनुरक्षित नहीं है जो इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आनुषंगिक है।

(ग) न्यास या संस्था ने प्राइवेट धार्मिक प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे न्यास के अधिन धारित संपत्ति से इसकी आय के किसी भाग का उपयोजित किया है जो पब्लिक के फायदे के लिए उभ्यस्त नहीं होते हैं

(घ) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् सृजित या स्थापित पूर्व प्रयोजन के लिए स्थापित दूसरी व्यवस्था के अधीन न्यास या संस्था ने किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय या जाति के फायदे के लिए उपयोजित किया है ;

(ङ) दूसरी व्यवस्था के अधीन न्यास या संस्था द्वारा किए जा रहे क्रिया-कलाप,

i. वास्तविक नहीं है; या

ii. ऐसी सभी शर्तों या किसी शर्त जिसके लिए इसे रजिस्ट्रीकृत किया गया था के अध्याधीन के अनुसरण में नहीं किए जा रहे हैं; या

(च) दूसरी व्यवस्था के अधीन न्यास या संस्था धारा 12कख की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) की मद (ख) में यथा निर्दिष्ट किसी अन्य विधि की अपेक्षा के अनुपालन नहीं किया है और इस प्रकार के अनुपालन की धारिता के आदेश, निदेश, या डिक्री जिस भी नाम से कहा जाए हुआ है, और न तो विवादित है और न ही अंतिमता को प्राप्त किया है।

(III) अधिनियम की धारा 12कख की उपधारा (5) के स्थापन पर एक नई उपधारा (क) रखने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (4) के खंड (ii) या (iii) के अधीन आदेश उस तिमाही के अंत से संगणित छः मास की अवधि के अवसान से पूर्व पारित कर सकेगा जिसमें प्रधान आयुक्त या आयुक्त 1 अप्रैल, 2022 को या उसके पश्चात् उप-धारा (4) के खंड (1) के अधीन किसी दसतावेज या सूचना को मंगा के या कोई जांच करने के लिए पहला नोटिस जारी किया गया है।

(IV) इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के पंद्रहवे परंतुक को प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां उक्त धारा 10 के खंड (23ग) के

उपखंड (iv) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था या उपखंड (vi) के निर्दिष्ट कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या उपखंड (vिक) में निर्दिष्ट कोई अस्पताल या आयुर्विज्ञान संस्था को उक्त खंड के अधीन अनुमोदित किया गया है और तत्पश्चात्.

(क) प्रधान आयुक्त या आयुक्त ने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान एक या अधिक विनिर्दिष्ट अतिक्रमण होने को नोटिस किया है;

(ख) प्रधान आयुक्त या आयुक्त ने किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए धारा 143 की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक के अधीन निर्धारण अधिकारी से कोई निर्देश प्राप्त किया है: या

(ग) ऐसे मामलों का चयन किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए समय समय पर बोर्ड द्वारा विरचित जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसरण में किया गया है।

प्रधान आयुक्त या आयुक्त-

(i) किसी विनिर्दिष्ट अतिक्रमण के होने के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था से ऐसे दस्तावेज या सूचना की मांग कर सकेगा या ऐसी जांच कर सकेगा जिसे वह आवश्यक समझता है।

(ii) यदि उसका समाधान हो जाता है कि एक या अधिक विनिर्दिष्ट उल्लंघन हुए हैं तो ऐसे पूर्व और सभी पश्चातवर्ती पूर्व वर्षों के लिए, सुने जाने के युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट तारीख से पहले या पर, ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था के अनुमोदन को निरस्त करने का लिखित में आदेश पारित करेगा;

(iii) यदि एक या अधिक उल्लंघन के होने के बारे में उसका समाधान नहीं होता है, तो विनिर्दिष्ट तारीख से पहले या पर, ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था के अनुमोदन को निरस्त करने को अस्वीकार करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा ;

(iv) यथास्थिति निर्धारण अधिकारी को और ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को खंड (ii) या (iii) के अधीन आदेश की प्रति भेजेगा ;

(v) यह भी प्रस्तावित है कि अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के पंद्रहवे परंतुक में स्पष्टीकरण 1 अंतःस्थापित करके यह उपबंध किया जाएगा कि परंतुक के प्रयोजन के लिए, "के विनिर्दिष्ट तारीख" का अर्थ वह दिन होगा जिस दिन छह माह की अवधि का खंड (i) के अधीन अवसान होता हो, जिसकी गणना उस तिमाही के अंत से की गई हो जिसमें किसी दस्तावेज को या सूचना को मंगाने के लिए या कोई जांच करने के लिए अप्रैल, 2022 के पहले दिन पर या उसके पश्चात्, मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा पहला नोटिस जारी किया गया हो,

(VI) निम्नलिखित अर्थ हेतु अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के पंद्रहवे परंतुक में स्पष्टीकरण (स्पष्टीकरण 2) अंतःस्थापित करके शब्द "विनिर्दिष्ट उल्लंघन " को परिभाषित करना भी प्रस्तावित है :-

(क) जहां पहली व्यवस्था के अधीन किसी न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की आय का अनुप्रयोग उन उद्देश्यों से भिन्न किया गया है जिन के लिए उनकी स्थापना की गई है ; या

(ख) ऐसी न्यास या संस्था की पहली व्यवस्था के अधीन कोई आय की कारबार से लाभ और अभिलाभ से आय है जो उसके उद्देश्यों की पूर्ति से आनुषंगिक नहीं है या ऐसे कारबार के संबंध में पृथक लेखा बहियों नहीं रखी गई हैं ;

(ग) पहली व्यवस्था के अधीन ऐसी न्यास या संस्था या के कोई कार्यकलाप

(अ) वास्तविक नहीं है; या

(आ) सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किए जा रहा है जिनके अधीन उसे अधिसूचित या अनुमोदित किया गया था; या

(घ) पहली व्यवस्था के अधीन न्यास या संस्था ने तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है और ऐसी अननुपालना के लिए कोई आदेश निदेश या डिक्री चाहे किसी भी नाम से ज्ञात है, या तो उस पर आक्षेप नहीं किया गया है या अंतिम हो गई है।

परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) को प्रथम व्यवस्था के अधीन न्यास या संस्था के प्रति पहले परंतुक के अधीन में निर्देश का लोप करके और तीसरे परंतुक का लोप करके संशोधित करने का प्रस्ताव है।

अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के पंद्रहवें परंतुक में एक स्पष्टीकरण (स्पष्टीकरण 3) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिसमें यह उपबंध किया जा सके कि जहां अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के कतिपय उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा 31 मार्च, 2022 को या उसके पूर्व धारा 143 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के अधीन कोई निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देशों पर उक्त स्पष्टीकरण के अधीन उपबंधित रीति में विचार किया जाएगा।

(VII) अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) में एक और परंतुक अंतःस्थापित करके यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि प्रथम या द्वितीय व्यवस्था के अधीन किसी न्यास या संस्था धारा 10 के खंड (23ग) के पंद्रहवे परंतुक के स्पष्टीकरण (2) में या धारा 12कख की उपधारा 4 के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित कोई विनिर्दिष्ट उल्लंघन किया है। वहां वह,

(क) यथास्थिति अनुमोदन या रजिस्ट्रीकरण, को वापस लेने के लिए मुख्य आयुक्त या आयुक्त को निर्देश भेजेगा; और

(ख) धारा 12कख की उपधारा (4) के खंड (ii) या खंड (iii) अथवा धारा 20 के खंड (23ग) के पंद्रहवे परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा पारित आदेश को प्रभावी किए बिना, वह ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या

अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की कुल आय या हानी को निर्धारण करने वाला आदेश नहीं होगा।

परिणामस्वरूप, प्रथम व्यवस्था के अधीन न्यासों या संस्था के प्रति निर्देश को समाप्त करके और एक नए खंड (xiii) को अंतःस्थापित करके यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि वह अवधि, जिसका आरंभ उस तारीख से होता है जिस पर धारा 143 की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक के अधीन निर्धारण अधिकारी, प्रधान आयुक्त या आयुक्त को निर्देश करता है या धारा 10 के खंड (23ग) के पंद्रहवे परंतुक के स्पष्टीकरण के अधीन किया गया समझा गया है, और जिसका अंत निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 12कख की उपधारा (4) के खंड (ii) या (iii) अथवा धारा 10 के खंड (23ग) के पंद्रहवे परंतुक के खंड (ii) या (iii) के अधीन आदेश की प्रति की प्राप्ति के साथ होता है, को परिसीमा की अवधि की गणना में अपवर्जित कर दिया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।

[खंड 4, 7, 40, 148]

4. दो छूट व्यवस्थाओं के उपबंधों में संगति लाना

जैसा कि पहले बताया गया है, दोनों व्यवस्थाओं के कतिपय उपबंधों के सुयोजन की आवश्यकता है क्योंकि उन दोनों का आशय समान फायदा प्रदान करना है

4.1 संचय संबंधी उपबंध

(i) अधिनियम के वर्तमान उपबंधों के अधीन, किसी न्यास या संस्था से अपेक्षित है कि किसी पूर्व वर्ष के दौरान वह अपनी आय का 85 प्रतिशत प्रयोग में लाए। तथापि, यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपनी आय का 85 प्रतिशत प्रयोग करने योग्य नहीं रहा है, तो निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार 5 वर्षों से अनधिक अवधि के लिए ऐसी आय का संचय मान्य है, अर्थात:

(I) द्वितीय व्यवस्था के अधीन न्यासों और संस्थाओं के लिए अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2); और

(II) प्रथम व्यवस्था के अधीन न्यास या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) का तीसरा परंतुक।

(ii) तथापि, कतिपय शर्तों की पूर्ति होने के अध्याधीन रहते हुए, अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार, आय का संचयन मान्य है जबकि अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के अधीन ऐसी शर्तों का विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है;

(iii) समान रूप से, अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3) उस विनिर्दिष्ट पूर्व वर्ष के लिए उपबंध करती है, जिसमें संचयित आय विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों की दशा में कर के लिए दायी होगी। यह, अन्य बातों के साथ, उपबंध करती है कि यदि 5 वर्षों में संचयित आय का प्रयोग नहीं किया गया, तो वह

छठें वर्ष में कराधेय होगी। जबकि दूसरी ओर, अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन ऐसे विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं है और इसलिए, यदि 5 वर्षों में संचयित आय का प्रयोग नहीं किया जाता तो वह, अपने आप 5वें वर्ष में कराधेय होगी।

(iv) दो व्यवस्थाओं में संगति लाने के लिए, निम्नलिखित का प्रस्ताव है:-

(क) अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) के उपबंधों में संशोधन करके यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई आय जो उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं की गई जिसके लिए उसे संचयित या पृथक रखा गया है, को उस अवधि के अंतिम पूर्व वर्ष के रूप में ऐसे व्यक्ति की पूर्व वर्ष की आय समझा जाएगा, जिसके लिए धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन उसे संचयित या पृथक भाग में रखा गया था, किंतु उस प्रयोजन के लिए उसे उपयोग नहीं किया गया जिसके लिए उसे संचयित या पृथक भाग के रूप में रखा गया था।

(ख) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक में तीसरे स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित करके यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि इस परंतुक के अधीन उपयोजन की रकम अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए, जहां तीसरे परंतुक के खंड (क) में निर्दिष्ट आय का पचासी प्रतिशत, उन उद्देश्यों के लिए पूर्णतः और अनन्य रूप से पूर्व वर्ष के दौरान भारत में उपयोजित नहीं किया जाता है, जिनके लिए प्रथम व्यवस्था के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान न्यास संस्था स्थापित की गई है, ऐसे उद्देश्यों के उपयोजन के लिए पूर्णतः या भागतः संचयित या पृथक रखी जाती है, इस प्रकार संचयित या पृथक रखी गई ऐसी आय, आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पूर्व वर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी, यदि निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया गया हो, अर्थात् :-

(क) ऐसा व्यक्ति, निर्धारण अधिकारी को उस प्रयोजन का कथन करते हुए, विहित प्ररूप और विहित रीति में, विवरणी प्रस्तुत करता है, जिसके लिए आय संचयित की या पृथक रखी जा रही है और वह अवधि, जिसके लिए आय संचयित या पृथक रखी जा रही है, किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(ख) इस प्रकार संयचित या पृथक रखे गए धन का, धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट प्ररूपों या ढगों में विनिधान या निक्षेप किया जाता है;

(ग) पूर्व वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या पूर्व स्पष्टीकरण खंड (क) में निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत किया जाता है;

(ग) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के प्रस्तावित स्पष्टीकरण 3 के परंतुक को अंतःस्थापित करके यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उपखंड (क) में बताई गई पांच वर्ष की अवधि की गणना करने में, वह अवधि, जिसके दौरान न्यायालय के आदेश या व्यादेश के

कारण आय का प्रयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सका जिसके लिए उसे संचयित किया गया था या अलग रखा गया, अपवर्जित कर दी जाएगी।

(घ) धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण (स्पष्टीकरण 4) को अंतःस्थापित करके यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि प्रस्तावित स्पष्टीकरण 3 में बताई गई आय का पूर्व वर्ष की आय, जिसमें निम्नलिखित हो, समझा जाएगा

(क) आय पूर्णतः और अनन्य रूप से उन उद्देश्यों से भिन्न प्रयोजनों के लिए अपयोजित की जाती है, जिसके लिए प्रथम व्यवस्था के अधीन न्यास या संस्था की स्थापना की जाती है, या उस संबंध में उपयोजन के लिए वह संचयित या पृथक नहीं रह जाती है; या

(ख) आय, धारा 11 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्ररूपों या ढगों में विनिधानित या निक्षिप्त नहीं रह जाती है ; या

(ग) प्रस्तावित स्पष्टीकरण 3 के खंड (क) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान आय का उपयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया जिसके लिए उसे ऐसे संचयित किया गया था या पृथक रखी गई है;

(घ) आय प्रथम या द्वितीय व्यवस्था के अधीन किसी न्यास या संस्था को जमा या संदत्त की जाती है,

खंड (ग) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के लिए, यह प्रस्ताव है कि आय को पूर्व वर्ष, जो अवधि का अंतिम पूर्व वर्ष है, जिसके लिए प्रस्तावित स्पष्टीकरण 3 के खंड (iii) के उपखंड (क) के अधीन आय को संचयित किया गया है या पृथक रखा गया है, की आय समझी जाएगी।

(ड) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण (स्पष्टीकरण 5) का अंतःस्थापन प्रस्तावित है जो निर्धारण अधिकारी को उस न्यास या संस्था को ऐसी परिस्थितियों में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के पश्चात् उसके उपयोजन में यथाविनिर्दिष्ट, भारत में ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए संचयित आय को अनुज्ञात करने की शक्ति प्रदान करता है। ये अन्य प्रयोजन उन उद्देश्यों के अनुरूप होने चाहिए जिनके लिए प्रथम व्यवस्था के अधीन न्यास या संस्था स्थापित की गई है। यदि यह किया जाता है तो धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 4 के उपबंध ऐसे लागू होंगे जैसे कि इस स्पष्टीकरण के अधीन ऐसे व्यक्ति द्वारा उसके आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रयोजन वहीं प्रयोजन है जो धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के प्रस्तावित स्पष्टीकरण 3 के खंड (क) के अधीन निर्धारण अधिकारी को दिए गए नोटिस में विनिर्दिष्ट था।

(च) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण (स्पष्टीकरण 5) में एक परंतुक को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी प्रस्तावित स्पष्टीकरण 3 में यथाविनिर्दिष्ट किसी संचयित आय के उपयोजन को, प्रथम या द्वितीय व्यवस्था के अधीन किसी न्यास या संस्था को प्रत्यय या संदत्त नहीं करेगा।

(v) ये संशोधन 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-24 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होंगे।

[खंड 4 और 5]

4.2 विनिर्दिष्ट व्यक्ति को संदाय से संबंधित उपबंधों में एकरूपता लाना

(i) अधिनियम की धारा 13 के अधीन, द्वितीय व्यवस्था के अधीन न्यासों या संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यासी या किसी अन्य विनिर्दिष्ट व्यक्ति को कोई अयुक्तियुक्त फायदा न दें। अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) में इक्कीसवां परंतुक यह उपबंध करने के लिए अतः स्थापित करने का प्रस्ताव है कि जहां न्यास या संस्था की आय या आय के भाग या संपत्ति का उपयोजन धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के फायदे के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है, तो ऐसी आय या आय के भाग या संपत्ति ऐसे व्यक्ति की उस पूर्ववर्ती वर्ष की आय समझी जाएगी जिसमें इसकी इस प्रकार उपयोजन किया गया है। अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2), (4) और (6) के उपबंध प्रथम व्यवस्था के अधीन के न्यास या संस्था को भी लागू होंगे।

(ii) यह संशोधन तारीख 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-24 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लागू होगा।

[खंड 4]

4.3 धारा 115नघ के उपबंध प्रथम व्यवस्था के अधीन के न्यास या संस्था को लागू होंगे।

(i) अध्याय 12- ड ख वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा पुरःस्थापित किया गया था। इसमें कतिपय दशाओं में न्यास की प्रत्यातित आय के कराधान के लिए उपबंध किया गया है। पूर्त कार्यकलाप करने वाली कोई सोसाइटी या कंपनी या न्यास या संस्था स्वेच्छा से अपने कार्यकलापों का समापन कर सकती है और विघटन कर सकती है या किसी अन्य पूर्त या अपूर्त संगठन में संपरिवर्तित हो सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यास या संस्था द्वारा उपभोग की गई छूट के आशयित प्रयोजन की प्राप्ति हो सके, निकास कर की प्रकृति का एक उदग्रहण अतिरोपित करने के लिए अधिनियम में एक विनिर्दिष्ट उपबंध लाया गया था जो तब लागू होता है जब संगठन को अपूर्त संगठन में संपरिवर्तित किया जाता है या अपूर्त संगठन या असमान उद्देश्य वाले पूर्त संगठन के साथ विलयन किया जाता है या किसी अन्य पूर्त संगठन को आस्तियों का अंतरण नहीं करता है। तदनुसार, अधिनियम में धारा 115नघ, 115नड और 115नच से समाविष्ट एक नया अध्याय 12-डख अंतःस्थापित किया गया था।

(ii) अध्याय 12-ड.ख के उपबंधों को केवल द्वितीय व्यवस्था के अधीन न्यासों और संस्था को लागू किया गया है। तथापि, ये उपबंध प्रथम व्यवस्था के अधीन न्यास या संस्था को लागू नहीं होते हैं।

(iii) अतः अधिनियम की धारा 115 न घ, 115 न ड. और 115 न च के उपबंधों का उन्हें प्रथम व्यवस्था के अधीन न्यास या संस्था को भी लागू करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है।

(iv) ये संशोधन तारीख 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-24 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लागू होंगे।

(खंड 31, 32, 33)

4.4 अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन छूट का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा विवरणी फाइल किया जाना :-

(i) अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (ख क) के अनुसार, यदि कोई द्वितीय व्यवस्था के अधीन कोई न्यास या संस्था धारा 139 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अनुसार आय की विवरणी इस धारा के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर प्रस्तुत नहीं करता है, तब धारा 11 और 12 के उपबंध लागू नहीं होते हैं। अन्य व्यवस्था में ऐसा कोई समान उपबंध नहीं है।

(ii) अतः अधिनियम की धारा 10 के खंड (23 ग) में बीसवां परंतुक अतः स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस खंड के अधीन छूट के प्रयोजन के लिए प्रथम व्यवस्था के अधीन न्यास या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपबंधों के अनुसार पूर्ववर्ती वर्ष की आय की विवरणी इस धारा के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ये संशोधन तारीख 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-24 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लागू होंगा।

(खंड 4)

5. कतिपय परिस्थितियों में कराधान पर स्पष्टता प्रदान करना :

दो व्यवस्थाओं के अधीन छूट का उपयोग करने के लिए विभिन्न शर्तें विहित की गई हैं। अधिनियम में यह सूचीबद्ध करते हुए स्पष्ट उपबंधों की आवश्यकता है कि अननुपालन की दशा में आय की संगणना कैसे की जाए। अतः इनका उपबंध करने का प्रस्ताव है जिससे कोई विवाद न हो और विधि को सतत् रूप से लागू किया जा सके।

5.1 छूट से इनकार करने की दशा में कतिपय व्यय अनुज्ञात करना :

(i) विभिन्न उपबंधों में दोनों व्यवस्थाओं के अधीन न्यासों या संस्थाओं को छूट से इनकार करना आदिष्ट है। कुछ उपबंध, जिनके अधीन इनकी अतिक्रमण करने पर छूट उपलब्ध नहीं है, निम्नलिखित हैं :-

(क) धारा 2 (15) के परंतुक के उपबंधों का अतिक्रमण करके वार्षिक प्राप्तियों के 20 प्रतिशत से अधिक वाणिज्यिक प्राप्तियां प्राप्त करना,

(ख) संपरीक्षित लेखा बहियां प्राप्त न होना,

(ग) आय विवरणी फाइल न करना, जिसके लिए केवल द्वितीय व्यवस्था के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध है।

(ii) वर्तमान में इन मामलों में छूट उपलब्ध न होने की दशा में कराधेय आय की संगणना करने पर स्पष्टता की कमी है। उदाहरणार्थ, यदि न्यास या संस्था को लेखापरीक्षा रिपोर्ट देरी से प्रस्तुत करने पर छूट से इनकार किया जाता है, तो उसकी संपूर्ण प्राप्तियों पर कर लगाया जा सकता है और किसी उपयोजन के लिए कोई कटौती अनुज्ञान नहीं की जा सकेगी।

(iii) ऐसे मामलों में कर के लिए प्रभार्य आय की संगणना करने में स्पष्टता लाने के लिए, निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है:-

(क) अधिनियम की धारा 13 में उपधारा (10) अतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां उपधारा (8) के उपबंध द्वितीय व्यवस्था के अधीन किसी न्यास या संस्था को लागू होते हों या यदि ऐसा न्यास या संस्था धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ख क) के अधीन विहित शर्तों का अतिक्रमण करता है, तो उसकी कर के लिए प्रभार्य आय की संगणना, किसी न्यास या संस्था के उद्देश्यों के लिए भारत में उपगत व्यय (पूजी व्यय से भिन्न) के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने के अध्याधीन रहते हुए, कटौती अनुज्ञात करने के पश्चात् की जाएगी, अर्थात्-

(i) ऐसा व्यय, निर्धारण वर्ष जिसके लिए आय की संगणना की जा रही है, के लिए सुसंगत पूर्व वर्ष के अव्यवहित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक न्यास या संस्था के खाते में जमा काय से नहीं किया गया हो।

(ii) ऐसा व्यय किसी ऋण या उधार से नहीं किया गया हो,

(iii) अवक्षयण का दावा किसी आस्ति के संबंध में नहीं किया गया हो, जिसके अर्जन का प्रयोज्य आय के रूप में या किसी अन्य पूर्व वर्ष में दावा नहीं किया गया हो, और

(iv) ऐसा व्यय किसी व्यक्ति को अभिदाय या संदान के रूप में नहीं हो।

(ख) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (10) में एक स्पष्टीकरण अतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस उपधारा के अधीन व्यय की रकम को अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (i) और धारा 40 क की उपधारा (3) और (3क) के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे लागू होंगे, जिस प्रकार वह "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना में लागू होते हैं।

(ग) अधिनियम की धारा 13 में उपधारा (11) को अतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा 10 के अधीन कर से प्रभार्य आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारित को उपधारा 10 में उपदर्शित व्यय के अतिरिक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन किसी व्यय या मोक या किसी हानि के मुजरे के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(घ) इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) में बाइसवां परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां प्रथम व्यवस्था के अधीन न्यास या संस्था अठाहरवें परंतुक का अतिक्रमण करती है या दसवें या बाइसवें परंतुक के अधीन विहित की गई शर्तों का अतिक्रमण करती है, वहां उसकी कर से प्रभार्य आय, निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने के अध्याधीन रहते हुए, ऐसे न्यास के उद्देश्यों के लिए भारत में उपगत (पूजी व्यय से भिन्न) व्यय के लिए कटौती अनुज्ञात करने के पश्चात् संगणित की जाएगी, अर्थात्:-

(i) ऐसा व्यय, उस निर्धारण वर्ष, जिसके लिए आय संगणित की जा रही है, से सुसंगत पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन को ऐसे न्यास या संस्था के पास जमा कार्य से नहीं है।

(ii) ऐसा व्यय किसी ऋण या उधार से नहीं है,

- (iii) अवक्षयण का दावा उस आस्ति के संबंध में नहीं है, जिसका अर्जन उसी या किसी अन्य पूर्व वर्ष में धारा 11 के अधीन आय के उपयोजन के रूप में दावा किया गया है, और-
- (iv) ऐसा व्यय किसी व्यक्ति से अभिदाय या संदान के रूप में नहीं है।

(ड) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक में एक स्पष्टीकरण अतः स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस परंतुक के अधीन व्यय की रकम का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (i) के और धारा 40 क की उपधारा (3) और उपधारा (3क) के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे "कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में लागू होते हैं।

(च) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) में तेइसवां परंतुक अतः स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बाइसवें परंतुक के अधीन कर से प्रभार्य आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती को अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन। कोई व्यय या मोक या किसी हानि के मुजरे के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-24 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

(खंड 4 और 8)

5.2 दोनों व्यवस्थाओं के अधीन न्यासों और संस्थाओं की कतिपय आय का विशेष दर पर कराधान :

न्यासों और संस्थाओं की निम्नलिखित आय अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अधीन कर से प्रभार्य हैं :-

- (क) प्रथम या द्वितीय व्यवस्था के अधीन न्यासों और संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यासी या किसी अन्य विनिर्दिष्ट व्यक्ति को कोई अयुक्तियुक्त फायदा न पहुंचाए। द्वितीय व्यवस्था के अधीन न्यासों और संस्थाओं के लिए अधिनियम की धारा 12 क क/12 क ख के अधीन अनुमोदित न्यासों के लिए, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यह उपबंध किया गया है कि न्यास को संपूर्ण छूट से, पहुंचाए गए फायदे को विचार में लाए बिना, इनकार किया जाएगा। प्रथम व्यवस्था के अधीन न्यासों या संस्थाओं के लिए, अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) में बीसवां परंतुक अतः स्थापित करके समान उपबंध करने का प्रस्ताव है।
- (ख) प्रथम व्यवस्था के अधीन किसी न्यास और संस्था के लिए यह आज्ञापक है कि वे अपनी निधियों को विनिर्दिष्ट ढंगों से रखें। अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट रूप से यह उपबंधित है कि ऐसे न्यासों या संस्थाओं की निधियों को इन विनिर्दिष्ट ढंगों में बनाए रखेंगे। द्वितीय व्यवस्था के अधीन न्यासों के लिए, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (घ) में यह उपबंधित है कि न्यास को गैर-विनिर्दिष्ट ढंगों में विनिधान की गई रकम को विचार में लाए बिना छूट से इनकार किया जाएगा।
- (ग) इसके अतिरिक्त, दोनों व्यवस्थाओं के अधीन न्यासों या संस्थाओं के लिए वर्ष के दौरान अपनी आय का कम-से-कम 85 प्रतिशत उपयोजन करना अपेक्षित है। जहां न्यास आय के 85 प्रतिशत का उपयोजन करने में समर्थ नहीं रहता है, तो वह अधिकतम पांच वर्षों के लिए ऐसी आय का संचय कर

सकता है। अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3) में दोनों व्यवस्थाओं के अधीन न्यासों या संस्थाओं के लिए विनिर्दिष्ट रूप से यह उपबंधित है कि ऐसी संचित आय, जिसका संचय की अवधि (अधिकतम 5 वर्षों) के भतर उपयोजन नहीं किया जा सका था, को न्यास की आय समझा जाएगा। इसी प्रकार, दोनों व्यवस्थाओं के अधीन न्यासों या संस्थाओं के लिए अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण-1 के खंड (2) के अधीन एक विनिर्दिष्ट उपबंध है जिसमें एक वर्ष की अवधि के लिए आय का संचय करने का उपबंध किया गया है। अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1ख) में यह उपबंधित है कि यदि अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण-1 के खंड (2) के अधीन संचित आय का अनुज्ञात समय के भीतर उपयोजन नहीं किया जा सका था, तो यह न्यास की आय समझी जाएगी।

- (घ) प्रथम व्यवस्था के अधीन न्यासों या संस्थाओं के लिए वर्ष के दौरान अपनी आय कम-से-कम 85 प्रतिशत का उपयोजन करना अपेक्षित है। जहां ऐसा न्यास वर्ष के दौरान अपनी आय की 85 प्रतिशत का उपयोजन करने में समर्थ नहीं रहता है और ऐसी आय का संचय नहीं करता है, तो ऐसे न्यास की संपूर्ण आय वहां कर के अध्यधीन होगी जहां न्यास अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के दूसरे परंतुक के अधीन अनुमोदित है चूंकि अधिनियम की धारा 10 के खंड 23 (ग) के तीसरे परंतुक में न्यूनतम 85 प्रतिशत आय का उपयोजन किया जाना आज्ञापक है यदि ऐसी आय को संचित नहीं किया जाता है।

ऊपर खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट उपबंधों के उल्लंघन में लागू आय की छोटी राशि के लिए न्यास को छूट से इनकार करने से दोनों व्यवस्थाओं में न्यासों और संस्थाओं को कठिनाईयां पैदा होती हैं क्योंकि ऐसी आय के कराधान के तरीके से संबंध में अस्पष्टता है। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपबंध की आवश्यकता है कि उल्लंघन में लागू आय बिना कटौती के विशेष दर पर काराधीन है। तदनुसार, उपबंधों को युक्तिसंगत बनाने के लिए निम्नलिखित संशोधनों को करने का प्रस्ताव है

(क) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) का संशोधन करने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि आय का भाग जो उक्त खंड के उपबंधों के उल्लंघन में लागू किया गया है, वह कुल आय में सम्मिलित किए जाने का दायी होगा।

(ख) धारा 10 के खंड (23ग) में 21वीं उपबंध अंतःस्थान करने का भी यह विशेष रूप से उपबंध करने का प्रस्ताव किया है कि जहां प्रथम व्यवस्था के अधीन किसी न्यास की आय या ऐसी आय के भाग पर या संपत्ति धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के लाभ के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागू किया गया है, ऐसी आय या आय का भाग या संपत्ति पूर्ववर्ती वर्ष के ऐसे व्यक्ति की आय माना जाएगा जिसे इसमें लागू किया जाएगा। अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2), (4) और (6) के उपबंध भी उस पक लागू होंगे।

(ग) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (घ) का संशोधन करने के लिए उपबंध का प्रस्ताव किया गया है कि आय के उस भाग पर ही उक्त खंड के उपबंधों के उल्लंघन में निहित किया गया है जो कुल आय में सम्मिलित किए जाने का दायी होगा।

(घ) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के तृतीय उपबंध में स्पष्टीकरण-4 का अंतःस्थान करनेके विशेष रूप से उपबंध करनेके का प्रस्ताव किया गया है कि संचित आय जो प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं की गई है जिसके लिए वह संचित की गई है या इसके अतिरिक्त अवधि का अंतिम पूर्व वर्ष होना पूर्ववर्ती वर्ष के ऐसे व्यक्ति की आय माना जाएगा, जिसके लिए आय संचित या अलग की गई है।

(ङ) उपर्युक्त सभी आय विशेष दर पर कराधान किया जाना भी अपेक्षित है। इसलिए अधिनियम में नई धारा 115 ख ख झ का अंतःस्थापन करने के लिए उपबंध किए जाने का यह प्रस्ताव है कि जहां पहली और दूसरी व्यवस्था के अधीन किसी न्यास के रूप में निर्धारिती की कुल आय, जिसमें किसी विशेष आय के द्वारा कोई आय सम्मिलित हो, संदेय आयकर निम्नलिखित का योग होगा-

(i) विशेष आय के योग पर 30 प्रतिशत की दर से संगणित की गई आयकर की धनराशि और

(ii) आयकर की धनराशि जिसके साथ निर्धारिती को अधिभार्य किया जाएगा निर्धारित की कुल आय को खंड (i) में निर्दिष्ट विशेष आय का योग द्वारा कटौती की गई है।

(च) इस नई धारा की उपधारा उपबंध करना चाहते हैं कि किसी खर्चे के संबंध में कोई कटौती या भत्ता या किसी हानि का सेट आफ संगणित विशेष आय में अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन निर्धारिती को अनुमति नहीं दी जाएगी।

(छ) "विनिर्दिष्ट आय" परिभाषित करने वाली धारा प्रस्तावित का स्पष्टीकरण से अभिप्रेत :-

(i) संचित आय या आय का 50 प्रतिशत के अधिक के अलावा जहां संचन अधिनियम के विशिष्ट उपबंध के अधीन अनुमति नहीं दी है; या

(ii) धारा 10 के खंड 23 (ग) या धारा 11 की उपधारा (3) या धारा 11 की उपधारा (1ख) के तृतीय परंतुक के स्पष्टीकरण 4 में निर्दिष्ट आय मानी जाए; या

(iii) कोई आय जिसमें धारा 10 के खंड (23ग) के तृतीय परंतुक के खंड (ख) के उपबंधों के उल्लंघन के कारण धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (घ) के उपबंध के अधीन कुल आय से अलग नहीं किया जाए; या

(iv) कोई आय जिसमें धारा 10 के खंड (23ग) के 21वीं परंतुक के अधीन आय मानी जाएगी या जिसमें धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कुल आय से अलग नहीं रखी जाएगी; या

(v) कोई जिसे धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कुल आय अलग नहीं की जाएगी।

ये संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-24 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष को लागू होगा।

(खंड 4, 8 और 28)

5.3 धारा 80 छ की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधिसूचित अर्थात् नवीकरण के लिए स्वेच्छा योगदान और मंदिन की मरम्मत, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चों।

(i) नवीकरण और मंदिर की मरम्मत, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चों आदि के लिए दान, अधिनियम की 80 छ की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अधिसूचित विशेष प्रयोजन के लिए प्राप्त किए हैं। तथापि,

यह स्पष्ट नहीं है कि यदि ऐसे दान कार्पस दान के रूप में ली गई है या लागू किए जान के लिए अपेक्षित या 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए संचित हो सकता है।

(ii) स्पष्टता प्रदान करने के क्रम में, अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) में स्पष्टीकरण 3क अंतःस्थान का उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है कि जहां न्यास या संस्था के अधीन जिसमें कोई धारित संपत्ति जिसमें कोई धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अधिसूचित कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या कोई अन्य स्थान भी सम्मिलित है, ऐसे न्यास या संस्थान द्वारा ऐसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य स्थान के नवीनीकरण या मरम्मत के किसी स्वैच्छिक अभिदाय के रूप में इसके विकल्प पर प्राप्त किसी राशि का न्यास या संस्था के कार्पस के भाग के रूप में ऐसे न्यास या संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन माना जाएगा कि न्यास या संस्था।

- (क) केवल ऐसे कार्पस प्रयोजन के लिए आवेदनों जिसके लिए स्वैच्छिक अभिदाय किया था,
- (ख) अभिदाय करने के लिए ऐसे कार्पस या किसी व्यक्ति के लिए दान लागू नहीं होता, और
- (ग) प्रथक रूप से ऐसे कार्पस पहचानने योग्य बनाए रखना,
- (घ) फार्म में ऐसे कार्पस विनिवेश या जमा और धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट तरीके।

(iii) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) में स्पष्टीकरण 3ख अंतःस्थापित करने के उपबंध का प्रस्ताव भी किया गया है कि (स्पष्टीकरण उसके प्रयोजन के लिए) कोई न्यास या संस्था इसके द्वारा कोई प्राप्त राशि समझी गई है चूंकि कार्पस का बनावटी भाग और परिणामस्वरूप उसके खंड (क), (ख), (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट शर्तों, ऐसी राशि पूर्व वर्ष की न्यास या संस्था की आय माना जाएगा जिसके दौरान उस स्थान का उल्लंघन होता है।

(iv) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23र) के तीसरे परंतुक में स्पष्टीकरण 1क अंतःस्थापित करने के लिए यह उपबंध करने का प्रस्ताव किया गया है कि उपखंड (v) के निर्दिष्ट न्यास संस्था के अधीन धारित संपत्ति, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य स्थान अधिनियम की धारा 80 छ की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अधिसूचित, ऐसे न्यास या संस्था द्वारा प्राप्त ऐसी राशि जैसे नवीकरण के प्रयोजन के लिए स्वैच्छिक अभिदाय या ऐसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य स्थान, ऐस न्यास या संस्था, इसके यमन करने पर जैसा शर्तों के आधार पर न्यास या संस्था के कार्पस गठित भाग उस न्यास या संस्था

- (क) विशेष प्रयोजन के लिए केवल ऐसे कार्पस आवेदन के लिए आवेदन किया जिसके लिए स्वैच्छिक दान किया था,
- (ख) किसी व्यक्ति को अभिदाय या दान करने के लिए ऐसे कार्पस को लागू नहीं होता।
- (ग) प्रथक रूप से ऐसे कार्पस या पहचान करने योग्य बनाना।
- (घ) धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन उपबंधित तरीके और प्ररूप में ऐसे कार्पस विनिवेश और जमा।

(v) अधिनियम की धारा 10 के खंड 23(ग) के तीसरे परंतुक में स्पष्टीकरण 1ख का अंतःस्थान किए जाने का भी प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि स्पष्टीकरण 1क के प्रयोजन के लिए जहां उपखंड 5 में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्था ने इसके द्वारा प्रप्त किसी राशि को कार्पस के एक भाग के रूप में माना है, खंड (क), (ख), (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों का अतिक्रमण है, ऐसी राशि को इस पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान जिसमें ऐसा अतिक्रमण हुआ है ऐसे न्यास या संस्था की आय के रूप में माना जाएगा।

(vi) ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से व भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चातवर्ती निर्धारण के वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 4 और 5]

5.4 स्पष्टीकरण कि उपयोजन को केवल इसके वास्तविक संदाय पर ही अनुज्ञात किया जाएगा।

व्यवस्थाओं से विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उनकी आय का 85 प्रतिशत लागू किया जाना अपेक्षित है। जैसा कि "उपयोजन" शब्द से स्पष्ट है कि इसका अर्थ वास्तिक संदाय है। यह वो स्थिति है जिसे विभिन्न न्यायालयों द्वारा भी अभि-निर्धारित किया गया है। तदनुसार स्पष्टीकरण (धारा 10 के खंड (23ग) का स्पष्टीकरण 3 और धारा 11 का स्पष्टीकरण) को अंतःस्थापित करके यह स्पष्ट किया जा रहा है।

जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पहली या दूसरी व्यवस्था के अधीन किसी न्यास द्वारा संदेय किसी राशि को उस पूर्ववर्ती वर्ष में आय के उपयोजन के रूप में माना जाएगा। जिसमें इसके द्वारा नियोजित नियमित लेखों की रीति के अनुसार ऐसे न्यास द्वारा उस पूर्ववर्ती वर्ष में जिसमें ऐसी राशि का संदाय करने का दायित्व उपगत किया गया था के बावजूद, इसके द्वारा ऐसी राशि का संदाय वास्तविक है। प्रस्तावित स्पष्टीकरण के परंतुक को अंतःस्थापित किए जाने और प्रस्ताव किया गया है (धारा 10 के खंड (23ग) का स्पष्टीकरण 3 और धारा 11 का स्पष्टीकरण)

जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान, ऐसे न्यास द्वारा उपयोजित होने वाली किसी राशि का दावा किया गया है, ऐसी राशि किसी पश्चातवर्ती पूर्व वर्ष के संबंध में उपयोजन के रूप में अनुज्ञात नहीं की जाएगी

यह संशोधन तारीख 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-23 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लागू होगा।

[खंड 4 और 5]

6 पारिणामिक संशोधन

6.1 धारा 10 के 23(ग) के अधीन विहित प्राधिकारी का निर्देश:

i) अधिनियम की धारा 10 के खंड 23(ग) के पहले और दूसरे परंतुक को 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी कराधान और अन्य विधि (शिथिलिकरण और कतिपय उपबंधों का संशोधन), अधिनियम 2020, द्वारा नई धारा द्वारा नए परंतुकों से प्रतिस्थापित किया गया था ये परंतुक उपबंध करने थे कि पहली व्यवस्था के अधीन न्यास के अनुमोदन के लिए आवेदन को क्षेत्राधिकारिता वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष फाइल

किया जाएगा। और ऐसा प्रधान आयुक्त या आयुक्त आवेदन की समीक्षा के पश्चात् अनुमोदन प्रदान करेगा। पूर्व में ऐसे आवेदनों को विहित प्राधिकारी के समक्ष फाइल किया जाना अपेक्षित था। तदनुसार, आवश्यक संशोधन किए गए। तथापि, अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) में कतिपय स्थानों पर विहित प्राधिकारी को निर्देश जारी रहता है।

ii) अतः विहित प्राधिकारी को निर्देश का अधिनियम की धारा 10 के खंड (23क) के उपखंड (iv), (v), (vi) और (vिक) तथा 19वें परंतुक में प्रधान आयुक्त या आयुक्त से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है

iii) ये संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।

(खंड 4)

6.2 धारा 35 की उपधारा (1क) का संशोधन

i) अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1क) को 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी कराधान और अन्य विधि (शिथिलीकरण और कतिपय उपबंधों का संशोधन) अधिनियम 2020 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था यह दाताओं से इन निकायों द्वारा प्राप्त दान के कथनप को फाइल करने के लिए अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) या (iii) या खंड (iिक) में निर्दिष्ट कंपनी में निर्दिष्ट अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, माहविद्यालय या अन्य संस्था को आज्ञापक बनाता है। तथापि उपधारा में अवधानता पूर्वक कोई प्रारूपण त्रुटि छूट गई है। वर्तमान भाषा के परिशीलन से कि कोई कटौती धारा 35 की उपधारा (1) के खंड 2 या खंड 3 या खंड (iii) का में निर्दिष्ट कंपनी, में निर्दिष्ट अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था के संबंधमें अनुज्ञात नहीं की जाएगी यदि दान ऐसा विवरण फाइल नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में दाताओं द्वारा दावा की गई कटौती का अननुज्ञात अनुज्ञा की जाने की आवश्यकता है। अधिनियम की धारा 80 छ में किसी प्रकार के उपबंधों को 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी कराधान और अन्य विधि (शिथिलीकरण और कतिपय उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा पुनःस्थापित किया गया था, जिसके द्वारा इस धारा के अधीन दाता द्वारा दावा की गई कटौती को अनुज्ञात किया गया था यदि अदाता दान के कथन को प्रस्तुत करने में असफल रहता है।

ii) अतः अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1क) का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिये यह उपबंध किया जा सके कि अधिनियम 3 की उपधारा (i) के खंड (ii) या खंड (iii) या खंड (iiiिक) में निर्दिष्ट कंपनी में निर्दिष्ट किसी अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था की बाबत दाता द्वारा दावा की गई कटौती को अननुज्ञात किया जाएगा जब तक कि ऐसे अनुसंधान संगत, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या कंपनी दान के कथन फाइल नहीं करते हैं।

iii) यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

(खंड 11)

आयकर अधिनियम की धारा 263 के उपबंध में संशोधन

आदेश के पुनरीक्षण के लिए उपबंध में सम्मिलित अधिनियम की धारा 263 जो गलत है जहां तक यह राजस्व के हितो के लिए प्रतिकूल है। अधिनियम की धारा 263 के अधीन एक आदेश वित्तीय वर्ष के अंत से दो वर्ष के भीतर पारित कर सकता है।

2. धारा 29गक के उपबंधों के अनुसार यदि निर्धारण अधिकारी विचार करता है तो यह आवश्यक और शीघ्र, वह अंतरण मूल्यांकन अधिकारी (टी.पी.ओ.) के लिए निर्धारिती द्वारा प्रवेश करने में विनिर्दिष्ट घरेलू लेनदेन या आर्मस लंथ के संगणन भेजने, प्रधान आयुक्त या आयुक्त के अनुमोदन के साथ हो सकता है। टी.पी.ओ. धारा 92गक के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट घरेलू लेनदेन या अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में ए.एल.पी. निर्धारित करने का आदेश पारित किया और अंतिम आय निर्धारित के लिए निर्धारण अधिकारी को इसको भेजे। तथापि, यह स्पष्ट नहीं है कि जिसका संबंध धारा 92गक के अधीन पारित टी.पी.ओ. के आदेश पुनरीक्षण के लिए धारा 263 के अधीन शक्ति देने से है।

3. इसलिए, अधिनियम की धारा 263 के उपबंध का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त जिनको अंतरण मूल्यांकन की अधिकारिता का कार्य दिया गया है इस अधिनियम की धारा के अधीन कोई कार्यवाही अभिलेख पर जांच करने के लिए बुलाया जा सकता है और यदि वह विचार करते हैं कि टी.पी.ओ. द्वारा पारित कोई आदेश अपनी अधिकार क्षेत्र के अधीन कार्य, गलती किया जाना जहां तक राजस्व के हित के प्रतिकूल है, वह टी.पी.ओ. के आदेश का पुनरीक्षण का निर्देश देने का आदेश पारित कर सकता है।

परिणामस्वरूप परिवर्तन अधिनियम की धारा 153 के उपबंधों में भी किया गया है अन्य बातों के साथ पुनरीक्षण आदेश में निर्देश के परिणामस्वरूप टी.पी.ओ. के आदेश को प्रभाव देने के लिए निर्धारण अधिकारी के समय दो मास उपबंध करता है।

4. आगे धारा 153में, यह प्रस्ताव किए जाने

- i. यह उपबंध कि उस धारा की उपधारा (3) और (5) के उपबंध धारा 92गक के अधीन अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित आदेश को भी लागू होगा।
- ii. उपधारा (5क) को अंतःस्थापन करने के लिए यह उपबंध किया जाता है कि जहां अंतरण मूल्यांकन अधिकाारी धारा 92गक के अधीन एक आदेश के द्वारा धारा 263 के अधीन आदेश या निर्देश को प्रभावित करता है और निर्धारण अधिकारी ऐसे आदेश के लिए, निर्धारण अधिकारी निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना के आदेश का संशोधन करने की प्रक्रिया करेगा, अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के ऐसे आदेश की पुष्टि, अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के ऐसे आदेश जिसमें मास की समाप्ति से दो मास के भीतर उसके द्वारा प्राप्त किया गया है।
- iii. उपधारा (6) के उक्त उपबंध करने के लिए अधिनियम में अंतःस्थापित उपधारा (5क) में निर्दिष्ट आदेश लागू होंगे।

5. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।

[खंड 48 और 72]

आयकर अधिनियम की धारा 119 के उपबंधों का संशोधन-

अधिनियम की धारा 119 बोर्ड को, अधिनियम के उचित प्रशासन के लिए अन्य आय कर प्राधिकरणों को आदेश, अनुदेश अथा निदेश जारी करने के लिए सशक्त करता है। उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (क) बोर्ड को, अधिनियम की कतिपय धाराओं, जैसे 115त, 115घ, 115ब घ, 139, 1211, 234क, 234ख, 234ग, 234ड इत्यादि के उपबंधों को शिथिलिकरण उपबंधित करने के लिए निर्धारण कार्य के उचित प्रशासन या राजस्व संग्रहण या शास्तियों को अधिरोपित करने की कार्यवाहियों को आरंभ करने तथा लोकहित में ऐसे अन्य मामलों के संबंध में, सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से शक्ति देगा।

2. अधिनियम की धारा 234च, जो अध्याय 17च के अधीन आती है, उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति विहित समय के भीतर धारा 139 के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह 5 हजार रुपये की फीस संदाय के लिए दायी होगा। सामान्यतः यह धारा अधिनियम की धारा 119 की उपधारा (2) के खंड (क) में अभिव्यक्ति रूप से वर्णित नहीं है।

3. यद्यपि, यह धारा उनके विरुद्ध जो अधिनियम के अधीन अधिरोपित बाध्यताओं की अनुपालना नहीं करते हैं, भयोप्रतिकारी के रूप में कार्य करती है, यह उन व्यक्तियों को आय विवरणी फाईल करने में वास्तविक परेशानी का सामना करते हैं, पर अनिश्चित परिणामस्वरूप फीस उद्ग्रहण का भी कारण बनती है जैसे थल सेना के सदस्य जो दूरस्थ क्षेत्रों में अपेक्षित अवसंरचना की पहुंच के बिना रहते हैं।

4. इस प्रकार, कतिपय व्यक्तियों की श्रेणियों द्वारा आय विवरणी फाईल करने में सामना की गई परेशानियों पर विचार करते हुए तथा उसके लिए जो उनके नियंत्रण में नहीं है पर फीस अधिरोपित नहीं करने के लिए, धारा 234च का अंतःस्थापन तथा अधिनियम की धारा 119 की उपधारा (2) के खंड (क) में वर्णित धाराओं को सूचि में सम्मिलित करना प्रस्तावित है, जिससे कि बोर्ड को ऐसे आदेश या अनुदेश, जो ठीक समझे, जारी करने के लिए समर्थ बनाता है।

5. यह संशोधन 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा।

(खंड 34)

अधिनियम की धारा 133क के प्रयोजनों के लिए आयकर प्राधिकारी

अधिनियम की धारा 133क किसी आयकर प्राधिकारी को, उसकी अधिकारिता के भीतर किसी कारबार, या वृत्ति या पूर्व कार्यकलाप के किसी स्थान में प्रवेश करने की, कि वह लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों, नकद, स्टॉक या अन्य मूल्यवान वस्तुएं या चीजें सत्यापित करने के लिए समर्थ करता है, जो

इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकेगा। धारा 133क का स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी आयकर प्राधिकारी की परिभाषा उपबंधित करता है।

2 कराचेय तथा अन्य विधियां (संशोधन और कतिपय उपबंधों का शिथिलिकरण) अधिनियम, 2020 के माध्यम से स्पष्टीकरण का संशोधन किया गया कि जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई आयकर प्राधिकारी जो प्रधान महानिदेशक आयकर (अन्वेषण) या महानिदेशक आयकर (अनवेषण) या प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (टीडीएस) या मुख्य आयकर आयुक्त (टीडीएस), यथास्थिति, धारा 133क के प्रयोजनों के लिए केवल आयकर प्राधिकारियों के रूप में विचार किया जाएगा।

3 अधिनियम की धारा 133क के स्पष्टीकरण का संशोधन प्रस्तावित है।

4. यह संशोधन 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा।

(खंड 37)

आस्ति समूह से साख की कमी को "अंतरण" का रूप समझा जाएगा

निर्धारण वर्ष 2021-22 से कारबार या वृत्ति की साथ अवक्षयी आस्तियों का रूप नहीं समझी जाएंगी और वहाँ किसी भी स्थिति में कारबार या वृत्ति की साख पर कोई अवक्षय नहीं होगा। उस दशा में जहाँ निर्धारिती द्वारा साख क्रय की जाती है, वहाँ साख के क्रय मूल्य को अधिनियम की धारा 48 के अधीन पूंजी अभिलाभ की संगणना के प्रयोजन के लिए अर्जन का खर्च रहेगा, इस परिस्थिति के अधीन समझा जाता रहेगा, जहाँ निर्धारिती द्वारा ऐसे साख से संबंधित सवक्षय, निर्धारण वर्ष 2021-22 से पूर्व अभिप्राप्त कर लिया गया हो, वहाँ निर्धारिती द्वारा ऐसे प्राप्त किया गया अवक्षय को साख के क्रय मूल्य की रकम से घटा दिया जाएगा।

2 जब संशोधन वित्त अधिनियम, 2021 के माध्यम से किया गया था, परिणामित संशोधन अधिनियम की धारा 50 में खंड (2) में परंतुक अंतः स्थापित करके किये गये थे। एक और अपेक्षित परिणामिक संशोधन का अब प्रस्ताव किया जा रहा है।

3. तदनुसार स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 50 के प्रयोजनों के लिए साक किसी कारबार या वृत्ति की साख की रकम में धारा 43 की उपधारा (6) के उपखंड (ग) की मद (21) की उपमद (अ) के अनुसरण में आस्ति खंड से साख की रकम से कमी को अंतरण के रूप में समझा जाएगा।

4. इस प्रभाव का संशोधन कि किसी कारबार या वृत्ति की साख अवक्षणीय आस्ति नहीं है, को निर्धारण वर्ष 2021-22 से लागू किया गा है। पूर्वोक्त संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और निर्धारण वर्ष 2021-22 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंधमें लागू होगा।

[खंड 15]

शब्द "मंदी विक्रय" की परिभाषा

अधिनियम की धारा 2 के खंड (42ग) में मंदी विक्रय को एक या अधिक उपक्रमों के ऐसे विक्रयों में व्यष्टिक आस्तियों और दायित्वों का मूल्य समनुदेशित किये बिना एकमुश्त प्रतिफल के लिए विक्रय के परिणामस्वरूप अंतरण के रूप में परिभाषित किया गया है। वित्त अधिनियम, 2021 के द्वारा "मंदी विक्रय" की परिभाषा को मंदी विक्रय के अधीन अंतरण के सभी प्रकारों को समावेश कर उसके विस्तार को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया था। फिर भी अनजाने में वहां अंतिम वाक्य में "अंतरण" के स्थान पर शब्द "विक्रय" का उल्लेख है।

2. इसलिए, शब्द "अंतरण" को शब्द "विक्रय" से प्रतिस्थापित करने के लिए अधिनियम की धारा 2 के खंड (42ग) के प्रावधान संशोधित कर अनुवर्ती संशोधन की कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया जाता है।
3. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3]

वित्त विधेयक, 2022 का व्याख्यात्मक जापन

सीमाशुल्क

टिप्पण:-

- (क) "आधारीय सीमा शुल्क" से अभिप्रेत सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन उद्ग्रहीत सीमा शुल्क है ।
- (ख) "कृषि अवसंरचना और विकास उपकर" का अर्थ सीमा शुल्क का एक शुल्क है जो वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 124 के तहत लगाया जाता है।
- (ग) "सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर" का अर्थ सीमा शुल्क का एक अतिरिक्त शुल्क है जो क्रमशः वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 111 के तहत लगाया जाता है ।
- (घ) "स्वास्थ्य उपकर" का अर्थ सीमा शुल्क का एक शुल्क है जो वित्त अधिनियम, 2020 की धारा 141 के तहत लगाया जाता है।
- (ङ) "समाज कल्याण अधिभार" का अर्थ सीमा शुल्क का एक शुल्क है जो वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 110 के तहत लगाया जाता है ।
- (च) वर्ग कोष्ठक में खंड संख्या [] वित्त विधेयक, 2022 के प्रासंगिक खंड को इंगित किया गया है
- (छ) वित्त विधेयक, 2022 के माध्यम से किए गए संशोधन, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, इसके अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होंगे।

I. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन

क्र.सं.	संशोधन	वित्त विधेयक का 2022 खंड
1.	धारा 2 के खंड (34) में "उचित अधिकारी" की परिभाषा है। इस खंड को विशेष रूप से यह बताने के लिए संशोधित किया जा रहा है कि बोर्ड या प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा सीमा शुल्क के एक अधिकारी को कार्यों का असाइनमेंट सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के नए सम्मिलित उप-अनुभागों (1 ए) और (1 बी) के तहत किया जाएगा।	[85]
2.	डीआरआई, ऑडिट और प्रिवेंटिव फॉर्मेशन के अधिकारियों को अधिकारियों की श्रेणी में विशेष रूप से शामिल करने के लिए धारा 3 में संशोधन	[87]

	किया जा रहा है। सीमा शुल्क के अधिकारियों के वर्ग के संबंध में किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए यह संशोधन किया गया है।	
3.	उप-धारा (1ए) और 1(बी) से धारा 5 तक: उप-धारा (1ए) और (1बी) को अधिनियम की धारा 5 में शामिल किया गया है ताकि बोर्ड द्वारा सीमा शुल्क के अधिकारियों को कार्य सौंपने की शक्ति स्पष्ट रूप से प्रदान की जा सके या प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या आयुक्त सीमा शुल्क द्वारा जैसा भी मामला हो। हाल के निर्णयों में न्यायालयों द्वारा देखी गई दुर्बलता को ठीक करने के लिए इस संशोधन की आवश्यकता है कि अधिनियम में सीयू के अधिकारियों को कार्य सौंपने के लिए शक्तियां प्रदान करने वाले स्पष्ट प्रावधान की आवश्यकता है।	[87]
4.	उप-धारा (4) से धारा 5 को उन मानदंडों को चित्रित करने के लिए सम्मिलित किया जा रहा है जो बोर्ड उप-धारा (1) के तहत सीमाएं या शर्तों को लागू करते समय या सीमा शुल्क अधिकारी को उप-धारा (1 ए) के तहत कार्य सौंपते समय अपना सकता है। उदाहरण के लिए, बोर्ड वर्तमान में "सीमा शुल्क के अधिकारियों" पर जो सीमाएं/शर्तें लगाता है, उनमें से एक यह है कि उन्हें एक निर्दिष्ट क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर काम करना आवश्यक है। हालांकि, फेसलेस असेसमेंट और अन्य ट्रेड फैसिलिटी के लॉन्च के साथ	[87]
5.	उप-धारा (5) से धारा 5 को यह सुनिश्चित करने के लिए सम्मिलित किया जा रहा है कि जहां कहीं भी आवश्यक हो, कार्य के उचित प्रबंधन के लिए, सीमा शुल्क के दो या अधिक अधिकारी समवर्ती रूप से शक्तियों और कार्यों का प्रयोग कर सकते हैं (उदाहरण के लिए फेसलेस मूल्यांकन के मामले में)	[87]
6.	धारा 14 में संशोधन किया जा रहा है ताकि बोर्ड को आयातित माल के एक वर्ग के संबंध में आयातक के अतिरिक्त दायित्वों को निर्दिष्ट करने में सक्षम बनाया जा सके, जिसका मूल्य सही ढंग से घोषित नहीं किया जा रहा है, ऐसे माल के चयन के मानदंड, और चेक के संबंध में ऐसे माल की। यह संशोधन आयात में अवमूल्यन के मुद्दे को हल करने का एक उपाय है।	[88]

7.	खंड (सी) के तहत स्पष्टीकरण को छोड़ने और खंड (एच) को छोड़ने के लिए धारा 28ई में संशोधन किया जा रहा है।	[89]
8.	अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन के संबंध में बोर्ड द्वारा उचित शुल्क निर्धारित करने के लिए प्रावधान करने के लिए धारा 28 एच में संशोधन किया जा रहा है और आवेदक को वर्तमान 30 दिनों की समय अवधि से निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय अपना आवेदन वापस लेने के लिए लचीलापन देता है। नतीजतन, उप-धारा (3) को छोड़ा जा रहा है।	[90]
9.	धारा 28 आई के तहत उप-धारा (7) को प्रतिस्थापित किया जा रहा है ताकि "सदस्य" शब्द को हटा दिया जा सके और तदनुसार परिवर्तन भी किया जा सके।	[91]
10.	धारा 28जे के तहत उप-धारा (2) को प्रतिस्थापित किया जा रहा है ताकि धारा 28 जे की उप-धारा (1) के तहत अग्रिम निर्णय अब तीन साल की अवधि के लिए या कानून या तथ्यों में परिवर्तन होने तक वैध हो, जिसके आधार पर अग्रिम निर्णय सुनाया गया है, जो भी पहले हो। यह उपबंध करने के लिए एक परंतुक भी डाला जा रहा है कि जिस तारीख को वित्त विधेयक, 2022 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है, उस तारीख से लागू अग्रिम विनिर्णय, तीन वर्ष की उक्त अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी	[92]
11.	धारा 110ए को इस सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए डाला जा रहा है कि, जहां कहीं भी, सक्षम अधिकार क्षेत्र के एक अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्रयोग किया जाने वाला एक मूल कार्य, किसी अन्य अधिकारी द्वारा बाद की जांच, जांच, लेखा परीक्षा या किसी अन्य निर्दिष्ट उद्देश्य का विषय है। सीमा शुल्क, फिर, इस तरह की जांच, जांच, लेखा परीक्षा या किसी अन्य उद्देश्य के बावजूद, अधिकारी, जो मूल रूप से इस तरह के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, के पास आगे के कार्य के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का एकमात्र अधिकार होगा	[93]
12.	सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अपराध के रूप में, जब तक कानून द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक ऐसी जानकारी को प्रकाशित	[94]

	करके आयातकों या निर्यातकों द्वारा अपनी घोषणाओं में सीमा शुल्क को प्रस्तुत किए गए आयात और निर्यात डेटा की सुरक्षा के लिए धारा 135 एए डाली जा रही है।	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

II. सीमा शुल्क से संबंधित अन्य विधायी संशोधन

क्र.सं.	संशोधन	वित्त विधेयक का 2022 खंड
1.	वित्त विधेयक, 2022 में एक खंड [] डाला गया है। यह खंड किसी भी अधिकारी द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम के कुछ अध्यायों के तहत वित्त अधिनियम, 2022 के शुरू होने की तारीख से पहले की गई किसी भी कार्रवाई या किए गए कार्यों को मान्यता देने का प्रयास करता है। सीमा शुल्क, जैसा कि संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 में निर्दिष्ट है, जहां ऐसी कार्रवाई सीमा शुल्क अधिनियम के तहत केंद्र सरकार या बोर्ड द्वारा उनकी नियुक्ति और कार्यों को सौंपने के अनुसरण में थी।	[96]

III. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन

संशोधन					
क.	मूल सीमा शुल्क के लिए टैरिफ दर में परिवर्तन [02.02.2022 से प्रभावी, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो] * [वित्त विधेयक, 2022 का खंड [97क]]			शुल्क की दर	
क्रमांक	शीर्षक, उप-शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तु	से	तक	
		खाद्य तेल			
1.	1516 30 00	माइक्रोबियल वसा और तेल और उनके अंश	30%	100%	
		एमएसएमई क्षेत्र			
2.	6601	छाते	10%	20%	
		रत्न और आभूषण क्षेत्र			
3.	7117	नकली गहने	20%	20% या रु. 400/कि ग्रा., जो भी अधिक हो	
		इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम			
4.	8518 21 , 8518 22 , 8518 29	सिंगल या मल्टीपल लाउडस्पीकर, चाहे उनके बाड़ों में लगे हों या नहीं नोट: सुनने योग्य उपकरणों के अलावा इन सामानों पर प्रभावी बीसीडी दर '15%' बनी रहेगी। सुनने योग्य उपकरणों पर बीसीडी दरों को चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम [पीएमपी] द्वारा नियंत्रित किया जाएगा जैसा कि नीचे V में बताया गया है।	15%	20%	

5.	8518 30	हेडफोन और इयरफोन, चाहे माइक्रोफोन के साथ संयुक्त हों या नहीं, और माइक्रोफोन और एक या अधिक लाउडस्पीकर से युक्त सेट नोट: सुनने योग्य उपकरणों के अलावा इन सामानों पर प्रभावी बीसीडी दर '15%' बनी रहेगी। सुनने योग्य उपकरणों पर बीसीडी दरों को चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम [पीएमपी] द्वारा नियंत्रित किया जाएगा जैसा कि नीचे Vमें बताया गया है।	15%	20%
6.	9028 30 10	स्मार्ट मीटर नोट: इन वस्तुओं पर प्रभावी बीसीडी दर 31.03.2022 तक '15%' बनी रहेगी	15%	25%
7.	9028 90 10	स्मार्ट मीटर की मुद्रित सर्किट बोर्ड असेंबली नोट: इन वस्तुओं पर प्रभावी बीसीडी दर 31.03.2022 तक '7.5%' बनी रहेगी	10%	20%
		सौर ऊर्जा क्षेत्र		
8.	8541 42 00	सौर सेल (आईटीए-1 मर्दों के साथ विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले के अलावा) नोट: इन सामानों पर प्रभावी बीसीडी दर 31.03.2022 तक 'शून्य' बनी रहेगी।	20%	25%
9.	8541 43 00	सौर मॉड्यूल (आईटीए-1 मर्दों के साथ विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले मॉड्यूल के अलावा) नोट: इन सामानों पर प्रभावी बीसीडी दर 31.03.2022 तक 'शून्य' बनी रहेगी।	20%	40%
ख.	टैरिफ दर में परिवर्तन (मूल सीमा शुल्क की प्रभावी दरों में बिना किसी बदलाव के) [01.05.2022 से प्रभावी होने के लिए, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो] * [वित्त विधेयक, 2022 का खंड [97ख]] ध्यान दें:		शुल्क की दर	

<p>1. इन वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क की वर्तमान लागू दर उनकी संबंधित छूट/रियायती अधिसूचना (अधिसूचनाओं) के माध्यम से संचालित होती है। इस तरह की संबंधित प्रविष्टियों को 1 मई, 2022 से संबंधित अधिसूचना (अधिसूचनाओं) से हटा दिया जाएगा, क्योंकि वे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के माध्यम से नीचे वर्णित तरीके से संचालित होंगी [क्रम संख्या 38 को छोड़कर नीचे दी गई सूची में से]। यह सीमा शुल्क टैरिफ के सरलीकरण के लिए एक अभ्यास है और इन मदों की प्रभावी मूल सीमा शुल्क दर (और लागू उपकर) अपरिवर्तित रहेगी।</p> <p>2. कॉलम (2) में निर्दिष्ट शीर्षक और उप-शीर्षक में ऐसे शीर्षक या उप-शीर्षक के अंतर्गत सभी टैरिफ मद शामिल होंगे।</p>				
क्रमांक	अध्याय, शीर्षक, उप-शीर्षक, या टैरिफ आइटम	वस्तु	से	तक
1.	0101 21 00	शुद्ध नस्ल के प्रजनन घोड़े	30%	निशुल्क
2.	0508 00 10	मूंगा, बिना काम वाला या बस तैयार किया गया लेकिन अन्यथा काम नहीं किया गया	30%	निशुल्क
3.	0511 10 00	गोजातीय वीर्य	30%	5%
4.	0801 31 00	काजू, खोल में	30%	2.5%
5.	0802 51 00, 0802 52 00	पिस्ता, खोल और खोल में	30%	10%

6.	0804 10 20, 0804 10 30	नरम खजूर (खैजुर या गीली खजूर), कठोर खजूर (छोहारा या खरेक खजूर)	30%	20%
7.	0805 10 00, 0805 50 00,	संतरा, नींबू और नींबू	40%	30%
8.	0806 10 00	ताजा अंगूर	35%	30%
9.	0808 30 00, 0808 40 00	ताजा नाशपाती, ताजा श्रीफल	35%	30%
10.	0904 11 10	लंबी काली मिर्च	70%	30%
11.	0907	लौंग (पूरे फल, लौंग और तना)	70%	35%
12.	1001 19 00, 1001 99 10	गेहूं, बीज गुणवत्ता के अलावा अन्य	100%	40%
13.	1005	मक्का के दाने	70%/60 %	50%
14.	1007	अनाज ज्वार	80%	50%
15.	1008 21, 1008 29	बाजरा (जवार, बाजरा, रागी)	70%	50%
16.	1104 22 00	जई के अन्य अनाज	30%	15%
17.	1107 10 00	माल्ट भुना नहीं	40%	30%
18.	1108 12 00	मक्का (मकई) स्टार्च	50%	30%

19.	1207 91 00	खसखस	70%	20%
20.	1209 91, 1209 99	सब्जी के बीज, फल बीज बोने या बोने के लिए	10%	5%
21.	1401 10 00	बांस	30%	25%
22.	1702 11, 1702 19	लैक्टोज और लैक्टोज सिरप	30%	25%
23.	1905 31 00, 1905 32	मीठे बिस्कुट, वफल और वेफर्स	45%	30%
24.	2207 20 00	एथिल अल्कोहल और अन्य स्प्रिट, विकृतीकृत	30%	5%
25.	2309 10 00	कुत्ते या बिल्ली का खाना, खुदरा बिक्री के लिए रखा गया	30%	20%
26.	अध्याय 23 (23091000 को छोड़कर)	खाद्य उद्योगों से अवशेष और अपशिष्ट; तैयार पशु चारा	30%	15%
27.	25 (2515, 25162523, 2524 को छोड़कर, और नीचे क्रम संख्या 28, 29, 30, 31 और 32 पर आइटम)	नमक, सल्फर, पृथ्वी और पत्थर, चूना आदि।	10%	5%
28.	2503 00 10	कच्चा या अपरिष्कृत सल्फर	10%	2.5%

29.	2510	रॉक फॉस्फेट	5%	2.5%
30.	2520 10 10, 2520 10 20, 2520 10 90	जिप्सम	10%	2.5%
31.	2523 29	पोर्टलैंड सीमेंट (सफेद पोर्टलैंड सीमेंट के अलावा)	10%	निशुल्क
32.	2528	बोरॉन अयस्क और सांद्र	10%	2.5%
33.	2601 2617 [नीचे क्रम संख्या 34 और 35 पर मदों को छोड़कर]	अयस्क और सांद्र	5%/10%	2.5%
34.	2604 00 00	निकल अयस्क और सांद्र	5%	निशुल्क
35.	2612 10 00	यूरेनियम अयस्क और सांद्र	5%	निशुल्क
36.	2620 11 00, 2620 19	ज़ीन स्लैग, राख या अवशेष	10%	5%
37.	2620 30	कॉपर स्लैग, राख या अवशेष	10%	5%
38.	2701, 2702, 2703	कोयला, लिग्नाइट, पीट [इन मदों पर अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमाशुल्क के माध्यम से 1% की दर से मूल सीमा शुल्क लगता रहेगा]	10%	5%
39.	2704, 2705, 2706	कोक, कोयला गैस और तारो	10%	5%

40.	2707	कोलतार आसवन से तेल आदि	10%	2.5%
41.	2708	पिच और पिच कोक	10%	5%
42.	2709 00 90	बिटुमिनस कूड से प्राप्त तेल (कच्चे पेट्रोलियम के अलावा)	5%	निशुल्क
43.	2710 12 50	एविएशन गैसोलीन मानक 1604 . की पुष्टि करता है	10%	निशुल्क
44.	2710, 2711, 2712, 2713, 2714 या 2715	पेट्रोलियम तेल, पेट्रोलियम गैसों, पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम कोक, बिटुमेन या डामर (नेफ्था को छोड़कर)पेट्रोलियम कोक	10%	5%
45.	2710 12 21, 2710 12 22, 2710 12 29	लाइट नेफ्था, भारी नेफ्था, पूरी रेंज नेफ्था	10%	2.5%
46.	2710 12 41, 2710 12 42, 2710 12 49	मोटर स्पिरिट को आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है	10%	2.5%
47.	2710 19 44, 2710 19 49, 2710 20 10, 2710 2020	हाई स्पीड डीजल (HSD)	10%	2.5%

48.	2710 19 39	एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF)	10%	5%
49.	2711 11 00	तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी)	10%	2.5%
50.	2711 12 00	प्रोपेन	10%	2.5%
51.	2711 13 00	ब्यूटेनस	10%	2.5%
52.	2711 19 10, 2711 19 20	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)	10%	5%
53.	2711 21 00, 2711 29 00	गैसीय अवस्था में प्राकृतिक गैस	10%	5%
54.	2713 12 10, 2713 12 90	कैलक्लाइंड पेट्रोलियम कोक	10%	7.5%
55.	28 (2801, 2802 2803, 2804, 2805, 2 809 20 10, 2810 00 20, 2814, 2823 00 10, 2837 11 00,	अकार्बनिक रसायन (रासायनिक तत्वों, फॉस्फोरिक एसिड, बोरिक एसिड, अमोनिया, टाइटेनियम डाइऑक्साइड आदि के अलावा)	10%	7.5%

	2843को छोड़कर,और क्रम संख्या 57 पर आइटम)			
56.	2801 20 00	आयोडीन	5%	2.5%
57.	2825 40 00	निकल ऑक्साइड और हाइड्रॉक्साइड	10%	निशुल्क
58.	2844 20 00	परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए सभी सामान	10%	निशुल्क
59.	29(2905 43 00, 2905 44 00, 29337100 को छोड़कर, और नीचे क्रम संख्या 60 से 73 पर आइटम)	कार्बनिक रसायन (मैनिटोल, डी-ग्लुसिटोल (सोरबिटोल) और 6- हेक्सेनलैक्टम को छोड़कर)	10%	7.5%
60.	2901, 2902 (नीचे क्रम संख्या 61, 62 और 63 में सूचीबद्ध मदों को छोड़कर)	चक्रीय और चक्रीय हाइड्रोकार्बन (ओ-ज़ाइलीन, पी-ज़ाइलीन और स्टाइरीन के अलावा)	10%	2.5%

61.	2902 41 00	ओ-ज़ाइलीन	10%	निशुल्क
62.	2902 43 00	पी-ज़ाइलीन	10%	निशुल्क
63.	2902 50 00	स्टाइरीन	10%	2%
64.	2903 या 2904 (नीचे क्रम संख्या 65 और 66 पर मदों को छोड़कर)	हाइड्रोकार्बन के हैलोजेनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड या नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव (मिथाइल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और ट्राइक्लोरोइथाइलीन के अलावा)	10%	5%
65.	2903 15 00	एथिलीन डाइक्लोराइड (ईडीसी)	10%	निशुल्क
66.	2903 21 00	विनाइल क्लोराइड मोनोमर (वीसीएम)	10%	2%
67.	2905 31 00	मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल (एमईजी)	10%	5%
68.	2910 20 00	मिथाइल ऑक्सीरेन (प्रोपलीन ऑक्साइड)	10%	5%
69.	2917 36 00	शुद्ध टैरेफ्थेलिक एसिड (पीटीए), मध्यम गुणवत्ता वाला टैरेफ्थेलिक एसिड (एमटीए) और क्वालिफाइड टैरेफ्थेलिक एसिड (क्यूटीए)	10%	5%
70.	2917 37 00	डाइमिथाइल टैरेफ्थेलेट (डीएमटी)	10%	5%
71.	2926 10 00	एक्राइलोनाइट्राइल	10%	2.5%

72.	293371 00	कैप्रोलैक्टम	10%	5%
73.	2905 43 00, 2905 44 00,	मन्निटोल, सोरबिटोल	30%	20%
74.	31 (31022100, 3102 30 00, 31025000, 31043000, 31052000, 31053000, 31054000, 31055100, 31055900, 31056000, 31059010, 31059090 को छोड़कर)	उर्वरक (अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, एनपीके के खनिज या रासायनिक उर्वरक के अलावा)	10%	7.5%
75.	3201, 3202, 3203, 3204, 3205 00 00, 3206, 3207 (3201 20 00, 3206 11, और	टैनिंग एजेंट, रंग सामग्री, रंगीन झीलें, तैयार रंगद्रव्य आदि।	10%	7.5%

	3206 19 00 को छोड़कर)			
76.	3201 20 00	मवेशी निकालने	10%	2.5%
77.	3301	आवश्यक तेल	30%	20%
78.	3403	चिकनाई की तैयारी आदि।	10%	7.5%
79.	3501, 3502, 3503, 3504, 3505,	कैसिइन, एल्ब्यूमिन, जिलेटिन, पेप्टोन, डेक्सट्रिन	30%/50 %	20%
80.	3801, 3802, 3803 00 00, 3804, 3805, 3806, 3807, 3809 (3809 10 00 को छोड़कर), 3810, 3812, 3815, 3816 00 00, 3817, 3821 00 00	विविध रासायनिक उत्पाद जैसे कृत्रिम ग्रेफाइट, सक्रिय कार्बन, लंबा तेल, रसिन, लकड़ी के टार आदि।	10%	7.5%

81.	3809 10 00	एमाइलेशियस पदार्थों के आधार पर फिनिशिंग एजेंट	30%	20%
82.	3823 11 00, 3823 12 00, 3823 13 00, 3823 19 00 या 3823 70	औद्योगिक मोनोकारबॉक्सिलिक फैटी एसिड और फैटी अल्कोहल	30%	7.5%
83.	3824 (3824 60 और 3824 99 00 को छोड़कर) और 3827	फाउंड्री मोल्ड्स के लिए तैयार बाइंडर, मीथेन, ईथेन या प्रोपेन के हैलोजनेटेड डेरिवेटिव युक्त मिश्रण, अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं	10%	7.5%
84.	3901 से 3915 (3904, 3906 90 70, और 3908 को छोड़कर)	प्राथमिक रूपों में प्लास्टिक (विनाइल क्लोराइड, पॉलीमाइड्स के पॉलिमर को छोड़कर)	10%	7.5%
85.	3906 90 70	सोडियम पॉलीएक्रिलेट	10%	5%
86.	4001 21, 4001 22, 4001 29	लेटेक्स के अलावा अन्य रूपों में प्राकृतिक रबर	25%	25% या रु. 30/- जो भी कम हो
87.	5002	कच्चा रेशम, (फेंका नहीं गया)	30%	15%

88.	5003 to 5006	रेशम अपशिष्ट और रेशम यार्न	25%	15%
89.	5007	रेशम या रेशम के कचरे के बुने हुए कपड़े	25%	20%
90.	5101	ऊन, कार्डेड या कंघी नहीं	25%/30 %	2.5%
91.	5102	जानवरों के महीन या मोटे बाल	25%	5%
92.	5103 10 10, 5103 20 10, 5103 20 20, 5103 20 90	ऊन अपशिष्ट	25%	5%
93.	5103 10 90, 5103 30 00	जानवरों के वेस्टमोटे बाल	25%	10%
94.	5104	ऊन या जानवरों के महीन या मोटे बालों का गार्नेटेड स्टॉक	20%	10%
95.	5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 90, 5105 31 00, 5105 39 00, 5105 40 00	ऊन और जानवरों के महीन या मोटे बाल, कार्डेड या कंघी	20%	10%
96.	5105 29 10	ऊन टॉप	20%	2.5%
97.	5106, 5107, 5108	ऊनी धागा, खुदरा बिक्री के लिए नहीं रखा गया	20%	10%
98.	5109, 5110	ऊनी धागा, खुदरा बिक्री के लिए रखा गया	25%	10%

99.	5111 11	कार्डेड वूल या कार्डेड फाइन एनिमल हेयर के बुने हुए कपड़े, वजन के, 300 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक नहीं।	25% या रु. 135 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 115 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
100.	5111 19	कार्डेड वूल या कार्डेड फाइन एनिमल हेयर के बुने हुए कपड़े, वजन के, 300 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक।	25% या रु. 150 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 125 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
101.	5111 20	कार्डेड वूल या कार्डेड फाइन जानवरों के बालों के बुने हुए कपड़े, मुख्य रूप से या पूरी तरह से मानव निर्मित फिलामेंट्स के साथ मिश्रित होते हैं	25% या रु. 80 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 65 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
102.	5111 30	कार्डेड वूल या कार्डेड फाइन जानवरों के बालों के बुने हुए कपड़े, मुख्य रूप से या पूरी तरह से मानव निर्मित स्टेपल फाइबर के साथ मिश्रित होते हैं	25% या रु. 75 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 65 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
103.	5111 90	कार्डेड वूल या कार्डेड फाइन एनिमल हेयर के अन्य बुने हुए कपड़े	25% या रु. 90 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 75 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
104.	5112 11	कंघी किए हुए ऊन या कंघी किए हुए महीन जानवरों के बालों के बुने हुए कपड़े, वजन के,	25% या रु. 125	10% या रु. 105

		300 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक नहीं।	प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
105.	5112 19	कंघी किए हुए ऊन के बुने हुए कपड़े या कंघी किए हुए महीन जानवरों के बाल, जिनका वजन 300 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक हो।	25% या रु. 155 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 130 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
106.	5112 20	कंघी किए हुए ऊन या कंघी किए हुए महीन जानवरों के बालों के बुने हुए कपड़े, जो मुख्य रूप से या पूरी तरह से मानव निर्मित फिलामेंट्स के साथ मिश्रित होते हैं	25% या रु.85 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 70 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
107.	5112 30	कार्डेड वूल या कार्डेड फाइन जानवरों के बालों के बुने हुए कपड़े, मुख्य रूप से या पूरी तरह से मानव निर्मित स्टेपल फाइबर के साथ मिश्रित होते हैं	25% या रु.110 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 90 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
108.	5112 90	कार्डेड वूल या कार्डेड फाइन एनिमल हेयर के अन्य बुने हुए कपड़े	25% या रु.135 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 115 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
109.	5113	मोटे जानवरों के बालों या छोड़े के बालों के बुने हुए कपड़े	25% या रु.60 प्रति वर्ग मीटर, जो भी	10% या रु. 60 प्रति वर्ग मीटर, जो

			अधिक हो	भी अधिक हो
110.	5201	कपास, कार्डेड या कंघी नहीं	25%	5%
111.	5202	कपास का कचरा	25%	10%
112.	5204, 5205, 5206	सूती सिलाई धागा, सूती धागा (खुदरा बिक्री के लिए नहीं रखा गया)	20%	10%
113.	5207	सूती धागा (खुदरा बिक्री के लिए रखा गया)	25%	10%
114.	5208 11, 5208 12, 5208 13, 5208 19, 5208 21, 5208 22, 5208 23, 5208 29, 5208 31, 5208 32, 5208 33	कपास के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन से 85% या अधिक होता है, वजन 200 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक नहीं होता है।	25%	10%
115.	5208 41	कपास के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन से 85% या अधिक होता है, जिसका वजन 200 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक नहीं होता है, विभिन्न रंगों के सूत का	25% या रु.9 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 9 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
116.	5208 43	कपास के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन से 85% या अधिक हो, वजन 200 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक न हो, क्रॉस टवील सहित 3-श्रेड या 4-श्रेड टवील	25%	10%
117.	5208 51	कपास के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन से 85% या अधिक होता है, वजन 200 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक नहीं होता है, सादा बुनाई,	25% या रु.27 प्रति वर्ग मीटर,	10% या रु. 27 प्रति वर्ग

		वजन 100 ग्राम / वर्ग से अधिक नहीं होता है। एम।	जो भी अधिक हो	मीटर, जो भी अधिक हो
118.	5209 11, 5209 12, 5209 21, 5209 22, 5209 29, 5209 19 00	कपास के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन का 85% या अधिक होता है, जिसका वजन 200 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक होता है	25%	10%
119.	5209 42 00	कपास के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन से 85% या अधिक होता है, 200 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक वजन का होता है, डेनिम	25% या रु.25 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु.25 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
120.	5210 11, 5210 21, 5210 29, 5210 31, 5210 32	सूती के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन से 85% से कम होता है, मुख्य रूप से या पूरी तरह से मानव निर्मित फाइबर के साथ मिश्रित होता है, जिसका वजन 200 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक नहीं होता है	25%	10%
121.	5210 41	सूती के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन से 85% से कम होता है, मुख्य रूप से या पूरी तरह से मानव निर्मित रेशों के साथ मिश्रित होता है, जिसका वजन 200 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक नहीं होता है, विभिन्न रंगों के सूत	25% या रु.15 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु.15 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
122.	5211 11, 5211 12, 5211 19 00, 5211 20	कपास के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन से 85% से कम होता है, मुख्य रूप से या पूरी तरह से मानव निर्मित फाइबर के साथ मिश्रित होता है, जिसका वजन 200 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक होता है।	25%	10%
123.	5211 42 00	कपास के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन से 85% से कम होता है, मुख्य रूप से या पूरी	25% या रु.18 प्रति	10% या रु.18 प्रति

		तरह से मानव निर्मित फाइबर के साथ मिश्रित होता है, जिसका वजन 200 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक होता है, डेनिम	वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
124.	5212 11 00, 5212 12 00, 5212 13 00, 5212 14 00	कपास के अन्य बुने हुए कपड़े, जिनका वजन 200 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक नहीं होता है, विभिन्न रंगों के यार्न के बिना ब्लीच किए, रंगे हुए, रंगे होते हैं	25%	10%
125.	5212 15 00	कपास के अन्य बुने हुए कपड़े, मुद्रित	25% या रु. 165 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो	10% या रु. 165 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
126.	5212 21 00, 5212 22 00, 5212 23 00	कपास के अन्य बुने हुए कपड़े, जिनका वजन 200 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक होता है, बिना प्रक्षालित, प्रक्षालित, रंगे होते हैं	25%	10%
127.	5212 24 00	कपास के अन्य बुने हुए कपड़े, जिनका वजन 200 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक होता है, विभिन्न रंगों के धागों से	25% या रु. 20 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 20 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
128.	5212 25 00	कपास के अन्य बुने हुए कपड़े, 200 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक वजन, मुद्रित	25% या रु. 165 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो	10% या रु. 165 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो

129.	5301	सन, कच्चा या संसाधित, लेकिन काता नहीं; सन टो और अपशिष्ट	25%/30 %	निशुल्क
130.	5303 10 10	कच्चा जूट	25%	5%
131.	5303 10 90, 5303 90 10, 5303 90 90	जूट और अन्य कपड़ा बास्टफाइबर	25%	10%
132.	5305, 5306, 5307, 5308, 5309	नारियल, अबाका, रेमी और अन्य वनस्पति वस्त्र फाइबर, सन यार्न, जूट यार्न, पेपर यार्न, सन फैब्रिक	25%	10%
133.	5310 10, 5310 90	जूट या अन्य वस्त्र बास्टफाइबर के बुने हुए कपड़े	25%	10%
134.	5311	अन्य वनस्पति टेक्सटाइल फाइबर या पेपर यार्न के बुने हुए कपड़े	25%	10%
135.	5401	मानव निर्मित फिलामेंट्स का सिलाई धागा, खुदरा बिक्री के लिए रखा गया है या नहीं	20%	5%
136.	5402	सिंथेटिक फिलामेंट यार्न, खुदरा बिक्री के लिए नहीं रखा गया है, जिसमें 67 डेसीटेक्स से कम के सिंथेटिक मोनोफिलामेंट शामिल हैं	20%	5%
137.	5403	कृत्रिम फिलामेंट यार्न, खुदरा बिक्री के लिए नहीं रखा गया है, जिसमें 67 डेसीटेक्स से कम के कृत्रिम मोनोफिलामेंट शामिल हैं	20%	5%
138.	5404	67 डेसीटेक्स या उससे अधिक का सिंथेटिक मोनोफिलामेंट	20%	5%
139.	5405	67 डेसीटेक्स या उससे अधिक का कृत्रिम मोनोफिलामेंट	20%	5%
140.	5406	मानव निर्मित फिलामेंट यार्न	20%	5%

141.	5407 10 11, 5407 10 12, 5407 10 13, 5407 10 14, 5407 10 15, 5407 10 16, 5407 10 19, 5407 10 22, 5407 10 23, 5407 10 24, 5407 10 25, 5407 10 29, 5407 10 31, 5407 10 33, 5407 10 34, 5407 10 35, 5407 10 36, 5407 10 39, 5407 10 43, 5407 10 44, 5407 10 45, 5407 10 46, 5407 10	सिंथेटिक फिलामेंट यार्न के बुने हुए कपड़े	25% या रु.115 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो	20% या रु.115 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

	49, 5407 10 91, 5407 10 92, 5407 10 93, 5407 10 94, 5407 10 95, 5407 10 96, 5407 10 99			
142.	5407 10 21, 5407 10 26, 5407 10 32, 5407 10 41, 5407 10 42	पैराशूट कपड़े, पॉलिएस्टर सूटिंग, टेंटफैब्रिक्स	25% या रु. 115 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो	10% या रु. 115 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
143.	5407 20, 5407 30	पट्टी या इसी तरह से प्राप्त बुने हुए कपड़े	25%	20%
144.	5407 41 11, 5407 41 13, 5407 41 19, 5407 41 23, 5407 41 29	नायलॉन ब्रासो, नायलॉन तफता, अन्य बुने हुए कपड़े, जिसमें नायलॉन या अन्य पॉलियामाइड के तंतुओं के वजन से 85% या अधिक होता है	25% या रु.30 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.20 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
145.	5407 41 12, 5407 41 14, 5407 41	नायलॉन जॉर्जेट, नायलॉन साड़ी, ब्लिचड नायलॉन ब्रासो	25% या रु.30 प्रति वर्ग मीटर, जो भी	10% या रु.20 प्रति वर्ग मीटर, जो भी

	21, 5407 41 22, 5407 41 24		अधिक हो	अधिक हो
146.	5407 51	अन्य बुने हुए कपड़े, बनावट वाले पॉलिएस्टर फिलामेंट्स के वजन से 85% या उससे अधिक युक्त, बिना ब्लीच किए या ब्लीच किए गए	25% या रु.11 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.11 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
147.	5407 54	अन्य बुने हुए कपड़े, बनावट वाले पॉलिएस्टर फिलामेंट्स के वजन से 85% या उससे अधिक युक्त, मुद्रित	25% या रु.20 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.20 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
148.	5407 71	अन्य बुने हुए कपड़े, जिनमें सिंथेटिक फिलामेंट्स के वजन से 85% या अधिक होता है, बिना ब्लीच या ब्लीच किया जाता है	25% या रु.10 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.10 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
149.	5407 72 00	अन्य बुने हुए कपड़े, जिनमें सिंथेटिक फिलामेंट्स के वजन से 85% या अधिक होते हैं, रंगे होते हैं	25% या रु.24 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.24 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
150.	5407 81 11, 5407 81 12, 5407 81 13, 5407 81 14, 5407 81 19, 5407	नायलॉन जॉर्जेट, नायलॉन साड़ी, पॉलिएस्टर शर्टिंग, पॉलिएस्टर सूटिंग (बिना ब्लीच किया हुआ), अन्य बुने हुए कपड़े, जिसमें मुख्य रूप से या पूरी तरह से कपास के साथ मिश्रित सिंथेटिक फिलामेंट्स के वजन से 85% या अधिक होते हैं।	25% या रु.10 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.10 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो

	81 22, 5407 81 23, 5407 81 29			
151.	5407 81 15, 5407 81 16, 5407 81 21, 5407 81 24, 5407 81 25, 5407 81 26	टेरीलीन और डैक्रॉन साड़ी, पॉलिएस्टर धोती, ब्लीचड नायलॉन जॉर्जेट, पॉलिएस्टर सूटिंग (प्रक्षालित)	25% या रु.10 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 10 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
152.	5407 91	अन्य बुने हुए कपड़े, बिना प्रक्षालित या प्रक्षालित	25% या रु.15 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.15 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
153.	5408 10 00, 5408 21	विस्कोस रेयान के उच्च तन्यता वाले धागे से प्राप्त बुने हुए कपड़े, जिसमें कृत्रिम फिलामेंट या पट्टी या इसी तरह के वजन के अनुसार 85% या अधिक होता है, बिना ब्लीच किया हुआ या प्रक्षालित	25%	20%
154.	5408 31	अन्य बुने हुए कपड़े, बिना प्रक्षालित या प्रक्षालित	25% या रु.25 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.25 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
155.	5408 32	रेयान के रंगे कपड़े	25% या रु.44 प्रति वर्ग मीटर, जो भी	20% या रु.44 प्रति वर्ग मीटर, जो भी

			अधिक हो	अधिक हो
156.	5408 33 00	रेयान के रंगे हुए कपड़े, विभिन्न रंगों के धागों के	25% या रु.10 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.10 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
157.	5408 34	रेयान के मुद्रित कपड़े	25% या रु.11 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.11 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
158.	5501, 5502	सिंथेटिक और कृत्रिम फिलामेंट टो	20%	5%
159.	5503 20 00	पॉलिएस्टर के सिंथेटिक स्टेपल फाइबर, कार्डेड, कंघी या कताई के लिए अन्यथा संसाधित नहीं होते हैं	20%	5%
160.	5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 20, 5503 90 90	पॉलीप्रोपाइलीन और अन्य के सिंथेटिक स्टेपल फाइबर, कार्डेड, कंघी या कताई के लिए अन्यथा संसाधित नहीं होते हैं	20%	5%
161.	5504 90 10, 5504 90 20, 5504 90 30, 5504 90 90	अन्य कृत्रिम स्टेपल फाइबर, जो कताई के लिए कार्डेड, कंघी या अन्यथा संसाधित नहीं होते हैं	20%	5%
162.	5505, 5506, 5507, 5508,	मानव निर्मित फाइबर अपशिष्ट, सिंथेटिक स्टेपल फाइबर, कृत्रिम स्टेपल फाइबर, मानव निर्मित स्टेपल फाइबर का सिलाई धागा, सिंथेटिक स्टेपल फाइबर का धागा, कृत्रिम स्टेपल फाइबर	20%	5%

	5509, 5510	का धागा		
163.	5511	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर का सूत, खुदरा बिक्री के लिए रखा गया	25% या रु.31 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो/25% या रु. 30 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो	10%
164.	5512 11, 5512 21, 5512 91	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, जिसमें सिंथेटिक स्टेपल फाइबर (बिना ब्लीच या ब्लीच) के वजन से 85% या अधिक होता है, जिसमें ऐक्रेलिक या मोडैक्रेलिक स्टेपल फाइबर (बिना ब्लीच या ब्लीच) के वजन से 85% या अधिक होता है, अन्य	25%	20%
165.	5513 11, 5513 12, 5513 13, 5513 19	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के वजन से 85% से कम होते हैं, मुख्य रूप से या केवल कपास के साथ मिश्रित होते हैं, जिनका वजन 170 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक नहीं होता है। (पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर, सादा बुनाई; 3 धागा या 4 धागा टवील; पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े; अन्य बुने हुए कपड़े)	25%	20%
166.	5513 29 00	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े, सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के वजन से 85% से कम होते हैं, मुख्य रूप से या केवल कपास के साथ मिश्रित होते हैं, जिनका वजन 170 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक नहीं होता है।	25% या रु.185 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो	20% या रु.185 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो

167.	5513 31 00	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के वजन से 85% से कम होते हैं, मुख्य रूप से या पूरी तरह से कपास के साथ मिश्रित, 170 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक वजन के नहीं, विभिन्न रंगों के यार्न के	25% या रु.21 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.21 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
168.	5513 49 00	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े, सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के वजन से 85% से कम, मुख्य रूप से या केवल कपास के साथ मिश्रित, वजन 170 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक नहीं, मुद्रित	25% या रु.185 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो	20% या रु 185 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
169.	5514 11, 5514 12, 5514 19	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, ऐसे फाइबर के वजन से 85% से कम होते हैं, मुख्य रूप से या केवल कपास के साथ मिश्रित होते हैं, जिनका वजन 170 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक होता है। (पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर, सादा बुनाई; 3 धागा या 4 धागा टवील; पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े; अन्य बुने हुए कपड़े)	25%	20%
170.	5514 30 13	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े, ऐसे फाइबर के वजन से 85% से कम, पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के 170 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक वजन के मुख्य रूप से या केवल कपास के साथ मिश्रित होते हैं।	25% या रु.180 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो	20% या रु.180 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
171.	5514 30 19	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े, ऐसे फाइबर के वजन से 85% से कम होते हैं, मुख्य रूप से या केवल कपास के साथ मिश्रित होते हैं, जिनका वजन 170 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक होता है।	25% या रु.31 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.31 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
172.	5514 41	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े,	25% या	20% या

	00	ऐसे फाइबर के वजन से 85% से कम, मुख्य रूप से या केवल कपास के साथ मिश्रित, 170 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक वजन के मुद्रित, मुद्रित	रु.26 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	रु.26 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
173.	5514 42 00	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े, ऐसे फाइबर के वजन से 85% से कम, मुख्य रूप से या केवल कपास के साथ मिश्रित, 170 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक वजन, 3 धागा या 4 धागा टवील	25% या रु.140 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो	20% या रु.140 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
174.	5514 43 00	पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े	25% या रु.31 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.31 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
175.	5515 11	पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े, मुख्य रूप से या केवल विस्कोस रेयान स्टेपल फाइबर के साथ मिश्रित होते हैं	25% या रु.40 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.40 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
176.	5515 12	पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े, मुख्य रूप से या पूरी तरह से मिश्रित	25% या रु.95 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो	20% या रु.95 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
177.	5515 13	पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े, मुख्य रूप से या केवल विस्कोस रेयान स्टेपल फाइबर के साथ मिश्रित होते हैं	25% या रु.75 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.75 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
178.	5515 19	पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े	25% या रु.45 प्रति	20% या रु.45 प्रति

			वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
179.	5515 22 10, 5515 22 20	ऐक्रेलिक या मोडैक्रेलिक स्टेपल फाइबर के सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े, मुख्य रूप से या पूरी तरह से ऊन या महीन जानवरों के बालों के साथ मिश्रित, प्रक्षालित या बिना ब्लीच किए हुए	25% या रु.140 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो	10% या रु. 140 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
180.	5515 22 30	ऐक्रेलिक या मोडैक्रेलिक स्टेपल फाइबर के सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े, मुख्य रूप से या पूरी तरह से ऊन या ठीक जानवरों के बालों के साथ मिश्रित, रंगे हुए	25% या रु.140 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो	20% या रु. 140 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
181.	5515 22 40	ऐक्रेलिक या मोडैक्रेलिक स्टेपल फाइबर के सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े, मुख्य रूप से या पूरी तरह से ऊन या ठीक जानवरों के बालों के साथ मिश्रित, मुद्रित	25% या रु.140 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो	10% या रु. 140 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
182.	5515 22 90	ऐक्रेलिक या मोडैक्रेलिक स्टेपल फाइबर के सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े, मुख्य रूप से या पूरी तरह से ऊन या ठीक जानवरों के बालों के साथ मिश्रित, अन्य	25% या रु.140 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो	20% या रु. 140 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
183.	5515 29 10, 5515 29 20	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े, ऐक्रेलिक या मोडैक्रेलिक स्टेपल फाइबर के, अन्य, प्रक्षालित या बिना ब्लीच किए हुए	25% या रु.30 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 30 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक

				हो
184.	5515 29 30, 5515 29 40, 5515 29 90	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े, ऐक्रेलिक या मोडैक्रेलिक स्टेपल फाइबर के, अन्य, रंगे, मुद्रित या अन्य	25% या रु.30 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.30 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
185.	5515 99	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े, मुख्य रूप से या पूरी तरह से मानव निर्मित फिलामेंट्स के साथ मिश्रित होते हैं	25% या रु.35 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.35 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
186.	5516 11	कृत्रिम स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, कृत्रिम स्टेपल फाइबर के वजन से 85% या अधिक युक्त, बिना ब्लीच किए या प्रक्षालित	25%	20%
187.	5516 12 00	कृत्रिम स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, जिसमें कृत्रिम स्टेपल फाइबर के वजन से 85% या अधिक होता है, रंगे	25% या रु.35 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.35 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
188.	5516 13 00	कृत्रिम स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, जिसमें विभिन्न रंगों के यार्न के कृत्रिम स्टेपल फाइबर के वजन से 85% या अधिक होते हैं	25% या रु.40 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.40 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
189.	5516 14	कृत्रिम स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, जिसमें कृत्रिम स्टेपल फाइबर के वजन से 85% या अधिक होता है, मुद्रित	25% या रु.12 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.12 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
190.	5516 21	कृत्रिम स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, कृत्रिम स्टेपल फाइबर के वजन से 85% से कम, बिना ब्लीच किए हुए या प्रक्षालित	25%	20%

191.	5516 24 00	कृत्रिम स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, जिसमें कृत्रिम स्टेपल फाइबर के वजन से 85% से कम होता है, मुद्रित	25% या रु.12 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.12 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
192.	5516 31 10	कृत्रिम स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, कृत्रिम स्टेपल फाइबर के वजन से 85% से कम होते हैं, मुख्य रूप से या पूरी तरह से ऊन या अच्छे जानवरों के बालों के साथ मिश्रित, बिना ब्लीच किए	25%	20%
193.	5516 31 20	कृत्रिम स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, कृत्रिम स्टेपल फाइबर के वजन से 85% से कम युक्त, मुख्य रूप से या पूरी तरह से ऊन या ठीक जानवरों के बालों के साथ मिश्रित, ब्लीच किया गया	25%	10%
194.	5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00	कृत्रिम स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, जिसमें कृत्रिम स्टेपल फाइबर के वजन से 85% से कम होता है, मुख्य रूप से या पूरी तरह से ऊन या महीन जानवरों के बालों के साथ मिश्रित, रंगे, विभिन्न रंगों के धागों से, मुद्रित	25%	20%
195.	5516 41, 5516 42 00	कृत्रिम स्टेपल फाइबर बुने हुए कपड़े, जिसमें कृत्रिम स्टेपल फाइबर के वजन से 85% से कम होता है, मुख्य रूप से या पूरी तरह से कपास, बिना ब्लीच, ब्लीच या रंगे के साथ मिश्रित होता है	25%	20%
196.	5516 43 00, 5516 44 00	कृत्रिम स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, कृत्रिम स्टेपल फाइबर के वजन से 85% से कम होते हैं, मुख्य रूप से या पूरी तरह से कपास के साथ मिश्रित, विभिन्न रंगों के यार्न के, मुद्रित	25% या रु.12 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.12 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
197.	5516 91 10, 5516 91 20,	कृत्रिम स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, कृत्रिम स्टेपल फाइबर के वजन से 85% से कम, अन्य, बिना ब्लीच, ब्लीच या रंगे हुए	25%	20%

	5516 92 00			
198.	5516 93 00	कृत्रिम स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, कृत्रिम स्टेपल फाइबर के वजन से 85% से कम, अन्य, विभिन्न रंगों के यार्न के	25% या रु.21 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.21 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
199.	5516 94 00	कृत्रिम स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, कृत्रिम स्टेपल फाइबर के वजन से 85% से कम, अन्य, मुद्रित	25% या रु.40 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.40 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
200.	5601 21, 5601 22 00, 5601 29 00	कपास की कपड़ा सामग्री और उसके लेखों की वैडिंग	25%	10%
201.	5601 30 00	कपड़ा झुंड और धूल और चक्की neps	25%	20%
202.	5602	लगा, संसेचन, लेपित, ढका हुआ या लैमिनेटेड है या नहीं	25%	10%
203.	5603 11 00, 5603 22 00	मानव निर्मित फिलामेंट्स के नॉनवॉवन, जिनका वजन 70 ग्राम / वर्ग मीटर तक होता है।	25%	20%
204.	5603 13 00	मानव निर्मित फिलामेंट्स के नॉनवॉवन, जिनका वजन 70 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक है। और 150 ग्राम/वर्ग से कम। एम।	25%	10%
205.	5603 14 00	मानव निर्मित फिलामेंट्स के नॉनवॉवन, जिनका वजन 70 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक है।	25%	20%
206.	5603 91 00	अन्य नॉनवॉवन, जिनका वजन 25 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक नहीं है।	25%	10%
207.	5603 92	अन्य नॉनवॉवन, जिनका वजन 25 ग्राम/वर्ग से	25%	20%

	00	अधिक है। एम। और 70 ग्राम / वर्ग मीटर से कम।		
208.	5603 93	अन्य नॉनवॉवन, जिनका वजन 70 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक है। और 150 ग्राम / वर्ग मीटर से कम।	25%	10%
209.	5603 94	अन्य नॉनवॉवन, जिनका वजन 150 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक है।	25%	20%
210.	5604, 5605, 5606, 5607	रबर का धागा और रस्सी, धातुयुक्त सूत, जिम्पड सूत, सुतली, डोरी, रस्सियाँ आदि।	20%	10%
211.	5608, 5609	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के सुतली, डोरी, रस्सी आदि, धागे, पट्टी या शीर्षक 5404 या 5405 की तरह की जालीदार जाल	25%	10%
212.	5701	कार्पेट और अन्य टेक्सटाइल फ्लोर कवरींग, नॉटेड, चाहे वे बने हों या नहीं	25%	20%
213.	5702 10 00, 5702 20 10, 5702 20 20, 5702 20 90, 5702 31	केलम, शुमाक्स, करमनी; नारियल के रेशों (कॉयर) का फर्श कवरींग; अन्य, ढेर के निर्माण के, ऊन या महीन जानवरों के बालों से नहीं बने	25%	20%
214.	5702 32	अन्य, ढेर निर्माण के, मानव निर्मित कपड़ा सामग्री के नहीं बने हैं	25% या रु. 105 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु. 105 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
215.	5702 39,	अन्य, ढेर निर्माण के, अन्य कपड़ा सामग्री से	25%	20%

	5702 41	नहीं बने; अन्य, ढेर निर्माण के, ऊन या महीन जानवरों के बालों से बने		
216.	5702 42	अन्य, ढेर निर्माण के, मानव निर्मित कपड़ा सामग्री से बने	25% या रु. 80 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु. 80 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
217.	5702 49	अन्य, ढेर निर्माण के, अन्य कपड़ा सामग्री से बना	25%	20%
218.	5702 50 21, 5702 50 22, 5702 50 29	अन्य, ढेर निर्माण के नहीं, मानव निर्मित कपड़ा सामग्री के नहीं बने हैं	25% या रु. 105 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु. 105 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
219.	5702 50 31, 5702 50 32, 5702 50 33, 5702 50 39	अन्य, ढेर निर्माण के नहीं, अन्य कपड़ा सामग्री के बने नहीं हैं	25%	20%
220.	5702 91 10	अन्य, ढेर निर्माण के नहीं, ऊन या महीन जानवरों के बालों (कालीन) से बने	25%	20%
221.	5702 91 20	अन्य, ढेर निर्माण के नहीं, ऊन या महीन जानवरों के बालों से बने (इगगेट्स)	25%	10%
222.	5702 91 30, 5702 91 90	अन्य, ढेर निर्माण के नहीं, ऊन या महीन जानवरों के बालों से बने (चटाई और चटाई और अन्य)	25%	20%
223.	5702 92	अन्य, ढेर निर्माण के नहीं, मानव निर्मित कपड़ा सामग्री से बने	25% या रु. 110	20% या रु. 110

			प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
224.	5702 99	अन्य, ढेर निर्माण के नहीं, अन्य कपड़ा सामग्री से बने	25%	20%
225.	5703 10	कालीन और अन्य कपड़ा फर्श कवरिंग, गुच्छेदार, चाहे वह ऊन या महीन जानवरों के बालों से बना हो या नहीं	25%	20%
226.	5703 21 00, 5703 29 10, 5703 29 20, 5703 29 90	नायलॉन या अन्य पॉलियामाइड या अन्य के कालीन और अन्य कपड़ा फर्श कवरिंग, गुच्छेदार, चाहे बने हों या नहीं	25% या रु. 70 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु 70 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
227.	5703 31 00, 5703 39 10, 5703 39 20, 5703 39 90	कालीन और अन्य कपड़ा फर्श कवरिंग, गुच्छेदार, चाहे वह अन्य मानव निर्मित कपड़ा सामग्री या अन्य से बना हो या नहीं	25% या रु. 55 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु. 55 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
228.	5703 90	कालीन और अन्य कपड़ा फर्श कवरिंग, गुच्छेदार, चाहे वह अन्य कपड़ा सामग्री से बना हो या नहीं	25%	20%
229.	5704 10 00, 5704 20 10	कालीन और अन्य कपड़ा फर्श के कवरिंग, महसूस किए गए, गुच्छेदार या झुंड वाले नहीं, चाहे बने हों या नहीं (टाइल्स)	25%	20%
230.	5704 20 20	कालीन और अन्य कपड़ा फर्श के कवरिंग, महसूस किए गए, गुच्छेदार या झुंड वाले नहीं, चाहे बने हों या नहीं (ऊनी टाइलें)	25%	10%
231.	5704 20 90	कालीन और अन्य कपड़ा फर्श के कवरिंग, महसूस किए गए, गुच्छेदार या झुंड वाले नहीं,	25%	20%

		चाहे बने हों या नहीं, अन्य टाइलें		
232.	5704 90	अन्य कालीन और अन्य कपड़ा फर्श कवरिंग, महसूस किए गए, गुच्छेदार या झुंड वाले नहीं, चाहे बने हों या नहीं	25% या रु. 35 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु. 35 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
233.	5705	अन्य कालीन और अन्य कपड़ा फर्श कवरिंग, चाहे बने हों या नहीं	25%	20%
234.	5801 10 00	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के शीर्ष 5802 या 5806 के कपड़ों के अलावा बुने हुए ढेर के कपड़े और सेनील कपड़े, ऊन या महीन जानवरों के बाल	25% या रु. 210 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 210 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
235.	5801 21 00	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के शीर्ष 5802 या 5806 के कपड़ों के अलावा ऊनी ढेर के कपड़े और सेनील कपड़े, सूती, बिना कटे हुए ढेर के कपड़े	25% या रु. 80 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 80 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
236.	5801 23 00	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के शीर्ष 5802 या 5806 के कपड़ों के अलावा बुने हुए ढेर के कपड़े और सेनील कपड़े, अन्य बाने के ढेर के कपड़े	25% या रु. 80 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 80 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
237.	5801 26 00	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के शीर्ष 5802 या 5806 के कपड़ों के अलावा बुने हुए ढेर के कपड़े और सेनील कपड़े	25% या रु. 180 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 180 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो

			हो	हो
238.	5801 27 10	ताना ढेर के कपड़े, 'एपिंगल', (बिना काटे)	25% या रु. 135 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 135 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
239.	5801 27 20	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के शीर्ष 5802 या 5806 के कपड़ों के अलावा बुने हुए ढेर के कपड़े और सेनील कपड़े, ताना ढेर कपड़े, कट	25% या रु. 120 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 120 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
240.	5801 27 90	अन्य ताना ढेर कपड़े	25% या रु. 135 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 135 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
241.	5801 31 00	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के शीर्ष 5802 या 5806 के कपड़े के अलावा बुने हुए ढेर के कपड़े और सेनील कपड़े, मानव निर्मित फाइबर, बिना कटे हुए ढेर के कपड़े	25% या रु. 75 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु. 75 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
242.	5801 32 00	मानव निर्मित रेशों के कट कॉरडरॉय	25% या रु. 180 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु. 180 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
243.	5801 33	मानव निर्मित फाइबर, अन्य वेट पाइल फैब्रिक	25% या	20% या

	00	के सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के शीर्ष 5802 या 5806 के फैब्रिक के अलावा बुने हुए ढेर के कपड़े और सेनील कपड़े	रु. 150 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	रु. 150 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
244.	5801 36	मानव निर्मित फाइबर, सेनील फैब्रिक के सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के शीर्षक 5802 या 5806 के कपड़ों के अलावा बुने हुए ढेर के कपड़े और सेनील कपड़े	25% या रु. 130 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु. 130 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
245.	5801 37 10	ताना ढेर के कपड़े, बिना काटे	25% या रु. 140 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु. 140 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
246.	5801 37 20	ताना ढेर कपड़े, कट	25% या रु. 68 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु. 68 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
247.	5801 37 90	अन्य ताना ढेर कपड़े	25% या रु. 140 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु. 140 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
248.	5801 90	अन्य कपड़ा सामग्री के ताना ढेर कपड़े	25% या रु. 35 प्रति वर्ग	10% या रु. 35 प्रति वर्ग

			मीटर, जो भी अधिक हो	मीटर, जो भी अधिक हो
249.	5802 10 10	बिना ब्लिच किए टेरी टॉवलिंग और इसी तरह के बुने हुए टेरी कपड़े, कपास	25%	10%
250.	5802 10 20, 5802 10 30, 5802 10 40, 5802 10 50, 5802 10 60, 5802 10 90	टेरी टॉवलिंग और इसी तरह के बुने हुए टेरी कपड़े, कपास, प्रक्षालित, रंगे हुए, धागे से रंगे, मुद्रित, हथकरघा और अन्य के	25% या रु. 60 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 60 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
251.	5802 20 00	अन्य कपड़ा सामग्री के टेरी टॉवलिंग और इसी तरह के बुने हुए टेरी कपड़े	25%	10%
252.	5802 30 00	गुच्छेदार कपड़ा कपड़े	25% या रु. 150 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो	10% या रु. 150 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
253.	5803	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के शीर्षक 5806 के संकीर्ण कपड़ों के अलावा धुंध,	25%	10%
254.	5804 10, 5804 29 10, 5804 29 90 5804 30 00	ट्यूल और अन्य शुद्ध कपड़े (कपास के); अन्य कपड़ा सामग्री के यंत्रवत् बने फीता	25% या रु. 200 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो	10% या रु. 200 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
255.	5804 21 00	मानव निर्मित रेशों से यांत्रिक रूप से निर्मित फीता	25% या	20% या

			रु. 200 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो	रु. 200 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
256.	5805	हाथ से बुने हुए टेपेस्ट्री, फ़्लैडर्स आदि।	25%	10%
257.	5806 10 00, 5806 20 00, 5806 31 10, 5806 31 20, 5806 31 90, 5806 39 10, 5806 39 20, 5806 39 30, 5806 39 90, 5806 40 00	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के शीर्ष 5807 के सामानों के अलावा अन्य संकीर्ण बुने हुए कपड़े	25%	10%
258.	5806 32 00	मानव निर्मित रेशों के अन्य बुने हुए कपड़े	25%	20%
259.	5807, 5808, 5809, 5810, 5811	लेबल, बैज, ब्रैड, धातु के धागों के बुने हुए कपड़े आदि।	25%	10%
260.	5901	कपड़ा कपड़े, गोंद या अमाइलस पदार्थों के साथ लेपित	25%	10%
261.	5902, 5903	टायर कॉर्ड फैब्रिक, टेक्सटाइल फैब्रिक आदि।	25%	20%
262.	5904,	लिनोलियम, टेक्सटाइल वॉल कवरिंग, रबराइज्ड	25%	10%

	5905, 5906, 5907, 5908, 5909	टेक्सटाइल फैब्रिक आदि।		
263.	5910	ट्रांसमिशन या कन्वेयर बेल्ट या बेल्टिंग आदि।	25%	20%
264.	5911	तकनीकी उपयोग के लिए वस्त्र उत्पाद और लेख	25%	10%
265.	6001 10 10, 6001 10 20, 6001 10 90, 6001 21 00, 6001 29 00, 6001 91 00, 6001 99	ढेर के कपड़े	25%	10%
266.	6001 22 00	मानव निर्मित रेशों के ढेर के ढेर कपड़े	25%	20%
267.	6002	30 सेमी से अधिक चौड़ाई के बुना हुआ या क्रोकेटेड कपड़े, वजन 5% या अधिक इलास्टोमेरिक यार्न या रबर के धागे से युक्त	25%	10%
268.	6003 10 00, 6003 20 00, 6003 90 00	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के शीर्ष 6001 या 6002 के अलावा 30 सेमी से अधिक चौड़ाई के बुना हुआ या क्रोकेटेड कपड़े, ऊन या कपास या अन्य के	25%	10%
269.	6003 30 00, 6003 40 00	सिंथेटिक या कृत्रिम रेशों के सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के शीर्ष 6001 या 6002 के अलावा 30 सेमी से अधिक चौड़ाई के बुना हुआ या क्रोकेटेड कपड़े	25%	20%

270.	6004	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के शीर्ष 6001 के अलावा 5% या अधिक इलास्टोमेरिक यार्न या रबर धागे से युक्त 30 सेमी से अधिक की चौड़ाई के बुना हुआ या क्रोकेटेड कपड़े	25%	20%
271.	6005	ताना बुना हुआ कपड़ा	25%	20%
272.	6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 90 00	ऊन, कपास या अन्य के अन्य बुना हुआ या क्रोकेटेड कपड़े	25%	10%
273.	6006 31 00, 6006 32 00, 6006 33 00, 6006 34 00, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00	सिंथेटिक या कृत्रिम फाइबर के अन्य बुना हुआ या क्रोकेटेड कपड़े	25%	20%
274.	6101 90	अन्य कपड़ा सामग्री के पुरुषों या लड़कों के ओवरकोट आदि	25%	20%
275.	6102 90	अन्य कपड़ा सामग्री के महिलाओं या लड़कियों के ओवरकोट आदि	25%	20%
276.	6103	पुरुषों या लड़कों के सूट, पहनावा आदि।	25%	20%

	(except 6103 29 10, 6103 29 20)			
277.	6104 13 00, 6104 22 00, 6104 23 00, 6104 29 10, 6104 29 20, 6104 29 90, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00, 6104 39 10, 6104 39 20, 6104 39 90	सिंथेटिक फाइबर के सूट, पहनावा, जैकेट और महिलाओं के ब्लेजर	25%	20%
278.	6104 41 00, 6104 43 00, 6104 44 00	ऊन, सिंथेटिक फाइबर या कृत्रिम फाइबर के महिलाओं के कपड़े	25% या रु. 255 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु. 255 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
279.	6104 42 00	कपास की महिलाओं के कपड़े	25%	20%
280.	6104 49	अन्य कपड़ा सामग्री के महिलाओं के कपड़े	25% या रु. 220 प्रति पीस, जो भी	20% या रु. 220 प्रति पीस, जो भी

			अधिक हो	अधिक हो
281.	6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00, 6104 59 10, 6104 59 20, 6104 59 90	स्कर्ट और विभाजित स्कर्ट	25% या रु. 110 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु. 110 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
282.	6104 61 00, 6104 69	पतलून, बिब और ब्रेस चौगा, जांघिया और शॉर्ट्स, ऊन या ठीक जानवरों के बाल या अन्य कपड़ा सामग्री	25%	20%
283.	6105 10, 6105 20	पुरुषों या लड़कों की शर्ट, बुना हुआ या क्रोशिया, कपास या मानव निर्मित रेशों से	25% या रु. 83 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु. 83 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
284.	6105 90 10, 6105 90 90, 6106 10 00	अन्य कपड़ा सामग्री के पुरुषों या लड़कों की शर्ट, बुना हुआ या क्रोकेटेड; महिलाओं या लड़कियों के ब्लाउज, शर्ट और शर्ट ब्लाउज, बुना हुआ या क्रोकेटेड, कपास का	25% या रु. 90 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु. 90 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
285.	6106 20	महिलाओं या लड़कियों के ब्लाउज, शर्ट और शर्ट ब्लाउज, बुना हुआ या क्रोकेटेड, मानव निर्मित रेशों का	25% या रु. 25 प्रति पीस, जो भी अधिक हो, 20% या रु. 25 प्रति पीस, जो भी	20% या रु. 25 प्रति पीस, जो भी अधिक हो

			अधिक हो	
286.	6106 90	अन्य कपड़ा सामग्री के महिलाओं या लड़कियों के ब्लाउज, शर्ट और शर्ट ब्लाउज, बुना हुआ या क्रोकेटेड	25% या रु. 135 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु. 135 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
287.	6107 11 00	पुरुषों या लड़कों के जाँघिया, कच्छा, कपास का	25% या रु. 24 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु. 24 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
288.	6107 12	पुरुषों या लड़कों के जाँघिया, कच्छा, नाइटशर्ट, पजामा आदि, मानव निर्मित रेशों के	25% या रु. 30 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु. 30 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
289.	6107 19, 6107 21 00, 6107 22, 6107 29, 6107 91, 6107 99, 6108 11, 6108 19	अन्य कपड़ा सामग्री के पुरुषों या लड़कों के जाँघिया, कच्छा; कपास की नाइट शर्ट और पजामा; मानव निर्मित फाइबर, अन्य कपड़ा सामग्री के; कपास या अन्य कपड़ा सामग्री के पुरुषों या लड़कों के स्नान वस्त्र, ड्रेसिंग गाउन आदि; मानव निर्मित रेशों या अन्य कपड़ा सामग्री की महिलाओं या लड़कियों की पर्चियाँ और पेटिकोट	25%	20%
290.	6108 21 00, 6108 22 10, 6108 22 20	कपास या मानव निर्मित रेशों की महिलाओं या लड़कियों की कच्छा और जाँघिया	25% या रु. 25 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु. 25 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
291.	6108 29 10, 6108	अन्य कपड़ा सामग्री की महिलाओं या लड़कियों के कच्छा और जाँघिया; महिलाओं या लड़कियों	25%	20%

	29 90, 6108 31 00, 6108 32 10, 6108 32 20	के रात के कपड़े और पजामा, कपास या मानव निर्मित रेशों के		
292.	6108 39 10	रेशम के महिलाओं या लड़कियों के रात के कपड़े और पजामा	25%	10%
293.	6108 39 90	महिलाओं या लड़कियों के रात के कपड़े और पाजामा, अन्य कपड़ा सामग्री	25%	20%
294.	6108 91 00	महिलाओं या लड़कियों के स्नान वस्त्र, ड्रेसिंग गाउन आदि, कपास के	25% या रु. 65 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु. 65 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
295.	6108 92	मानव निर्मित रेशों के महिलाओं या लड़कियों के स्नान वस्त्र, ड्रेसिंग गाउन आदि	25% या रु. 60 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु. 60 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
296.	6108 99 10, 6108 99 90	रेशम या अन्य कपड़ा सामग्री के महिलाओं या लड़कियों के स्नान वस्त्र, ड्रेसिंग गाउन आदि	25%	20%
297.	6108 99 20	महिलाओं या लड़कियों के स्नान वस्त्र, ड्रेसिंग गाउन आदि, ऊन या अच्छे जानवरों के बाल	25%	10%
298.	6109 10 00	टी-शर्ट, सिंगलेट और अन्य बनियान, बुना हुआ या क्रोकेटेड, कपास का	25%	20%
299.	6109 90	अन्य कपड़ा सामग्री के टी-शर्ट, सिंगलेट और अन्य निहित, बुना हुआ या क्रोकेटेड	25% या रु. 50 प्रति पीस, जो भी	20% या रु. 50 प्रति पीस, जो भी

			अधिक हो	अधिक हो
300.	6110 11, 6110 12 00, 6110 19 00	ऊन या जानवरों के महीन बाल या कश्मीरी बकरियों की जर्सी, पुलओवर, कार्डिगन आदि	25% या रु. 275 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु. 275 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
301.	6110 20 00	जर्सी, स्वेटर, कार्डिगन आदि कपास की	25% या रु. 85 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु. 85 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
302.	6110 30	मानव निर्मित रेशों की जर्सी, पुलओवर, कार्डिगन आदि	25% या रु. 110 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु. 110 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
303.	6110 90 00	अन्य कपड़ा सामग्री की जर्सी, पुलओवर, कार्डिगन आदि	25% या रु. 105 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु. 105 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
304.	6111	बच्चों के कपड़े और कपड़े के सामान	25%	20%
305.	6112 11 00, 6112 12 00, 6112 19 20, 6112 19 30, 6112 19 90, 6112 20, 6112 31 00, 6112	ट्रैक सूट, स्की सूट और स्विमवीयर, बुना हुआ या क्रोकेटेड	25%	20%

	39, 6112 41 00, 6112 49 20, 6112 49 90			
306.	6112 19 10, 6112 20 10, 6112 49 10	रेशम के ट्रैक सूट; रेशम के स्की सूट; रेशम के महिलाओं या लड़कियों के स्विमवीयर	25%	10%
307.	6113 00 00, 6114, 6115, 6116, 6117	पेंटीहोज, चड्डी, अन्य वस्त्र आदि।	25%	20%
308.	6201 20 10	पुरुषों या लड़कों के ओवरकोट, कार-कोट, रेनकोट, टोपी, लबादा और अन्य समान लेख, ऊन और अच्छे जानवरों के बाल	25% या रु.385 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.385 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
309.	6201 20 90	पुरुषों या लड़कों के ओवरकोट, कार-कोट, रेनकोट, टोपी, लबादे और अन्य समान वस्तुओं के अलावा, ऊन और अच्छे जानवरों के बाल	25% या रु.220 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.220 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
310.	6201 90	पुरुषों या लड़कों के ओवरकोट, कार-कोट, रेनकोट, टोपी, लबादा और अन्य समान लेख, अन्य कपड़ा सामग्री के	25%	20%
311.	6202 20 10	महिलाओं या लड़कियों के ओवरकोट, कार-कोट, रेनकोट, टोपी, लबादा और इसी तरह के अन्य सामान, ऊन और अच्छे जानवरों के बाल	25% या रु.385 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.385 प्रति पीस, जो भी अधिक हो

312.	6202 20 90	महिलाओं या लड़कियों के ओवरकोट, कार-कोट, रेनकोट, टोपी, लबादे और अन्य समान वस्तुओं के अलावा, ऊन और अच्छे जानवरों के बाल	25% या रु.220 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	25% या रु.220 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
313.	6202 90	अन्य कपड़ा सामग्री के महिलाओं या लड़कियों के ओवरकोट, कार-कोट, रेनकोट, टोपी, लबादे और अन्य समान लेख	25%	20%
314.	6203 22 00	कपास का पुरुषों का पहनावा	25% या रु.145 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.145 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
315.	6203 23 00	सिंथेटिक फाइबर का पुरुषों का पहनावा	25% या रु.145 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.145 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
316.	6203 29	अन्य कपड़ा सामग्री का पुरुषों का पहनावा	25% या रु.145 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.145 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
317.	6203 41 00	पुरुषों की पतलून, बिब और ब्रेस चौगा, जाँघिया और शॉर्ट्स, ऊन और अच्छे जानवरों के बाल	25% या रु.285 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.285 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
318.	6203 42	पुरुषों की पतलून, बिब और ब्रेस चौगा, जाँघिया और शॉर्ट्स, कपास की	25% या रु.135 प्रति पीस, जो भी	20% या रु.135 प्रति पीस, जो भी

			अधिक हो	अधिक हो
319.	6204 21 00, 6204 22, 6204 29	महिलाओं की टुकड़ी	25%	20%
320.	6204 41	महिलाओं के ऊनी कपड़े या जानवरों के अच्छे बाल	25% या रु.350 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.350 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
321.	6204 42	कपास की महिलाओं के कपड़े	25% या रु.116 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.116 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
322.	6204 43	सिंथेटिक फाइबर के महिलाओं के कपड़े	25% या रु.145 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.145 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
323.	6204 49	अन्य कपड़ा सामग्री के महिलाओं के कपड़े	25% या रु.145 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.145 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
324.	6204 51 00	ऊन या महीन जानवरों के बालों की स्कर्ट और विभाजित स्कर्ट	25% या रु.485 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.485 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
325.	6204 52 00, 6204	कपास, सिंथेटिक फाइबर, अन्य कपड़ा सामग्री की स्कर्ट और विभाजित स्कर्ट	25%	20%

	53 00, 6204 59			
326.	6204 61	महिलाओं की पतलून, बिब और ब्रेस, चौगा, जांघिया और शॉर्ट्स, ऊन और अच्छे जानवरों के बाल	25% या रु.285 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.285 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
327.	6204 62	कपास की महिलाओं की पतलून, बिब और ब्रेस, चौगा, जांघिया और शॉर्ट्स	25% या रु.135 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.135 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
328.	6204 63 00	सिंथेटिक फाइबर की महिलाओं की पतलून, बिब और ब्रेस, चौगा, जांघिया और शॉर्ट्स	25%	20%
329.	6205 20	पुरुषों या लड़कों की शर्ट, कपास की	25% या रु.85 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.85 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
330.	6205 90	पुरुषों या लड़कों की शर्ट, अन्य कपड़ा सामग्री	25% या रु.95 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.95 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
331.	6206 10	रेशम या रेशम के कचरे के महिलाओं या लड़कियों के ब्लाउज, शर्ट और शर्ट ब्लाउज	25%	20%
332.	6206 20 00	महिलाओं या लड़कियों के ब्लाउज, शर्ट और शर्ट ब्लाउज, ऊन या अच्छे जानवरों के बाल	25% या रु.135 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.135 प्रति पीस, जो भी अधिक हो

333.	6206 30	महिलाओं या लड़कियों के ब्लाउज, शर्ट और शर्ट ब्लाउज, कपास के	25% या रु.95 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.95 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
334.	6206 40 00	महिलाओं या लड़कियों के ब्लाउज, शर्ट और शर्ट ब्लाउज, मानव निर्मित रेशों के	25% या रु.120 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.120 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
335.	6206 90 00	अन्य कपड़ा सामग्री के महिलाओं या लड़कियों के ब्लाउज, शर्ट और शर्ट ब्लाउज	25%	20%
336.	6207 11 00	पुरुषों की जांघिया या कच्छा, कपास का	25% या रु.28 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.28 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
337.	6207 19 10, 6207 19 20, 6207 19 90	सिंथेटिक फाइबर या ऊन, या अन्य कपड़ा सामग्री के पुरुषों के जांघिया या कच्छा	25% या रु.30 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.30 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
338.	6207 19 30	पुरुषों की जांघिया या कच्छा, रेशम का	25% या रु.30 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	10% या रु. 30 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
339.	6207 21 10, 6207 21 90, 6207 22 00, 6207	पुरुषों की रात की कमीज और पाजामा, कपास का; ड्रेसिंग गाउन आदि।	25%	20%

	29 00, 6207 91 10, 6207 91 20, 6207 91 90			
340.	6207 99	अन्य वस्त्र सामग्री के अन्य पुरुषों के लेख	25% या रु.70 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.70 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
341.	6208 11 00	मानव निर्मित रेशों की पर्चियां और पेटिकोट	25% या रु.80 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.80 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
342.	6208 19	अन्य कपड़ा सामग्री की पर्चियां और पेटिकोट	25% या रु.60 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.60 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
343.	6208 21 10, 6208 21 90, 6208 22 00, 6208 29 10, 6207 29 20, 6208 29 90	महिलाओं के रात के कपड़े और पजामा, सूती या अन्य कपड़ा सामग्री	25%	20%
344.	6208 91	अन्य महिलाओं के लेख, कपास की	25% या रु.95 प्रति	20% या रु.95 प्रति

			पीस, जो भी अधिक हो	पीस, जो भी अधिक हो
345.	6208 92	अन्य महिलाओं के लेख, मानव निर्मित रेशों के	25% या रु.65 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.65 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
346.	6208 99 10, 6208 99 20, 6208 99 90, 6209 20 10, 6209 20 90, 6209 30 00, 6209 90 10, 6209 90 90	अन्य वस्त्र सामग्री के अन्य महिलाओं के लेख; बच्चों के कपड़े और कपड़े के सामान	25%	20%
347.	6210 20	CTSH 6201 में वर्णित प्रकार के अन्य वस्त्र	25% या रु.365 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.365 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
348.	6210 30	CTSH 6202 में वर्णित प्रकार के अन्य वस्त्र	25% या रु.305 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.305 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
349.	6210 40 10	अन्य पुरुषों या लड़कों के वस्त्र, बुलेट प्रूफ जैकेट आदि	25% या रु.65 प्रति	20% या रु.65 प्रति

			पीस, जो भी अधिक हो	पीस, जो भी अधिक हो
350.	6210 40 90, 6210 50 00	अन्य पुरुषों या लड़कों के वस्त्र; अन्य महिलाओं या लड़कियों के वस्त्र	25% या रु.65 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.65 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
351.	6211 11 00, 6211 12 00, 6211 20 00	तैरना-पहनना; स्की सूट	25%	20%
352.	6211 32 00, 6211 33 00	अन्य वस्त्र, पुरुषों या लड़कों के, कपास या मानव निर्मित रेशों के	25% या रु.135 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.135 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
353.	6211 39	अन्य वस्त्र, पुरुषों या लड़कों के, अन्य कपड़ा सामग्री	25%	20%
354.	6212	चोली, करधनी, कोर्सेट आदि	25% या रु.30 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.30 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
355.	6213	रूमाल	25%	20%
356.	6214 10 10, 6214 10 20	60 सेमी या उससे कम माप के रेशम के स्कार्फ; शॉल, स्कार्फ 60 सेमी से अधिक और रेशम या रेशम के कचरे की पसंद	25% या रु.390 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.390 प्रति पीस, जो भी अधिक हो

357.	6214 10 30	रेशम या रेशम के कचरे के शॉल, स्कार्फ आदि, हथकरघा	25% या रु.390 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	10% या रु. 390 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
358.	6214 10 90	अन्य, रेशम या रेशम के कचरे के	25% या रु.390 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	25% या रु.390 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
359.	6214 20	ऊन या जानवरों के महीन बालों की शॉल, स्कार्फ आदि	25% या रु.180 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.180 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
360.	6214 90 10	शॉल, स्कार्फ आदि, अब्राबरूमल, कपास	25% या रु.75 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.75 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
361.	6214 90 21, 6214 90 22	चादरें, कपास, ग्रे, सफेद प्रक्षालित	25% या रु.75 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	10% या रु. 75 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
362.	6214 90 29	चादरें, कपास, अन्य	25% या रु.75 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.75 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
363.	6214 90 31, 6214	ओधानी, कपास, ग्रे, सफेद प्रक्षालित	25% या रु.75 प्रति	10% या रु. 75

	90 32		पीस, जो भी अधिक हो	प्रति पीस, जो भी अधिक हो
364.	6214 90 39	ओधानी, कपास, अन्य	25% या रु.75 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.75 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
365.	6215	टाई, बो टाई और क्रेवाट्स	25% या रु.55 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20% या रु.55 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
366.	6216, 6217	दस्ताने, मिट्टियाँ, मिट्टियाँ; अन्य निर्मित कपड़ों के सहायक उपकरण	25%	20%
367.	6301 10 00	इलेक्ट्रिक कंबल	25%	10%
368.	6301 20 00	कंबल (बिजली के कंबल के अलावा), ऊन या महीन जानवरों के बालों के यात्रा के आसनों	25% या रु.275 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	10% या रु. 275 प्रति पीस, जो भी अधिक हो
369.	6301 30 00	कंबल (बिजली के कंबल के अलावा), कपास के यात्रा के आसनों	25%	10%
370.	6301 40 00, 6301 90	कंबल (बिजली के कंबल के अलावा), सिंथेटिक फाइबर के यात्रा के आसनों; अन्य कंबल और यात्रा के आसनों	25%	20%
371.	6302 10	बिस्तर लिनन, बुना हुआ या क्रोकेटेड	25%	10%
372.	6302 21	अन्य बिस्तर लिनन, मुद्रित, कपास का	25% या रु.108 प्रति	10% या रु. 108 प्रति

			किग्रा., जो भी अधिक हो	किग्रा., जो भी अधिक हो
373.	6302 22 00, 6302 29 00	अन्य बेड लिनन, मुद्रित, मानव निर्मित रेशों या अन्य कपड़ा सामग्री के;	25%	10%
374.	6302 31 00	अन्य बिस्तर लिनन, कपास का	25% या रु.96 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो	10% या रु. 96 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
375.	6302 32 00, 6302 39 00, 6302 40, 6302 51, 6302 53 00, 6302 59 00, 6302 60, 6302 91, 6302 93 00, 6302 99 00	विभिन्न कपड़ा सामग्री के अन्य बिस्तर लिनन, टेबल लिनन इत्यादि	25%	10%
376.	6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309	पर्दे, अन्य साज-सज्जा के सामान, बोरे और बैग आदि।	25%	10%

377.	6310	प्रयुक्त या नए लता, स्क्रेप, सुतली आदि।	25%	20%
378.	6815 91 00,	मैग्नेसाइट, मैग्नेशिया आदि से युक्त पत्थर की वस्तुएँ।	10%	7.5%
379.	6901, 6902, या 6903	सिलिसस जीवाश्म भोजन की ईंटें, आग रोक ईंटें या अन्य दुर्दम्य सिरेमिक सामान	10%	7.5%
380.	7001 00 10	पुलिया और अन्य अपशिष्ट और कांच के स्क्रेप	10%	5%
381.	7015 10 10	ऑप्टिकल लेंस के निर्माण के लिए रफ ऑप्टिकल ब्लैक्स	10%	5%
382.	7101 10 10	बिना काम के प्राकृतिक मोती	10%	5%
383.	7101 21 00	असंसाधित सुसंस्कृत मोती	10%	5%
384.	71103100, 71103900	रोडियाम	12.5%	2.5%
385.	7201, 7202, 7203, 7205	पिग आयरन, फेरो अलॉयज, फेरस प्रोडक्ट्स आदि।	15%	5%
386.	7202 60 00	फेरो-निकेल	15%	2.5%
387.	7404	तांबे का कचरा और स्क्रेप	5%	2.5%
388.	7411 या 7412	कॉपर ट्यूब और पाइप, या फिटिंग	10%	7.5%
389.	75	निकेल और उसके आर्टिकल	5%	निशुल्क
390.	7602	एल्यूमिनियम स्क्रेप	5%	2.5%

391.	8105 20 10	कोबाल्ट मैट्स और कोबाल्ट धातु विज्ञान के अन्य मध्यवर्ती उत्पाद	5%	2.5%
392.	8110 10 00, 8110 20 00	अनगढ़ा सुरमा, पाउडर, अपशिष्ट और स्क्रेप	5%	2.5%
393.	8407 21 00	जहाज़ के बाहर मोटर्स	15%	5%
394.	8419 19 20	निर्दिष्ट गैर-विद्युत तात्कालिक या भंडारण वॉटर हीटर	10%	7.5%
395.	8421 39 20, 8421 39 90	एयर सेपरेटर, प्यूरीफायर, क्लीनर आदि।	15%	7.5%
396.	8502 (except 8502 11 00, 8502 20 10, 8502 40 00)	निर्दिष्ट विद्युत उत्पादन सेट और रोटरी कन्वर्टर्स	10%	7.5%
397.	8503 00 10, 8503 00 21 या 8503 00 29	इलेक्ट्रिक मोटर या जनरेटर के पुर्जे	10%	7.5%
398.	8504 10 10, 8504 10 20 या 8504 10	डिस्चार्ज लैंप या ट्यूब के लिए रोड़े	10%	7.5%

	90			
399.	8546	किसी भी सामग्री के विद्युत इन्सुलेटर	10%	7.5%
400.	8547	विद्युत मशीनों आदि के लिए इंसुलेटिंग फिटिंग।	10%	7.5%
401.	8802 11 00, 8802 12 00	हेलीकाप्टर	10%	2.5%
402.	8807 10 00, 8807 20 00, 8807 30 00	गुब्बारे, ग्लाइडर, मानवयुक्त या मानवरहित वायुयान आदि के पुर्जे।	3%	2.5%
403.	8902 00 10	ट्रॉलर और मछली पकड़ने के अन्य जहाज	10%	मुफ्त
404.	8905 10 00	ट्रेजरो	10%	मुफ्त
405.	8907 10 00	ज्वलनशील राफ्ट	10%	मुफ्त
406.	8908 00 00	टूटने के लिए पोत और अन्य अस्थायी संरचनाएं	10%	2.5%
407.	9018 32 30, 9018 50 20, 9018 90 21, 9018 90 24, 9018 90 43, 9018	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट उपकरण और उपकरण जैसे टोनोमीटर, चिकित्सा टांके के लिए ट्यूबलर सुई आदि।	10%	5%

	90 95, 9018 90 96, 9018 90 97, 9018 90 98			
408.	9018 (उपरोक्त क्रमांक 407 पर प्रविष्टि में मर्दों के अलावा और 9018 90 99)	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा विज्ञान जैसे कैथेटर, कैनुला, डिफिब्रिलेटर आदि में उपयोग किए जाने वाले अन्य चिकित्सा उपकरण और चिकित्सा संबंधी सामान।	10%	7.5%
409.	9019 (9019 10 20 को छोड़कर)	तंत्र-चिकित्सा उपकरण जैसे मालिश उपकरण, मनोवैज्ञानिक योग्यता परीक्षण उपकरण आदि।	10%	7.5%
410.	9020	सुरक्षात्मक मास्क के अलावा अन्य श्वास उपकरण जिसमें बदलने योग्य फिल्टर या यांत्रिक भाग नहीं होते हैं	10%	7.5%
411.	9021	आर्थोपेडिक उपकरण जैसे बैसाखी, सर्जिकल बेल्ट और ट्रस, स्प्लिंट आदि।	10%	7.5%
412.	9030 31 00, 9030 90 10	रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ/बिना मल्टीमीटर	10%	7.5%
413.	9108, 9110 या 9114 30 10	डायल घड़ी और मूवमेंट घड़ी	10%	5%

414.	9506 91	सामान्य शारीरिक व्यायाम, जिम्नास्टिक या एथलेटिक्स के लिए लेख और उपकरण	20%	10%
------	---------	-----------------------------------------------------------------------	-----	-----

ग.	टैरिफ दर में परिवर्तन (02.02.2022 से मूल सीमा शुल्क की प्रभावी दरों में परिवर्तन के साथ, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो) [वित्त विधेयक, 2022 का खंड [97 (बी)] और प्रासंगिक अधिसूचनाएं]		शुल्क की दर	
क्रमांक	अध्याय, शीर्षक, उप-शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तु	से	तक
1.	0307 32 00	जमे हुए मसल्स	30%	15%
2.	0307 43 20	जमे हुए स्विड	30%	15%
3.	1301 90 13	हींग [अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क के क्रमांक 51 के तहत वर्तमान लागू मूल सीमा शुल्क 20% है]	30%	5%
4.	1801 00 00	कोको बीन्स, साबुत या टूटा हुआ, कच्चा या भुना हुआ	30%	15%
5.	2905 11 00	मिथाइल अल्कोहल (मेथनॉल) [अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क के क्रम संख्या 200 के अनुसार वर्तमान लागू मूल सीमा शुल्क 5% है]	10%	2.5%
6.	2915 21 00	सिरका अम्ल सिरका अम्ल [अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क के क्रम संख्या 185 के अनुसार वर्तमान लागू मूल सीमा शुल्क 7.5% है]	10%	5%

क्रमांक 7 से क्रमांक 95 के लिए नोट:

- i. क्रम संख्या 7 से 66 के लिए, वर्तमान प्रभावी दर अधिसूचना संख्या 14/2006-सीमा शुल्क, दिनांक 1-3-2006 द्वारा निर्धारित की गई है।
- ii. क्रम संख्या 67 से 95 के लिए, वर्तमान प्रभावी दर अधिसूचना संख्या 82/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 27-10-2017 के तहत निर्धारित की गई है।
- iii. 02-02-2022 से 30-04-2022 की अवधि के लिए, क्रम संख्या 7 से 95 के लिए प्रभावी दर अधिसूचना संख्या 82/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 27-10-2017 के तहत निर्धारित की जा रही है।
- iv. 1 मई, 2022 से अधिसूचना संख्या 82/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 27-10-2017 को रद्द कर दिया जाएगा, और इन वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क दरें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के माध्यम से नीचे दिए गए तरीके से संचालित होंगी।

7.	5208 39	कपास के अन्य बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन से 85% या अधिक होता है, वजन 200 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक नहीं होता है।	25% या रु. 150 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो	10% या रु. 150 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
8.	5208 42	कपास के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन से 85% या अधिक होता है, वजन 200 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक नहीं होता है। सादा बुनाई, जिसका वजन 100 ग्राम/वर्ग मीटर से अधिक है।	25% या 37 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 22 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
9.	5208 49	कपास के अन्य बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन से 85% या अधिक होता है, वजन 200 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक नहीं होता है।	25% या 200 प्रति किलो, जो भी अधिक हो	10% या रु. 143 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
10.	5208 52	कपास के अन्य बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के	25% या	10% या

		वजन से 85% या अधिक होता है, वजन 200 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक नहीं होता है।, सादा बुनाई, वजन 100 ग्राम / वर्ग से अधिक नहीं।	23 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	रु. 14 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
11.	5208 59	कपास के अन्य बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन से 85% या अधिक होता है, वजन 200 ग्राम / वर्गमीटर से अधिक नहीं होता है।	25% या 50 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 30 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
12.	5209 31, 5209 32, 5209 39	कपास के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन से 85% या अधिक होता है, जिसका वजन 200 ग्राम / वर्गमीटर से अधिक होता है। रंगा हुआ, सादा बुनाई, 3-धागा या 4-धागा टवील, क्रॉस टवील सहित, अन्य कपड़े	25% या रु. 150 प्रति किग्रा।, जो भी अधिक हो	10% या रु. 150 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
13.	5209 41	कपास के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन से 85% या अधिक होता है, जिसका वजन 200 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक होता है। विभिन्न रंगों के धागों का, सादा बुनाई	25% या रु. 32 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 30 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
14.	5209 43	कपास के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन से 85% या अधिक होता है, जिसका वजन 200 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक होता है। क्रॉस-टवील सहित 3-श्रेड या 4-श्रेड टवील के अन्य कपड़े	25% या रु. 30 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 28 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो

15.	5209 49	कपास के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन से 85% या अधिक होता है, जिसका वजन 200 ग्राम / वर्गमीटर से अधिक होता है। विभिन्न रंगों के धागों के अन्य कपड़े	25% या 150 रुपये प्रति किलो, जो भी अधिक हो	10% या 150 रुपये प्रति किलो, जो भी अधिक हो
16.	5209 51, 5209 52	कपास के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन से 85% या अधिक होता है, जिसका वजन 200 ग्राम / वर्गमीटर से अधिक होता है। मुद्रित सादा बुनाई या 3-धागा या 4-धागा टवील, क्रॉस-टवील सहित	25% या रु. 30 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 24 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
17.	5209 59	कपास के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन से 85% या अधिक होता है, जिसका वजन 200 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक होता है। अन्य कपड़े मुद्रित	25% या रु. 38 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 30 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
18.	5210 39	कपास के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन का 85% से कम होता है, जिसका वजन 200 ग्राम / वर्गमीटर से अधिक नहीं होता है। अन्य रंगे कपड़े	25% या रु. 150 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो	10% या रु. 150 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
19.	5210 49	कपास के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन का 85% से कम होता है, जिसका वजन 200 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक नहीं होता है। विभिन्न रंगों के धागों के अन्य कपड़े	25% या रु. 185 प्रति किलो, जो भी अधिक हो	10% या रु. 132 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो

20.	5210 51, 5210 59	कपास के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन का 85% से कम होता है, जिसका वजन 200 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक नहीं होता है। मुद्रित सादा बुनाई या अन्य मुद्रित कपड़े	25% या रु. 15प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 12 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
21.	5211 31, 5211 32, 5211 39	सूती के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन से 85% से कम होता है, मुख्य रूप से या पूरी तरह से मानव निर्मित फाइबर के साथ मिश्रित होता है, जिसका वजन 200 ग्राम / वर्गमीटर से अधिक होता है। रंगे हुए सादे बुनाई, रंगे हुए 3-धागे या 4-धागे वाले टवील, जिसमें क्रॉस-टवील, अन्य रंगे कपड़े शामिल हैं	25% या रु. 150 प्रति किग्रा।, जो भी अधिक हो	10% या रु. 150 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
22.	5211 41	सूती के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन से 85% से कम होता है, मुख्य रूप से या पूरी तरह से मानव निर्मित फाइबर के साथ मिश्रित होता है, जिसका वजन 200 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक होता है। मी., विभिन्न रंगों के धागों का, सादा बुनाई	25% या रु. 44प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 35 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
23.	5211 43	सूती के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन से 85% से कम होता है, मुख्य रूप से या पूरी तरह से मानव निर्मित फाइबर के साथ मिश्रित होता है, जिसका वजन 200 ग्राम / वर्गमीटर से अधिक होता है। विभिन्न रंगों के धागों के अन्य कपड़े, क्रॉस-टवील सहित 3-थ्रेड या 4-थ्रेड टवील	25% या रु. 40 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 32 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
24.	5211 49	सूती के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन से 85% से कम होता है, मुख्य रूप से या पूरी तरह से मानव निर्मित फाइबर के साथ मिश्रित	25% या रु. 150 प्रति	10% या रु. 150 प्रति

		होता है, जिसका वजन 200 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक होता है। विभिन्न रंगों के धागों के अन्य कपड़े	किग्रा।, जो भी अधिक हो	किग्रा., जो भी अधिक हो
25.	5211 51, 5211 52 और 5211 59	सूती के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास के वजन से 85% से कम होता है, मुख्य रूप से या पूरी तरह से मानव निर्मित फाइबर के साथ मिश्रित होता है, जिसका वजन 200 ग्राम / वर्गमीटर से अधिक होता है। मुद्रित सादा बुनाई या 3-धागा या 4-धागा टवील, जिसमें क्रॉस-टवील या अन्य कपड़े शामिल हैं	25% या रु. 18 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 12 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
26.	5407 42	अन्य बुने हुए कपड़े, जिसमें नायलॉन या अन्य पॉलियामाइड के फिलामेंट्स के वजन से 85% या उससे अधिक होते हैं, रंगे होते हैं	25% या रु. 60 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.36 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
27.	5407 43 00	अन्य बुने हुए कपड़े, जिसमें विभिन्न रंगों के यार्न के नायलॉन या अन्य पॉलियामाइड के फिलामेंट्स के वजन से 85% या उससे अधिक हो	25% या रु.67 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.40 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
28.	5407 44 10, 5407 44 30, 5407 44 40, 5407 44 90	अन्य बुने हुए कपड़े, जिनमें नायलॉन या अन्य पॉलियामाइड के फिलामेंट्स के वजन से 85% या अधिक होता है, मुद्रित	25% या रु.58 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.35 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
29.	5407 44	अन्य बुने हुए कपड़े, जिनमें नायलॉन या अन्य	25% या	10% या

	20	पॉलियामाइड के फिलामेंट्स के वजन से 85% या अधिक होता है, मुद्रित नायलॉन जॉर्जेट	रु. 58 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	रु. 35 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
30.	5407 52	अन्य बुने हुए कपड़े, जिसमें बनावट वाले पॉलिएस्टर फिलामेंट्स के वजन से 85% या अधिक होते हैं, रंगे होते हैं	25% या रु. 38 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.23 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
31.	5407 53 00	अन्य बुने हुए कपड़े, जिसमें विभिन्न रंगों के यार्न के बनावट वाले पॉलिएस्टर फिलामेंट्स के वजन से 85% या अधिक होते हैं	25% या रु. 50 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.30 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
32.	5407 61	अन्य बुने हुए कपड़े, जिसमें गैर-बनावट वाले पॉलिएस्टर फिलामेंट्स के वजन से 85% या अधिक होता है	25% या रु.150 प्रति किग्रा।, जो भी अधिक हो	20% या रु.150 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
33.	5407 69 00	अन्य बुने हुए कपड़े, बनावट वाले पॉलिएस्टर फिलामेंट्स, अन्य कपड़ों के वजन से 85% या उससे अधिक होते हैं	25% या रु. 60 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.36 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो

34.	5407 00	73	अन्य बुने हुए कपड़े, जिसमें विभिन्न रंगों के यार्न के सिंथेटिक फिलामेंट्स के वजन से 85% या उससे अधिक हो	25% या रु. 60 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.36 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
35.	5407 00	74	अन्य बुने हुए कपड़े, जिनमें सिंथेटिक फिलामेंट्स के वजन से 85% या अधिक होता है, मुद्रित	25% या रु.38 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.23 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
36.	5407 10, 82 5407 30, 82 5407 60, 82 90	82 5407 20, 82 5407 40, 82 5407 82	अन्य बुने हुए कपड़े, जिनमें सिंथेटिक फिलामेंट्स के वजन से 85% से कम होता है, मुख्य रूप से या पूरी तरह से कपास के साथ मिश्रित, रंगे	25% या रु.42 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.25 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
37.	5407 50	82	अन्य बुने हुए कपड़े, जिनमें सिंथेटिक फिलामेंट्स के वजन से 85% से कम होते हैं, मुख्य रूप से या पूरी तरह से कपास, रंगे टेरीलीन और डैक्रॉन साड़ियों के साथ मिश्रित होते हैं	25% या रु. 42 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 25 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
38.	5407 00	83	अन्य बुने हुए कपड़े, जिनमें सिंथेटिक फिलामेंट्स के वजन से 85% से कम होता है, मुख्य रूप से	25% या रु.67 प्रति	20% या रु.40 प्रति

		या पूरी तरह से कपास के साथ मिश्रित, विभिन्न रंगों के यार्न के	वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
39.	5407 84 10, 5407 84 20, 5407 84 30, 5407 84 40, 407 84 60, 5407 84 70, 5407 84 90	अन्य बुने हुए कपड़े, जिनमें सिंथेटिक फिलामेंट्स के वजन से 85% से कम होता है, मुख्य रूप से या पूरी तरह से कपास के साथ मिश्रित, मुद्रित	25% या रु. 38 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.23 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
40.	5407 84 50	अन्य बुने हुए कपड़े, जिनमें सिंथेटिक फिलामेंट्स के वजन से 85% से कम होते हैं, मुख्य रूप से या पूरी तरह से कपास, मुद्रित टेरीलीन और डैक्रॉन साड़ियों के साथ मिश्रित होते हैं	25% या रु. 38 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	10% या रु. 23 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
41.	5407 92 00	अन्य बुने हुए कपड़े, रंगे हुए	25% या रु.67 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.40 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
42.	5407 93 00	अन्य बुने हुए कपड़े, विभिन्न रंगों के धागों से	25% या रु.45 प्रति वर्ग मीटर,	20% या रु.27 प्रति वर्ग मीटर,

			जो भी अधिक हो	जो भी अधिक हो
43.	5407 94 00	अन्य बुने हुए कपड़े, मुद्रित	25% या रु.67 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.40 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
44.	5408 22	अन्य बुने हुए कपड़े, जिसमें कृत्रिम फिलामेंट या पट्टी या इसी तरह के रंग के वजन से 85% या उससे अधिक हो	25% या रु.45 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.27 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
45.	5408 23 00	अन्य बुने हुए कपड़े, जिसमें विभिन्न रंगों के यार्न के कृत्रिम फिलामेंट या स्ट्रिप या इसी तरह के वजन से 85% या उससे अधिक हो	25% या रु.47 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.28 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
46.	5408 24 11, 5408 24 14, 5408 24 16, 5408 24 17, 5408 24 19, 5408 24 90	अन्य बुने हुए कपड़े, जिसमें कृत्रिम फिलामेंट या स्ट्रिप या रेयान के समान वजन का 85% या अधिक होता है	25% या रु.87 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.52 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
47.	5408 24 12, 5408	अन्य बुने हुए कपड़े, जिसमें कृत्रिम फिलामेंट या स्ट्रिप या रेयान के समान वजन का 85% या	25% या रु. 87	10% या रु. 52

	24 13, 5408 24 15, 5408 24 18	अधिक होता है	प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
48.	5512 19	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, जिसमें पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के वजन से 85% या अधिक होता है, अन्य	25% या रु.42 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.25 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
49.	5512 29	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, जिसमें ऐक्रेलिक या मोडैक्रेलिक स्टेपल फाइबर के वजन से 85% या अधिक होता है, अन्य	25% या रु.47 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.28 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
50.	5512 99	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े, जिनमें सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के वजन से 85% या अधिक होता है	25% या रु.65 प्रति किलो, जो भी अधिक हो	20% या रु.54 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
51.	5513 21 00	पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, ऐसे फाइबर के वजन से 85% से कम होते हैं, मुख्य रूप से या केवल कपास के साथ मिश्रित होते हैं, जिनका वजन 170 ग्राम / वर्गमीटर से अधिक नहीं होता है। रंगे सादे बुनाई	25% या रु.150 प्रति किलो।, जो भी अधिक हो	20% या रु.107 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
52.	5513 23 00	पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े, ऐसे फाइबर के वजन से 85% से कम, मुख्य रूप से या केवल कपास के साथ मिश्रित,	25% या रु.125 प्रति	20% या रु.125 प्रति

			वजन 170 ग्राम / वर्गमीटर से अधिक नहीं होता है।रंगे हुए	किग्रा. या रु. 25 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	किग्रा. या रु. 25 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
53.	5513 00	39	पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े, ऐसे फाइबर के वजन से 85% से कम, मुख्य रूप से या केवल कपास के साथ मिश्रित, वजन 170 ग्राम / वर्गमीटर से अधिक नहीं होता है। विभिन्न रंगों के धागों के अन्य बुने हुए कपड़े	25% या रु.125 प्रति किग्रा. या रु. 25 प्रति वर्ग मीटर, जो	20% या रु.125 प्रति किग्रा. या रु. 25 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
54.	5513 00	41	पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े, ऐसे फाइबर के वजन से 85% से कम, मुख्य रूप से या केवल कपास के साथ मिश्रित, वजन 170 ग्राम / वर्गमीटर से अधिक नहीं होता है। पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के मुद्रित सादे बुनाई	25% या रु.25 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.15 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
55.	5514 00	21	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, ऐसे फाइबर के वजन से 85% से कम होते हैं, मुख्य रूप से या केवल कपास के साथ मिश्रित होते हैं, जिनका वजन 170 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक होता है। पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के रंगे सादे बुनाई	25% या रु.100 प्रति किग्रा. या रु. 30 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक	20% या रु.100 प्रति किग्रा. या रु. 30 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक

			हो	हो	
56.	5514 00	22	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, ऐसे फाइबर के वजन से 85% से कम होते हैं, मुख्य रूप से या केवल कपास के साथ मिश्रित होते हैं, जिनका वजन 170 ग्राम / वर्गमीटर से अधिक होता है। 3-थ्रेड या 4-थ्रेड टवील, पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के क्रॉस टवील सहित, रंगे	25% या रु.140 प्रति किलो, जो भी अधिक हो	20% या रु.100 प्रति किया., जो भी अधिक हो
57.	5514 00	23	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, ऐसे फाइबर के वजन से 85% से कम होते हैं, मुख्य रूप से या केवल कपास के साथ मिश्रित होते हैं, जिनका वजन 170 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक होता है। पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े, रंगे	25% या रु.160 प्रति किलो, जो भी अधिक हो	20% या रु.114 प्रति किया., जो भी अधिक हो
58.	5514 00	29	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, ऐसे फाइबर के वजन से 85% से कम होते हैं, मुख्य रूप से या केवल कपास के साथ मिश्रित होते हैं, जिनका वजन 170 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक होता है। अन्य रंगे बुने हुए कपड़े	25% या रु.170 प्रति किलो, जो भी अधिक हो	20% या रु.121 प्रति किया., जो भी अधिक हो
59.	5514 11	30	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, ऐसे फाइबर के वजन से 85% से कम होते हैं, मुख्य रूप से या केवल कपास के साथ मिश्रित होते हैं, जिनका वजन 170 ग्राम / वर्ग से अधिक होता है। मी., विभिन्न रंगों के धागों का, पॉलिएस्टर स्टेपल रेशों का	25% या रु.64 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु.45 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
60.	5514 12	30	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, ऐसे फाइबर के वजन से 85% से कम होते हैं, मुख्य रूप से या केवल कपास के साथ मिश्रित होते हैं,	25% या रु. 43 प्रति वर्ग	20% या रु. 26 प्रति वर्ग

		जिनका वजन 170 ग्राम / वर्गमीटर से अधिक होता है। विभिन्न रंगों के धागों से, क्रॉस टवील सहित, 3-श्रेड या 4-श्रेड टवील	मीटर, जो भी अधिक हो	मीटर, जो भी अधिक हो
61.	5514 49 00	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े, ऐसे फाइबर के वजन से 85% से कम होते हैं, मुख्य रूप से या केवल कपास के साथ मिश्रित होते हैं, जिनका वजन 170 ग्राम / वर्गमीटर से अधिक होता है। विभिन्न रंगों के धागों का	25% या रु. 160 प्रति किलो, जो भी अधिक हो	20% या रु. 114 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
62.	5515 21	ऐक्रेलिक या मोडैक्रेलिक स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े, मुख्य रूप से या पूरी तरह से मानव निर्मित फिलामेंट्स के साथ मिश्रित होते हैं	25% या रु. 79 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु. 55 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
63.	5515 91	अन्य बुने हुए कपड़े, मुख्य रूप से या पूरी तरह से मानव निर्मित फिलामेंट्स के साथ मिश्रित होते हैं	25% या रु. 57 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	20% या रु. 40 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
64.	5516 22 00, 5516 23 00	कृत्रिम स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, कृत्रिम स्टेपल फाइबर के वजन से 85% से कम होते हैं, मुख्य रूप से या पूरी तरह से मानव निर्मित फिलामेंट्स, रंगे या विभिन्न रंगों के यार्न के साथ मिश्रित होते हैं	25% या रु. 150 प्रति किग्रा।, जो भी अधिक हो	20% या रु. 150 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
65.	5801 22	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली	25% या	10% या

		अनुसूची के शीर्ष 5802 या 5806 के कपड़ों के अलावा बुने हुए ढेर के कपड़े और सेनील कपड़े, कॉरडरॉय कट	रु. 75 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	रु. 70 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
66.	5802 30 00	गुच्छेदार कपड़ा फ्रेब्रिक	25% या रु. 150 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो	10% या रु. 150 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
67.	6001 92 00	मानव निर्मित रेशों के लंबे ढेर वाले कपड़े या लूप वाले ढेर के कपड़े के अलावा ढेर के कपड़े	25% या रु. 100 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो	20%
68.	6101 20 00	पुरुष या लड़के कपास के ओवरकोट, कार कोट, केप आदि	25% या रु. 540 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20%
69.	6101 30	पुरुष या लड़के मानव निर्मित रेशों के ओवरकोट, कार कोट, केप आदि को ओवरकोट करते हैं	25% या रु. 530 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20%
70.	6103 29	रेशम या कृत्रिम रेशों के पुरुषों के सूट	25%	20%

	10, 6103 29 20			
71.	6104 19	अन्य कपड़ा सामग्री के महिलाओं के सूट	25% या रु. 460 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20%
72.	6104 62 00, 6104 63 00	कपास या सिंथेटिक फाइबर की महिलाओं की पतलून, बिब और ब्रेस चौगा, जांघिया और शॉर्ट्स	25% या रु. 98 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20%
73.	6201 30 10	पुरुष या लड़के कॉटन के ओवरकोट, कार कोट, रेनकोट आदि	25% या रु. 385 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20%
74.	6201 30 90	पुरुषों या लड़कों के अलावा कॉटन के ओवरकोट, कार कोट, रेनकोट आदि	25% या रु. 210 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20%
75.	6201 40 10	पुरुष या लड़के मानव निर्मित रेशों के ओवरकोट, कार कोट, केप आदि को ओवरकोट करते हैं	25% या रु. 320 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20%
76.	6201 40	पुरुषों या लड़कों के अलावा मानव निर्मित रेशों	25% या	20%

	90		के ओवरकोट, कार कोट, केप आदि	रु. 180 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	
77.	6202 10	30	महिलाओं या लड़कियों के ओवरकोट, कार कोट, रेनकोट आदि, कपास के	25% या रु. 210 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20%
78.	6202 90	30	महिलाओं या लड़कियों के अलावा कॉटन के ओवरकोट, कार कोट, रेनकोट आदि	25% या रु. 160 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20%
79.	6202 10	40	महिलाओं या लड़कियों के ओवरकोट, कार कोट, टोपी आदि, मानव निर्मित रेशों के	25% या रु. 385 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20%
80.	6202 90	40	महिलाओं या लड़कियों के अलावा मानव निर्मित रेशों के ओवरकोट, कार कोट, केप आदि	25% या रु. 220 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20%
81.	6203 00	11	ऊन या जानवरों के महीन बालों के पुरुषों के सूट	25% या रु. 1100 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20%

82.	6203 12 00	सिंथेटिक फाइबर के पुरुषों के सूट	25% या रु. 720 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20%
83.	6203 19	अन्य कपड़ा सामग्री के पुरुषों के सूट	25% या रु. 1100 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20%
84.	6203 31	पुरुषों की जैकेट और ब्लेज़र, ऊन या जानवरों के महीन बालों से	25% या रु. 815 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20%
85.	6203 32 00	पुरुषों की जैकेट और ब्लेज़र, कपास की	25% या रु. 440 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20%
86.	6203 33 00	सिंथेटिक फाइबर के पुरुषों के जैकेट और ब्लेज़र	25% या रु. 320 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20%
87.	6203 39	अन्य कपड़ा सामग्री के पुरुषों के जैकेट और ब्लेज़र	25% या रु. 755 प्रति पीस,	20%

			जो भी अधिक हो	
88.	6203 43 00, 6203 49	सिंथेटिक फाइबर या अन्य कपड़ा सामग्री के पुरुषों की पतलून, बिब और ब्रेस चौगा, जांघिया और शॉर्ट्स	25% या रु. 110 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20%
89.	6204 11 00, 6204 13 00	ऊन या जानवरों के महीन बालों या सिंथेटिक फाइबर के महिलाओं के सूट	25% या रु. 550 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20%
90.	6204 19	अन्य कपड़ा सामग्री के महिलाओं के सूट	25% या रु. 500 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20%
91.	6204 31 10, 6204 31 90	महिलाओं के जैकेट और ब्लेज़र, ऊन या जानवरों के महीन बालों के	25% या रु. 370 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20%
92.	6204 32 00	महिलाओं के जैकेट और ब्लेज़र, कपास के	25% या रु. 650 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20%
93.	6204 33	सिंथेटिक फाइबर के महिलाओं के जैकेट और	25% या	20%

	00	ब्लेज़र	रु. 390 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	
94.	6204 39	अन्य कपड़ा सामग्री के महिलाओं के जैकेट और ब्लेज़र	25% या रु. 350 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20%
95.	6204 69	अन्य कपड़ा सामग्री के महिलाओं के पतलून, बिब और ब्रेस चौगा, जांघिया और शॉर्ट्स	25% या रु. 135 प्रति पीस, जो भी अधिक हो	20%
96.	7204	लौह अपशिष्ट और स्क्रेप [यह मद 31.3.2023 तक "शून्य" दर पर लागू होगा, अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क के क्रम संख्या 368 के तहत।]	15%	2.5%
97.	9801	उत्पाद [इन मदों पर एक्सेप्टिव बीसीडी दर 30.09.2022/2023 तक '/ 2.5% / 5% (जैसी हो)। कृपया अधिक जानकारी के लिए IX(A) क्रमांक 33 देखें]	10%	7.5%
घ.	पहली अनुसूची में नई प्रविष्टियाँ जोड़ी गईं (01-05-2022 से प्रभावी होने के लिए जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो) [खंड 97 (ख) वित्त विधेयक, 2022 का]			
1.	एचएस कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में डब्ल्यूसीओ द्वारा प्रकाशित एचएस-2022 के पूरक संशोधनों के साथ भारतीय टैरिफ को संरेखित करने के लिए संशोधन। इन पूरक संशोधनों में टैरिफ में अध्यायों में मामूली बदलाव शामिल हैं, जिनका उद्देश्य एचएस में अधिक स्पष्टता लाना है। इसके अलावा, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुरोधों को			

	<p>समायोजित करके नई टैरिफ प्रविष्टियां शुरू की जा रही हैं। इन नई प्रविष्टियों से मिलेगी मदद-</p> <ul style="list-style-type: none"> • देश में पेश किए जा रहे ईंधन की नई श्रेणियों की पहचान करना; • हस्तशिल्प की पहचान और निर्यात को बढ़ावा देना; • निर्यात किए जा रहे लौह अयस्क में Fe सामग्री के निर्धारण के तरीके को स्पष्ट करना; • सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से छूट दी जा रही वस्तुओं पर अधिक स्पष्टता प्रदान करना।
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. सीमाशुल्क रियायतों/छूटों में कमी और पुनःविलोकन

क.अधिसूचना संख्या -2017/50सीमाशुल्क तारीख 30.06.2017द्वारा पूंजी माल और प्रोजेक्ट आयातों के लिए विहित बीसीडी की रियायत दरों का पुनर्विलोकन:

पूंजीगत वस्तुओं और परियोजना आयात पर सीमा शुल्क दर संरचना की व्यापक समीक्षा की गई है और पूंजीगत वस्तुओं/परियोजना आयातों पर छूट को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है। हालांकि, पूंजीगत वस्तुओं पर कुछ छूट जारी रहेगी। अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क 30.06.2017 की निम्नलिखित प्रविष्टियों के लोप द्वारा कतिपय मालों पर अब तक उपलब्ध बीसीडी छूट को वापस लिया जा रहा है ।

क्रम सं.	अधिसूचना सं . 2017/50की क्रं सं.	विवरणएचएस/ कोड
(1)	(2)	(3)
टेक्सटाइल सेक्टर		
1.	399 [कॉलम (3) में विवरण के अनुसार छूट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया	मानव निर्मित या सिंथेटिक फाइबर या ऊन उद्योग 84 या कोई अन्य अध्याय में उपयोग के लिए माल (पुराने और प्रयोग किए गए से भिन्न) 1. स्पिंडल, ऊन गाइड, बूलन नियंत्रण रिंग्स और ट्रेवलर्स के लिए रियायती बीसीडी दर का वापस लिया जाना [01.04.2022 से प्रभावी]

क्रम सं.	अधिसूचना सं . 2017/50की क्रं सं.	विवरणएचएस/ कोड
(1)	(2)	(3)
	<i>जा रहा है]</i>	2. इस प्रविष्टि में शेष मदों के लिए रियायती बीसीडी दर जैसे कि निरंतर पोलीमराइजेशन प्लांट के लिए मशीनरी, सिंथेटिक फाइबर प्लांट के लिए मशीनरी, सिंथेटिक फिलामेंट यार्न प्लांट के लिए मशीनरी, रेगुलर / एचडब्ल्यूएम विस्कोस स्टेपल फाइबर प्लांट के लिए मशीनरी, लियोसेल फाइबर प्लांट के लिए मशीनरी, के लिए रियायती बीसीडी दर वापस ली जाएगी। [01.04.2023 से प्रभावी]
2.	400 [01.04.2023 से प्रभावी]	परिधान क्षेत्र के लिए मशीनरी, तकनीकी वस्त्रों के निर्माण के लिए मशीनरी, ऊनी मशीनरी आइटम, गैर-बुने हुए वस्त्रों के निर्माण के लिए मशीनरी, डेनिम कपड़ों के निर्माण के लिए मशीनरी, शटललेस करघे के साथ उपयोग के लिए मशीनरी आदि जैसा सामान सूची 12 में निर्दिष्ट है। अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, और कपड़ा उद्योग में उपयोग के लिए उनके निर्माण के लिए पुर्जे
3.	432 [कॉलम (3) में विवरण के अनुसार छूट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है]	टेक्सटाइल उद्योग में उपयोग के लिए माल (पुराने और उपयोग किए गए से भिन्न) 1. मद संख्या 1, सूची 25 के लिए रियायती बीसीडी दर का वापस लिया जाना: बहि स्रोत ट्रीटमेंट इकाई के साथ स्वचलित सेटिंग युक्तियां, एक्टिव स्लज प्रक्रिया, एक्टीवेटेड कार्बन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन ओजोनाइजेशन सुविधाएं [1.4.2022 से प्रभावी] 2. मद संख्या 3, सूची 25 के लिए रियायती बीसीडी दर का वापस लिया जाना: बहि स्रोत ट्रीटमेंट इकाई के साथ स्वचलित सेटिंग युक्तियां, स्वचलित नियंत्रित रासायनिक डोसिंग, डिसोल्ड, स्लज डीवाटरिंग, डिक्लैरिफिकेशन,

क्रम सं.	अधिसूचना सं . 2017/50की क्रं सं.	विवरणएचएस/ कोड
(1)	(2)	(3)
		अल्ट्राफिल्टर्स, वेक्यूम फिल्टर से जल के पुनः उपयोग के ले परिदान [1.4.2022 से प्रभावी] 3. इस प्रविष्टि में शेष मदों जैसे सिंगिंग मशीन, यार्न सुखाने की मशीन, बुनाई मशीन आदि के लिए रियायती बीसीडी दर वापस ली जाएगी। [1.4.2023 से प्रभावी]
4.	433 [01.04.2022 से प्रभावी]	हथकरघा क्षेत्र या हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए अपशिष्ट उपचार संयंत्र के लिए मशीनरी या उपकरण
5.	434 [01.04.2023 से प्रभावी]	रेशम वस्त्र उद्योग में उपयोग के लिए मशीनरी
6.	460 [01.04.2023 से प्रभावी]	कपड़ा उद्योग में उपयोग के लिए शटल रहित करघे और उनके निर्माण के लिए पुर्जे
7.	461 [कॉलम (3) में विवरण के अनुसार छूट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है]	बुनाई जैसी मशीनरी, बुनाई मशीन 1. मशीने जैसे कि बुनाई, व्यूतन मशीने, वस्त्र मशीन जैसे कि कार्डिंग मशीन में उपयोग होने वाले कार्ड वस्त्र [एचएस कोड 84483100] के लिए रियायती बीसीडी दर को वापस लिया जाना [1.4.2022 से प्रभावी] 2. शेष मदों के लिए रियायती बीसीडी दर वापस ली जाएगी, जैसे एक्सट्रूजन, ड्राइंग, टेक्सचरिंग, टेक्सटाइल मशीन, टेक्सटाइल फाइबर तैयार करने के लिए मशीनें, टेक्सटाइल स्पिनिंग मशीन, टेक्सटाइल ट्विस्टिंग मशीन, टेक्सटाइल वाइंडिंग मशीन, वीविंग मशीन, बुनाई मशीन, प्रवेश में सहायक मशीनें आदि। [1.4.2023 से

क्रम सं.	अधिसूचना सं . 2017/50की क्रं सं.	विवरणएचएस/ कोड
(1)	(2)	(3)
		प्रभावी]
पावर सेक्टर		
8.	397 [कॉलम (3) में विवरण के अनुसार छूट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है]	उच्च वोल्टेज ऊर्जा ट्रांसमिशन परियोजना में उपयोग के ले सूची 10 में उपेक्षित विनिर्दिष्ट माल 1. सूची 10 में, जिसके अंतर्गत ट्रांसफॉर्मर, रिएक्टर, सर्किट ब्रेकर इत्यादि भी है, मद 13 के लिए रियायती दरों का वापस लिया जाना [1.4.2022 से प्रभावी] 2. इस प्रविष्टि में शेष मदों जैसे हाई वोल्टेज डीसी डिवाइडर और सीटी, हाई वोल्टेज डीसी रिएक्टर, हाई वोल्टेज डीसी एप्लीकेशन के लिए हाई टीआरवी सर्किट ब्रेकर, ऑप्टिकल करंट ट्रांसफार्मर आदि के लिए रियायती बीसीडी दर वापस ली जाएगी। [1.4.2023 से प्रभावी]
9.	405 [कॉलम (3) में विवरण के अनुसार छूट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है]	वायु प्रचालित बिजली जनरेटर, उसके पुर्जे तथा कच्चा माल 1. इस प्रविष्टि की मद सं. 1 और 3 जिसके अंतर्गत वायु प्रचालित बिजली जनरेटर [डब्ल्यू ओ ई जी] 30 किलो वाट तक, वायु प्रचालित बैटरी चार्जर 30 किलो वाट तक और डब्ल्यू ओ ई जी भी है, के ले रियायती बीसीडी दर का वापस लिया जाना [1.4.2022 से प्रभावी] 2. शेष मदों के लिए रियायती बीसीडी दर को वापस लिया जाना है, जैसे विशेष बियरिंग्स, गियर बॉक्स, याँ घटकों, पवन टरबाइन नियंत्रकों आदि सहित पवन संचालित बिजली जनरेटर के हिस्से और उनके हिस्से और ब्लेड के हिस्से, ब्लेड के कच्चे माल आदि। इस प्रविष्टि में। [1.4.2023 से प्रभावी]
10.	406	पवन संचालित बिजली जनरेटर में उपयोग के लिए 500 किलोवाट से ऊपर के पीएम सिंक्रोनस जेनरेटर के निर्माण के

क्रम सं.	अधिसूचना सं . 2017/50की क्रं सं.	विवरणएचएस/ कोड
(1)	(2)	(3)
	[01.04.2023 से प्रभावी]	लिए स्थायी चुंबक
11.	413 [01.04.2022 से प्रभावी]	ऊर्जा उत्पादन संयंत्र (कैप्टिव ऊर्जा उत्पादन संयंत्र से भिन्न) की मरम्मत या नवीनीकरण के लिए सभी माल
12.	414 [01.04.2022 से प्रभावी]	एक बिजली उत्पादन संयंत्र (कैप्टिव बिजली उत्पादन संयंत्र के अलावा) के लिए मशीनरी और उपकरणों के निर्माण और आपूर्ति के लिए निर्माता-आपूर्तिकर्ता द्वारा आयात किए गए सभी सामान
पेट्रोलियम सेक्टर		
13.	403 [01.04.2023 से प्रभावी]	अपतटीय तेल की खोज या दोहन के उद्देश्यों के संबंध में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के निर्माण के लिए पुर्जें और कच्चे माल
14.	409 [कॉलम (3) में विवरण के अनुसार छूट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है]	सूची 13 में कच्चे पेट्रोलियम रिफाइनरी की स्थापना के लिए अपेक्षित विनिर्दिष्ट माल 1. सूची 13 जिसके अंतर्गत उपयोगिता प्रणाली, जल ट्रीटमेंट प्रणाली, वायु रखरखाव प्रणाली, बायलर इत्यादि की 11 मदों के लिए रियायती बीसीडी दरों का वापस लिया जाना [1.4.2022 से प्रभावी] 2. शेष मदों जैसे सभी प्रकार की रिफाइनरी प्रक्रिया इकाइयों, सभी प्रकार के हाइड्रोजन उत्पादन, रिकवरी और शुद्धिकरण संयंत्रों, सभी प्रकार की प्रक्रिया उप-प्रणालियों, सभी प्रकार के अपशिष्ट ठोस/तरल/गैसीय प्रसंस्करण आदि के लिए रियायती बीसीडी दर वापस ली जाएगी। इस क्रमांक में [1.4.2023 से प्रभावी]

क्रम सं.	अधिसूचना सं . 2017/50की क्रं सं.	विवरणएचएस/ कोड
(1)	(2)	(3)
15.	410 [01.04.2022 से प्रभावी]	कंप्रेस्ट प्राकृतिक गैस चालित या प्रोपेन चालित या द्रविकृत पेट्रोलियम चालित यानों का मोटर स्पिंट या डीजल चालित यानों में संपरिवर्तन के लिए अपेक्षित किट और उसके पुर्जे
चमड़ा सेक्टर		
16.	396 [01.04.2022 से प्रभावी]	चमड़ा उद्योग के ले बहिःस्रोत ट्रीटमेंट संयंत्र के लिए मशीन या उपस्कर
17.	439 [01.04.2023 से प्रभावी]	सूची 27 में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क में निर्दिष्ट 292 सामान, चमड़ा उद्योग या फुटवियर उद्योग में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया, जैसे एयर ब्लास्ट डस्ट रिमूवल मशीन, स्वचालित सुखाने की मशीन आदि।
फूड पैकेजिंग सेक्टर		
18.	455 [01.04.2023 से प्रभावी]	बोतलें, डिब्बे, बक्से, बैग या अन्य कंटेनरों को भरने, बंद करने, सील करने या लेबल करने के लिए मशीनरी
19.	458 [01.04.2023 से प्रभावी]	पशु या स्थिर वनस्पति वसा या तेल के निष्कर्षण या तैयारी के लिए मशीनरी के अलावा, खाद्य या पेय की औद्योगिक तैयारी या निर्माण के लिए मशीनरी
अन्य सेक्टर्स		
20.	393 [01.04.2023 से प्रभावी]	(i) क्रिकेटबैटऔरहॉकीस्टिकस्प्लिसजॉइनिंगमशीन (ii) रग्बीबॉलयासॉकरबॉलसिलाईमशीन (iii) सॉकरबॉल, बास्केटबॉलऔरवाॉलीबॉलकेलिएमोल्ड्स
21.	394 [01.04.2023	बैक्टीरिया हटाने वाला स्पष्टीकरण

क्रम सं.	अधिसूचना सं . 2017/50की क्रं सं.	विवरणएचएस/ कोड
(1)	(2)	(3)
	से प्रभावी]	
22.	395 [01.04.2023 से प्रभावी]	फाइबर इम्पेलर्स और स्वचालित मछली / झींगा फीडर के साथ समुद्री समुद्री जल पंप
23.	407 [01.04.2023 से प्रभावी]	अपेक्षित माल के लिए- (क) ओजोन डेपलिटिंग तत्व (ओडीएस) का प्रतिस्थापन (ख) गैर-ओडीएस प्रौद्योगिकी के साथ नई क्षमता की स्थापना
24.	408 [01.04.2023 से प्रभावी]	उर्वरक संयंत्र के नवीनीकरण, आधिनिकीकरण और रख रखाव के लिए अपेक्षित माल
25.	436 [01.04.2023 से प्रभावी]	ऐसे आउटबोर्ड मोटर्स के रखरखाव के लिए आउटबोर्ड मोटर्स के साथ आपूर्ति किए गए पुर्जे
26.	440 [01.04.2023 से प्रभावी]	नगर समिति, जिला बोर्ड आदि द्वारा आयातित फॉगिंग मशीन।
27.	443 [02.02.2022 से प्रभावी]	सुरक्षा मुद्रण और मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एसपीएससीआईएल) जिसमें पौधों और मशीनरी या उपकरण, संबंधित पुर्जे और बैंकनोट की छपाई के लिए उपयोग्य माल का आयात किया जाता
28.	444 [01.04.2023	भूतापीय जमीन स्रोत ऊष्मा पम्प

क्रम सं.	अधिसूचना सं . 2017/50की क्रं सं.	विवरणएचएस/ कोड
(1)	(2)	(3)
	से प्रभावी]	
29.	445 [01.04.2023 से प्रभावी]	रत्न और आभूषण बनाने के लिए सामान - (1) स्वचालित श्रृंखला बनाने की मशीन, (2) चेन ट्विस्टिंग मशीन, (3) सर्पिल बनाने की मशीन, (4) रोलिंग मशीन (संयुक्त प्रोफाइल ग्रूवर्स / स्ट्रिप मेकिंग) (5) स्वचालित निवेश मशीन / कास्टिंग मशीन
30.	448 [01.04.2023 से प्रभावी]	विशिष्ट कृषि उपकरण और उनके निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले हिस्से जिनमें धान ट्रांसप्लान्टर, गन्ना हार्वेस्टर, कपास बीनने वाला आदि शामिल हैं।
31.	469 [01.04.2023 से प्रभावी]	वायुमंडलीय जल जनरेटर
32.	470 [01.04.2023 से प्रभावी]	लकड़ी के फाइबरबोर्ड बनाने के लिए मशीनरी
प्रोजेक्ट इम्पोर्ट्स		
33.	597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606	क.ऐसी परियोजना के लिए आयात प्रोजेक्ट जैसे (i) ऊर्जा परियोजना जिसमें परमाणु और सौर ऊर्जा (ii) कोयला परियोजना (iii) गैस परियोजना (iv) इस्पात कच्ची धातु परियोजना (v) जल प्रदाय परियोजना (vi) खाद्य आनाज मंडी और वेयरहाउसिंग

क्रम सं.	अधिसूचना सं . 2017/50की क्रं सं.	विवरणएचएस/ कोड
(1)	(2)	(3)
		<p>परियोजना (vii) अन्य परियोजनाएं</p> <p>ख. आयातित परियोजना के अधीन तारीख सतंबर 30, 2022 के बाद नई रजिस्ट्रिकृत परियोजना बीसीडी टैरिफ दर से 7.5 प्रतिशत बीसीडी दर आकृषित 7.5 प्रतिशत में परिवर्तन के साथ होगी।</p> <p>ग .आयातित परियोजना के अधीन तारीख सितंबर 30, 2022 तक विद्यमान रजिस्ट्रिकृत परियोजना यथा लागू 0%, 2-5%, 5% की दर पुरानी की सीडी आकृषित करने वाली तारीख 30 सितंबर, 2022 तक पितामह होगी</p> <p>घ .आयात परियोजना के अधीन सभी रजिसट्रीकृत परियोजना तारीख सितंबर 30, 2023 के बाद बीसीडी दर 7.5% आकृषित होगी।</p>

ख. अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क तारीख 30.6.2017 में वर्णित बीसीडी की छूट दर की समीक्षा: कतिपय माल पर उपलब्ध अबतक बीसीडी छूट जैसा कि नीचे दर्शित तारीख 30.6.2017 सीमा-शुल्क अधिसूचना सं. 50/2017 की प्रविष्टियां का कुछ लोप करते हुए आहरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रूपांतरणों को तारीख 30.6.2017 की अधिसूचना सं. 50/2017 सीमा-शुल्क की कुछ प्रविष्टियां की बावत भी किया गया, जिसमें तारीख वर्णित की गई है और आंशिक परिवर्तन को छूट दी गई है। इन परिवर्तनों को नीचे उल्लेखित किया गया है:

क्र . .सं	अधिसूचना सं . 2017/50का क्रमांक संख्या	वर्णन
प्रविष्टियों को तुरन्त लोप किया जाना		
.1	4	एटलांटिक सॉल्यन
.2	26	हेजलनट या फाइबर्ट, सेल्ड और इन सेल्ड
.3	28	अन्य नट, सेल्ड और इन सेल्ड
.4	33	डूयरेन, अन्य ताजे फल जैसे पोग्रेनेट, रैमारिंड, सपोटा, कसट्रड, सेव, बेर, लिची आदि करंटस और गूजबेरी को छोड़कर
.5	50	बीज लेक
.6	52	डगर बट्टू
.7	82	साबुन बनाने में प्रयुक्त होने वाली कूड गिलिसरीन
.8	96	टापियका और तत्व जिसके लिए स्ट्राच से तैयार किया गया
.9	122	सिलीका सैंड
.10	124	मार्बल, ट्रावर्टिन, इकोसिन और अन्य कलकारस मोनूमेंटल या भवन पत्थर
.11	151	लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से अच्छी बिक्री के लिए इंडियन आईओसीएलबीपीसीएल, एचपीसीएल और आईबीपी कंपनी लिमिटेड द्वारा आयात किए गए मिट्टी का तेल
.12	159	बायो बेस्ड सस्फाल्ट सीलर और प्रर्जवेशन अजेंट; मिलिंग रिमूवर और क्रेक फीलर, एस्फाल्ट रिमूवर और कारोजन प्रोटैक्टेंट; बायोबेस्ड एस्फाल्ट के लिए स्प्रेयर प्रणाली
.13	171	सूची में विनिर्दिष्ट माल 7, लेजर और लेजरआधारित उपकरण के - निर्माण के लिए
.14	173	माल दूरसंचार इंप्रेग्नेटिड ग्लास रीइन्कोर्समेंट रोविंग के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले सामान अर्थात, ईयार्न /ग्लास रोविंग-तरती शोषक पोलीमर और विनाइल पोलीमर
.15	175	सामान्य नमक (जिसमें कच्चा नमक समुद्री नमक, टेबल नमक)
.16	187	डीटीपी वैक्सीन के निर्माण के लिए यूनीसेफ द्वारा प्रदाय कच्ची सामग्री माध्यमिक और उपयोग्य।
.17	233	माईरोबलेन फल निष्कर्षण
.18	234	ट्राईबंड फोसफर

.19	235	सेरेनिक रैग
.20	236	ग्लास फ्रिट और अन्य ग्लास, पाउडर में से, ग्रानल्स या फ्लैक्स
.21	241	पोली कार्बोसाईलेट इथर के निर्माण में प्रयोग के लिए विनाइल पालीथीलिन ग्लाइकोन
.22	242	प्लाज्मा वैलूम फैलाव अर्थात आईड्रोसीथीन स्टार्च और डेक्सट्रन के निर्माण में प्रयोग के लिस निम्नलिखित माल
.23	277	तार और केवलस् इन्सुलोटीड के निर्माण में प्रयोग के लिए मीका ग्लास टेप
24.	293	ग्रेप गार्ड पेपर(ग्रेप पैकिंग के प्रयोग के लिए पेपर)
.25	324	टुना मछली पकड़ने के लिए मोनो फिलामेंट लंबी पंक्ति प्रणाली
.26	327	हाथ नोटिड कारपेट का नमूना
.27	328	पालिस्टर टायर कोर्ड फेब्रिक
.28	332	छाता के पुर्जे
.29	481 और 216	कृत्रिम गुर्दा (डयलाइजर)
.30	216क और 481क	कृत्रिम गुर्दे के निर्माण के लिए पुर्जे
.31	402	आटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन पीसीबीए, ट्रांसफारमर, बैटरी और तांबा इनेमल तार को आंख्यकिक कनर्वटर के निर्माण में प्रयोग के लिए माल
.32	424	पेजिंग माल और इसके पुर्जे के लिए सूचीबद्ध माल
.33	425	लोक मोबाइल रेडियो ट्रंकड सेवा (पीएमआरटीएस) और उसके पुर्जे के लिए सूचीबद्ध माल
.34	431	एग्रोरसायन सेक्टर यूनिट में अनुसंधान और विकास के प्रयुक्त - माल
.35	449	रेफ्रिजरेटर कम्प्रेसर के निर्माण में प्रयुक्त माल अर्थात:- (i) सी-ब्लॉक कम्प्रेसर (ii) क्रेन्कसाफ्ट
.36	450	रेफ्रिजरेटर कम्प्रेसर के निर्माण में प्रयोग के लिए ओवर लोड प्रोटेक्टर (ओ.एल.पी.)
.37	501	कम्प्यूटर में प्रयुक्त के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयातित रिकॉर्डेड चुम्बक टेप्स और फ्लॉपी डिस्कट
.38	588	सिंथेटिक ट्रेक रखने के लिए सिंथेटिक ट्रेक और उपकरण
.39	589	(i) एस्फाल रिजुफेसर (ii) अक्रीलिक रिजुफेसर (iii) कुशन कोट

		(iv) अक्रीलिक रंग मिश्रण (v) अक्रीलिक बनाने वाले रंग और (vi) पाउडर में पोलीटेन या ग्रानूल फार्म
.40	590	खेल और क्रीड़ा के लिए मांग
प्रविष्टियां जहाँ अंतिम तारीखें विहित हैं		
41.	289	कागज, पेपर बोर्ड और समाचार मुद्रण (अंतिम तारीख 31.3.2023 विहित है) के निर्माण में प्रयुक्त के लिए लकड़ी की फट्टे।
42.	430	फार्माटिकल और बायो-प्रौद्योगिकी सेक्टर (31.3.2023 की अंतिम तारीख को विहित है) में अनुसंधान और विकास के प्रयोजन के लिए माल।
43.	479	मोनो या बीपोलर मेमबटेन इलेक्ट्रोलाईजर और पुर्जे, मेम्बटेन और पुर्जे, पुर्जे अन्यथा जिनका पोटैस यूनिट या कास्टिक, सोडा यूनिट कास्टिक के लिए (31.3.2023 की अंतिम तारीख विहित है)
44.	594	स्नो स्काई और अन्य स्नो स्काई उपकरण, जल स्काई, सर्फबोर्ड, साईबोर्ड और अन्य जल क्रीड़ा उपकरण (31.3.2023 की अंतिम तारीख विहित है)

वित्त अधिनियम, 2021 के तहत शामिल सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25 (4क) निर्धारित करती है कि जहां उप-धारा (1) के तहत किसी भी शर्त के अधीन कोई छूट दी जाती है, ऐसी छूट, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट या विविध या रद्द न हो, वैध होगी। इस तरह के अनुदान या बदलाव की तारीख से दो साल के तुरंत बाद आने वाले मार्च के 31 वें दिन तक। तदनुसार, सशर्त छूटों की इस उप-धारा के संदर्भ में वैधता होगी। इसलिए, इस खंड के कारण प्रभावित होने वाली प्रविष्टि की पहचान की गई है और अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क में एक स्पष्टीकरण डाला गया है।

["स्पष्टीकरण: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उप-धारा (4क) के प्रावधानों के तहत, यह निर्दिष्ट किया जाता है कि कॉलम के तहत उल्लिखित अधिसूचना की तालिका की क्रम संख्या के तहत सशर्त छूट दी गई है (2) नीचे दी गई तालिका के, जिसके लिए वैधता की अवधि अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, जब तक कि उसमें परिवर्तन या रद्द नहीं किया जाता है, उक्त तालिका के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में उल्लिखित तिथि तक वैध होगी।"]

निम्नलिखित प्रविष्टियाँ, जब तक कि भिन्न न हों, की वैधता 31.03.2023 तक होगी।	
45.	16, 90, 133, 139, 150, 155, 164, 165, 168, 183, 184, 188, 204, 213, 237, 238, 253, 254, 255, 258, 259, 260, 261, 269, 271, 276, 277A, 279, 280, 325, 333, 334, 339, 340, 341, 341A, 353, 364A, 374, 375, 378, 379, 380, 381, 387, 392, 415, 415A, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 426, 428, 429, 441, 462, 463, 464, 471, 472, 475, 478, 482, 489B, 495, 497, 504, 509, 510, 511, 512, 512A, 516, 519, 534, 535, 535A, 536, 538, 540, 542, 543, 544, 546, 549, 550, 559, 565, 566, 567, 568, 570, 575, 577, 578A, 579, 580, 581, 583, 593, 612
निम्नलिखित प्रविष्टियाँ [इस वर्ष की गई इस अभ्यास में समीक्षा की गई], जब तक कि विविध न हों, की वैधता 31.03.2024 तक होगी।	
46.	17, 80A, 104, 172, 191, 257, 257A, 257B, 257C, 264A, 290, 292, 293A, 296A, 326, 329, 345A, 354, 355, 356, 357, 422, 423, 442, 446, 451, 465, 517, 591

तकनीकी परिवर्तन के माध्यम से लोपित प्रविष्टियाँ		
.47	31	सूखे अंगूर (किसमिस, अन्य)
.48	161	नेपाल और भूटान से संगठित विद्युत ऊर्जा
.49	192	वनस्पति तेल, सामान्य रूप से जानने वाला बायो-डीजल से प्राप्त लंबी कड़ी फेटी एसिड का एल्काईल ईस्टर
.50	215	रक्त समूह सीरा, अर्थात्- एंटी-सी, एंटी-ई, एंटी-सी, एंटी-ह, एंटी-एम, एंटी-एन, एंटी-ली, एंटी-पीआई, एंटी-एस, एंटी-मानव, एंटी-ग्लोबुलीन सीला, एंटी-एफ, एंटी-केल, एंटी-सीलान, एंटी-जेकेए और एंटी-आई।
.51	224	मनुरियल प्रयोजन के लिए इसके प्रयोग के संकेतक से पोटेशियम नाइट्रेट
.52	248	डिपिंग तेल, पाक्लोबुटराजोल (कल्चर)
.53	466	पुर्जे/उप पुर्जे, टेबल कम्प्यूटर के निर्माण में प्रयोग के लिए मिश्रण या सजावटी पुर्जे।
.54	485	कंप्यूटर के लिए कलर मानीटर की पी.सी.बी में प्रयोग के लिए या कंप्यूटर के लिए कलर मानीटर में प्रयुक्त डिफ्लेक्शन घटक
.55	496	शीर्षक 8471 के अधीन आने वाले माल के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले स्टेपर मोटर

.56	505	इसके विनिर्माण में प्रयोग होने वाले सेटअप बॉक्स के पुर्जे
.57	506	बोर्ड बैंड मोडम के विनिर्माण अन्यथा पी.सी.बी ए चार्जर में प्रयोग
.58	507	रूटर्स के विनिर्माण अन्यथा पी.सी.बी ए चार्जर में विनिर्माण के लिए पुर्जे/उपपुर्जे, संघटक और साजो सामान
.59	508	इंटरनेट अन्यथा पी.सी.बी.ए चार्जर को प्राप्त करने के लिए सेटअप बॉक्स के विनिर्माण में प्रयोग के लिए पुर्जे/उपपुर्जे, संघटक और साजो सामान
आंशिक परिवर्तन के प्रविष्टियां		
.60	15	फ़ोजन सीमन और फ़ोजन सीमन उपकरण (बोविन सीमन के लिए केबल निरंत के लिए छूट)
.61	104	समुद्री-खाना की प्रक्रिया में प्रयोग के लिए विनिर्दिष्ट माल की सूची
.62	132	<p>मद की सूची:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. एल्युमीनियम सीमेंट 2. सिलीकॉन धातु (99%) 3. माइक्रो/फ्यूम्ड सिलिका 4. ब्राउन फूज्ड एलुमीनिया 5. सीनटर/टेबुलर एलुमीनिया 6. फूज्ड जिरकोनियम 7. सोडियम हक्सामेटा फास्फेट 8. सिलीकॉन कार्बाईड 9. बोरॉन कार्बाईड 10. रिएक्टिव एलुमीनिया 11. फूज्ड सिलिका और <p>मद सूची:- फीनोलिक रेजिन (तारीख 31.3.2023की अंतिम तारीख की एक सूची के लिए निरन्तर और सूची बी के ले बंद करना)</p>
.63	166	<p>(क) सूची 3 में निर्दिष्ट दवाएं, दवाएं, नैदानिक किट या उपकरण।</p> <p>(ख) दवाओं या दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त थोक दवाएं (क)</p> <p>[सूची-3 के तहत छूट को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है]</p> <p>नोट: क्रम संख्या 166 के तहत सूची 3 में शामिल मदों में ऐसी दवाओं या दवाओं के निर्माण में उपयोग की जाने वाली थोक दवाओं के साथ-साथ दवाओं, दवाओं, डायग्नोस्टिक किट आदि के आयात पर 5% की सशर्त रियायती दर का प्रावधान है। उक्त सूची की मदों की समीक्षा की गई है। तदनुसार, 35वस्तुओं को सूची से हटा दिया गया है और सूची में 1आइटम [इन्फ्लूएंजा वैक्सीन] को 18महीने के बाद हटा दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अधिसूचना संख्या 02/2022 - सीमा शुल्क दिनांक 1 फरवरी, 2022 देखें।</p>

.64	167	<p>(क) जीवन रक्षक दवाएं/दवाएं जिनमें उनके लवण और एस्टर और सूची 4 में निर्दिष्ट नैदानिक परीक्षण किट शामिल हैं। (ख) दवाओं या दवाओं के निर्माण में उपयोग की जाने वाली थोक दवाएं (क)।</p> <p>[सूची-4 के तहत छूट को उपरोक्त क्रम संख्या 63 पर नोट में वर्णित तरीके से युक्तिसंगत बनाया जा रहा है; क्रम संख्या 167 (सी) पर प्रविष्टि को छोड़ दिया गया है क्योंकि इसी तरह की छूट क्रम संख्या के तहत उपलब्ध है। 607 (बी) अधिसूचना संख्या 50/2017 - सीमा शुल्क]</p> <p>उक्त सूची की मदों की समीक्षा की गई है। तदनुसार, सूची 4 में 3 आइटम [हेपेटाइटिस बी एंटीजन का पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक एजेंट, एचआईवी एंटीबांडी का पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक किट, एंजाइम लिंकड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एसे किट (एलिसा किट)] को लिस्ट 3, 2 बल्क ड्रग्स [थोक ड्रग पदार्थ] में स्थानांतरित कर दिया गया है। पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन (निष्क्रिय और जीवित) और मोनोकंपोनेंट इंसुलिन] के लिए जो वर्तमान में सूची 4 में शामिल हैं, उन्हें 2-3 वर्षों के बाद सूची 3 में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, और सूची 4 से 36 वस्तुओं को छोड़ दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अधिसूचना संख्या 02/2022 - सीमा शुल्क दिनांक 1 फरवरी, 2022 देखें।</p>
.65	404	<p>पैट्रोलियम संचालन से संबंध में अपेक्षित माल (क्रम सं. 404 के अधीन सूची 33 में यथा विनिर्दिष्ट पैट्रोलियम में प्रयुक्त मास के लिए उपबंध छूट की तर्क संगतता और ऐसी छूट का उपबोग करने के लिए सहायक शर्त सं. 48 का साधारणीकरण)</p>
.66	513	<p>अनेक टेलीकोम के पापुल मुद्रित सर्किट बोर्ड के विनिर्माण में प्रयोग के लिए पुर्जे या संघटक और इलेक्ट्रानिक संबंधित उत्पादन और उसके उप पुर्जे (चयनित मदों कते लिए निरंतर हेतु छूट)</p>

(ग) सीमाशुल्क छूट जिसमें अन्य स्टैंड स्लोन अधिसूचना अन्य कतिपय माध्यम से मंजूर की गई है, जिसकी समीक्षा भी की गई है:

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	अधिसूचना विषय
I. निम्नलिखित अधिसूचनाओं को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संशोधित किया गया है:		
1.	39/1996- सीमाशुल्क दिनांक 23.07.1996	यह अधिसूचना रक्षा और आंतरिक सुरक्षा बलों से संबंधित वस्तुओं पर सीमा शुल्क की रियायती दर निर्धारित करती है। छूट की समीक्षा पर, क्रमांक 14, 15, 17, 18, 19, 24, 29, 30, 31, 31A, 31B, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 के तहत प्रविष्टियां , 43 छोड़े गए हैं। [सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(4ए) के अनुसार शेष प्रविष्टियों के लिए 31.03.2023 की सूर्यास्त तिथि निर्धारित की गई है]
2.	25/1999- सीमाशुल्क दिनांक 28.02.1999	यह अधिसूचना इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण में उपयोग के लिए कच्चे माल और भागों के आयात से संबंधित वस्तुओं पर सीमा शुल्क की रियायती दर निर्धारित करती है। छूट की समीक्षा करने पर, अप्रचलित मदों से संबंधित अनावश्यक छूट प्रविष्टियों और छूटों को हटाने के लिए कटौती की गई है और तदनुसार, 125 से अधिक प्रविष्टियों को छोड़ दिया गया है। [शेष प्रविष्टियों के लिए सूर्यास्त दिनांक 31.03.2024 लागू किया गया]
3.	25/2002- सीमाशुल्क दिनांक 01.03.2002	यह अधिसूचना इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क की रियायती दर निर्धारित करती है। [सभी प्रविष्टियों के लिए सूर्यास्त तिथि 31.03.2024 लागू की गई]
4.	27/2011- सीमाशुल्क दिनांक 01.03.2011	यह अधिसूचना माल के निर्यात पर सीमा शुल्क की रियायती दर निर्धारित करती है। छूट की समीक्षा करने पर, क्रम संख्या 20बी, 63 और 64 के तहत प्रविष्टियों को

		छोड़ दिया गया है क्योंकि ये प्रविष्टियां अप्रचलित हो गई हैं।
5.	37/2017- सीमाशुल्क दिनांक 30.06.2017	यह अधिसूचना आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों से संबंधित वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क की रियायती दर निर्धारित करती है। छूट प्रविष्टियों की समीक्षा करने पर, क्रम संख्या 6 और 7 के तहत प्रविष्टियों को छोड़ दिया गया है क्योंकि उनकी वैधता समाप्त हो गई है।
II. निम्नलिखित अप्रचलित/समाप्त अधिसूचनाओं को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार रद्द कर दिया गया है:		
क्रम सं.	अधिसूचना सं.	अधिसूचना विषय
1.	190/1978-सीमाशुल्क दिनांक 22.09.1978	इन अधिसूचनाओं में ट्रांसफॉर्मर ऑयल बेस स्टॉक या ट्रांसफॉर्मर ऑयल फीडस्टॉक के रूप में ज्ञात कच्चे माल पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के ऐसे हिस्से के बराबर ट्रांसफॉर्मर तेल के आयात पर अतिरिक्त सीमा शुल्क का प्रावधान है।
2.	191/1978- सीमाशुल्क दिनांक 22.09.1978	
3.	10/1995- सीमाशुल्क दिनांक 7.3.1995	यह अधिसूचना लोहे के निर्माण के लिए आयातित आयात इनपुट पर सीमा शुल्क की रियायती दर निर्धारित करती है
4.	26/1999- सीमाशुल्क दिनांक 28.2.1999	यह अधिसूचना एन-पैराफिन निकालने के लिए लीनियर एल्काइल बेंजीन के एक निर्माता द्वारा आयातित मिट्टी के तेल के आयात पर मूल सीमा शुल्क की रियायती दर निर्धारित करती है।
5.	27/2004- सीमाशुल्क दिनांक 23.01.2004	यह अधिसूचना कुछ रसायनों के निर्माण में उपयोग के लिए आयातित विशिष्ट वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क की रियायती दर निर्धारित करती है।
6.	14/2006- सीमाशुल्क दिनांक 01.03.2006	यह अधिसूचना अध्याय 52, 54, 55 और 58 के अंतर्गत आने वाले बुने हुए कपड़ों की निर्दिष्ट किस्मों के आयात पर सीमा शुल्क की रियायती दर निर्धारित करती है। इस अधिसूचना की प्रविष्टियों को अधिसूचना संख्या 82/2017-सीमा शुल्क में मिला दिया गया है।
7.	48/2006- सीमाशुल्क दिनांक 26.05.2006	यह अधिसूचना कार्डेड/कंघी ऊन या महीन जानवरों के बालों के बुने हुए कपड़ों के आयात पर सीमा शुल्क की

		रियायती दर निर्धारित करती है। इस अधिसूचना की प्रविष्टियों को अधिसूचना संख्या 82/2017-सीमा शुल्क में मिला दिया गया है।
8.	90/2007- सीमाशुल्क दिनांक 26.07.2007	यह अधिसूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुओं से संबंधित वस्तुओं के आयात पर अतिरिक्त सीमा शुल्क की रियायती दर निर्धारित करती है।
9.	08/2011- सीमाशुल्क दिनांक 14.02.2011	यह अधिसूचना बांग्लादेश या नेपाल से आयातित जूट उत्पादों पर उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत लगाए जाने वाले संपूर्ण अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट निर्धारित करती है। जीएसटी की शुरुआत के बाद अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है, जूट उत्पाद आयात पर एकीकृत कर को आकर्षित करते हैं।
10.	24/2011- सीमाशुल्क दिनांक 1.03.2011	यह अधिसूचना तांबे के सांद्र पर मूल सीमा शुल्क से छूट देती है, जो ऐसे तांबे के सांद्र में निहित सोने और चांदी के मूल्य पर लगने वाले सीमा शुल्क के बराबर है।
11.	49/2013- सीमाशुल्क दिनांक 29.11.2013	इस अधिसूचना ने तपेदिक रोधी दवाओं, निदान और उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क की रियायती दर निर्धारित की थी और 1 अप्रैल, 2016 को समाप्त हो गई थी।
12.	23/2014- सीमाशुल्क दिनांक 11.07.2014	इस अधिसूचना ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए आयातित दवाओं और उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क की रियायती दर निर्धारित की थी और 1 अप्रैल, 2015 को समाप्त हो गई थी।
13.	37/2015- सीमाशुल्क दिनांक 10.06.2015	इस अधिसूचना ने एंटी-रेट्रोवायरल ड्रग्स (एआरवी ड्रग्स) के आयात पर सीमा शुल्क की रियायती दर निर्धारित की थी और 1 अप्रैल, 2016 को समाप्त हो गई थी।
14.	11/2016- सीमाशुल्क दिनांक 01.03.2016	यह अधिसूचना सॉफ्टवेयर रिकॉर्डेड मीडिया के आयात पर सीमा शुल्क की रियायती दर निर्धारित करती है।
15.	20/2020- सीमाशुल्क दिनांक 09.04.2020	यह अधिसूचना फेस मास्क, सर्जिकल मास्क, वेंटिलेटर, COVID-19 परीक्षण किट आदि के आयात पर सीमा शुल्क

		की रियायती दर निर्धारित करती है और 30 सितंबर, 2020 को समाप्त हो गई थी।
16.	40/2020-सीमाशुल्क दिनांक 28.10.2020	यह अधिसूचना टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत आलू के आयात पर सीमा शुल्क की रियायती दर निर्धारित करती है और 31 जनवरी, 2021 को समाप्त हो गई थी।

(घ) कुछ स्टैंड-अलोन अधिसूचनाओं में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(4ए) के अनुसार अंतिम तिथि को शामिल करना:

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या / अधिसूचना संख्या की प्रविष्टि।	संशोधन
1.	146/94- सीमाशुल्क दिनांक 13.07.1994	यह अधिसूचना राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा आयातित विशिष्ट खेल सामग्री, उपकरण और आवश्यक वस्तुओं पर सीमा शुल्क की रियायती दर निर्धारित करती है [अधिसूचना में सभी प्रविष्टियां, जब तक कि उनमें परिवर्तन या रद्द न किया गया हो, की वैधता 31.03.2023 तक होगी।]
2.	147/94- सीमाशुल्क दिनांक 13.07.1994	यह अधिसूचना प्रसिद्ध शॉट के लिए आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद के लिए छूट पर सीमा शुल्क की रियायती दर निर्धारित करती है [अधिसूचना में सभी प्रविष्टियां, जब तक कि उनमें परिवर्तन या रद्द न किया गया हो, की वैधता 31.03.2023 तक होगी।]
3.	50/96- सीमाशुल्क दिनांक 23.07.1996	यह अधिसूचना आर के लिए उपकरण, उपकरण, कच्चे माल, घटकों, पायलट संयंत्रों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर सीमा शुल्क की रियायती दर निर्धारित करती है। [अधिसूचना में सभी प्रविष्टियां, जब तक कि उनमें परिवर्तन या रद्द न किया गया हो, की वैधता 31.03.2023 तक होगी।]

4.	30/2004- सीमाशुल्क दिनांक 28.01.2004	यह अधिसूचना दान के रूप में पुराने कंप्यूटरों के आयात पर सीमा शुल्क की रियायती दर निर्धारित करती है [अधिसूचना में सभी प्रविष्टियां, जब तक कि उनमें परिवर्तन या रद्द न किया गया हो, की वैधता 31.03.2023 तक होगी।]
5.	81/2005- सीमाशुल्क दिनांक 08.09.2005	यह अधिसूचना विद्युत उत्पादन परियोजना की प्रारंभिक स्थापना के लिए मशीनरी/घटकों पर सीमा शुल्क की रियायती दर निर्धारित करती है [अधिसूचना में सभी प्रविष्टियां, जब तक कि उनमें परिवर्तन या रद्द न किया गया हो, की वैधता 31.03.2023 तक होगी।]
6.	5/2017- सीमाशुल्क दिनांक 02.02.2017	यह अधिसूचना बिजली उत्पादन के लिए ईंधन सेल आधारित प्रणाली की प्रारंभिक स्थापना के लिए मशीनरी, उपकरण, उपकरण, घटकों और उपकरणों पर सीमा शुल्क की रियायती दर निर्धारित करती है। [अधिसूचना में सभी प्रविष्टियां, जब तक कि उनमें परिवर्तन या रद्द न किया गया हो, की वैधता 31.03.2023 तक होगी।]
7.	16/2017- सीमाशुल्क दिनांक 20.04.2017	यह अधिसूचना रोगियों को मुफ्त में आपूर्ति की जाने वाली विशिष्ट दवाओं और दवाओं पर सीमा शुल्क की रियायती दर निर्धारित करती है [अधिसूचना में सभी प्रविष्टियां, जब तक कि उनमें परिवर्तन या रद्द न किया गया हो, की वैधता 31.03.2023 तक होगी।]
8.	32/2017- सीमाशुल्क दिनांक 30.06.2017 का क्रमांक 2	यह अधिसूचना भारतीय कलाकारों और 100 साल से अधिक पुरानी मूर्तियों, प्राचीन पुस्तकों द्वारा विदेशों में बनाई गई कलाकृति पर सीमा शुल्क की रियायती दर निर्धारित करती है। [प्रविष्टि, जब तक कि विविध या रद्द न हो, की वैधता 31.03.2023 तक होगी।]

V. चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम [पीएमपी] के संबंध में प्रभावी बुनियादी सीमा शुल्क दरों में परिवर्तन शामिल प्रस्ताव विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के संबंध में प्रस्ताव

क्र.सं.	अध्याय, शीर्षक, उप-शीर्षक, या टैरिफ आइटम	वस्तु	से	तक			
				2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
कलाई पहनने योग्य उपकरणों के लिए पीएमपी (स्मार्ट घड़ियाँ)							
निम्नलिखित भाग [एस. नंबर 1 से 7] टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले पहनने योग्य उपकरणों के निर्माण के लिए							
8517 62 90 सीमा शुल्क टैरिफ							
1.	8517 79 10	प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए)	शून्य	शून्य	10%	15%	15%
2.	8544	चार्जिंग केबल केबल	10%	शून्य	5%	10%	15%
3.	39, 73, 85	पहनने योग्य उपकरणों के निर्दिष्ट भाग	सीटीए च के अनुसार	शून्य	5%	10%	15%
4.	8507 60 00/ 8507 80 00	बैटरी	15%	शून्य	5%	10%	15%
5.	8517 79 90	प्रदर्शन विधानसभा	शून्य	शून्य	शून्य	5%	10%
6.	8501	विव्राटरमोटर	10%	10%	10%	10%	10%
7.	कोई भी अध्याय	उपरोक्त क्रमांक 1 से 6 के निर्माण में उपयोग के लिए पुर्जे, उप-भाग और कच्चे माल	सीटीए च के अनुसार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

8.	8517 62 90	कलाई पहनने योग्य उपकरण (आमतौर पर स्मार्ट घड़ियों के रूप में जाना जाता है)	20%	20%	20%	20%	20%
<i>नोट: उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 7 में मदों के लिए IGCR शर्तें लागू होंगी।</i>							
सुनने योग्य उपकरणों के लिए पीएमपी							
निम्नलिखित भाग [एस. सं. 1 से 6] सीमा शुल्क टैरिफ के उप-शीर्षक 851821, 8518 22, 8518 29 या 8518 30 के अंतर्गत आने वाले श्रव्य उपकरणों के निर्माण के लिए							
1.	8518 90 00	सुनने योग्य डिवाइस के लिए PCBA	10%	0%	10%	15%	15%
2.	8544	यूएसबी केबल	10%	15%	15%	15%	15%
3.	73, 74, 85	सुनने योग्य उपकरणों के निर्दिष्ट भाग	सीटीए च के अनुसार	शून्य	5%	10%	15%
4.	8507 60 00/ 8507 80 00	बैटरी	15%	शून्य	5%	10%	15%
5.	8518 90 00	स्पीकर असेंबली (सुरक्षात्मक जाल के साथ पूर्व-इकट्ठे स्पीकर ड्राइवर, लेकिन पीसीबीए या बैटरी सहित नहीं)	10%	शून्य	शून्य	5%	10%
6.	कोई भी अध्याय	ऊपर दिए गए क्रमांक 1, 3, 4 और 5 के निर्माण में उपयोग के	सीटीए च के अनुसार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

		लिए पुर्जे, उप-भाग और कच्चे माल	र				
7.	8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30	<p>सुनने योग्य उपकरण</p> <p>नोट-सुनने योग्य उपकरणों का अर्थ है:-</p> <p>(i) डू वायरलेस स्टीरियो (TVS), हेडफोन, इयरफोन और इसी तरह के उपकरण जैसे ईयरबड, नेकबैंड, हेडसेट, आदि, चाहे माइक्रोफोन के साथ संयुक्त हों या नहीं, वायरलेस माध्यम से कनेक्ट करने में सक्षम हों; तथा</p> <p>(ii) पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर जिसमें एम्पलीफायर और लाउडस्पीकर होते हैं, जिनकी अधिकतम आउटपुट पावर 40 वाट से अधिक नहीं होती है, जिसमें पावर के स्रोत के रूप में बैटरी होती है और ब्लूटूथ के माध्यम से वायरलेस कनेक्टिविटी में सक्षम होती है।</p>	15%	20%	20%	20%	20%

नोट: आईजीसीआर की शर्तें उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 6 में मदों के लिए लागू होंगी।

स्मार्ट मीटर के लिए पीएमपी

निम्नलिखित भाग [एस. नंबर 1 से 6] टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले स्मार्ट मीटरों के निर्माण के लिए 9028 30 10 सीमा शुल्क टैरिफ

1.	9028 90 10	स्मार्ट मीटर के लिए असेंबलड/पॉपुलेटेड पीसीबी	7.5%	20%	20%	20%	20%
2.	8517 69 90	संचार मॉड्यूल	10%	शून्य	शून्य	5%	10%
3.	8536 49 00	रिले	10%	5%	10%	10%	15%
4.	8517 71 00	एंटीना	शून्य	शून्य	शून्य	5%	10%
5.	8524 11 00/ 8524 91 00	एलसीडी के लिए एलसीडी और बैकलाइट	15%	शून्य	5%	10%	10%
6.	8506 50 00	बैटरी	10%	शून्य	5%	10%	10%
7.	कोई भी अध्याय	उपरोक्त क्रमांक 1 से 6 के निर्माण में उपयोग के लिए पुर्जे, उप-भाग और कच्चे माल	सीटीए च के अनुसा र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	9028 30 10	स्मार्ट मीटर	15%	25%	25%	25%	25%

नोट: उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 7 में मदों के लिए IGCR शर्तें लागू होंगी।

VI. संबंधित अधिसूचनाओं में मूल सीमा शुल्क दरों/स्वास्थ्य उपकर में परिवर्तन को शामिल करने वाले अन्य प्रस्ताव [2.2.2022 से प्रभावी, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो]

क्र.सं.	अध्याय, शीर्षक, उप- शीर्षक, या टैरिफ आइटम	वस्तु	से	तक
		कृषि उत्पाद और उत्पाद द्वारा		
1.	0306	लाइव ब्लैक टाइगर झींगा (पेनियस मोनोडोन)	30%	10%
2.	0306 19 00	जमे हुए क्रिल्ल	30%	15%
3.	1518	जलीय चारा के निर्माण के लिए शैवाल तेल	30%	15%
		ईंधन, रसायन और प्लास्टिक		
4.	2710 19	ईंधन तेल	5%	2.5%
5.	2710 19	स्ट्रेट रन फ्यूल ऑयल	5%	2.5%
6.	2710 19	कम सल्फर मोम अवशेष	5%	2.5%
7.	2710 19	वैक्यूम अवशेष, घोल	5%	2.5%
8.	2710 19	वैक्यूम गैसोइल	5%	2.5%
9.	2837 11 00	सोडियम साइनाइड	7.5%	10%
		कागज		
10.	4707	कागज, पेपरबोर्ड या न्यूजप्रिंट के निर्माण में उपयोग के लिए बरामद (अपशिष्ट और स्क्रेप) कागज या पेपरबोर्ड	शून्य	2.5%
		रत्न और आभूषण क्षेत्र		
11.	7102 21	किम्बर्ले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम (KPCS) के तहत	लागू दर	शून्य

	7102 31 00	आयात किए गए सिम्पली सावन नेचुरल डायमंड्स		
12.	71	कटे और पॉलिश किए हुए हीरे	7.5%	5%
13.	71 (7104 99 00 कोछोडकर)	कट और पॉलिश प्राकृतिक रत्न	7.5%	5%
		धातु		
14.	7204	स्टेनलेस स्टील स्क्रेप सहित आयरन और स्टील स्क्रेप [31.3.2022 तक उपलब्ध छूट को 31.03.2023 तक बढ़ाया जा रहा है]	शून्य [31.3.2 022 तक]	शून्य [31.3. 2023 तक]
		इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र		
15.	3920 99 99, 9002 1100	सेलुलर मोबाइल फोन के लिए कैमरा मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग के लिए कैमरा लेंस	10%/ 15%	2.5%
16.	विशिष्ट सीटीएच	चार्जर्स/एडेप्टर के ट्रांसफॉर्मर के निर्माण में उपयोग के लिए निर्दिष्ट पुर्जे	10%/ 15%	5%
17.	74 या 76	पीसीबी/एमसीपीसीबी के निर्माण में उपयोग के लिए कॉपर/एल्यूमीनियम आधारित कॉपर क्लैड लैमिनेट	5%/ 7.5%	शून्य
18.	90	एक्स-रे वस्तुओं के निर्माण में उपयोग की जाने वाली निम्नलिखित वस्तुएं: क) एक्स-रे ग्रिड ख) मल्टी लीफ कोलिमेटर / आईरिस ग) स्टैटिक यूजर इंटरफेस	5%	10%
19.	90	एक्सरे मशीनस्	7.5%	10%

		चिकित्सा उपकरण		
20.	9018 32 10	सर्जिकल टांके के निर्माण के लिए आयातित सर्जिकल सुई	स्वास्थ्य उपकरण @ 5%	स्वास्थ्य उपकरण @ शून्य
		खिलौने		
21.	9503	इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के पुर्जे	15%	25%
		पूंजीगत माल		
22.	7325 10 00	प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी के निर्माण में प्रयुक्त एस जी पिंड कास्टिंग्स	10%	7.5%
23.	8483 40 00, 8477 90 00	प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी के निर्माण में प्रयुक्त बॉल स्कू और लीनियर मोशन गाइड	7.5%	5%
24.	84	बुशिंग (प्लैटिनम और रोडियम मिश्र धातु से बना, घिसे-पिटे झाड़ियों के बदले आयात किया जाता है जिसे नवीनीकरण के लिए निर्यात किया जाता है)	10%	7.5%
25.	8419	काँफी के निर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग के लिए काँफी रोस्टिंग, ब्रूइंग या वेंडिंग मशीनरी	10%	7.5%

VII. बोनाफाइड निर्यातकों द्वारा आयात किए जाने पर विशिष्ट वस्तुओं पर शुल्क रियायतें:

1. वास्तविक निर्यातकों के लिए निर्यात के लिए अभिप्रेत वस्तुओं में उपयोग के उद्देश्य के लिए शुल्कमुक्त आयात की योजना, वास्तविक निर्यातकों के लिए शुरू की जा रही है, जो इन छूटों के तहत आयातित इनपुट का उपयोग कर के निर्मित मूल्यवर्धित उत्पादों के, छह महीने की अवधि में, निर्यात की आवश्यकता के अधीन है। आईजीसीआर नियम, 2017 के तहत प्रक्रिया का पालन करना होगा।
2. योजना के संचालन के लिए निम्नलिखित परिवर्तन किए जा रहे हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:
 - क्रम संख्या 257 के तहत छूट प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों में संशोधन किया जा रहा है ।
 - निर्यात के लिए बने हस्तशिल्प उत्पादों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले सजावटी कागज, रूपांकनों, फोटो फ्रेम के पीछे, आदि जैसी विशिष्ट वस्तुओं के आयात के लिए सशर्त छूट प्रदान करने के लिए क्रम संख्या 257क_डाला जा रहा है।
 - क्रमसंख्या 257ख को निर्दिष्ट वस्तुओं जैसे फास्टनरों, इनलेकाइर्स, लाइनिंग और इंटर-लाइनिंग सामग्री, गीले ब्लू क्रोम टैन्ड लेदर इत्यादि के आयात के लिए सशर्त छूट प्रदान करने के लिए जोड़ा जा रहा है, जिसका उपयोग कपड़ा या चमड़े के वस्त्रों के निर्माण, निर्यात के लिए किया जाना है।
 - क्रमसंख्या 257ग को चमड़े या सिंथेटिक जूते, या निर्यात के लिए अन्य चमड़े के उत्पादों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले बकल, बटन, ताले आदि जैसी विशिष्ट वस्तुओं के आयात के लिए सशर्त छूट प्रदान करने के लिए डाला जा रहा है।
 - क्रमसंख्या 288 को नए क्रमसंख्या 257ख के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है और क्रमसंख्या 288 को लोप किया जा रहा है।

VIII. अधिसूचना संख्या में संशोधन करके विभिन्न मर्दों पर सामाजिक कल्याण अधिभार [एसडब्ल्यूएस] लगाने की समीक्षा। 11/2018- सीमा शुल्क दिनांक 02.02.2018

क्रमांक	संशोधन
1.	टैरिफ आइटम 0802 91 00, 0802 92 00 और 0802 99 00 के अंतर्गत आने वाले सभी सामानों को एसडब्ल्यूएस से छूट दी गई है।
2.	उप-शीर्षक 1509 90 और 1510 90 के अंतर्गत आने वाले सभी सामानों को एसडब्ल्यूएस से छूट दी गई है।
3.	टैरिफ मर्दों 2515 12 90, 2516 11 00, 2516 12 00 के अंतर्गत आने वाले सभी सामानों को एसडब्ल्यूएस से छूट दी गई है।
4.	उप-शीर्षक 5208 39, 5209 31, 5209 32, 5209 39, 5209 49, 5210 39, 5211 31, 5211 32, 5211 39 और 5211 49 के अंतर्गत आने वाले सभी सामानों को एसडब्ल्यूएस से छूट दी गई है।
5.	उप-शीर्षक 5407 61 के अंतर्गत आने वाले सभी सामानों को एसडब्ल्यूएस से छूट दी गई है।
7.	टैरिफ मर्दों 5516 22 00 और 5516 23 00 के अंतर्गत आने वाले सभी सामानों को एसडब्ल्यूएस से छूट दी गई है।
8.	टैरिफ मद 5802 30 00 के अंतर्गत आने वाले सभी सामानों को एसडब्ल्यूएस से छूट दी गई है।
9.	टैरिफ मद 6001 92 00 के अंतर्गत आने वाले सभी सामानों के लिए वर्तमान एसडब्ल्यूएस छूट को वापस ले लिया गया है।
10.	टैरिफ मद 6101 20 00 के अंतर्गत आने वाले सभी सामानों के लिए वर्तमान एसडब्ल्यूएस छूट वापस ले ली गई है; उप-शीर्ष 6101 30 के अंतर्गत आने वाले माल; टैरिफ मर्दों के अंतर्गत आने वाले माल 6102 10 00 और 6102 20 00; उप-शीर्ष 6102 30 के अंतर्गत आने वाले माल; उप-शीर्षक 6104 19 के अंतर्गत आने वाले सामान (ऊन या महीन जानवरों के बाल या कपास को छोड़कर); और टैरिफ आइटम 6104 62 00, 6104 63 00 के अंतर्गत आने वाले सामान।
11.	उप-शीर्षक 6201 30, 6201 40, 6202 30, 6202 40 के अंतर्गत आने वाले सभी सामानों के लिए एसडब्ल्यूएस छूट वापस ले ली गई है; टैरिफ

	मद 6204 11 00, 6204 13 00 के अंतर्गत आने वाले; उप-शीर्षक 6204 19, 6204 31 के अंतर्गत आने वाले माल; टैरिफ मदों के अंतर्गत आने वाले माल 6204 32 00; 6204 33 00 और उप-शीर्षकों के अंतर्गत आने वाले माल 6204 39 और 6204 69
12.	शीर्ष 6203 में, एसडब्ल्यूएस से छूट को टैरिफ मदों 6203 22 00, 6203 23 00 के अंतर्गत आने वाले सभी सामानों तक सीमित कर दिया गया है; उप-शीर्षक 6203 29 के अंतर्गत आने वाले माल; टैरिफ मद 6203 41 00 के अंतर्गत आने वाले माल; और उप-शीर्षक 6203 42 . के अंतर्गत आने वाले माल I
13.	क्रमांक के अंतर्गत आने वाले सभी सामानों के लिए SV8 छूट वापस ले ली गई है। नंबर 3 [पुरुषों या लड़कों के ओवरकोट, कार कोट, केप, लबादा, एनोरक (स्की-जैकेट सहित), विंड-चीटर, विंड-जैकेट और इसी तरह की वस्तुएं, बुना हुआ या क्रोकेटेड, शीर्ष 6103 के अलावा, ऊन या ठीक पशु बाल, टैरिफ मद 6101 90 90 के अंतर्गत आते हैं और क्रमांक नंबर 4 [अपहोल्स्ट्री कपड़े निम्नलिखित शीर्षकों या उप-शीर्षकों के अंतर्गत आते हैं - 5208 39, 5209 31, 5209 32, 5209 39, 5209 49, 5210 39, 5211 31, 5211 32, 5211 39, 5211 49, 5407 61, 5516 22 00, 5516 23 00, 5802 30 00] अधिसूचना संख्या 11/2018 - सीमा शुल्क दिनांक 02.02.2018

IX. आयात पर रियायत प्रदान करने वाली विभिन्न अधिसूचनाओं में अन्य विविध परिवर्तन:

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	संशोधन
1.	अधिसूचना 148/94-सीमा शुल्क दिनांक 13.07.1994	अधिसूचना धर्मार्थ संगठनों, रेड क्रॉस सोसाइटी, केयर और भारत सरकार द्वारा आयातित निर्दिष्ट मुफ्त उपहार, दान, राहत और पुनर्वास सामग्री के आयात पर सीमा शुल्क से छूट निर्धारित करती है। इस अधिसूचना के तहत आयातित माल के लिए स्वास्थ्य उपकर, कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) और सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर (आरआईसी) से छूट प्रदान करने के लिए इस अधिसूचना में संशोधन किया गया है।
2.	अधिसूचना संख्या 38/96-सीमा शुल्क दिनांक 23.07.1996	अधिसूचना भूटान/नेपाल को निर्यात के लिए विदेश से आयातित माल, अन्य देशों को निर्यात के लिए भूटान/नेपाल से आयात किए गए सभी सामान और कुछ अन्य निर्दिष्ट सामानों के ट्रांस-शिपमेंट पर सीमा शुल्क छूट प्रदान करती है। इस अधिसूचना के तहत आयातित माल के लिए स्वास्थ्य उपकर, कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) और सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर (आरआईसी) से छूट प्रदान करने के लिए इस अधिसूचना में संशोधन किया गया है।
3.	अधिसूचना संख्या 104/10-सीमा शुल्क दिनांक 01.10.2010	अधिसूचना में नेपाल से आयातित विशिष्ट वस्तुओं पर सीमा शुल्क से छूट का प्रावधान है। इस अधिसूचना के तहत आयातित वस्तुओं के लिए कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) से छूट प्रदान करने के लिए इस अधिसूचना में संशोधन किया गया है।
4.	अधिसूचना संख्या 60/2011-सीमा शुल्क दिनांक 14.07.2011	अधिसूचना बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों में स्थानीय रूप से उत्पादित विशिष्ट वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क से छूट निर्धारित करती है। इस अधिसूचना के तहत आयातित वस्तुओं के लिए कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) से छूट प्रदान करने के लिए इस अधिसूचना में संशोधन किया गया है।

5.	अधिसूचना संख्या 40/2017- सीमाशुल्क दिनांक 30.06.2017	अधिसूचना में भूटान, बांग्लादेश और चीन से विशिष्ट वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क से छूट का प्रावधान है। इस अधिसूचना के तहत आयातित माल के लिए स्वास्थ्य उपकर, कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) और सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर (आरआईसी) से छूट प्रदान करने के लिए इस अधिसूचना में संशोधन किया गया है।
6.	अधिसूचना संख्या 50/2017 - सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017	दुर्लभ बीमारियों का उपचार: सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 30 या शीर्षक 9804 के तहत आने वाली दवाओं या दवाओं को छूट देने के लिए क्रम संख्या 167 ए पर एक नई प्रविष्टि शुरू की जा रही है, जो दुर्लभ के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। रोग, जब उनकी सिफारिश पर सूची 2 (सम्मिलित) या किसी अन्य व्यक्ति / संस्थान में सूचीबद्ध 8 उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) द्वारा आयात किया जाता है। यह दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2021 के अनुरूप है।

X. अन्य परिवर्तन (संशोधन अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 द्वारा कुछ स्पष्टीकरण/तकनीकी परिवर्तन सहित)

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	विवरण
1.	50/2017 की क्रम संख्या 6	लाइव एल वन्नामेई श्रिम्प के लिए विशिष्ट रोगजनक मुक्त (एसपीएफ़) की शर्त को अधिसूचना संख्या 50/2017 - सीमा शुल्क से हटा दिया गया है, क्योंकि इसे मत्स्य विभाग द्वारा विनियमित किया जा रहा है।
2.	525, 526क और 531क	प्रविष्टि संख्या में कुछ स्पष्ट संशोधन किए गए हैं। अधिसूचना संख्या 50/2017 दिनांक 30.06.2017 की 525, 526ए और 531ए, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के पूरी तरह से नॉक डाउन/सेमी नॉक डाउन फॉर्म (सीकेडी/एसकेडी) के आयात के संबंध में छूट के दायरे के बारे में स्पष्टता लाने के लिए) (वाणिज्यिक, यात्री और दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों सहित). ये संशोधन स्पष्ट करते हैं कि एक ईवी किट के लिए एक ईवी के सीकेडी फॉर्म के लिए उपलब्ध शुल्क लाभों के लिए पात्र होने के लिए, किट में प्रत्येक व्यक्तिगत घटक को अलग-अलग रूप में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया गया है कि भले ही ईवी किट में कुछ घटक गायब हैं, सीकेडी/एसकेडी किट के लिए उपलब्ध शुल्क की रियायती दर का लाभ अभी भी उपलब्ध होगा बशर्ते कि प्रस्तुत किट में ईवी का आवश्यक चरित्र हो।
3.	531क	इस प्रविष्टि में दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात पर सीमा शुल्क की रियायती दर का प्रावधान है। इस प्रविष्टि से 'इलेक्ट्रिक कंप्रेसर' और 'कॉन्टैक्टर' शब्द हटा दिए गए हैं क्योंकि इन भागों का उपयोग दोपहिया वाहनों में नहीं किया जाता है।

XI. रतिपाटन शुल्क /प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी)/सुरक्षा उपाय

1.	<p>निम्नलिखित के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क स्थायी रूप से निरस्त किया जा रहा है-</p> <p>ए) चीन के जनवादी गणराज्य से उत्पन्न या निर्यात किए गए मिश्र धातु-इस्पात की सीधी लंबाई की छड़ें और छड़ें, अधिसूचना संख्या 54/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 18.10.2018 के तहत लगाई गई हैं;</p> <p>बी) गैर-कोबाल्ट ग्रेड का हाई स्पीड स्टील, ब्राजील, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और जर्मनी से उत्पन्न या निर्यात किया गया, अधिसूचना संख्या 38/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 25.09.2019 के तहत लगाया गया;</p> <p>सी) स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद, मिश्र धातु के साथ चढ़ाया या लेपित ।</p>
2.	<p>अधिसूचना संख्या 1/2017-सीमा शुल्क (सीवीडी) दिनांक 07.09.2017 के तहत चीन के जनवादी गणराज्य में उत्पन्न या निर्यात किए गए कुछ हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों के आयात पर काउंटरवेलिंग शुल्क स्थायी रूप से निरस्त किया जा रहा है।</p>

XII. संबंधित अधिसूचनाओं में निर्यात शुल्क दरों में परिवर्तन को शामिल करने वाले प्रस्ताव [2.2.2022 से प्रभावी]

क्र.सं.	अध्याय, शीर्षक, उप-शीर्षक, या टैरिफ आइटम	वस्तु	से	तक
		चमड़ा		
1.	41	भैंस की कच्ची खाल और खाल	40%	30%

सीमा शुल्क नियमों में परिवर्तन

S. No.	संशोधन
1.	<p>व्यापार सुविधा- आईजीसीआर नियमों में संशोधन, 2017</p> <p>सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने के लिए संशोधित किया जा रहा है:</p> <p>(क) पूरी प्रक्रिया में एंड टू एंड ऑटोमेशन शुरू करना। सभी आवश्यक विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक सामान्य पोर्टल के माध्यम से जमा करने की आवश्यकता को नियमों में ही बताया जा रहा है।</p> <p>(ख) विभिन्न रूपों का मानकीकरण और अधिसूचना जिसमें विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए जाने हैं।</p> <p>(ग) इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस तरह की प्रस्तुतियों का लाभ उठाते हुए, किसी भी लेनदेन आधारित अनुमतियों और सूचनाओं की आवश्यकता को समाप्त किया जा रहा है।</p> <p>(घ) नतीजतन, अधिसूचना लाभ का दावा करने की प्रक्रिया को सरल और स्वचालित किया जा रहा है।</p> <p>(ङ) इच्छित उद्देश्यों के लिए माल के उपयोग की प्रभावी निगरानी के लिए, एक मासिक विवरण प्रस्तावित किया जा रहा है जिसे आयातक द्वारा सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाना है।</p> <p>(च) आयातक को सामान्य पोर्टल के माध्यम से आवश्यक शुल्क और ब्याज के स्वैच्छिक भुगतान का विकल्प प्रदान किया जा रहा है।</p>

उत्पाद-शुल्क

उत्पाद-शुल्क

टिप्पण (क) “मूल उत्पाद-शुल्क” से केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की अनुसूची में उपवर्णित उत्पाद-शुल्क अभिप्रेत है।

(ख) “सड़क और अवसंरचनात्मक उपकर” से वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 112 के अधीन उद्ग्रहीत केंद्रीय उत्पाद-शुल्क का अतिरिक्त शुल्क अभिप्रेत है।

(ग) “विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क” से वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के अधीन उद्ग्रहीत केंद्रीय उत्पाद शुल्क अभिप्रेत है।

(घ) “एनसीसीडी” से वित्त अधिनियम, 2001 के अधीन सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर विनिर्दिष्ट माल पर उत्पाद-शुल्क के रूप में उद्ग्रहीत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क अभिप्रेत है

ADD

(ड) गुरुकोष्ठक [] में खंड संख्याक वित्त विधेयक, 2022 के सुसंगत खंड को उपदर्शित करते हैं।

(च) वित्त विधेयक, 2022 द्वारा किए गए संशोधन, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, इसके अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होंगे।:

I. चौथी अनुसूची में संशोधन

क्रम .सं.	संशोधन	वित्त विधेयक का 2022 खंड
1.	ई 12 और ई 15 ईंधन सम्मिलन के लिए केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, 1944 की चौथी अनुसूची में के अध्याय 27 में अतःस्थापित नई टैरिफ मर्दे [2710 12 43] और [2710 12 44] को बारह ई12 और ई15	[98]

	<p>प्रतिशत तक ई थानॉल की प्रतिशतता के साथ इ थानॉल सम्मिश्र पेट्रोल के लिए जारी किया गया है। यह केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944की चौथी अनुसूची को भी सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहल अनुसूची में उप-शीर्ष 271012 के लिए प्रस्तावित संशोधनों के अनुरूप बनाने के लिए समर्थ बनाएगा।</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

II. असम्मिश्र पेट्रोल और डीजल पर मूल उत्पाद-शुल्क की प्रभावी दर में परिवर्तन [जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किए जाएं, यह तारीख 01.10.2022 से प्रभावी होगा]

सामान्य तौर पर पेट्रोल के रूप में जत ई थनॉल/मिथानॉल के सम्मिज्ञ का कोटर स्पिरिट के साथ और बायो-डीजल का हाई-स्पीड डील के साथ संवर्धन करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर 2/- रुपए प्रति लीटर की अतिरिक्त मूल उत्पाद-शुल्क, जो सम्मिज्ञण के बिना फुटकर उपभोक्ताओं को बेचा जाना आशचित है जिससे कि सम्मिज्ञण को प्रोत्साहित किया जासके। ये परिवर्तन तारीख 01.10.2022 से प्रभावी होंगे।

III. वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची (एनसीसीडी अनुसूची) में संशोधन

क्रम .सं.	संशोधन	वित्त विधेयक 2022 का खंड
1.	<p>वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची को केंद्रीय उत्पाद शुल्क-के अनुरूप करने के लिए 1944, एनसीसीडी अनुसूची को केंद्रीय उत्पाद टैरिफ मद 2709 20 00 के स्थान पर 2709 00 10 [पेट्रोलियम क्रुड] प्रतिस्थापित करके संशोधित किया जा रहा है।</p>	125

IV. अन्य परिवर्तन [तारीख 24.12.2008 की अधिसूचना सं. 49/2008-केंद्रीय उत्पाद (एन.टी.) को अधिकांत कर के कतिपय स्पष्टीकरणों/तकनीकी परिवर्तनों सहित]

क्रम .सं.	संशोधन
1.	जीएसटी व्यवस्था की वापसी के पश्चात्, वर्तमान विधिक स्थिति के अनुसार, अधिसूचना सं. 49/2008-केंद्रीय उत्पाद (एन.टी.), तारीख 24.12.2008, को अधिसूचना संख्या 01/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) से अधिकांत किया जा रहा है ।

माल और सेवा कर

टिप्पण:

(क) सीजीएसटी अधिनियम से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है।

(ख) आईजीएसटी अधिनियम से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है।

(ग) यूटीजीएसटी से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है।

वित्त विधेयक, 2022 में खंड 99 से 113 द्वारा किए गए संशोधन उस तारीख से प्रभावी होंगे जब इन्हें राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा विधान के साथ पारित इसी प्रकार के अधिनियमों में तत्समान संशोधन करने पर यथासंभव, साथसाथ अधिसूचित किया जाएगा। वित्त - विधेयक, 2022 में खंड 114 से 123 द्वारा किए गए संशोधन इसके अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होंगे।

I. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन:

क्रम .सं.	संशोधन	वित्त विधेयक का खंड 2022
1.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में एक नया खंड (खक) यह उपबंध करने के लिए अतः स्थापित किया जा रहा है कि किसी पूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग केवल तब किया जा सके यदि ऐसे प्रत्यय को धारा 38 के अधीन करदाता को संसूचित व्यौरों में निर्वधित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) को इसलिए संशोधित किया जा रहा है जिससे कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित किसी बीजक या नामे नोट के बारे में आगामी वित्तीय वर्ष के नवम्बर माह तीसवें दिन तक इनपुअ कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए विस्तारित समय का उपबंध किया जा सके।	[99]
2.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 29 की	[100]

	<p>उपधारा (2) के खंड (ख) और (ग) इसलिए संशोधित किए जा रहे हैं जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण वहां रद्दकरण के लिए दायी होगा, जहां-</p> <p>(i) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति ने किसी वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी उक्त विवरणी प्रस्तुत करने की देय तारीख से तीन माह के परे तक प्रस्तुत नहीं की है;</p> <p>(ii) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति ने ऐसी लगातार कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की है, जो विहित की जाए।</p>	
3.	<p>केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) को इसलिए संशोधित किया जा रहा है जिससे कि किसी वित्तीय वर्ष में की गई किसी पूर्ति के संबंध में आगामी वित्तीय वर्ष के नवम्बर माह के तीसवें दिन तक प्रत्यय नोट जारी करने के लिए विस्तारित समय के लिए उपबंध किया सके।</p>	[101]
4.	<p>केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 37 को इसलिए संशोधित किया जा रहा है:</p> <p>(i) जावक पूर्ति के ब्यौरों प्रस्तुत करने के लिए शर्तें और निर्वचन विहित करने तथा संबंधित प्राप्तिकर्ताओं को ऐसी जावक पूर्तियों के ब्यौरों की संसूचित करने के लिए उपबंध किया जा सके;</p> <p>(ii) विवरणी फाइल करने में द्वि-मार्गी संसूचना को समाप्त करने;</p> <p>(iii) उपधारा(1) के अधीन प्रस्तुत की गई जावक पूर्तियों के ब्यौरों के संसंबंध में त्रुटियों का सुधार करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के नवम्बर माह के तीसवें दिन तक विस्तारित समय के लिए उपबंध किया जा सके;</p> <p>(iv) धारा (1) के अधीन जावक प्रदाये के ब्यौरों को कर अवधि-अनुसार क्रमवार फाइल करने के लिए उपबंध किया जा</p>	[102]

	सके।	
5.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 38 प्रासिकर्ता को स्वतः सृजित विवरण के द्वारा आवम पूर्तियों के ब्यौरों और इन-पुअ कर प्रत्यय की संसूचना के लिए प्रासिकर्ता को स्वतः सृजित विवरण के द्वारा रीति तथा शर्तों और निर्वधन विहित करने के लिए और विवरणी फाइल करने के लिए द्वि-मार्गी संसूचना प्रक्रिया को समाप्त करने हेतु प्रतिस्थापित किया जा रहा है।	[103]
6.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 को इसलिए संशोधित किया जा रहा है जिससे कि:- (i) यह उपबंध किया जा सके कि अनिवासी करादेय व्यक्ति किसी माह के लिए विवरणी आगामी माह के तीसरे दिन तक प्रस्तुत करेगा; (ii) उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को या तो स्वयं-निर्धारित कर का या रकम का, जो विहित की जाए, संदाय करने का विकल्प दिया जा सके; (iii) धारा 39 के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी में की त्रुटियों को सुधार करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के नवम्बर माह के तीसरे दिन तक विस्तारित समय का उपबंध किया जा सके; (iv) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन किसी कर अवधि की जावक पूर्तियों के ब्यौरों को उक्त कर अवधि के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने हेतु एक शर्त के रूप में उपबंध किया जा सके।	[104]
7.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 41 को इसलिए प्रतिस्थापित किया जा रहा है जिससे कि “अनंतिम” आधार पर पात्र इनपुट कर प्रत्यय के लिए “दावा” की अवधारणा को समाप्त किया जा सके और ऐसी शर्तों और	[105]

	निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, स्वतः निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग की उपबंध किया जा सके।	
8.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 42, 43 और 43क का लोप किया जा रहा है जिससे विवरणी फाइल करने के लिए द्वि-मार्गी ससूचना प्रक्रिया को समाप्त किया जा सके।	[106]
9.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 47 को इसलिए संशोधित किया जा रहा है जिससे कि धारा 52 के अधीन विवरणी फाइल करने में विलंब के लिए विलंब फीस का उद्ग्रहण करने की उपबंध किया जा सके। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 38 में संशोधन के परिणामस्वरूप धारा 38 के प्रति निर्देश को हटाया जा रहा है।	[107]
10.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 38 में संशोधन के परिणामस्वरूप इस अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) को संशोधित किया जा रहा है। जिससे कि उसमें से धारा 38 के प्रति निर्देश को हटाया जा सके	[108]
11.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 को इसलिए संशोधित किया जा रहा है जिससे कि:- (i) इलेक्ट्रानिक जमा खते में उपलब्ध रकम के उपयोग के लिए निर्वधनों को विहित किया जा सके; (ii) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध रकम के अंतरण को उक्त अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खते एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन किसी सुभिन्न व्यक्ति को अनुज्ञात किया जा सके; (iii) आउटपुअ कर दायित्व के अधिकतम अनुपात को विहित करने की उपबंध किया जा सके, जिसको इलेक्ऑनिक नकद खते के माध्यम से निर्मुक्त किया जा सके।	[109]

12.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (3) को भूतलक्षी रूप से 1 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किया जा रहा है जिससे कि गलत रूप में उपयोग या उपयोग किए गए इनपुअ कर प्रत्यय पर ब्याज के उद्ग्रहण के लिए उपबंध किया जा सके।	[110]
13.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (6) को इसलिए संशोधित किया जा रहा है जिससे कि उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत विवरण में त्रुटियों का सुधार करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के नवम्बर माह के तीसवें दिन तक विस्तारित समय की उपबंध किया जा सके।	[111]
14.	(iii) सभी किस्म के प्रतिदाय के संबंध में प्रतिदायों से विधारित करने या वसूली करने की परिधि का विस्तार किया जासके; (iv) किसी विशेष आर्थिक जाने विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जाने इकाई को की गई पूर्तियों के संबंध में प्रतिदाय दावा फाइल करने की सुसंगत तारीख के संबंध में स्पष्टता प्रदान की जा सके।	[112]
15.	केंद्रीय माल और सेवा अधिनियम की धारा 38 में संशोधन के परिणामस्वरूप, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168 की उपधारा (2) को संशोधित किया जा रहा है जिससे कि उससे धारा 38 के प्रति निर्देश को हटाया जा सके।	[113]
16.	अधिसूचना संख्या 9/2018-केंद्रीय कर,तारीख 23 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 58 (ई) को इसलिए संशोधित किया जा रहा है जिससे कि www.gst.gov.in को भूतलक्षी रूप से 22 जून, 2017 से अधिसूचित किया जा सके, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन उपबंधित सभी कृत्यों के लिए ई-वे बिल के लिए उपबंधित कृत्यों के लिए ई-वे बिल के बिल के लिए उपबंधित से भिन्न और केंद्रीय माल और सेवा कर नियम 48 के उप-नियम (4) के अधीन बीजकों के सृजन के लिए सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रानिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित किया सके।	[114]

17.	अधिसूचना संख्या 13/2017 -केन्द्रीय कर, तारीख 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 661(ई) को भूतलक्षी रूप से 01 जुलाई, 2017 से संशोधित किया जा रहा है जिससे कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन ब्याज की दर को 18 प्रतिशत के रूप में अधिसूचित किया जा सके।	[115]
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

II. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन:

क्रम .सं.	संशोधन	वित्त विधेयक का खंड 2022
1.	अधिसूचना संख्या 6/2017-एकीकृत कर,तारीख 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 698 (ई) को भूतलक्षी रूप से 28 जून, 2017 से संशोधित किया जा रहा है जिससे कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की 50 की उपधारा (3) के अधीन ब्याज की दर को, 18 प्रतिशत के रूप में अधिसूचित किया जा सके।	[118]

III. संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन:

क्रम .सं.	संशोधन	वित्त विधेयक का खंड 2022
1.	अधिसूचना संख्या 10/2017-संघ शासित कर,तारीख 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 747(ई) को भूतलक्षी रूप से 01 जुलाई, 2017 से संशोधित किया जा रहा है जिससे कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन ब्याज की दर को 18 प्रतिशत के रूप में अधिसूचित किया जा सके।	[121]

IV. माल और सेवा कर अधिसूचनाओं का भूतलक्षी रूप से संशोधन:

क्रम .सं.	संशोधन	वित्त विधेयक का खंड 2022
1.	तारीख 01 जुलाई,2017 से आरंभ और 30 सितम्बर,2019 को समाप्त (दोनों दिनों सहित) अवधि के दौरान मत्स्य आहार (शीर्षक 2301 के अधीन आने वाला) के उत्पादन के दौरान सृजित अनाश्रित अपशिष्ट, मत्स्य तेल को छोड़कर, प्रदाय के लिए	[116, 119, 122]
2.	लाइसेंस फीस या आवेदन फीस या राज्य सरकारों द्वारा इसे कोई भी नाम दिया गया हो, के रूप में प्रतिफल के बदले एल्कोहोलिक शराब लाइसेंस के रूप में प्रदान की गई सेवा को ऐसे क्रियाकलाप या संव्यवहार के रूप में घोषित किया गया है जिसे अधिसूचना सं. 25/2019-सेंट्रल टैक्स (आर), तारीख 30.09.2019, अधिसूचना सं. 24/2019-एकीकृत कर (दर), तारीख 30.09.2019 और अधिसूचना सं. 25/2019-यूनियन टेरिटरी टैक्स (आर), तारीख 30.09.2019 द्वारा न तो माल की पूर्ति के रूप में और न ही सेवा की पूर्ति के रूप में समझा जाएगा। इन अधिसूचनाओं को 01.07.2017 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है। तथापि, ऐसे कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा जो एकत्रित कर लिया गया है, किंतु जो इस प्रकार एकत्रित न किया गया होता, यदि उक्त अधिसूचनाएं सभी तात्त्विक समय पर प्रवृत्त रही होती।	[117, 120, 123]
